दशम माला, खंड 5, अंक 42

मंगलवार, 10 सितंबर, 1991
19 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 5, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 42, मंगलवार, 10 सितंबर, 1991/19 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 754 से 756 और 758 से 760	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—177
तारांकित प्रश्न संख्या : 757 और 761 से 773	22—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6331 से 6388 और 6390 से 6560	30—170
सभा पटल पर रखे गए पत्र	177—178
याचिका का प्रस्तुतीकरण	178—179
नियम 377 के अधीन मामले	179—182
(एक) देश में बैंक जमा संग्रहकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता	
श्री के० मुरलीधरन	179
(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर वलायार चैकपोस्ट के निकट सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	179
(तीन) गुजरात के महत्वपूर्ण मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता	
कुमारी दीपिका चिखलिया	180
(चार) मध्य प्रदेश में उज्जैन में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री सत्यनारायण जटिया	180
(पांच) पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी जंक्शन और तारासारी रेलवे स्टेशनों के बीच नरपतनगर गांव में हाल्ट बनाने और इसका नाम "शहीद सूरज नारायण सिंह" के नाम पर रखने की आवश्यकता	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	181

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(छः) आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में कोनासीमा क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता	
श्री जी० एम० सी० बालयोगी	181
(सात) न्यू बैंक आफ इंडिया में प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता	
श्री मोरेश्वर सावे	182
(आठ) जबलपुर और दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता	
श्री श्रवण कुमार पटेल	182
उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक	183—276
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	183
श्री दिग्विजय सिंह	195
श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित	200
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	206
श्री मोहम्मद युनुस सलीम	209
श्री अनन्तराव देशमुख	217
श्री सुधीर सावन्त	222
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	225
श्री सुनील दत्त	231
श्री राम सुन्दर दास	241
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	243
श्री रामशरण यादव	248
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	249
श्री एस० बी० चव्हाण	252
श्री गिरधारी लाल भार्गव	254
श्री मदन लाल खुराना	255
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	272

विषय	पृष्ठ
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	273
श्री सैफुद्दीन चौधरी	275
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विधि (संशोधन) विधेयक	276—295
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रामेश्वर ठाकुर	277
श्रीमती गीता मुखर्जी	277
प्रो० रासा सिंह रावत	278
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	280
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	282
श्री गिरधारी लाल भार्गव	284
श्री मोहन सिंह	285
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	286
श्री भोगेन्द्र झा	287
श्री दाऊ दयाल जोशी	288
श्री एम० रमन्ना राय	289
प्रो० प्रेम धूमल	289
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रामेश्वर ठाकुर	294
विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक	295—302
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	298
श्री भगवान शंकर रावत	298

लोक सभा

मंगलवार, 10 सितम्बर, 1991/19 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

हरियाणा में सुपर ताप विद्युत संयंत्र

*754. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री तारा सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुनानगर में एक सुपर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा भेजा गया कोई प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जिसमें उस पर आने वाली अनुमानित लागत और उसकी प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का भी उल्लेख हो ?

[हिन्दी]

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) हरियाणा सरकार द्वारा सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नहीं है। तथापि, हरियाणा के यमुनानगर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 210-210 मेगावाट क्षमता के चार यूनिट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अन्तर्गत, विद्युत के निष्क्रमण (ऐवेक्युएशन) हेतु 220 एवं 400 किलोवोल्ट की 302 किलोमीटर सम्बद्ध पारेषण प्रणाली और आवश्यक उप-केन्द्रों का निर्माण किया जाना शामिल है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने अक्तूबर, 1990 में अपनी बैठक में इस परियोजना को

1582.06 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (1990 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर पर) पर स्थापित किए जाने की सिफारिश की है। परियोजना के लिए निधियां सुनिश्चित किये जाने के बाद सरकार की निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मंत्री महोदय ने यमुनानगर में सुपर थर्मल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि यमुनानगर में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम द्वारा 210 मेगावाट की क्षमता वाली चार इकाइयां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस परियोजना को अन्तिम स्वीकृति देने में क्या अड़चन है, यह लम्बित क्यों है और सरकार कब तक इस परियोजना को स्वीकृति दे देगी। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या चालू वर्ष के लिए 1582 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाएगी अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में 846 मेगावाट का नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा बिजली स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है। सेंट्रल इलैक्ट्रीसिटी ओथोरिटी द्वारा टैक्नो इक्नोमिक क्लीरिएंस भी इस प्रोजेक्ट को मिल चुकी है। फारेस्ट एनवायरमेंट क्लीरिएंस भी मिल चुकी है तथा सिविल एविएशन ओथोरिटी द्वारा तथा पी० आई० बी० द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को क्लीरिएंस मिल चुकी है। आज के रेट के अनुसार 2000 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पर खर्चा आएगा। 210 मेगावाट के चार यूनिट बनेंगे। विदेशी सरकार के सहयोग से यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इनवेंस्टमेंट का प्रोपोजल विचाराधीन है। जैसे ही इस पर निर्णय होगा, सरकार कार्यवाही करेगी।

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : हरियाणा की स्थिति से माननीय मंत्री जी अनभिज्ञ नहीं हैं। अगर हरियाणा में कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और भी बदतर हो जायेगी। आप जानते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान और ग्रामीण उद्योग पर आधारित राज्य है और वहां विद्युत उत्पादन की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में, हरियाणा में विद्युत की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्या हरियाणा के फरीदाबाद में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं क्योंकि फरीदाबाद से होते हुए पहले ही एक एक पाइप लाइन आ रही है और उसका उपयोग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की पावर शार्टेज को मद्देनजर रखते हुए तथा देश में विद्युत की कमी को मद्देनजर रखते हुए यमुना नगर में एन० टी० पी० सी० ने काम करना शुरू कर दिया है। वहां लैंड एक्वीजीशन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है।

बिल्डिगों का निर्माण भी हो रहा है। इनफास्ट्रक्चरल काम भी शुरू ही गया है। चूंकि इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपया खर्च होगा, इसकी फण्डिग की प्रोब्लम विचाराधीन है। हम कोशिश में लगे हैं कि इस साल ही थर्मल पावर स्टेशन पर काम शुरू कर दिया जाए। दूसरी बात फरीदाबाद में गैस बेस्ड पावर प्रोजैक्ट का भी मामला विचाराधीन है। जैसे ही नेचुरल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से गैस की एवेलेबिलिटी हो जायेगी वैसे ही गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 755 .

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, मैं हाथ उठा रही थी।

अध्यक्ष महोदय : इसका संबंध हरियाणा से है।

गुलबर्गा हवाई अड्डा

***755. डा० बी० जी० जावाली :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुलबर्गा हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य इस समय किस चरण में है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने और चालू हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) और (ख) गुलबर्ग की हवाई पट्टी कर्नाटक सरकार की है और इसका निर्माण उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है।

डा० बी० जी० जावाली : महोदय, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि नागरिक विमानन मंत्री को हवाई अड्डे पर जो हवाई पट्टी बनाई जा रही है उससे कुछ लेना-देना नहीं है।

दूसरी बात, मुझे राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया है कि वहां हवाई पट्टी के निर्माण हेतु नागरिक विमानन प्राधिकरण, जिसमें कुशल इंजीनियर शामिल हैं, की एक विशेषज्ञ समिति मौजूद है। राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दी गई है और फिर केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

मैं जानना चाहूंगा कि इसमें देरी क्यों हो रही है। मैं जानता हूं कि हवाई पट्टी के निर्माण हेतु धन राज्य सरकार दे रही है। चाहे केन्द्रीय सरकार के अधीन हो या नागरिक विमानन विभाग के इसे, इस समिति के निरीक्षणाधीन पूरा किया जाना है और शुरू किया जाना है। हवाई पट्टी का कार्य किस चरण में है, क्या यह वायुदूत के लिए है या किसी अन्य बड़े विमान के लिए है ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, हवाई अड्डे के निर्माण का काम राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक लैण्ड आर्मी कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय विमान-पत्तन

प्राधिकरण केवल नि:शुल्क परामर्श और तकनीकी सहायता और वह भी किसी मामले विशेष में दे रहा है। उसके अलावा उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है।

डा० बी० जी० जावाली : भूमि अधिग्रहीत किए हुए एक दशक से भी ज्यादा बीत गया है। मुआवजा दिया जा चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो इसे कहीं न कहीं शुरू किया जाना है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या इस मामले में कुछ किया जा सकता है ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह राज्य परियोजना है। परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था और उसे कार्यान्वित किये जाने के लिए भेजा गया है। उससे अधिक हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। अब संपूर्ण मामला राज्य सरकार को ही आगे बढ़ाना है।

नई रेल लाइनें बिछाना

[हिन्दी]

*756. श्री राम नारायण बैरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नई रेल लाइनों की संख्या कितनी है जिनका शिलान्यास 1973-74 में किया गया था और जिनके बिछाने का कार्य अभी भी चल रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए आरंभ में कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और उन पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या 1973-74 में नौ मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने हेतु स्वीकृति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसी तीन लाइनों के बिछाने का कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्य की गति को तेज करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है ?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 5 लाइनों का शिलान्यास किया गया था जिनमें से 2 पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) 1974-75 में इनके लिए 0.30 करोड़ रुपए की प्रारंभिक रकम आवंटित की गई थी। इन निर्माण कार्यों पर 31-3-91 तक 38.07 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) आमान परिवर्तन की केवल एक परियोजना, अर्थात् मनमाड-परमनी-पर्ली बैजनाथ 1973-74 में अनुमोदित की गई थी, जिस पर कार्य चल रहा है।

(ङ) मनमाड-परमनी-पर्ली बैजनाथ परियोजना का मनमाड से औरंगाबाद तक का 114 कि० मी० का भाग 1991-92 में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 13 वर्ष पहले पांच रेलवे लाइन सैंक्शन हुई थीं उनमें से दो का काम अभी चलाया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस काम की परसंटेज आफ प्रोग्रेस क्या है और इनिशियल कॉस्ट क्या रखी गई थी और अब उसकी कास्ट क्या होगी।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, दो लाइनें शाहदरा-सहारनपुर और आरा-दरियापुर अर्थात् दो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनका शिलान्यास 2-12-1973 और 4-12-1973 को हुआ था। तीसरी परियोजना छितौनी-बगहा है। इसका शिलान्यास 22-10-1973 को किया गया था। लेकिन अक्तूबर, 1978 तक नौ किलोमीटर का कार्य ही पूरा किया जा सका है। वह भी बगहा और बाल्मिकीनगर के बीच में है। उसके बाद यह कार्य ठप्प हो गया। हालांकि वर्ष 1990 में इस परियोजना को फिर से शुरू किया गया। इसकी वर्तमान लागत 160 करोड़ रुपये है जिसमें जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार को 103 करोड़ रुपये का अंशदान करना है।

जहां तक चौथी परियोजना अर्थात् रामपुर और नई हल्दवानी के बीच है, का संबंध है, 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। यह वर्ष 1992-93 तक पूरा हो जायेगा। इसमें कुछ मुश्किल भी थी। इसमें धनराशि की कमी के कारण रुकावट आ रही थी और यही कारण है कि यह कार्य तीव्रता से नहीं हुआ। लेकिन पिछले दो सालों से कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। इसे पूरा कर लिया जाएगा।

एक अन्य परियोजना सकरी-हसनपुर परियोजना है। 22-2-1974 को इसका शिलान्यास किया गया था लेकिन फंड न मिलने के कारण यह कार्य बिल्कुल रुका पड़ा है। हालांकि वहां के लोगों की लगातार मांग पर हमने पूर्वोत्तर रेलवे से सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने को कहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बैरवा : मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तरह का पालिसी डिसीजन लेंगे जब फण्ड्स अवेलेबल हो और जिन रेलवे लाइंस से जनता को जल्दी से जल्दी लाभ हो सके, भविष्य में उन्हीं रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूर करें? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि जो देरी का कारण है उस पर विचार किया गया है और देरी को दूर करने के क्या-क्या उपाय किए गये हैं?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : योजना आयोग द्वारा आवंटित राशि पर निर्भर होते हुए मैं वास्तव में इस महान सभा के सामने यह बताना चाहता हूं कि हर वर्ष नई लाइनों के लिए 250-260 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इसी धनराशि में से हमें जारी परियोजनाओं को धन देना पड़ता है। इसी वजह से नई रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य को पूरा करने में विलम्ब होता है।

डॉ० देवी प्रसाद पाल : क्या माननीय मंत्री दीघा-ताल्लुक रेलवे परियोजना, जिसे पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी थी परंतु कार्य अभी नहीं हुआ है, का क्या हुआ ?

क्या माननीय मंत्री पश्चिम बंगाल में नई लाइन को विकसित करने हेतु कोई योजना है, इस बारे में जानकारी देंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं अभी देखूंगा अगर कहीं इस लाइन के बारे विवरण प्राप्त होता है तो मैं फाइल देखने के पश्चात् उनको जानकारी दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है तो उन्हें बाद में दे दी जायेगी ?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पूर्वोत्तर रेलवे में वाराणसी से छपरा तक एक लाइन परिवर्तित करने के लिए 10-12 वर्ष से निरन्तर कार्य हो रहा है, लेकिन वह पूरी नहीं हुई । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस उत्तर में इसको सम्मिलित किया गया है या नहीं उसको कब तक पूरा करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : सलेमपुर-बरहाज-बाजार समेत वाराणसी से भटनी तक की लाइनें बदलने सम्बन्धी परियोजना का कार्य 1977-78 में शुरू किया था । वाराणसी-भटनी से सम्बन्धित कार्य पूरा हो चुका है । सलेमपुर-बरहाजबाजार से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है । इसे दिसम्बर, 1991 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं भटनी का नहीं पूछ रहा हूं, वाराणासी से बिहार जाने वाली गाजीपुर होते हुए छपरा-बलिया की बात कर रहा हूं ।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : मुझे वाराणसी-छपरा के बारे में नहीं अपितु छपरा-आनरिहार के बारे में जानकारी मिली है ।

[हिन्दी]

श्री संदीपन भगवान थोरट : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पूछा गया है मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने का है । मीटर गेज लाइन के कंवर्शन के लिए हम लोग बरसों से आन्दोलन कर रहे हैं । इन्दिरा जी जब शोलापुर आई थीं उस समय उन्होंने इस लाइन के कंवर्शन का आश्वासन दिया था । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं लाटूर जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है और पंढरपुर जो मेरा क्षेत्र है उन दोनों को जोड़ने के लिए ब्राडगेज लाइन बनायेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम सामने नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, अभी मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि कुछ छोटी लाइनों

को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की योजना है और हर साल 259 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है नई लाइनों के लिए ।

श्री मल्लिकार्जुन : हां जी,

श्री चन्द्रजीत यादव : ठीक है । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान पिछले भूतपूर्व रेलवे मन्त्री श्री जनेश्वर मिश्र द्वारा रेलवे बजट के दौरान इस सदन में जो कहा गया था, की ओर दिलाना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ इलाका है, मैं वहीं से आता हूं, यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है । हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान आजमगढ़, बलिया जिला का है लेकिन वहां सारी की सारी छोटी लाइनों की वजह से पिछड़ापन जारी है । क्या मन्त्री महोदया इस बात को ध्यान में रखते हुए शाहबाद-आजमगढ़-मऊनाथ-बलिया लाइन है और जिसके लिए इस सदन में आश्वासन दिया जा चुका है, को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, अभी इस लाइन को परिवर्तित करने की कोई संभावना नहीं है । इसका कारण यह है कि अभी 11 छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का कार्यक्रम है जिसकी लैंग्थ 2121 कि० मी० है जबकि नई लाइनों के लिए फिलहाल 3000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । अतः पूंजी न होने से रेल विभाग को मुश्किल हो रही है ।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, यह जो मनमाड-परभनी प्रॉजेक्ट को 1973-74 में मान्यता मिल गयी है और उसमें से मनमाड-औरंगाबाद लाइन

[अनुवाद]

इसे वर्ष 1991-92 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

[हिन्दी]

मतलब यह है कि 1973-74 से 1991-92 तक जिसको मान्यता दी हुई है, उस पर काम नहीं हुआ है तो मेरा सवाल का पहला भाग यह है कि इतना डिले क्यों हुआ और दूसरा इस लाइन पर टोटल खर्च कितना आने वाला है और वर्ष 1991-92 में कितना अलॉट किया जायेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह पूरी लाइन 354 कि० मी० है और जिसमें अभी मनमाड-औरंगाबाद लाइन पर वर्क पूरा होने वाला है, बाकी के लिए 87 हजार करोड़ रुपये की रिक्वायरमेंट रहेगी और बाद में कम्प्लीट किया जायेगा ।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदया, पूर्व-उत्तर क्षेत्र की रेलवे में बिहार के वैद्यनाथधाम-दुमका रेलवे लाइन का सर्वेक्षण 1973-74 में किया गया और सन् 1980 में श्री बैठा जी के नेतृत्व में एक कमेटी वहां गयी थी और उसने इस बारे में सिफारिश की थी और उसके आधार पर वर्ष 1986 में इस सदन में आश्वासन दिया गया था एक प्रश्न के संदर्भ में कि इस पर 72 करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन उस पर इस योजना में और रुपया सैंक्शन नहीं किया गया ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जनहित के लिए और माल ढोने के लिए इसका क्या क्राईटेरिया है । एक तरफ तो एक लम्बी अवधि के दुमका जिला कमिश्नरी बन गयी है लेकिन वहां

रेलवे नहीं पहुंची है। वहां खनिज सम्पदा, लोहा, कोयला ढोने का काम होता है और एक साल के अन्दर रेलवे लाइन का निर्माण करते हैं तो इसके अन्दर जो यह अन्तर है, उस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इन योजनाओं के लिए पैसा देकर उसको बनाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मल्लिकार्जुन : वास्तव में यह हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। (व्यवधान)

रेलवे मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता की प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि सभा इस बात की प्रशंसा करेगी कि रेलवे का विकास इसकी आय पर निर्भर करता है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि उन रेलवे लाइनों पर, जहां प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, कार्य तीव्र गति से होता है क्योंकि इन संसाधनों का दोहन देश के विकास के लिए किया जाना होता है प्रश्न का दूसरा भाग यह है। कि जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाना चाहिए। हम इस पर जैसे ही हमारी संसाधन क्षमता में सुधार होगा, हम इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मुंबई की जो ठाणे-बेलापुर-बाम्बे, यह जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खर्चा भी किया है, हमें पता चला है कि वह लास्ट ईयर शुरू होने वाली थी और बहुत-सा काम शुरू हो गया था, वह कब तक आप पूरा करने वाले हैं यह बताइए।

श्री मल्लिकार्जुन : सर, बेलापुर-मुंबई की जो रेलवे लाइन है और उसके ऊपर जो बहुत बड़ी मुसीबत है एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन था वह कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। अभी सिडको वाले उसमें स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं और जैसे ही वह निर्माण कर देंगे, 1992 में इसे कमीशन किया जाएगा।

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए श्रीमती इंदिरा जी ने जाकर वहां शिलान्यास किया कि छितौनी-बगहा को जोड़ दिया जाए और गंडक पर पुल बनाया जाए, किंतु वह काम धीरे-धीरे चलता रहा। फिर तीसरी मिनिस्ट्री आई। जार्ज फर्नान्डीज साहब नहीं हैं, ये जब रेल मन्त्री हुए तो फिर उसका एक बार उद्घाटन हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण वह पुल है और रेल लाइन है और इंदिरा जी के नाम पर जहां लोग अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं, उन इंदिरा जी के किए हुए शिलान्यास छितौनी-बगहा को जोड़ने के लिए क्या इस वक्त आपने बजट में समावेश किया है ? यदि किया है तो कितनी धनराशि दी है और वह पुल कब तक बन जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : बजट तो आपको भी दिया गया है, उसमें आप भी देख सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वर्ष 1991-92 के बजट में भी इस पुल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस

क्षेत्र से आने वाले सदस्य हमारे साथ सौदेबाजी करते हैं और बजाय अपनी राज्य सरकारों पर दबाव डालें हम पर दबाव डालते हैं। जल संसाधन मंत्रालय भी इसमें हिस्सा ले रहा है और इसमें मदद कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें उसमें अपना हिस्सा नहीं दे रही हैं। अतः उन्हें अपनी राज्य सरकारों से इसमें भाग लेने और बराबर का अंशदान करने के लिए अवश्य कहना चाहिए। विलंब केवल उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों की वजह से हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जहां-जहां रेलवे लाइन गई है, वहां-वहां थोड़ा विकास हुआ है और हमको लगता है कि जहां-जहां विकास हुआ है वहीं-वहीं रेलवे लाइन गई है। जो बैकवर्ड इलाका है अभी तक रेलवे लाइन की पहुंच वहां नहीं हो पाई है, इसलिए कि वहां जो पोलिटिकल प्रेशर होना चाहिए या राजनैतिक दबाव होना चाहिए वह नहीं बन पाते हैं और यही कारण है कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका आज भी पिछड़ा है और खासकर बिहार का कोसी का इलाका है जहां एक जिले से दूसरे जिले की दूरी 14 किलोमीटर है और 300 किलोमीटर घूमकर जाने में तीन दिन लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई पोलिटिकल वाइस नहीं है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सकरी-हसनपुर रेलवे लाइन का क्या होगा ? आपने अपने प्रश्न के जवाब में कहा है कि 5 रेल लाइनों का निर्माण किया जाना है जिनमें से दो का निर्माण हो गया है और तीन का निर्माण नहीं है। मैं हुआ जानना चाहता हूं कि तीन का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा। सकरी और हसनपुर मेरी पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूएंसी में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां रेलवे लाइन बनाने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाएगी और कब तक यह शुरू हो जाएगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : इस सकरी हसनपुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य इस वास्ते हाथ में नहीं लिया गया है क्योंकि 1987 में इसका रिव्यू किया गया था। इस लाइन का शिलान्यास 22-2-1974 को हुआ था परंतु फंडस न रहने की वजह से, इसे लिया नहीं जा सका। वर्ष 1987 में इसका हमने फिर रिव्यू कराया और रिव्यू कराने के बाद एक समय बजट में से भी इसे डिलीट कर दिया गया। परन्तु प्रजा के हित में, प्रजा के आग्रह पर और श्री राम विलास पासवान के आग्रह पर हमने फिर से पूर्वोत्तर रेलवे को आदेश दिया है कि वह इसका सर्वे अपडेट करे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरी पार्लियामेंटरी कांसटीटूएंसी का प्रश्न है, आप हैल्प इतनी तो करिए कि 1974 में जिस लाइन का शिलान्यास किया गया, और मंत्री जी ने अभी बताया कि 1987 में यानी 13 साल बाद, उसे बजट से डिलीट कर दिया गया, शिलान्यास के बाद, फिर अब कहते हैं कि सर्वेक्षण के लिए हमने आदेश दे दिए हैं, मैं उनसे सीधे जानना चाहता हूं कि आप राम विलास पासवान को कम से कम एक मैम्बर पार्लियामेंट की हैसियत से, मैं कोई नाजायज फायदा आपसे नहीं मांगता हूं, इस लाइन के सम्बन्ध में आप कम से कम इतनी घोषणा तो कर दीजिए कि उसका काम शुरू हो जाएगा। सर्वेक्षण क्या होता है, आप सीधे काम शुरू कराये जाने का आश्वासन सदन में दीजिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमारे दोस्त मंत्री रह चुके हैं और वे जानते हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र में सर्वेक्षण कराये और काम शुरू करना कोई सही साइंटिफिक एप्रोच नहीं है। यदि आपने कोई ऐसा काम किया है तो मैं उसे ठीक नहीं मानता। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : फिर शिलान्यास कैसे हो गया। (व्यवधान)

क्या सिर्फ वोट लेने के लिए शिलान्यास कराया गया था। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इसलिए मेरे सहयोगी श्री मल्लिकार्जुन ने जो अभी कहा कि हम सर्वे अपडेट कर रहे हैं, सर्वे अपडेट करने का मतलब यह होता है कि पहले जो हो गया है और बीच में जो काम ठप्प हो गया था, अब उसकी कास्ट कितनी होगी, ये सब कुछ देख कर ही काम शुरू होगा। इसलिए उन्होंने ठीक कहा कि सर्वे अपडेट करने के आदेश दे दिए गए हैं, वह भी इसलिए चूंकि आप आग्रह कर रहे हैं। वैसे तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बालिन कुली : माननीय मंत्री ने बताया है कि जहां कहीं भी कोयला पैट्रोलियम चाय आदि उपसाधन बहुतायत में हैं, जो देश के विकास के लिए आवश्यक हैं, वहां से रेलवे लाइन गुजरती है। मैं रेलवे मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कब तक गुवाहटी से डिब्रूगढ़ जाने वाली बड़ी रेलवे लाइन पूर्ण होगी। गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक की बड़ी रेलवे लाइन को पूर्ण करने के लिए क्या कोई लक्ष्य रखा गया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, कई बार इस पर विचार किया गया है लेकिन शुरू करने के लिए अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, हमारे यहां मधुबनी रेलवे लाइन का जो काम शुरू किया गया था, तत्कालीन रेल मंत्री श्री केदार पाण्डेय के मंत्रित्व काल में, अब हमें पता चला है कि उसकी पटरियां उजाड़ने और दूसरी जगह ले जाने का काम किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जहां से मैं आती हूं, वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, जब मधुबनी क्षेत्र को, मैन रेलवे लाइन से जोड़ने का, मीटर गेज से ब्रोड गेज में बदलने का काम शुरू हो गया था तो फिर अब पटरियां उखाड़ने का काम क्यों शुरू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जहां तक मुझे याद है मधुबनी लाइन का कार्य बिल्कुल ठप्प है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह बात

जानना चाहता हूं कि चालीस वर्ष से भी अधिक समय से बिहार के आदिवासी बहुल इलाके पलामू में रेलवे लाइन बिछाने के लिए पुल बनने व अन्य काम होने के जो हैं, हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा रही है। जब चर्चा की गई, तो लोगों ने कहा कि यह आदिवासी इलाका है, इसको छोड़ो और दूसरी जगह रेल लाइन बिछाओ, तो क्या यह बात सही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : सर, इस समय मेरे पास इसकी इन्फर्मेशन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरे जिले पुरुलिया में, जो कि हमारे देश का पिछड़ा हुआ जिला है, एक छोटी रेलवे लाइन है। पुरुलिया-कोटशिला लाइन को छोटी रेलवे लाइन से बड़ी रेलवे लाइन में बदलने हेतु एक सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण वर्ष 1984 में किया गया था, उस समय उसका 6 करोड़ रुपये का अनुमान था। इसे योजना-आयोग को भेजा गया था। योजना-आयोग द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया था।

यह लाइन बोकारो को पुरुलिया के साथ जोड़ेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय पुरुलिया कोटशिला लाइन को छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने पर विचार करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य के अनुसार इसे पहले योजना-आयोग ने रद्द कर दिया था। अब हमने इसे पुनः योजना आयोग के पास भेजा है।

इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाएं कुछ समय के लिए बंद किया जाना

*758. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइंस की कुछ घरेलू विमान सेवायें कुछ समय के लिए या पूर्णतः/कुछ समय के लिए बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सेवाओं को पुनः कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारुख) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान (1) ए-320 बेड़े के ग्राउंडिंग किए जाने और (2) खाड़ी संकट के कारण विमानों की कमी के परिणामस्वरूप कुछ अन्तर्देशीय सेवाओं को बंद कर देना पड़ा/स्थगित कर देना पड़ा।

(ग) अधिकतर सेवाओं को पुन: चालू कर दिया गया है। ए-320 विमानों को पूरा उपयोग किए जाने के साथ-साथ अन्य सेवाओं को भी धीरे-धीरे शुरू करने का विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजेंद्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा। जैसा कि उनके उत्तर से स्पष्ट होता है कि अन्तर्देशीय सेवाओं में एयर बस 320 के बेड़े को ग्राउंड करने के उपरांत इस प्रकार की सेवाओं को बंद किया गया, तो यह जो ग्राउंड करने का निर्णय था, यह मंत्री जी का व्यक्तिगत निर्णय था या मंत्रिमंडल का निर्णय था या विशेषज्ञों की राय के ऊपर यह निर्णय लिया गया था? क्योंकि मान्यवर इससे देश को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ पैसेंजर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड तथा व्यवसाय को, सभी को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। इसलिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह निर्णय किसी एक व्यक्ति अथवा मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। यह सरकार का निर्णय है। इस निर्णय के आधार पर सब कुछ कार्यान्वित किया गया था।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा है कि क्या यह निर्णय सही था या गलत था? मैं इस विषय में जानना चाहता हूं, इसको मंत्री महोदय स्पष्ट करें?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, मुझे यह कहना है कि यह एक सही निर्णय प्रतीत नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आखिरकार फिर वही निर्णय लेना पड़ा और एअर बसेस को दुबारा-दुबारा चलाना पड़ा? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न के सभी भाग एक ही बार पूछे जाएं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले ग्राउंड करना फिर दुबारा उनको चलाना, ऐसा क्यों हुआ, मैं यही जानना चाहता हूं? मान्यवर, इससे देश का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों का नुकसान हुआ?

मान्यवर, मैं यह भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह डामेस्टिक फ्लाइट धीरे-धीरे इन्होंने कहा कि इनको चालू कर दिया जाएगा। देश में इस प्रकार के कितने एयरपोर्ट हैं जहां पर इस प्रकार की फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। उन फ्लाइट्स को कब तक चालू किया जाएगा और वे कितनी हैं ? वायूदूत की सेवा जहां पर है वहां पर बिना जानकारी के वायूदूत की सेवाओं को सस्पैंड कर दिया जाता है जिनके कारण पैसेंजर्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : अगर इनफार्मेशन है तो दे दीजिए नहीं तो राईटिंग में दे दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूख : यहां 11 विमान सेवाएं हैं जिन्हें अभी तक पुनः चालू नहीं किया गया है। इन 11 सेवाओं में से पांच सेवाओं को हमने नवम्बर मास में पुनः चालू कर दिया है तथा बाकी सेवाओं को आने वाले समय में पुनः चालू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री तेजसिंहराव भोंसले : अध्यक्ष महोदय, अधिकतर सेवाओं को पुनः चालू करने के लिए कहा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पूर्व बम्बई से लेकर पूना तक आई० सी० बोइंग की सर्विस थी और वापसी में भी बोइंग 737 की सर्विस थी। वह सस्पैंड की गई है। अभी वहां पर वायुदूत चालू है जिसमें ऐव्रो प्लेन चल रहा है। वहां का ट्रैफिक देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूना-बम्बई, बम्बई-पूना सर्विस कब तक शुरू करने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूख : फिलहाल यह विचाराधीन नहीं है। वास्तव में हमने 69 मार्गों पर केवल 11 को छोड़कर मूल सेवाएं पुनः चालू कर दी हैं और इन 11 मार्गों में से हम पांच मार्ग अभी चालू कर रहे हैं। अतः केवल छः सेवाएं रह जाएंगी।

श्री जसवन्त सिंह : जिन सेवाओं को बन्द कर दिया गया था, उनमें से जोधपुर जाने वाली सुबह की विमान सेवा को अस्थायी तौर पर बन्द किया गया था। जोधपुर एक मुख्य पर्यटन केन्द्र है। जोधपुर पूरे पश्चिम राजस्थान का प्रवेश द्वार है जहां से जैसलमेर तथा बीकानेर जाने वाले पर्यटक गुजरते हैं। जोधपुर जाने वाली इस विमान सेवा को बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यही विमान सेवा जयपुर, उदयपुर और अन्य स्थानों पर जाती है। इसलिए, मेरे प्रश्न का पहला भाग जोधपुर जाने वाली सुबह की उड़ान के संबंध में है जो कि खाड़ी संकट के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण बन्द कर दी गई थी। अब इसका पुनः चालू करना निश्चित रूप से विलम्बित है क्योंकि पर्यटन सत्र शुरू होने वाला है। यह एक मुख्य पर्यटन केन्द्र है। सरकार इस विमान सेवा को कब चालू करेगी ?

जहां तक कोटा का संबंध है, यहां से कोटा जाने वाली एक वायुदूत विमान सेवा थी। यह एक मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है और विमान सेवा का समय भी सुविधाजनक नहीं था। मेरे मित्र

कोटा के माननीय सदस्य उस क्षेत्र के बहुत ही कार्यकुशल संसद सदस्य हैं, वे हमेशा कोटा के लिए जोर देते हैं। यदि कोटा को जाने वाली वायुदूत की उड़ान का समय सुबह का कर दिया जाए तो यह एक बहुत ही प्रभावशाली उड़ान होगी। क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक देंगे ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जोधपुर क्षेत्र में विमान सेवा चालू करने के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सकारात्मक उत्तर दिया गया है; यह नकारात्मक जवाब से बेहतर है।

श्री जसवंत सिंह : नौकरशाही भाषा में, सक्रिय विचार का अर्थ है कि फाइल को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आप इसे कब लागू करने जा रहे हैं ? कृपया कोटा के लिए भी समय सूची देनी चाहिए।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : जोधपुर के लिए सुबह की उड़ान नवम्बर, 1991 से पुनः चालू की जाएगी।

श्री जसवन्त सिंह : कृपया उसे पहली नवम्बर से आरंभ कर दें। कोटा के बारे में क्या होगा ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : कोटा की उड़ान वायुदूत से संबंधित है। यह प्रश्न इंडियन एयर लाइन्स से संबंध रखता है।

श्री पी० सी० चाक्को : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि विमानों की कमी के कारण कुछ अन्तर्देशीय उड़ानों को बन्द कर देना पड़ा था। उड़ान बन्द कर देने का मामला अस्थायी था। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में उन्होंने कहा है कि बन्द की गई अधिकतर उड़ानों को पुनः चालू कर दिया गया था। कोचीन और बम्बई के बीच चार उड़ानें थीं, जो कि इंडियन एयरलाइन्स के सबसे व्यस्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में केवल दो उड़ानें पुनः चालू की गयी हैं।

इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में खाड़ी देशों को जाने वाले लोगों को कोचीन से बम्बई तक की यात्रा करनी पड़ती है, क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतायेंगे कि बन्द की गई चारों उड़ानें पुनः चालू की जायेंगी ? ए-320 को पुनः चालू करने से कोचीन जैसे हवाई अड्डे की समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि ये विमान वहां नहीं उतर सकते हैं। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि विमानों की कमी को देखते हुए क्या सरकार अधिक बोइंग विमान प्राप्त करने पर विचार कर रही है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय हर बात का ब्यौरा देना बहुत कठिन है। खाड़ी संकट के कारण 69 उड़ानों को बन्द कर दिया था। यह कहना कठिन है कि अब इनमें से प्रत्येक उड़ान को कब पुनः चालू किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, इंडियन एयरलाइन्स की समय अनुसूची एक निरन्तर प्रक्रिया है। यदि वे चाहें तो हम अवश्य ही माननीय सदस्य को प्रत्येक छोटी से छोटी जानकारी कारणों सहित लिखित रूप में देंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, कोटा उड़ान को कुछ समय पहले बन्द कर दिया गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस बात का जवाब मिलना आवश्यक है कि कब यह उड़ान पुनः चालू की जा रही है··· (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : सुबह की उड़ान··· (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह समय परिवर्तन का प्रश्न है। क्या यह सुबह का हो अथवा शाम का। लेकिन, एक प्रमुख क्षेत्र होने के नाते इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह प्रश्न इंडियन एयरलाइन्स से संबंधित है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास सूचना है तो कृपया दीजिए।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : यह वायुदूत की उड़ान है, जोकि उन्होंने स्वयं ही कहा है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनको लिखित रूप में दीजिए।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैं उनको लिखूंगा।

श्री प्रफुल्ल पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंगलौर विमान दुर्घटना के बाद ए-320 की उड़ानों को स्थगित कर दिया गया था। इन्हें चरणबद्ध रूप में पुनः चालू किया जाना था। हम देखते हैं कि अनेक विमान देश के विभिन्न हवाई अड्डों में खड़े हैं। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में उड़ानों की कमी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी ए-320 विमानों को पूर्णतः पुनः चालू कर दिया था अथवा इस चरणबद्ध कार्यक्रम की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। यदि ऐसा है, तो क्या हम अभी भी अपने पूर्व समझौते के अंतर्गत 12 ए-320 विमानों की खरीद पर विचार कर रहे हैं ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे सही नहीं लगता। कुछ विमानों, जैसे कि ए-320 विमान की उड़ान को स्थगित कर दिया था क्योंकि विमान चालक प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैसे ही वे प्रशिक्षण से वापस आयेंगे, हम धीरे-धीरे उन्हें पुनः चालू करना आरंभ कर देंगे।

माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम नये विमान खरीद रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हमको मौका ही नहीं देते हो। मैं बिहार से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं··· (व्यवधान)·· इस मामले में बिहार की उपेक्षा हो रही है··· (व्यवधान)··· पटना की फ्लाइट काटी जा रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक गुप्त ब'त बताऊंगा। यदि आप सभा में कोई प्रश्न पूछेंगे तो आपको नकारात्मक जवाब मिलेगा। बेहतर यही है कि आप कृपया मंत्री जी से मिल लें।

ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण

[हिन्दी]

***759. श्री तेज नारायण सिंह**† :

श्री राम शरण यादव :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ताप विद्युत संयंत्र राख और सल्फर डाइआक्साइड छोड़ते हैं;

(ख) क्या इन ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन संयंत्रों में इन से निकलने वाले अन्य पदार्थों को नियंत्रित करने हेतु लगाये गये उपकरण संतोषजनक ढ़ग से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) देश में इस समय 66 कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र प्रचालन में हैं। इन ताप-विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्ल्यू गैसों में राख और सल्फर डाइआक्साइड निहित होती है। उक्त निस्सरण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है यदि यह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक निस्सरण स्तर से अधिक हो। मैकेनिकल प्रेसीपिटेटर्स और इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स जैसे निस्सरण नियंत्रण उपकरणों की प्रतिष्ठापना के माध्यम से निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है। देश में प्रतिष्ठापित अथवा प्रतिष्ठापित किए जा रहे नए ताप-विद्युत संयंत्रों में बेहतर डिजाइन एवं 99.5 प्रतिशत से 99.9 प्रतिशत की उच्च दक्षता वाले इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स की व्यवस्था है ताकि निस्सरण की मात्रा को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार बनाए रखा जा सके।

जहां तक पुराने विद्युत संयंत्रों का संबंध है, 24 ताप-विद्युत केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए 104 विद्युत उत्पादन यूनिटों में उच्च दक्षता वाले इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स प्रतिष्ठापित किए जाने/उनमें बढ़ोतरी किए जाने के लिए 1984 से एक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इन यूनिटों में, उनकी प्रतिष्ठापना के समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को प्रतिष्ठापित किया गया था जोकि वर्तमान मानकों के अनुसार अपर्याप्त हैं। इस संबंध में 34 ताप-विद्युत यूनिटों में कार्य पूरा हो चुका है और शेष 70 विद्युत उत्पादन यूनिटों में यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

इसके अलावा, 8वीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के फेज-2 में 13 ताप-विद्युत संयंत्रों सहित 23 पुराने यूनिटों को शामिल किया गया है।

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कितने ताप विद्युत संयंत्र राख और सल्फर डायआक्साइड छोड़ते हैं और इन ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य के हानिकारक है ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, देश में 66 कोयले पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन्स हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि हां, तो क्या इन संयंत्रों में इनसे निकलने वाले अन्य पदार्थों को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने संतोषजनक कदम उठाए हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, कोयले पर आधारित 66 थर्मल स्टेशन्स हैं, उनमें 104 यूनिट्स हैं, जिनमें कि इलैक्ट्रोस्ट्रेटिक प्रैसिपिटेटर्स लगाए जा रहे हैं। स्टेट कन्ट्रोल बोर्ड, पोल्युशन बोर्ड और सैंट्रल कन्ट्रोल पोल्युशन बोर्ड्स ने जो गाइडलाइन्स दी हैं, उसके आधार पर इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर्स लगाए जा रहे हैं। जो पुराने यूनिट्स हैं, जिनमें कि मकैनिकल प्रेसिपिटेटर्स लगाए थे, उनके लिए 1984 में माडूनाइजेशन के अंतर्गत इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण कम होगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : प्रदूषण केवल धुएं से ही नहीं उत्पन्न होता बल्कि राख और कोयले के चूरे की अधिक मात्रा भी प्रदूषण फैलाती है जो कि विद्युत संयंत्र के आस-पास जमा हो जाती है। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस जले हुए कोयले और राख का उपयोग करती हैं और जिससे बाद में ईंट तथा उपयोगी वस्तुएं बनती हैं। मैं पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में श्री सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में हम यह प्रयत्न कर रहे हैं। यह सूचना मिली है कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछने की बजाए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मेरा प्रश्न बहुत सरल है। विद्युत संयंत्रों द्वारा पैदा होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के लिए क्या विभाग ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा या सहायता देगा।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल में जो थर्मल प्लांटस हैं, वे पुराने हैं और उनमें मैकेनिकल प्रैसिपिटेटर्स लगाए गए थे।

लेकिन 1984 में सरकार ने रिनोवेशन माडर्नाइजेशन स्कीम बनाई और उसके अंतर्गत इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रैसिपिटेटर्स···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सवाल क्या है और जवाब क्या दे रहे हैं।···(व्यवधान)···

श्री कल्पनाथ राय : जवाब तो दे रहा हूं, बंगाल में प्रदूषण से सम्बन्धित है। मैं जानता हूं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है, क्या ब्रिक्स बनाने के कारखाने के लिए पैसा दे रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सजेशन है, नोट कर लिया है और विचार किया जाएगा···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : पूरे देश में अनेक ताप विद्युत केन्द्र हैं। विशेषकर विजयवाड़ा में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चक्रावात और आंधी के कारण राख पूरे शहर में फैल जाती है। इसलिए ऐसे कोयले से चलने वाले संयंत्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है।

अध्यक्ष महोदय : 'प्रेसीपिटेटर्स' प्रतिष्ठापित किए गए हैं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : 'प्रेसीपिटेटर्स, कोयले के चूरे के लिए है न कि राख के लिए। राख को बड़े टैंको में भर दिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान यह भारी चक्रावात और आंधी के कारण पूरे शहर में फैल जाती है। क्या भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है जिससे ग्रीष्म ऋतु में इस राख से शहर में प्रदूषण फैलने को रोका जा सके ? राख को समाप्त करने के लिए आपका क्या प्रस्ताव है ?

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण कंट्रोल के लिए एनवायरमैंट मिनिस्टरी, हैल्थ मिनिस्टरी ने जो हमें गाइडलाइंस दिए हैं उसके अनुकूल ही हम काम कर रहे हैं और जो भी ऐश इकट्ठा होता है उसको समाप्त करने के लिए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि आपका मैकेनिकल प्रेसीपिटेटर्स और इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स, ये दोनों प्रदूषण को रोकने में असमर्थ रहे हैं, बहुत महंगे होते हुए, क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई विकल्प है। मेरा निवेदन यह है कि कोटा सहित सभी स्टेट यहां पर कोयले के आधार पर, जो आपके विस्तृत केन्द्र हैं, वह सब दुखी हैं और जहां तक आपकी गैस लाइन निकली है, क्या वहां तक आप उन सारे विद्युत तापग्रहों को सारे देश के आधार पर परिवर्तन करने का कोई विचार रखते हैं। यदि हां तो कब तक ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैकेनिकल प्रेसीपिटेटर्स, यह एक आउटडेटेड टेक्नोलोजी है, उसकी जगह पर इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर्स लगाए जा रहे हैं, यह माडर्न टेक्नोलाजी

है जिससे प्रदूषण कम हो, साथ ही ऊंची-ऊंची चिमनियां लगाई जा रही हैं ताकि स्वास्थ्य का नुकसान कम हो।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में इन्होंने बता दिया है।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : पर्यावरण प्रदूषण अधिकतर महानगरों के लिए अभिशाप है। क्या सरकार ताप विद्युत केन्द्रों को दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख नगरों से स्थानांतरित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने बड़े संयंत्रों को प्रमुख नगरों से स्थानांतरित करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जो प्लांट्स लग चुके हैं उनको तो शिफ्ट नहीं किया जाएगा और जो दूसरे प्लांट लगाए जाएंगे, वे दूर लगाए जाएंगे।

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में जो कोटा प्लांट लगा हुआ है उसके प्रदूषण से वहां के आम नागरिकों को जो हानि है, यहां तक कि जानवरों के बच्चों को भी उससे नुकसान हो रहा है। क्या मंत्री महोदय को इसके प्रदूषण से होने वाला जो नुकसान है उसके संबंध में कोई जानकारी है और अगर जानकारी है तो मंत्री महोदय कब तक इसको दूर करने की संभावना रखते हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : मान्यवर, राजस्थान में बिजली की आपूर्ति का जो सबसे बड़ा संयंत्र है वह कोटा पावर प्लांट है और वहां बिजली की सप्लाई को मीट आउट करने के लिए सबसे अच्छा प्लांट है। अब प्रश्न यह उठता है कि थर्मल से प्रदूषण है, गैस से वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण से मुक्त किया जाए, इस संबंध में सरकार विचार कर रही है।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशस को विद्युतीकरण किया गया है। दिल्ली में भी बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन और इन्द्रप्रस्थ थर्मल पावर स्टेशन है, इस कारण से भी प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली प्रदूषण की दृष्टि से सबसे आगे है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जो इन्होंने अभी अपने उत्तर में कहा है, क्या दिल्ली के थर्मल पावर स्टेशनों को भी विद्युतीकरण करने की कोई योजना है और यदि है तो क्या है ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, बदरपुर पावर स्टेशन में रेनोवैशन मार्डनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स लगाए जा रहे हैं और हैंडलिंग ऐश प्लांट की भी व्यवस्था की जा रही है और उससे प्रदूषण को दूर करने की व्यवस्था की जा रही है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि कोयले पर आधारित 66

ताप विद्युत केन्द्रों में से 24 ताप केन्द्रों में सितम्बर, 1984 से कार्य चल रहा है और 13 ताप केन्द्रों में आठवीं योजना में कार्य किया जाएगा। इससे केवल 37 केन्द्र कुल होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि शेष 29 ताप विद्युत केन्द्रों का क्या होगा, क्या नवीं योजना में उन पर कार्य आरंभ किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि 34 पर कार्य पूरा हो चुका है और 24 पर नहीं। 70 पर कार्य चल रहा है और आठवें प्लान में 13 पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, ताप केन्द्र और ताप एकक भिन्न चीजें हैं। 66 ताप केन्द्रों में से केवल 24 ताप केन्द्रों पर 1984 से कार्य चल रहा है और 13 ताप केन्द्रों पर आठवीं योजना में काम शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, 60 थर्मल पावर में 134 यूनिट्स हैं। जिनके बारे में मैंने आलरेडी कहा कि 70 पर काम चल रहा है और 34 पर कार्य पूरा हो चुका है। 13 पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में काम शुरू किया जाएगा।

मुंबई में उपनगरीय रेल परियोजनाओं के लिए धन दिया जाना

[अनुवाद]

*760. श्री राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुम्बई में रेल परिसरों का वाणिज्यिक उपयोग करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी और रेल विभाग के बीच कोई त्रिपक्षीय व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है ताकि इससे प्राप्त होने वाली आय से मुम्बई में उपनगरीय रेल परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जा सके;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में आगे और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि अभी तक इसके तौर-तरीके तैयार नहीं हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम कापसे : महोदय, सन् 1986 में रेलवे बोर्ड ने महानगरों में नई रेलवे परियोजनों

पर खर्च न करने का निर्णय लिया था और यह आशा की गई थी कि इसके लिए शहरी विकास खर्च करना चाहिए। शहरी विकास विभाग के पास इस कार्य के लिए कोई धन नहीं है। अतः क्या यह सच है कि व्यावसायिक केंद्रों के निर्माण के लिए रेलवे स्टेशन परिसरों का उपयोग करके महानगरों में धन एकत्रित करने का प्रस्ताव है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह धन प्राप्त करने के अतिरिक्त स्रोतों को गतिशील बनाने के उद्देश्य से है जैसे कि 1986 से रलवे ने महानगरों में भूमि को उपयोग में लाने के लिए 'पायलट' परियोजना को आरंभ करने का निर्णय लिया है, विशेषकर कि बान्द्रा को ग्रेटर मुंबई में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, इस कार्य के लिए सहमति लेने हेतु रेलवे की मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (बी० एम० आर० डी० ए०) के साथ बैठक थी क्योंकि इस भूमि का उपयोग करने अथवा भूमि की उपयोगिता में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है और इसके लिए मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण सहमत है। कुछ परिवर्तन शर्तें तैयार की गई और अन्त में मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने उस प्रस्ताव के मसौदे, पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिस पर बोर्ड सहमत हो गया था, लेकिन, दुर्भाग्य से मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने हस्ताक्षर करने के पश्चात् एक शर्त रख दी है और शर्त यह है कि जो अतिरिक्त धन हमें मिलेगा वह भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया जाएगा। इस संबंध में, महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हम संविधान से बंधे हुए हैं, इसलिए सरकार का राजस्व हमें भारत की संचित निधि में जमा करना ही है। इसके अतिरिक्त मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की शर्त यह भी थी कि उस पर कोई संसदीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हमें संविधान के अनुसार कार्य करगा होगा। इसके पश्चात् क्या हुआ कि चूंकि इस पर समझौते के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है इसलिए विनिमय समझौता किया गया है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जो यहां निर्माण कार्य कर रही है, एक कार्यालय और व्यावसायिक केंद्र का निर्माण करेगी। पश्चिमी रेलवे कार्यालय की जगह को उपयोग में लाएगी और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी व्यावसायिक जगह का उपयोग करेगी। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी उपनगरीय रेलवे में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करेगी। लेकिन इस समझौते को वित्त मंत्रालय और अन्य मन्त्रालयों को भेजना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय का विचार है कि उक्त समझौता युक्तिसंगत नहीं है। इसलिए, यह उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अतः अब हमें वापस जाना होगा और जो कुछ भी बोर्ड ने पारित किया है और जिस समझौते के मसौदे पर मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए हैं, उस पर निर्णय लेना होगा।

श्री राम कापसे : महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है और मंत्रालय का जवाब है कि 'नहीं, महोदय'। लेकिन यह मेरी अपनी जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार इस प्रस्ताव सें सहमत है। मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने इस पूरे प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। रेलवे की एकमात्र समस्या यह है कि क्या वे धनराशि खर्च कर सकते हैं और इसके लिए यह सुझाव दिया गया था कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी व्यावसायिक उपयोग द्वारा प्राप्त धन को अपने पास रखेगी और इसी धन को आगे उपनगरीय रेल परियोजनाओं पर खर्च करेगी। अतः क्या माननीय मंत्री जी वित्त मन्त्रालय से एक नई परियोजना लेकर मुंबई के दैनिक यात्रियों की मदद करने की कोशिश करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि रेलवे और मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के बीच केवल एक समझौता था। वास्तव में, इसे महाराष्ट्र सरकार के अधिनियम—क्षेत्रीय तथा शहरी योजना अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत पारित किया जाना है। जब से इन कठिनाइयों का पता चला है, इसे मंत्रालयों को भेजा गया है और अब यह वित्त मंत्रालय के पास है। वित्त मंत्रालय रेलवे और इन्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच हुए इस समझौते से सहमत नहीं है। अतः मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को जो सुझाव दिया जा रहा है वह यह है कि उसे इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि इस धनराशि को पृथक खाते में रखा जाए। यह भारत की संचित निधि में रखा जाएगा। केवल तभी आगे कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री राम कापसे : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप मुंबई के दैनिक यात्रियों की मदद करने के लिए फिर से वित्त मंत्रालय से बात करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : हम वित्त मंत्रालय से अवश्य ही बार-बार बातचीत करेंगे। यदि यह पारित हो जाता है, तो यह मुंबई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और रेलवे दोनों के लिए व्यवहार्य समाधान होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रिहन्द बांध

[हिन्दी]

*757. **श्री राम निहोर राय** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहन्द बांध का निर्माण विद्युत पैदा करने के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बांध से कितने ताप विद्युत केंद्रों को पानी दिया जाता है और कितने निजी ताप विद्युत केंद्रों को इस बांध से पानी दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस बांध में गाद जमा होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय, 6827.5 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाले निम्नलिखित छः ताप विद्युत केंद्रों द्वारा रिहन्द बांध जलाशय के पानी का उपयोग किया जा रहा है—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का ओबरा

(2) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का अनपारा

(3) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) का सिंगरौली

(4) एन० टी० पी० सी० का रिहन्द

(5) एन० टी० पी० सी० का विंध्याचल

(6) रेणुसागर पावर कंपनी का रेणुसागर (निजी क्षेत्र कैप्टिव संयंत्र)।

(ग) और (घ) रिहन्द बांध में जमा होने वाली गाद, इसके डिजाइन के अनुसार है।

विशाखापत्तनम तेलशोधक कारखाने का विस्तार

[अनुवाद]

***761. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के विशाखापत्तनम स्थित तेलशोधक कारखाने की तेलशोधन क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को माल डिब्बों का आवंटन

***762. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करती आ रही है कि कर्नाटक राज्य को और अधिक माल डिब्बों का आवंटन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 के दौरान कुल कितने माल डिब्बों की मांग की गई थी और कितने माल डिब्बे वास्तव में दिए गए थे; और

(ग) भविष्य में उक्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, सीमेंट के लिए।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) मांग साथ के साथ पूरी की जा रही है।

प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु विश्व बैंक से सहायता

*763. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने दक्षिण बेसिन विकास गैस परियोजना के लिए 139.3 मिलियन अमरीकी डालर, पश्चिमी गैस विकास परियोजना के लिए 283.25 अमरीकी डालर और गैस दहन में कमी करने की परियोजना के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले के भंडार

*764. श्री प्रताप राव बी० भोंसले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले के भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस क्षेत्र में किस श्रेणी का कोयला पाया गया है; और

(घ) इन भंडारों को उपयोग में लाने के संबंध में कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) देश में कोयला के भंडारों की विनिर्दिष्ट किए जाने के प्रयोजन से भारतीय भू-सर्वेक्षण "क्षेत्रीय अन्वेषण" का कार्य करता है। दिनांक 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में भारतीय भू-सर्वेक्षण ने 864.78 मि० टन कोयले के भंडारों का मूल्यांकन किया है। केंद्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान लि०, खान आयोजन के प्रयोजन के लिए कोयले के भंडारों के प्रमाणन हेतु "विस्तृत अन्वेषण" का कार्य करता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दिनांक 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार कोयले के भंडार निम्नलिखित रूप में विद्यमान हैं—

प्रमाणित श्रेणी	257.03 मिलियन टन
विनिर्दिष्ट श्रेणी	149.29 मिलियन टन
अनुमानित श्रेणी	458.46 मिलियन टन
जोड़ :	864.78 मिलियन टन

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर-पूर्वी कोयला क्षेत्र में 6.79 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ। वर्ष 1991-92 और वर्ष 1994-95 के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः

6.80 तथा 9.00 लाख टन निर्धारित किया गया है, जो कि उद्योगों जैसे सीमेंट, कागज, ईंट-भट्ठा उद्योग तथा क्षेत्र के अन्य उद्योगों की विद्यमान मांग को पूरा करेगा। कोल इंडिया लि० के मारघरेटिया क्षेत्र से कोयले की कुछ मात्रा में आपूर्ति संमिश्रण प्रयोजन के लिए इस्पात संयंत्रों को की जाती है।

घरेलू उड़ानों का विलम्ब से चलना

*765. श्री के० तुलसिऐया वान्डायार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी घरेलू उड़ानें प्रायः विलम्ब से चलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए अथवा किए जाने हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। परिचालनों की समय-पाबन्दी पर बारीकी से निगरानी रखी जाती है और एयरलाइनों के समय पर कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं। तथापि, एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे उनके परिचालनों की समय-पाबन्दी पर प्रभाव पड़ता है। उठाए गए कदमों के फलस्वरूप इंडियन एयरलाइंस की समय-पाबंदी की दर में सुधार हुआ है जो जून, 1991 में औसतन लगभग 52 प्रतिशत से सुधरकर अगस्त, 1991 में लगभग 75 प्रतिशत हो गई।

तमिलनाडु में पर्यटन का विकास

*766. श्री आर० रामास्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा तमिलनाडु में पर्यटन के विकासार्थ चुने गए स्थलों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन स्थलों के विकास कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने मद्रास में स्वयं या राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में होटल बनाने के लिए निम्नलिखित दो स्थलों की पहचान की है—

फरवरी, 89 में

एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते पर सचिवालय से 4 कि० मी० की दूरी पर लगभग 3 एकड़ का एक भूखंड।

राज्य पर्यटन विकास निगम से संयुक्त उद्यम बनाने की शर्तों पर कोई करार न होने के कारण इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकी है।

अप्रैल, 91 में

कोडुम भक्कम रोड पर स्थित वेल्लूवर, कोट्टम में लगभग 3 एकड़ का एक भू-खंड।

भारत पर्यटन विकास निगम ने स्वयं अपनी योजना के रूप में अपना या राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में होटल बनाने के लिए स्थल के आबंटन हेतु तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया है।

पटना से दिल्ली तक के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी

[हिन्दी]

*767. श्री विजय कुमार यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना-दिल्ली रेलमार्ग पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पटना से इलाहाबाद और कानपुर होकर दिल्ली तक के लिए एक नई सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत के लिए विमान खरीदा जाना

[अनुवाद]

*768. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत के लिए खरीदे जाने वाले विमान का ब्यौरा क्या है तथा उसकी क्षमता, उसका मूल्य और अन्य मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ख) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय वायुदूत को नये विमान खरीदने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में होटल आवास

*769. श्री वीरेन्द्र सिंह :
श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्वीकृत क्षेत्र में होटलों में आवास की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) फिलहाल स्वीकृत क्षेत्र में कुल कितना आवास उपलब्ध है;

(ग) क्या इन शहरों में होटल आवास की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अनुमोदित क्षेत्र में होटल आवास की स्थिति इस प्रकार है :—

नगर	वर्ष 1976 तक होटल कमरों की अनुमानित आवश्यकता	इस समय उपलब्ध होटल कमरा क्षमता
दिल्ली	11,576	7,141
बम्बई	14,950	6,389
कलकत्ता	2,380	1,658
मद्रास	4,955	2,877

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देकर और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर होटल आवास की वृद्धि को प्रोत्साहित कर रही है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक आधारिक-संरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराएं ।

जम्मूतवी-हापा एक्सप्रेस की बारम्बारता

[हिन्दी]

*770. श्री एस० एन० बेकारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मूतवी-हापा एक्सप्रेस सप्ताह में केवल एक ही बार चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोगों की मांग को देखते हुए इस गाड़ी को सप्ताह में चार दिन चलाने का है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण ।

दिल्ली और कोटद्वार के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाना

[अनुवाद]

*771. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले दिल्ली और कोटद्वार के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने की योजना बनायी गयी थी और परीक्षण के तौर पर इस रेल गाड़ी को चलाया भी गया था;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को न चलाये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इसे कब से चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

झारखंड, बिहार में कोयला खानों का बन्द किया जाना

[हिन्दी]

*772. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के झारखंड क्षेत्र में कितनी कोयला खानें बन्द पड़ी हैं;

(ख) इन कोयला खानों के बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कोयला खानों को पुनः चालू करने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं जिनको चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनः चालू किये जाने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इस संबंध में बन्द कोलियरियां दो श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :—

(1) ऐसी कोलियरियां, जो कि बन्द रूप में नियंत्रण में ली गई तथा अभी तक बन्द किए जाने के लिए चल रही हैं।

(2) ऐसी कोलियरियां जो कि चालू हालत में ली गई अथवा जिन्हें राष्ट्रीयकरण के बाद नई कोलियरियों के रूप में खोला गया और जो कि अब बन्द हैं ।

बिहार राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली बन्द कोलियरियों की संख्या नीचे दी गई है :—

श्रेणी-I	—	27
श्रेणी-II	—	25

(ख) श्रेणी-I की कोलियरियों के निरन्तर रूप में बन्द पड़े रहने के कारण निम्नलिखित हैं : —

(1) इन्हें पुनर्गठित खान के रूप में गठित किए जाने के लिए खानों के साथ मिलाने/पुनः-वर्गीकरण अथवा समाहित किए जाने का कार्य नहीं किया जा सका।

(2) भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आधारभूत सुविधाओं में कमी।

(3) बहुत कम भण्डार तथा मौसमी कार्य क्षमता सहित कम मात्रा में भण्डार।

(4) ऐसी खानों के लिए अनुपयुक्त रूप में भू-गर्भीय आंकड़ों की उपलब्धता।

(5) पुराने खनन स्थलों के संबंध में विश्वसनीय कार्य योजनाओं की अनुपलब्धता।

(6) तकनीकी-आर्थिक रूप में लाभकारी नहीं है।

श्रेणी-II की खानों के बन्द होने के कारण

(1) खनन योग्य कोयले के भण्डारों का समाप्त होना।

(2) ऐसी अधिक अलाभकारी खानें, जिनमें आगे लाभ देने की कोई संभावना न हो।

(3) प्रतिकूल भू-गर्भीय खनन परिस्थिति।

(4) सुरक्षा की दृष्टि से।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी बन्द खानों को पुनः खोले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनम गहन अन्वेषण के प्रयासों द्वारा उन्हें वाणिज्यिक रूप में दोहन किए जाने की संभावनाओं के संकेत मिले हैं।

कुछ कोलियरियों को खोले जाने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है और ये कोलियरियां क्रियान्वयन की प्रक्रियाधीन हैं और कुछ अन्य आयोजन चरण के अधीन हैं।

(ङ) शून्य।

साबरमती-गांधीनगर रेल लाइन का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

*773. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबरमती-गांधीनगर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) साबरमती और गांधीनगर के बीच 28 मार्ग कि० मी० के विद्युतीकरण की योजना है और इस पर 12.63 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के पास रिफिल गैस सिलेंडरों की कमी

6331. **श्री राम नाईक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पास एल० पी० जी० गैस की रिफिल सिलेंडरों की कमी के क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सामान्यतः रिफिलों की आपूर्ति में कमी नहीं होती है।

कोल इंडिया लिमिटेड में ठेका श्रमिकों की सेवाएं नियमित करना

6332. **श्री हाराधन राय** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खनन कार्य के दौरान निषिद्ध श्रेणी में रखे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में ऐसे कार्य ठेकेदारों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्य ठेकेदारों को देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन कार्यों में ठेकेदारों द्वारा लगाने गये श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) सरकार, श्रम मन्त्रालय द्वारा ठेका-श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत कोयला उद्योग में निम्नलिखित श्रेणियों में ठेके के श्रमिकों को कार्यरत किए जाने पर प्रतिबंधित लगाया गया है :—

(1) कोयले का उठाना अथवा उसका उठाना एवं बिक्री।

(2) कोयले का लदान तथा उतराई।

(3) मलबा को हटाया जाना और भूमि की कटाई।

(4) साफ्ट कोक का विनिर्माण।

(5) स्टोन ड्रिफ्ट्स का प्रचालन तथा विविध कार्य, भूमिगत पत्थर की कटाई।

(6) इमारतों की सफाई, रेत भराई तथा देखरेख का कार्य।

(7) कच्चे कोयले की उतराई।

(8) मेगेनेटाइट का चार्ज किया जाना।

(9) संयंत्र की सफाई, जिसमें स्पीलेज को हटाना, व्यर्थ की सामग्री, मक की सफाई, मैगेनेटाइट को हटाया जाना, आदि।

(10) कोयला वाशरियों में मिडलिंग का परिवहन।

(11) कोयला वाशरियों में स्लरी का हटाया जाना।

(ख) और (ग) समय-समय पर भारी मिट्टी हटाने वाली मशीन (हैम) तथा उसके आपरेटर को कोयले के उत्पादन की मांग को पूरा किए जाने के लिए किराए पर लिया जाता है, चूंकि कोयला कंपनी "हैम" मशीनों पर काफी निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं। उत्तर के भाग (क) के क्रमशः (10) और (11) में उल्लिखित कार्यों पर दिनांक 11-12-90 के आदेशों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था और सम्बद्ध कोयला कंपनियों ने इन आदेशों को क्रियान्वित किए जाने में कुछ कठिनाई व्यक्त की थी। किंतु इस कारण से प्रतिबंधित श्रेणियों के कार्यों में ठेकेदारों को कार्यरत नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) ठेका श्रमिकों को कार्यरत न किए जाने की प्रक्रिया, विद्यमान ठेका श्रमिकों को कोयला कंपनियों के अंतर्गत नियमित किए जाने के संबंध में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है। ऐसे श्रमिकों को नियमित किए जाने के प्रश्न पर उक्त श्रमिकों की उपयुक्तता तथा उनकी आवश्यकता की शर्तों के अधीन केवल ऐसे मामलों में ही विचार किया जा सकता है, जिनमें ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य वैकल्पिक यंत्रिकृत साधनों द्वारा न पूरा किया जा सके अथवा कंपनी में विद्यमान फालतू श्रमिकों को ऐसे कार्यों को किए जाने के लिए लाभकारी रूप में नियोजित न किया जा सके।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सेवा प्रभारों का भुगतान

[हिन्दी]

6333. **श्री गोविन्दराव निकाम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुछ कंपनियों को सेवा-प्रभारों का भुगतान किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन प्रभारों का भुगतान संभवतः कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ड्रिलिंग, कुओं की जांच और मरम्मत, परिवहन पाईप-लाइन रख-रखाव और कैंटीन सेवाओं इत्यादि के लिए विभिन्न कंपनियों को सेवा प्रभार का भुगतान करता है ।

(ग) भुगतान संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाता है ।

रेल पटरियों का रखरखाव और सुरक्षा

[अनुवाद]

6334. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल पटरियों के उचित और सामयिक पर रखरखाव करने और रेलवे कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके तथा रेलगाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित हो सके;

(ख) क्या कुछ सैक्शनों में अनधिकृत रूप से रेलगाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचना तथा प्रायः प्रत्येक स्थान पर रेलगाड़ियों को रोकना नियमित-सा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दुप्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों के पास रेलपथ के नियमित अनुरक्षण और समय-समय पर अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने की एक सुपरिभाषित प्रणाली है । चुनिन्दा संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा संरक्षा शिविरों का आयोजन किया जाता है । इन पाठ्यक्रमों में सरक्षा के पहलुओं, तकनीकी ज्ञान एवं समय पालन में सुधार लाने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने पर जोर दिया जाता है ।

(ख) और (ग) जिन खंडों पर खतरे की जंजीर खींचे जाने की अधिक संभावना रहती है, उनकी पहचान की गई है । शरारती तत्वों को पकड़ने के लिए, रेलें राज्य सरकारों के साथ मिलकर आकस्मिक जांचें आयोजित करती हैं । इसके अलावा, विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिये शिक्षाप्रद अभियान भी चलाए जाते हैं । बुरी तरह प्रभावित गाड़ियों में, खतरे की जंजीर के उपकरण निकाल दिए जाते हैं ।

रेल अधिनियम, 1989 में एक वर्ष तक कारावास और/अथवा 1000 रु० तक जुर्माने का प्रावधान है । पहली बार अपराध करने पर कम से कम 500 रुपये के जुर्माने और दूसरी बार अथवा उसके बाद अपराध करने पर तीन महीने के कारावास का भी प्रावधान है ।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी द्वारा वाणिज्यिक पायलटों को लाइसेंस जारी करना

6335. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी द्वारा जारी किये गए लाइसेंस विश्व में अन्य विमानक कम्पनियों की उड़ान अकादमियों द्वारा जारी लाइसेंसों के समान हैं;

(ख) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी द्वारा जारी किये गए कुछ वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसों में "वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वैध नहीं" और "रात्रि में विमान उड़ाने की योग्यता विहीन" अंकित किया जाता है जबकि कुछ लाइसेंसों में ऐसा नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के कार्यकरण के बारे में हाल में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इग्रुआ विमानचालकों को वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस प्राप्त करने का प्रशिक्षण देता है। ये लाइसेंस नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये लाइसेंस दूसरे देशों में जारी किए गए लाइसेंसों के समान होते हैं।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सारे मामले की समीक्षा की जा रही है।

(घ) जी, हां। इग्रुआ ने वे प्रमुख लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी।

"इसूज इन कोल" के सम्बन्ध में चारी समिति

[हिन्दी]

6336. **डा० अमन्त रंगपी** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इसूज इन कोल" के संबंध में चारी समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ख) क्या इन सिफारिशों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) श्री के० एस० आर० चारी द्वारा तत्कालीन ऊर्जा सलाहकार बोर्ड को "इसूज इन कोल" से सम्बद्ध विषय पर प्रस्तुत रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें संक्षिप्त रूप में नीचे दी गई हैं :—

1. हालांकि कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है।

2. प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के आयात में भारी निवेश करने से भी उत्पादन की लागत में कमी नहीं आई है।

3. वाशरियों में कार्य- निष्पादन में सुधार करके तथा सप्लाई के संदेहास्पद स्रोतों को असंयोजित करके कोककर कोयले के आयात से बचा जा सकता है और इससे बचा जाना चाहिए।

4. सांख्यिकीय रिपोर्ट के लिए किस्म-आधार मानक कोयले के अनुसार होना चाहिए।

5. प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन की उपधारणा में केवल श्रमशक्ति के बजाए सभी उत्पादन- सामग्रियां शामिल की जानी चाहिए।

6. ओपनकास्ट खानों पर अनावश्यक बल देने से बचा जाना चाहिए।

7. ग्रेड-वार कीमत ढांचे को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।

8. परियोजनाओं की एक शैल्फ तैयार करने के लिए समन्वेषण को परियोजना-आधारित न होकर मांग-आधारित होना चाहिए जिससे कि कम से कम लागत के विकल्पों का चयन किया जा सके।

9. भूमि की अधिप्राप्ति, रेल भराई के लिए रेत, पर्याप्त बिजली, उपकरणों की समय पर सप्लाई, पर्यावरण संबंधी मंजूरी का मिलना जैसी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं।

10. सन् 2000 ई० तक वांछित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए, लंबी प्रतीक्षा-अवधि को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के लिए आज से ही योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।

11. झरिया पुनर्निर्माण परियोजना में निचली सीमों से कोयले के उचित उपयोग के लिए कार्य-क्षेत्र की समुचित परिभाषा शामिल की जाए।

12. कोयले के "विनियंत्रण" के कुछ सकारात्मक पहलू हैं, जो कि इसे अपनाने की संस्तुति कर सकते हैं।

13. कोल इंडिया लि॰ के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है तथा सहायक कंपनियों को धारक कंपनी के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। अधिकारियों की सेवावधि 65 की आयु तक बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्कालीन ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड की उप-सचिव ने रिपोर्ट पर विचार किया और इसने सचिवों की विशेष समिति को इसकी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। सचिवों की विशेष समिति द्वारा दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों को इससे सम्बद्ध नीतिगत मामलों के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाता है।

ग्रुप 'बी' अधिकारियों की संवर्ग-समीक्षा

[अनुवाद]

6337. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग में ग्रुप 'बी' अधिकारियों की संवर्ग-समीक्षा 1987 के बाद की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलों के प्रमुख विभागों (यथा सिविल इंजीनियरी, यातायात, यांत्रिक इंजीनियरी, बिजली इंजीनियरी, सिगनल एवं दूर-संचार, भण्डार, लेखा और कार्मिक) के ग्रुप 'बी' अधिकारियों की पदोन्नति कनिष्ठ वेतनमान में ग्रुप 'ए' में नियुक्ति के माध्यम से होती है। कनिष्ठ वेतनमान ग्रुप 'ए' में ऐसी नियुक्ति होने पर ग्रुप 'बी' के अधिकारियों को कनिष्ठ वेतनमान में सेवा के रूप में उनकी ग्रुप 'बी' सेवा (5 वर्ष से अधिक नहीं) के एक हिस्से का लाभ देते हुए ग्रुप 'ए' वरीयता निर्धारित की जाती है। इस प्रकार, कनिष्ठ वेतनमान (ग्रुप 'ए') में नियुक्त ग्रुप 'बी' अधिकारी ग्रुप 'ए' संवर्ग का भाग होते हैं और ग्रुप 'ए' के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के मामले में, वे सीधे भर्ती किए गए ग्रुप 'ए' अधिकारियों के समकक्ष होते हैं। इसे दखते हुए, ग्रुप 'बी' अधिकारियी के लिए अलग से संवर्ग समीक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम में परिवहन गतिविधि

6338. श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के अखिल भारतीय परिवहन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की कोई योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) वर्ष 1980-81 में और मार्च, 1991 को ट्रांसपोर्ट यूनिटों/सेवाओं की सूची क्या थी और इनमें से प्रत्येक के पास किस टाइप के वाहन थे, कितने कर्मचारी थे और प्रत्येक पर कितनी पूंजी लगी थी; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम अथवा ट्रैवल एजेंसी (अशोक ट्रैवल एण्ड टुअर्स) के उद्देश्य क्या थे और उनमें कार्यरत व्यक्तियों, आरम्भ में किए गए पूंजी निवेश संबंधी ब्यौरा क्या है; वर्ष 1985-86 और मार्च, 1991 के दौरान इसके उद्देश्यों, कर्मचारियों, पूंजीनिवेश और इसकी उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने एक कार्य-योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य परिवहन कार्यकलाप के लिए कम से कम 50 वाहनों का एक बेड़ा तैयार करना है, आवश्यकता पड़ने पर वाहन किराए पर लेकर पूरे किए जाएंगे ।

(ग) अपेक्षित सूचना संलगन विवरण-1 और 2 में दी गई है ।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम की ट्रैवल एजेंसी (अशोक ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स) का गठन देश में अन्तर्देशीय यात्राओं का कार्य करने और संवर्धन करने के उद्देश्य से 1981 में किया गया था। इसमें नियोजित जन-शक्ति का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है । इसमें निवेश (पूंजी लगाई गई) तथा कुल कारोबार का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	लगाई गई पूंजी	कुल कारोबार
1981-82	6.82	1.89
1985-86	66.97	156.19
1990-91 (अनन्तिम)	285.57	467.08

वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न कारणों से देश में व्याप्त प्रतिकूल पर्यटन समय के बावजूद ए० टी० टी० एजेंसी ने 9.73 लाख रुपए का लाभ कमाया ।

विवरण-I

31 मार्च, 1981 तथा 31 मार्च, 1991 को भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन एकक, कुल वाहन संख्या तथा वाहनों के प्रकार का उल्लेख है

मार्च, 1981 को	मार्च, 1991 को
1. दिल्ली	1. दिल्ली
2. आगरा	2. आगरा
3. जयपुर	3. जयपुर
4. बम्बई	4. बम्बई
5. औरंगाबाद	5. औरंगाबाद
6. कलकत्ता	6. कलकत्ता

7. पटना	7. पटना
8. वाराणसी	8. वाराणसी
9. मद्रास	9. मद्रास
10. बंगलौर	10. बंगलौर
11. कोवलम	11. कोवलम
12. इन्दौर	
13. जबलपुर	
14. खजुराहो	
15. भुवनेश्वर	
16. गुवाहाटी	
17. हैदराबाद	
वाहनों की संख्या—288 वाहन	109 वाहन
पूंजी निवेश—278.83 लाख रु०	545.69 लाख रु०
वाहनों का प्रकार : एमबैसेडर कारें, आयातित कारें, मिनी बसें, डीलक्स वातानुकूलित व गैर-वातानुकूल कोचें	एमबैसेडर कारें, आयातित कारें, डीलक्स वातानुकूलित व गैर-वातानुकूलित कोचें

टिप्पणी : पूंजी-निवेश संबंधी एककवार आंकड़े नहीं दिए जा सकते क्योंकि एककों में आबंटित वाहन, आवश्यकतानुसार दूसरे एककों में अंतरित किए जाते रहते हैं तथा इनकी खरीद केन्द्रीय रूप से की जाती है।

विवरण-II

31 मार्च, 1981 तथा 31 मार्च, 1991 को भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन/ए० टी० टी० एककों में नियोजित जन-शक्ति का एककवार ब्योरा दिया गया है

क्रम सं०	एकक का नाम	नियोजित जन-शक्ति	
		31 मार्च, 81 को	31 मार्च, 91 को
1	2	3	4
1.	दिल्ली	243	200
2.	आगरा	22	3

1 2	3	4
3. वाराणसी	10	15
4. इन्दौर	6	—
5. जबलपुर	7	—
6. खजुराहो	2	—
7. जयपुर	17	3
8. पटना	21	18
9. भुबनेश्वर	9	—
10. कलकत्ता	18	26
11. बम्बई	30	49
12. औरंगाबाद	10	14
13. बंगलौर	20	21
14. कोवलम	5	1
15. मद्रास	41	48
16. हैदराबाद	14	—
17. गुवाहाटी	7	—

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर व्यय

6339. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है और इस सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धि क्या है।

(ख) क्या इस संबंध में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए कोई निगरानी तन्त्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैरपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए केन्द्रीय सरकार

द्वारा दी गई कार्यक्रमवार कुल सहायता तथा तत्संबंधी उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

	(रुपये लाखों में) (वित्तीय)	उपलब्धियां (वास्तविक)
1	2	3
1. बायो गैस (1981-91)	2.47	77 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए
2. उन्नत चूल्हा (1987-91)	1.30	16520 चूल्हे स्थापित किए गये हैं
3. बायोमास	6.432	181 कि० वा० क्षमता सहित गैसीफायर तथा स्टर्लिंग इंजिन स्थापित किए गए।
4. सौर तापीय (1985-91)	5.27	60^0 पर प्रतिदिन 4000 लीटर क्षमता की 18 सौर जल तापन प्रणालियां स्थापित की गईं।
5. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां	135.8	
प्रकाश वोल्टीय मॉडल	53.14	सड़क रोशनी 265 सड़क रोशन में शामिल किए जाने वाले ग्राम/ग्राम झुरमुट 149 जल पंपन 16 घरेलू रोशनी 330 सामुदायिक रोशनी 2 विद्युत संयंत्र (9.12 प्रति कि० वा०) 1 प्रकाशवोल्टीय माडयुल्स 1170

1	2	3
6. पवन ऊर्जा		
ऊर्जा सर्वेक्षण	11.27	5 पवन प्रबोधन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक पवन सर्वेक्षण परियोजना शुरू की गई थी।
पवन चक्कियां	5.00	पवन पम्प प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 जल पम्पन पवन चक्कियां लगाई गई हैं।
बैटरी चार्जर	4.00	8 पवन बैटरी चार्जर क्रमश: 2×4 कि० वा०, 5×50 वाट तथा 1×250 वाट क्षमता के लगाए गए हैं।
योग	224.682	

इसके अलावा, नये तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए राज्य क्षेत्र में सातवीं योजना में 60 लाख रुपये अनुमोदित परिव्यय रखा गया था जिसकी तुलना में सातवीं योजना के दौरान 130 लाख रुपये का व्यय हुआ। सातवीं योजना के दौरान ये विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए पवन जनित्र (5), पवन पंपिंग (24), सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी व्यवस्था (27), सौर जल तापन प्रणालियां (22), बायोमास गैसीफायर (4) और उन्नत चूल्हा (8000)। 1990-91 तथा 1991-92 के लिए राज्य का अनुमोदित योजनागत परिव्यय क्रमश: 115 लाख रुपये तथा 150 लाख रुपये है।

(ख) और (ग) जी हां। स्थानीय प्रशासन और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के विभिन्न प्रभाग ऊर्जा के विभिन्न नये तथा अक्षय स्रोतों संबंधी युक्तियों/प्रणालियों की स्थापना/प्रचार का नियमित रूप से प्रबोधन कर रहे हैं। प्रणालियों को पुनः चलाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा जाता है, उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की समीक्षा

6340. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा के गंजम जिले में गाव के विद्युतीकरण में 31 जुलाई, 1991 तक कितनी प्रगति हुई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विद्युत एवं गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राम विद्युतीकरण और पम्पसैट ऊर्जन से सम्बन्धित प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। राज्यवार संलग्न विवरण-I तथा II के रूप में है।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ीसा के गंजम जिले में कुल 4185 आबाद गांवों (1981 की जनगणना के अनुसार) में से 31-7-91 तक 2849 गांवों का विद्युतीकरण और 7570 पम्पसैटों का ऊर्जन किया जा चुका है।

विवरण-I

गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में जुलाई, 1991 तक की प्रगति

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल गांवों की संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	30-7-91 की स्थिति के अनुसार कुल उपलब्धि (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27379	27358
2.	अरुणाचल प्रदेश	3257	1505
3.	असम	21995	21344
4.	बिहार	67546	46762
5.	गोवा	386	377
6.	गुजरात	18114	17892
7.	हरियाणा	6745	6745
8.	हिमाचल प्रदेश	16807	16761
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6477	6155
10.	कर्नाटक	27028	26483
11.	केरल	1219	1219
12.	मध्य प्रदेश	71352	63187
13.	महाराष्ट्र	39354	39106
14.	मणिपुर	2035	1500

1	2	3	4
15.	मेघालय	4902	2287
16.	मिजोरम	721	457
17.	नागालैंड	1112	1099
18.	उड़ीसा	46553	31671
19.	पंजाब	12342	12342
20.	राजस्थान	34968	27100
21.	सिक्किम	440	405
22.	तमिलनाडु	15831	15815
23.	त्रिपुरा	856	2839
24.	उत्तर प्रदेश	112566	82565
25.	पश्चिम बंगाल	38024	27714
	जोड़ (राज्य)	578009	480688
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	1123	1120
	जोड़ (अखिल भारत)	579132	481898

विवरण-II

इलैक्ट्रिक पम्पसेटों/नलकूपों के ऊर्जन के सम्बन्ध में जुलाई, 1991 तक की प्रगति

क्र· सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इलैक्ट्रिक पम्पसेटों के संदर्भ में अनुमानित परम शक्यता	30-7-91 की स्थिति के अनुसार कुल उपलब्धि (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1600000	1212891
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	200000	3514

1 2	3	4
4. बिहार	1000000	256284
5. गोवा	—	4102
6. गुजरात	700000	46752
7. हरियाणा	430000	360706
8. हिमाचल प्रदेश	10000	3522
9. जम्मू व कश्मीर	15000	2356
10. कर्नाटक	850000	744045
11. केरल	300000	226079
12. मध्य प्रदेश	1300000	903087
13. महाराष्ट्र	1800000	1627017
14. मणिपुर	10000	45
15. मेघालय	10000	65
16. मिजोरम	—	—
17. नागालैंड	10000	172
18. उड़ीसा	500000	53823
19. पंजाब	700000	609778
20. राजस्थान	600000	392047
21. सिक्किम	5000	—
22. तमिलनाडु	1500000	132589
23. त्रिपुरा	10000	1418
24. उत्तर प्रदेश	2400000	654893
25. प० बंगाल	500000	90342
जोड़ (राज्य)	14450000	8839647
जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	50000	32645
जोड़ (अखिल भारत)	14500000	8972292

कोयला खानों में स्टैम्पिंग तकनीक का प्रयोग

6341. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामा डोबा कोयला खान में स्टैम्पिंग तकनीक के प्रयोग से कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तकनीक को अन्य कोयला खानों में भी आरंभ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० बी न्यामागौड) : (क) से (ग) जामा डोबा कोलियरी मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के नियन्त्रण के अन्तर्गत आती है, और उन्होंने यह सूचित किया है कि "स्टैम्पिंग" प्रौद्योगिकी को कोयला का उत्पादन किए जाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी की शुरूआत में उनके इस्पात संयंत्रों में कोक का उत्पादन किए जाने के लिए प्रयोग में लगाया गया था।

उड़ीसा में सिमलीपाल हिल पर पर्यटन का विकास

6342. **श्री साम्बे गोवर्धन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से सिमलीपाल हिल पर्वत श्रृंखला के विकास हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सिमलीपाल स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य में एक वन गृह के निर्माण तथा मिनी बसों व हाथियों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

एअर इंडिया द्वारा जनसम्पर्क कार्य पर खर्च की गई धनराशि

6343. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन आदि के अलावा अन्य जन संपर्क कार्यों पर विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा के रूप में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) उक्त खर्च का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एअर इंडिया ने गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों के अलावा जनसंपर्क पर निम्नलिखित खर्चा किया—

वर्ष	भारत	विदेश	जोड़
		(लाख रुपये में)	
1987-88	1.77	8.04	9.81
1988-98	3.84	11.98	15.82
1989-90	7.72	24.04	31.76

संख्या 2381/2382 रेल गाड़ियों को प्रतिदिन चलाना

[हिन्दी]

6344. श्री ललित उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ी संख्या 2381/2382 को गया से होते प्रतिदिन चलाने का निर्णय किया गया था तथा उक्त गाड़ी में गया और दिल्ली के लिए आरक्षण भी शुरू कर दिया गया था और अब इस परिवर्तन को जनवरी-फरवरी, 1991 से प्रभावी बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार उक्त गाड़ी को गया से होते हुए कब से चलाने तथा बम्बई और वाराणसी के बीच चलाई जाने वाली किसी नई गाड़ी को गया तक बढ़ाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 2303/2304 ए० सी० एक्सप्रेस को इसके मौजूदा मार्ग से हटाये जाने के विरोध में यात्रियों में भारी रोष व्याप्त था।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम में भ्रष्टाचार

6345. श्री कालका दास : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध गत पांच वर्षों के दौरान प्रबंधमंडल द्वारा जांच की गयी है; और

(ख) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 1986 से

1990 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 31 मामलों में विभागीय जांच कराई जा रही है जिसमें 26 अधिकारी भी शामिल हैं। 16 मामलों में आवश्यक कार्रवाई पहले ही की हुई है।

बड़ौदा में पुलों की मरम्मत

[अनुवाद]

6346. श्री एन० जे० राठवा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोडेल्ली तल संखेड़ा में छोटे ढोकलिया रेल पुल को गत वर्ष हुई क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित मरम्मत का काम आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) बड़ौदा जिले में पविजेतपुर तहसील में गत वर्ष आई बाढ़ के कारण क्षति-ग्रस्त हुए मुख्य रेल पुल भारज की मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) छोटी लाइन के इस खंड पर कम यातायात होने तथा वैकल्पिक सड़क सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए इस क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बस्ती स्टेशन पर छतदार गोदाम

6347. श्री श्याम लाल कमल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती स्टेशन पर वर्षा के दौरान उपभोक्ताओं के सामान विशेष रूप से सीमेंट और चूने की रक्षा के लिए कोई छतदार गोदाम नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वहां गोदाम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बस्ती स्टेशन पर चार छतदार गोदाम उपलब्ध हैं। इसके अलावा, वर्षा के मौसम में सीमेंट और चूना जैसे माल को ढकने के लिए पर्याप्त संख्या में तिरपालों की व्यवस्था भी कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भुसावल में गाड़ियों का रुकना

6348. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या रेल मंत्री सूरत और भुसावल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को खंडवा तक चलाने के बारे मे 20 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुसावल में गाड़ियों के अधिक समय तक रुकने के क्या कारण हैं;

(ख) इस स्टेशन पर यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) इस गाड़ी को खंडवा तक न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भुसावल स्टेशन पर गाड़ी नं० 113/114, 75/76 और 77/78 की आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण के लिए ठहराव समय की व्यवस्था की गई है। यदि इन गाड़ियों को खंडवा तक बढ़ाया जाता है तो इस अवधि में कटौती करनी पड़ेगी जो संरक्षा की दृष्टि से वांछनीय नहीं होगी।

भुसावल स्टेशन पर यात्रियों द्वारा किसी कठिनाई का सामना नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह इन गाड़ियों का पर्यन्तक/प्रारंभिक स्टेशन है।

रसोई गैस सिलेंडरों के रिसने की शिकायतें

6349. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अगस्त, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एल० पी० जी० डीलर्स एपैथी में काजसीरियस मिसहैप' शीर्षक से समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं को टालने के लिए गैस सिलेंडरों के रिसने सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई त्रुटिहीन व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल कंपनियों द्वारा उन दोषी एल० पी० जी० डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो ऐसी शिकायतों पर तत्काल ध्यान नहीं देते हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार मुख्यतः रिसाव सम्बन्धी शिकायतों पर देर से कार्रवाई करने और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार से संबंधित है। सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

(ग) और (घ) डिस्ट्रीब्यूटरों को हिदायतें दी गई हैं कि वे छुट्टियों सहित प्रतिदिन रिसने सम्बन्धी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें।

(ङ) दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अधीन कार्रवाई की जा रही है।

गुजरात में रसोई गैस के कनेक्शन और पेट्रोलियम उत्पाद विक्रेता

6350. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के राजकोट जिले में किन-किन स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र खोले गये;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जामनगर जिले में रसोई गैस के कितने कनेक्शन दिए गए; और

(ग) जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, अमेरेली, पोरबन्दर, कच्छ और सुन्दरनगर में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) इन्हें रसोई गैस के कनैक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निम्न प्रकार से है—

एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप	पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप
1. राजकोट	1. कोटाडा संघावी
2. जसडेन	2. राजकोट
	3. भालगांम
	4. कुवाडावा
	5. कलावड रोड
	6. जेतपुर
	7. भायावडेर

(ख) 10136.

(ग) एल० पी० जी० कनेक्शनों को दिया जाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और अत: जिलावार निश्चित आंकड़ों को देना कठिन है।

(घ) अधिक से अधिक आवेदकों को एल० पी० जी० के कनेक्शन यथाशीघ्र देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एयर इण्डिया द्वारा दुकानों पर खर्च की गई धनराशि

6351. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मई, 1991 के "इण्डियन एक्सप्रेस" मुम्बई संस्करण में "पायलेंट्स स्टिर टार्न ए० आई० इमेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) सरकार ने वर्तमान वित्तीय कठिनाई के दौरान एयर इण्डिया द्वारा कर्मचारियों संबंधी मुकदमों पर किए जा रहे फिजूल खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या एयर इण्डिया में अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई तंत्र है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी; हां।

(ख) सरकारी समाचार पत्र में की गई टिप्पणी पर सहमत नहीं है क्योंकि वह तथात्मक-रूप से सही नहीं है। इण्डियन पायलेट गिल्ड द्वारा हड़ताल बिना शर्त के वापिस ले ली गई थी।

(ग) एअर इण्डिया के प्रबंधक वर्ग को प्रायः कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी में फंसने पर विवश होना पड़ जाता है। प्रबंधक वर्ग का कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने का निरन्तर प्रयास रहता है।

(घ) एअर इण्डिया में शिकायत की एक प्रक्रिया है जो विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करता है।

उड़ीसा स्टेशनों पर सुविधायें

[हिन्दी]

6352. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को बिजली, पानी और खान-पान सेवा की सुविधाओं में गड़बड़ी होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां ऐसा कुप्रबन्ध होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यात्रियों को विशेष रूप से राउरकेला और जाजपुर स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बालासोर स्टेशन के प्लेटफार्म पर बिजली की सप्लाई में खराबी और पानी की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन्हें ठीक कर दिया गया है।

(ग) जहां तक राउरकेला और जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशनों का संबंध है, इन स्टेशनों पर बिजली और पानी की सप्लाई पर्याप्त समझी जाती है। राउरकेला अल्पाहार गृह का नवीकरण कर दिया गया है।

कश्था स्टेशन पर विद्युत सप्लाई

6353. श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड कोर्ड लाईन पर कश्था स्टेशन पर विद्युत सप्लाई का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वहां विद्युत उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कश्था स्टेशन की इमारत सितम्बर, 1984 से कर्षण सप्लाई के जरिए पहले से ही विद्युतीकृत है। बहरहाल, बिहार राज्य बिजली बोर्ड से बिजली लेकर स्टेशन काम्पलेक्स के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसके 1991-92 के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

चन्दौली मझवर पर एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकना

[अनुवाद]

6354. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी जिले के चन्दौली मझवर और तुलसी आश्रम स्टेशनों पर एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकना बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां पर और अधिक एक्सप्रेस गाड़ियो को रोकने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चंदौली मझवार स्टेशन पर किसी एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव को अब बंद नहीं किया गया है। वाणिज्यिक औचित्य कम होने के कारण 10-7-1981 से 49/50 (नई सं० 3049/3050) हवड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस के ठहराव को तुलसी आश्रम पर बंद किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

महाराजगंज-दरौंदा सेक्शन

[हिन्दी]

6355. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के महाराजगंज को रेलवे पर बरौनी-गोरखपुर मुख्य लाइन पर दरोंदा रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया था;

(ख) क्या दरोंदा-महाराजगंज रेल सेक्शन को बढ़ा कर छपरा-थावे रेल सेक्शन पर सिधवालिया से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था;

(ग) क्या इस मुख्य लाइन को मीटर गेज लाइन से बड़ी लाइन में बदले जाने के समय दरोंदा-महाराजगंज रेल सेक्सन को अचानक बंद कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दरोंदा-महाराजगंज रेल सेक्सन को फिर से खोलने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अलग-अलग पड़ी दुरोंध-महाराजगंज शाखा लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए ही सर्वेक्षण किया गया था। बहरहाल, दुरोंध से महारजगंज तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव करने तथा महाराजगंज से मशरक तक नई लाइन की व्यवस्था करने के लिए नया सर्वेक्षण करने का कार्य 1991-92 के बजट में शामिल किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) पुन: चालू करने/बड़ी लाइन में बदलाव करने का निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सियालदह स्टेशन का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

6356. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सियालदह स्टेशन का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सियालदह आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुने गए 67 रेलवे स्टेशनों में से एक है। विकास योजना की अनुमानित लागत 249.39 लाख रुपए है। मार्च 1991 तक 133.03 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है और 1991-92 के लिए 15.14 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र तथा रसोई गैस की एजेंसियों का बिना बारी के आबंटन

6357. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों को मंजूरी दी गई; और

(ख) उसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1988-91 (मार्च, 1991 तक) के दौरान सरकार के स्वविवेक आधार पर आबंटित डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें निम्नानुसार हैं :—

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें

दिल्ली	18
उत्तर प्रदेश	20

एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

दिल्ली	13
उत्तर प्रदेश	22

दिसम्बर, 1989 से किए गए आबंटनों की समीक्षा की जा रही है।

रसोई गैस कनेक्शन जारी किए जाने में कदाचार

6358. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में रसोई गैस के डीलरों द्वारा रसोई गैस कनेक्शनों की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की जाती है और उन पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

त्रिवेन्द्रम स्टेशन का आधुनिकीकरण

6359. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम स्टेशन के आधुनिकीकरण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार इसे पूरा करने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मार्च, 1991 तक 138.15 लाख रुपए।

(ख) दिसम्बर, 1992, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

सिल्चर से बदरपुर तक रेल लाइन बिछाना

6360. श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिल्चर और बदरपुर स्टेशनों के बीच रेल लाइन और इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से बाढ़ आने और इसकी मरम्मत न होने के कारण बहुत कमजोर हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन की शीघ्र मरम्मत कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटना हवाई अड्डे पर सामान की सुपुर्दगी

6361. श्री राम नरेश सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना हवाई अड्डे पर यात्रियों को अपना सामान वापस लेने में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पटना हवाई अड्डे के आगमन कक्ष पर एक वाहक पट्टी बनाने की योजना है।

मध्य प्रदेश में डीजल आधारित विद्युत केन्द्र की स्थापना करना

6362. श्री भीम सिंह पटेल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा जिले में डीजल पर आधारित एक विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में डीजल आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को, प्रदेश की राजधानी से जोड़ना

[हिन्दी]

6363. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन जिलों के क्या नाम हैं जिन्हें विमान सेवा द्वारा राज्य की राजधानी से अभी तक नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक जिले को राजधानी से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में कानपुर और वाराणसी राज्य की राजधानी के साथ हवाई सेवा से जुड़े हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्थानों को उनके जिला मुख्यालयों के आधार पर नहीं वरन् उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली विमान सेवाओं की आर्थिक साध्यता के आधार पर विमान सेवा से जोड़ा जाता है।

गोदावरी बेसिन में तेल तथा गैस की खोज

[अनुवाद]

6364. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी बेसिन में कितने रिग्स कार्यरत हैं;

(ख) इनके प्रयोग से अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) वहां पर तेल तथा गैस कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं; और

(घ) बेसिन से निकाली गई गैस तथा तेल का उपयोग कैसे किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 11.

(ख) अभी तक 18 पूर्वेक्षण स्थल केवल गैस पूर्ण और 7 पूर्वेक्षण स्थल तेल और गैस पूर्ण पाए गए हैं।

(ग) 1 जनवरी, 1991 के अनुसार तेल और तेल समतुल्य गैस का कुल प्राप्त अनुमानित भंडार लगभग 17 मिलियन मीट्रिक टन था।

(घ) बेसिन से प्राप्त तेल का प्रयोग शोधन के लिए किया जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस विभिन्न उपभोक्ताओं को आबंटित की गई है ।

तमिलनाडु में माडल स्टेशन

6365. डा० (श्रीमती) के० एस० सोन्द्रम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन्हें 1991-92 के दौरान नया रूप दिया जाना है और उन पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी;

(ख) क्या तमिलनाडु में ईरोड और शंकरी दुर्ग स्टेशन को चालू वर्ष के दौरान नया रूप देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत 448.75 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर तमिलनाडु में मद्रास सेंट्रल, मदुरै जं०, तिरुच्चिरापल्ली जं० और कोयम्बटूर जं० रेलवे स्टेशनों के ढांचे में परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रेलवे स्टेशनों के ढांचे में परिवर्तन आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है । संभाले जाने वाले यातायात के मौजूदा स्तर को देखते हुए इरोड और शंकरीदुर्ग रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं ।

गुजरात की लम्बित पड़ी पेट्रोलियम परियोजनाएं

6366. कुमारी दीपिका चिखलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कितनी पेट्रोलियम परियोजनाएं गत तीन वर्षों से भी अधिक समय से केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या लम्बित पड़ी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो कितनी-कितनी और इसका परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और शेष परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) शून्य ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी दिल्ली में बिजली की सप्लाई का रुकना

6367. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली, विशेषकर गुरु तेगबहादुर एनक्लेव में प्रतिदिन 4 से 5 घन्टे तक बार-बार बिजली की सप्लाई रुकने के क्या कारण हैं; और

(ख) वहां नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार पूर्वी दिल्ली में विद्युत संबंधी ब्रेक-डाउन की समस्या का मुख्य कारण, गैर नियोजित भार विकास के कारण प्रणालीगत ओवर लोडिंग की परिस्थितियों तथा इस क्षेत्र में अनेक अनधिकृत कालोनियों का होना है । जी० टी० बी० एनक्लेव में विद्युत सप्लाई की स्थिति उप केन्द्र में खराबी हो जाने के फलस्वरूप प्रभावित हुई थी और न्यूनतम संभव समय सीमा के अंतर्गत पुन: विद्युत सप्लाई आरम्भ कर दी गई थी । पूर्व दिल्ली में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए डेसू पारेषण और वितरण प्रणाली का सुधार/विस्तार कर रहा है । विद्युत की चोरी/दुरुपयोग को रोकने के लिए भी अभियान में और तेजी लाई गई है ।

बोइंग 747-400 विमान के लिए इंजन

6368. **श्री गुरुदास कामत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का विचार बोइंग 747-400 विमान के लिए इंजन खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ अन्य कम्पनियों ने इन इंजनों की सप्लाई के लिए नई पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन इंजनों की खरीद पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) विमान की पेशकश इंजिनों के तीन विकल्पों के साथ की जाती है । किसी अन्य इंजिन निर्माता द्वारा बोली बोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

6369. श्री राजवीर सिंह : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली और बदायूं जिलों के विभिन्न गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन इन दोनों जिलों में उन गांवों को कब तक बिजली पहुंचा दी जायेगी जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार एवं क्रियान्वित किये जाते हैं। राज्य प्राधिकारियों द्वारा योजना आबंटन के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों एवं निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार जिलेवार ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1991 के अंत तक उत्तर प्रदेश के बरेली एवं बदायूं जिलों में विद्युतीकृत गांवों की संख्या निम्नवत् है :—

जिले का नाम	1981 की जनगणना के अनुसार आबाद गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांव
1. बरेली	1901	1373
2. बदायूं	1785	1362

मध्य प्रदेश में रेल लाइनें

[अनुवाद]

6370. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रेल लाइनों के निर्माण हेतु भेजे गये प्रस्तावों पर की गई तथा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली राजहरा-रोघाट-जगदलपुर नयी बड़ी रेल लाइन के निर्माण का अनुरोध किया है। इस प्रस्तावित लाइन की आवश्यकता मात्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भिलाई तक लौह अयस्क की ढुलाई करने के लिए है। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और लागत के बारे में इस्पात मन्त्रालय को सूचित कर दिया गया है। यह कार्य तभी शुरू किया जा सकता है जब इस्पात मंत्रालय/भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस लाइन के लिए धन की व्यवस्था कर दी जाएगी।

अलीगढ़ में उपरि पुल

6371. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यातायात की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में राम घाट रोड रेलवे क्रासिंग पर एक उपरि पुल बनाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रेलवे को अभी तक राज्य सरकार से नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ इस सुविधा के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में शिकायतें

6372 **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि संसद सदस्यों के जाली हस्ताक्षरों के आधार पर रसोई गैस के कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

चेम्बुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के संयंत्र में आग लगाना

[हिन्दी]

6373. **श्री मोहन रावले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1991 को चेम्बुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के स्नेहक संयंत्र मे आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस चूक के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की बम्बई रिफाइनरी के ल्यूब संयंत्र की ब्लेंडिंग इकाई में 28 जून, 1991 को आग लगी थी।

आग के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है।

[अनुवाद]

अशोक समूह के होटलों द्वारा किया गया समझौता

6374. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक समूह (भा० प० वि० नि०) के होटलों ने मैसर्स रैडिसन ग्रुप आफ होटल्स के साथ एक समझौता किया है;

(ख) समझौते की शर्तों का क्या ब्यौरा है;

(ग) मैसर्स रैडिसन होटल्स द्वारा विशेष रूप से भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के लिए कितना व्यापार किया गया और समझौते के बाद वर्ष 990 और जुलाई, 1991 तक की अवधि के दौरान होटल वार कितना व्यापार मिला तथा मैसर्स रैडिसन होटल्स द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या सरकार ने निगम के लिए आवश्यक व्यापार जुटाने में मैसर्स रैडिसन होटल्स के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार का इस समझौते को समाप्त करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते की व्यापक शर्तों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 16-10-1990 से 13-7-1991 तक की अवधि के दौरान किया गया होटलवार कारोबार निम्न प्रकार से है—

समझौते के अन्तर्गत आने वाले होटल का नाम	रैडिसन होटल्स निगम से प्राप्त कारोबार	बेचे गए कमरे की राशियां
अशोक होटल, नई दिल्ली	27,135.00 रु०	15
अशोक रैडिसन ललित महल होटल, मैसूर	—शून्य—	—शून्य—
अशोक रैडिसन होटल, बंगलौर	4,711.20	4
अशोक रैडिसम कोवलम	—शून्य—	—शून्य—
	31,846.20	19

31 जुलाई, 1991 तक मैसर्स रैडिसन होटल्स निगम को किए गए भुगतान निम्नानुसार हैं—

(लाख रूपयों में)

विवरण	मैसर्स रैडिसन होटल्स निगम को प्रदत्त	स्रोत पर काटा गया आयकर	जोड़
एकमुश्त जानकारी शुल्क	12.79	5.45	18.24
16-10-90 से 31-12-90 तक की अवधि के लिए विशेषाधिकार शुल्क	8.15	3.49	11.69

(घ) से (च) भारत पर्यटन विकास निगम को मैसर्स रैडिसन होटल्स निगम से अनेक कारणों से आशा के अनुरूप काफी कारोबार प्राप्त नही हुआ है। जिनमें अन्य बातों के साथ साथ देश के कुछ हिस्सों में गड़बड़ी के हालात होना तथा मध्यपूर्व की स्थिति जिसकी परिणति खाड़ी युद्ध के रूप में हुई, कारण भी शामिल हैं। मैसर्स रैडिसन होटल्स निगम के साथ हुए समझौते की समीक्षा की जा रही है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मैसर्स रैडिसन होटल निगम के साथ किए गए समझौते की व्यापक शर्तें

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मैसर्स रैडिसन होटल्स निगम के साथ किए गए समझौते की व्यापक शर्तें इस प्रकार हैं—

—यह समझौता दस वर्ष की अवधि के लिए है।

—इसके अन्तर्गत अमरीका के मैसर्स रैडिसन होटल्स निगम, मिनिया पोल द्वारा दी जाने वाली मार्केटिंग, तकनीकी एवं परामर्शी सेवाओं की सुविधा शामिल है।

—इस समझौते के अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम की निम्नलिखित संपत्तियों को लाभ मिलेगा--

(1) अशोक होटल, नई दिल्ली जोकि रैडिसन होटल्स निगम से संबद्ध होटल होगा;

(2) होटल अशोक बेंगलूर, बेंगलूर
(3) ललित महल पैलेस, मैसूर
(4) कोवलम अशोक समुद्र-तट विहार कोवलम

} इन सम्पत्तियों को अशोक रैडिसन के रूप मे नामित किया जाएगा।

समझौते की शर्तें---

समझौते के अनुसार मैसर्स रैडिसन होटल्स निगम को देय शुल्क निम्नानुसार है—

(I) चल रहे प्रबंध विकास (प्रशिक्षण) खर्च के लिए तथा तकनीकी एवं प्रचालन परामर्शी सेवाओं के लिए एकमुश्त 100,000 अमरीकी डालर।

(II) समझौते में शामिल चार होटलों के कमरा राजस्व का 3 प्रतिशत विशेषाधिकार शुल्क के रूप में।

(III) परस्पर आधार पर प्रत्येक मूर्त आरक्षण के लिए बुकिंग शुल्क के रूप में 6 अमरीकी डालर।

विजयवाड़ा-तेनाली-गुन्टूर के बीच सर्कुलर रेल

6375. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने विजयवाड़ा-तेनाली-गुन्टूर के बीच सर्कुलर रेल सेवा चलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को कार्यान्वित कर लिया गया है और रेल सेवाएं चल रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विजयवाड़ा-तेनाली, तेनाली-गुंटूर और गुंटूर-विजयवाड़ा खंड यात्री गाड़ियों द्वारा पर्याप्त रूप से सेवित हैं।

रेलवे सम्पत्ति की चोरी

6376. **श्री एस० पी० यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद मंडल मे रेलवे सम्पत्ति की चोरी की कोई घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1990 और 1991 (जून तक) के दौरान मुरादाबाद मंडल पर रेल संपत्ति की चोरी के जिन मामलों की सूचना मिली है, उनकी कुल संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	मामलों की संख्या	सम्पत्ति का मूल्य		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
		चुराई गई	बरामद की गई	
1990	677	783242	276629	423
1991 (जून तक)	329	783343	545856	223

(ग) जैसे ही रेल संपत्ति की चोरी का कोई मामला ध्यान में आता है, उसका पता लगाने, चुराई संपत्ति को बरामद करने तथा दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

पर्वतों और समुद्री तटों पर पर्यटन केन्द्र

[हिन्दी]

6377. **श्री काशीराम राणा :**
श्री ए० चार्ल्स :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों समुद्री तटों और तीर्थ स्थलों पर पर्यटन केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पर्यटन आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्र या किसी ग्रामीण क्षेत्र या किसी तीर्थ-स्थान या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य स्थानों पर नए होटलों के संबंध में आयकर में रियायतें तथा खर्च-कर में छूट देने का प्रस्ताव है। अनुमोदित होटल परियोजनाओं के लिए कुछ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों पर ब्याज-इमदाद देने की भी योजना है।

पर्यटन को निर्यात उद्योग का दर्जा देना

[अनुवाद]

6378. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन उद्योग को निर्यात उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यान्वित करने तथा पर्यटन उद्योग को निर्यात उद्योग के लिए स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क), से (ग) इस संबंध में राष्ट्रीय पर्यटन समिति की सिफारिश पर यह अभिमत बनाया गया था कि निर्यातोन्मुख उद्योगों को उपलब्ध प्रोत्साहन ज्यादातर पर्यटन उद्योग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

एअर इंडिया के विमान में छिपाया गया सोना

6379. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 40 लाख रुपये मूल्य का सोना, जो टोक्यो से बम्बई आने वाली एयर इंडिया की उड़ान के समय विमान के "बाल पैनलो" के बीच छिपाया गया था, हाल ही में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे 26-7-1991 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस मामले में एयर इंडिया का कोई कर्मचारी शामिल नहीं है ।

अकोला शहर के लिए वैगनों की सप्लाई

[हिन्दी]

6380. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अकोला शहर के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में स्थित उद्योग, वैगनों की सप्लाई के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वैगनों की सप्लाई में विलम्ब के कारण हैं; और

(ग) वहां पर उद्योगों की मांगें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) अकोला सिटी के एम० आई० डी० सी० क्षेत्र के उद्योगों से शालीमार, नई दिल्ली, कांकरिया, चितपुर, आदि जैसे प्रमुख गंतव्यों के यातायात की मांग को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं है जिसे ब्लाक रेकों की संरचना के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। बहरहाल, विभिन्न क्षेत्रों से फुटकर संचलन के लिए प्रतियोगी मांगों के कारण माल डिब्बों की मांग और सप्लाई में कुछ समय लगता है। आस-पास के स्टेशनों से प्राप्त मांग पत्रों को सम्मिलित करके तथा ब्लाक रेकों की संरचना करके उद्योगों को माल डिब्बों की सप्लाई के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शीघ्र सप्लाई और तीव्र संचलन सुनिश्चित किया जा सके।

पीलीभीत में रसोई गैस एजेंसियां

6381. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रसोई गैस एजेंसियां खोलने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और उक्त एजेंसियां कहां खोली जायेंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) पीलीभीत में एल० पी० जी० की डीलरशिपें पहले ही विद्यमान हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

6382. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के हीराकुण्ड बिजलीघर की मरम्मत और आधुनिकीकरण करने तथा अपर इन्द्रावती पन बिजली परियोजना के लिए ट्रांसमिशन योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) हीराकुंड विद्युत केन्द्र के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं योजना आयोग ने तीन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। चौथा प्रस्ताव, जोकि अगस्त, 1991 में प्राप्त हुआ, की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।

अपर इन्द्रावती परियोजना हेतु पारेषण स्कीम में संबंधित प्रस्ताव की, विद्युत विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग से सिफारिश की गई है।

एअर इण्डिया द्वारा जमीन पर माल उतारने-चढ़ाने के उपकरणों की खरीद

6383 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कुछ महीने पूर्व विशेष रूप से एअर इण्डिया की उड़ानों के लिए जमीन पर माल उतारने व चढ़ाने के लिए खरीदे गए उपकरण तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे पर बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या एअर इण्डिया ने इसी प्रयोजन के लिए खुले बाजार से भी नये उपकरण खरीदे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर अनुमानतः कितनी लागत आयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर, इण्डियन एअरलाइन्स ने केवल एअर इण्डिया उड़ानों की हैंडलिंग के लिए कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर नहीं लगाया है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत द्वारा लिया गया ऋण

6384. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत द्वारा एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस से लिया गया ऋण माफ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि माफ की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत ग्रिड

6385. श्री रवि राय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों के कार्यकरण और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : क्षेत्रीय ग्रिडों में राज्य एवं क्षेत्रीत स्तर कीभार प्रेषण एवं संचार सुविधाएं सम्मिलित हैं। राज्य स्तर की सुविधाओं का प्रचालन संबंधित राज्यों द्वारा और क्षेत्रीय स्तर की सुविधाओं का प्रचालन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) द्वारा किया जाता है। इन सुविधाओं को भार प्रेषण केन्द्रों में उपलब्ध कराये जाने तथा संचार सुविधाओं में सुधार किए जाने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा, ग्रिड प्रबन्ध संबंधी तकनीक में सुधार हेतु उपाय किए जा रहे हैं जोकि एक सतत प्रक्रिया है। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के मामलों में, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर के भार प्रेषण केन्द्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने हेतु स्कीमें तैयार कर ली गई हैं। पश्चिमी क्षेत्र के मामले में भी इसी प्रकार की कार्यवाही आरम्भ की गई है। जबकि उत्तरी क्षेत्र से संबंधित स्कीम कार्यान्वियन के अग्रिम चरण में है। पूर्वी, दक्षिणी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित स्कीमें कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं। राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के विकास संबंधी कार्यवाही चल रही है और इस संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र में अतिरिक्त उच्च वोल्टता लाइनों के विस्तार, अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्कों और भार प्रेषण सुविधाओं के सृजन/सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य प्रगति पर है।

कुम्बर टाल्को (शोलापुर) में उपरिपुल का निर्माण

6386. **श्री धर्मन्ना मोण्डय्या सादुल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर-बीजापुर रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13) पर शोलापुर से दो किलोमीटर दूर कुम्बर टाल्को के निकट एक उपरिपुल बनवाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है; और

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) इस समय नक्शों/अनुमान को अंतिम रूप देने और राज्य सरकार तथा रेलवे के बीच लागत के बंटवारे के संबंध में इस कार्य का प्रस्ताव योजना स्तर पर है।

कोयले का निर्यात

6387. **डा० पी० वल्लल पेरूमन** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान कुल कितने कोयले का निर्यात किया गया है; और

(ख) उससे कुल कितनी आय हुई?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान उनके द्वारा कुल 95.3

हजार टन कोयले का निर्यात किया गया इस निर्यात के कुल 1085 लाख रुपए की आय हुई।

उड़ीसा की विद्युत परियोजनाएं

6388. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत दो वर्षों के दौरान मंजूर की गई विद्युत परियोजनाओं के क्या नाम हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं में, केन्द्र के हिस्से सहित, कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उड़ीसा में गत दो वर्षों के दौरान कोई विद्युत परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोकिंग कोयले का उत्पादन

6390. **श्री अनिल बसु :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० और इसकी सहायता कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और सहायक कंपनी-वार, कुल कितने कोकिंग कोयले का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या कोल इंडिया लि० ने कोकिंग कोल की गुणवत्ता मे सुधार करने हेतु जैसा कि इस्पात उद्योग द्वारा अपेक्षित है, कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस्पात उद्योग के लिए कोयले का आयात करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान सहायक कंपनी-वार किए गए कोककर कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है—

(मिलियन टन में)

कंपनी	1988-89		1989-90		1990-91	
	कुल कोककर कोयला	कोककर कोयले का धातुकर्मी ग्रेड	कुल कोककर कोयला	कोककर कोयले का धातुकर्मी ग्रेड	कुल कोककर कोयला	कोककर कोयले का धातुकर्मी ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1.42	0.23	1.40	0.21	1.53	0.52

1	2	3	4	5	6	7
भारत कोकिंग कोल लि०	21.82	11.19	22.10	10.10	23.30	9.26
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	14.29	8.65	15.81	9.25	16.31	9.35
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	0.70	0.70	0.62	0.54	0.74	0.65
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	0.09	—	0.10	—	0.11	0.11
कुल को० इं० लि०	38.32	20.77	40.03	20.10	41.01	19.89

(ख) से (घ) इस्पात संयंत्रों को की जा रही धुले कोककर कोयले की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने की दृष्टि से कोक इंडिया लि० ने अधिकांश विद्यमान वाशरियों में बड़े रूप में संशोधन शुरू कर दिया है। इस संशोधन की कार्रवाई के वर्ष 1992-93 तक पूरा हो जाने की संभावना है। संशोधन योजना को क्रियान्वित किए जाने से कोककर कोयले में राख की मात्रा विद्यमान 19.3 प्रतिशत के स्तर से 17 प्रतिशत 10.5 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ जाने की संभावना है।

रसोई गैस उपभोक्ताओं की शिकायतें

6391. डा० सी० सिलवेरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों ने रसोई गैस उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल कम्पनियों से आशा की जाती है कि वे शिकायतों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें।

वायुदूत सेवाओं का रद्द किया जाना

6392. श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-उस्मानाबाद-शोलापुर के बीच वायुदूत सेवा रद्द कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं को पुनः कब तक चालू किया जाएगा;

(ग) क्या लाटूर और मुंबई के बीच वायुदूत सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से, वायुदूत लिमिटेड को विवश होकर देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में कमी करने पर विवश होना पड़ा है। इस समय वह इन सेवाओं को बहाल करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वायुदूत को हो रही भारी हानि के कारण, वायुदूत के लिए इस समय नये स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ना संभव नहीं है।

स्वतंत्रता सेनानियों को रेल-पास जारी करना

[हिन्दी]

6393. श्री राम टहल चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1991 से अगस्त, 1991 तक, जोन-वार, कितने स्वतंत्रता सेनानियों को रेल-पास की सुविधा प्रदान की गई है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के दीपिका कोयला खान के विस्थापित हुए व्यक्तियों को मुआवजा

6394. श्री भवानी लाल वर्मा : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, कोरबा द्वारा दीपिका कोयला खान के लिए किन-किन स्थानों और किन-किन गांवों में भूमि अधिग्रहीत की जा रही है और कितना क्षेत्र अधिग्रहीत किया जा रहा है;

(ख) इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों को अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के पाली गांव और कोरिया कस्बे (टाऊन) से लगभग 20 कि० मी० की दूरी पर स्थित दस

गांव, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, की 1701.36 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था :—

(1) चैनपुर	(6) झिगतपुर
(2) सिरकी	(7) रतिजा
(3) बेलटिकरी	(8) झाबर
(4) विपका	(9) मलगांव
(5) सुवाभन्डी	(10) बांकी

(ख) इस भूमि अधिग्रहण से 1443 परिवार प्रभावित हुए।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में अधिग्रहण की गई भूमि के लिए मुआवजे के रूप में 14 करोड़ रूपए की राशि मंजूर कर दी गई है। इसमें से 8.02 करोड़ रु० की राशि को पहले ही वितरित कर दिया गया है और शेष राशि का संवितरण कुछ विवादों के कारण लम्बित पड़ा है।

डोर्नियर विमान दुर्घटना के संबंध में जाली रिकार्ड तैयार करना

[अनुवाद]

6395. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "इंजीनियरिंग स्टाफ फैंकिग रिकार्ड्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और इस बारे में क्या कदम उठाये गये ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जांच समिति की रिपोर्ट में जिसने 21 सितम्बर 1989 को पुणे के निकट हुई वायुदूत के डोर्नियर विमान की दुर्घटना की जांच की थी, विमान के रिकार्ड में गड़बड़ किये जाने के कोई संकेत नहीं मिलते हैं।

लघु पनबिजली परियोजनाएं

6396. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिक्किम जैसे छोटे राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु पनबिजली परियोजनाओं पर बल देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदराज और पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी-छोटी नहरों से लाभ प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लघु जल विद्युत स्कीमों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आठवीं योजना हेतु कुल मिलाकर 146.85 मेगावाट क्षमता की अनेक लघु जल विद्युत स्कीमों की प्रस्तावना है। ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

विवरण

8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान लघु जल विद्युत स्कीमों को चालू करने का कार्यक्रम

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	8वीं योजना में प्राप्त लाभ	चालू होने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	दादूपुर	हरियाणा	4 × 1.5	6	1995-96
2.	बानेर	हरियाणा	3 × 4	12 (मे० वा०)	1992-93
3.	बाज	हिमाचल प्रदेश	3 × 3.5	10.5	1992-93
4.	घिरोट	हिमाचल प्रदेश	3 × 1.5	4.5	1993-94
5.	कारगिल	जम्मू व कश्मीर	3 × 1.25	3.75	1992-93
6.	चेनानी 2 और 3	जम्मू व कश्मीर	2 × 1 + 2 × 2	6	1995-96
7.	सेवा चरण 3*	जम्मू व कश्मीर	3 × 2	6	1996-97
8.	सोबला	उत्तर प्रदेश	3 × 2	6	1993-94
9.	घिम्बे	महाराष्ट्र	1 × 5	5	1993-94
10.	गुन्टूर कैनाल-1	आंध्र प्रदेश	2 × 2	4	1992-93
11.	गुन्टूर कैनाल-2	आंध्र प्रदेश	2 × 2.25	4.5	1995-96
12.	मालापुर	कर्नाटक	2 × 4.5	9	1992-93
13.	वाराही (मानी डैम)	कर्नाटक	2 × 4.5	9	1992-93
14.	मुबातिपूझा	केरल	2 × 3.5	7	1992-93

1	2	3	4	5	6
15.	लोअर भवानी	तमिलनाडु	2 × 4	8	1994-95
16.	पूर्वी गंडक कैनाल	बिहार	3 × 5	15	1992-93
17.	सोन पश्चिमी कैनाल	बिहार	4 × 1.65	3.3	1992-93
18.	सोन पूर्वी कैनाल	बिहार	2 × 1.65	3.3	1992-93
19.	चांडिल	बिहार	2 × 4	8	1993-94
20.	अपर रोंगनिछु	सिक्किम	4 × 2	4	1992-93
21.	पोतैरू	उड़ीसा	2 × 3	6	1994-95
22.	नूरानांग*	अरुणाचल प्रदेश	3 × 2	6	1995-96
			जोड़	146.85 मेगावाट	

*केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीम।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में रेल-इंजनों का निर्माण

6397. **श्री शंकर सिंह वघेला :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा डीजल तथा बिजली चालित रेल-इंजनों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्पादन हेतु ऐसे कितने रेल इंजनों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स अपने किसी उत्पादन का निर्यात करता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ङ) इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1988-89	144	144
1989-90	144	147
1990-91	144	154

(ख) 149.

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निकट भविष्य में ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं।

आठवीं योजना में पवन ऊर्जा का उत्पादन

6398. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु और ताप ऊर्जा से प्राप्त बिजली पवन ऊर्जा से प्राप्त बिजली से महंगी होती है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तापीय, परमाणु तथा पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की लागत उनकी तकनीकी विशेषताओं और कई कारणों जैसे उपस्कर तथा संयंत्र का स्थान, प्रकार तथा आकार, परियोजनाओं का आकार, सिविल कार्यों की सीमा, और इंधन की लागत तथा उपलब्धता, इत्यादि पर निर्भर करता है। कुल 20 मे० वा० की अभी हाल में हाथ में ली गई तीन प्रदर्शन पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन की औसत लागत प्रति यूनिट 1.17 रुपये होने का अनुमान है। तथापि, ऐसे छोटे आकार की प्रदर्शन परियोजनाओं से उपलब्ध लागत आंकड़ों की बृहत तापीय अथवा परमाणु विद्युत परियोजनाओं से सही मायनों में तुलना नहीं की जा सकती। बृहत पवन विद्युत परियोजनाओं की लागत की तापीय तथा परमाणु विद्युत परियोजनाओं से संभवत: तुलना की जा सकती है बशर्ते कि इस बात पर उचित ध्यान दिया जाए कि पवन विद्युत नवीकरणीय है और इसमें इंधन पर कोई लागत नहीं आती है, यह पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है, इसकी परिपक्वनावधि कम होती है तथा माडयुलर है।

(ख) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विभिन्न स्रोतों से बिजली का उत्पादन

6399. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ताप, जल, परमाणु तथा अन्य व अनुमानित स्रोतों से बिजली उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी और उनसे बिजली का वास्तविक उत्पादन कितना होगा;

(ख) बिहार तथा अन्य राज्यों के वास्तविक उत्पादन तथा अधिष्ठापित क्षमता, दोनों को राष्ट्रीय स्तर के समनुरूप लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) देश में, विशेषकर हिमालय से बहने वाली नदियों से बिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता कितनी है और इसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार देश में ताप विद्युत, जल विद्युत और न्यूक्लीय केन्द्रों की कुल मिलाकर अधिष्ठापित क्षमता की मात्रा 66,066.01 मेगावाट है। 1990-91 के दौरान इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन की मात्रा का स्तर 264231 मि० यू० था। 8वीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) बिहार समेत देश में विद्युत की उपलब्धता मे सुधार किए जाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं;—(1) नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना (2) लघु अवधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना ,(3) विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, (4) पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, (5) मांग, प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को क्रियान्वित करना और (6) अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा अंतरण किए जाने की व्यवस्था करना।

(ग) जल विद्युत शक्यता के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार देश में 60 प्रतिशत भार अनुपात पर जल विद्युत शक्यता 84044 मेगावाट होने का अनुमान है। हिमालय से बहने वाली नदियों (जिनमें सामान्यतः जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया जाता है) की 60 प्रतिशत भार अनुपात पर जल विद्युत शक्यता 59689 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है। उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा व्यापक व्यवहार्यता/परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी गई हैं। स्कीमों का क्रियान्वयन संसाधनों एवं अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

समस्तीपुर से नरकटियागंज को जाने वाली रेल गाड़ियों का अनियमित रूप से चलना

[हिन्दी]

6400. **श्री नवल किशोर राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समस्तीपुर से नरकटियागंज के बीच रेलगाड़ियां अनियमित रूप से चलती हैं और इसके परिणामस्वरूप दैनिक यात्रियों को भारी कठिनाइयां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थानीय रेलगाड़ियों को नियमित रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कभी-कभी उपस्कर की खराबी, दुर्घटना और जन आन्दोलनों के कारण समस्तीपुर-नरकटियागंज खंड पर गाड़ियां देर से चलती हैं।

(ग) रेलों के नियंत्रण के भीतर गाड़ियों की कमी को दूर करने पर कड़ी निगरानी और नजर रखना।

बज-बज ताप विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

6401 श्री चित्त बसु : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बज-बज, पश्चिम बंगाल में 500 मेगावाट के प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) बज-बज, पश्चिम बंगाल में 500 मेगावाट के प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र हेतु वित्त योजना एवं कोयला लिंकेज सुनिश्चित किए जाने हैं।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी और उनमें मिलावट

[हिन्दी]

6402. श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री राम बदन :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी पेट्रोल और डीजल में मिलावट तथा उक्त उत्पादों की सप्लाई में अनियमितताएं बरते जाने के वर्षवार कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) भविष्य में इन बातों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल कंपनियों द्वारा दी गई सूचना निम्नानुसार है :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1988-89	158
1989-90	156
1990-91	269

जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है। विभिन्न कानूनों के तहत राज्य सरकारों के माप तोल विभाग की कार्रवाई कर रहे हैं।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

6403. श्री सुधीर गिरि : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और इस वर्ष जुलाई, 1991 तक देश की कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या-क्या कारण हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन वर्षों के दौरान दुर्घटना से पीड़ित हुए व्यक्तियों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चूरू जिले में रेल-फाटक

[हिन्दी]

6404. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोगों की सुविधा हेतु चूरू जिले में रेल फाटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस जिले में और अधिक रेल फाटकों का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र के मामले में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) रेलें तभी कार्रवाई कर सकती हैं जब राज्य सरकार/सिविल प्राधिकरण नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ वांछित सुविधा के लिए ठोस प्रस्ताव प्रायोजित करें। रेलों को अभी तक इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं हुआ है।

अल्लेप्पी-कायमकुलम बड़ी रेल लाइन

[अनुवाद]

6405. श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री टी० जे० अंजलोस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्लेप्प-कायमकुलम बड़ी रेल लाइन के निर्माण पर आज तक वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार को केरल सरकार से ऐसी कोई शिकायत मिली है कि इस लाइन का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित अवधि के भीतर इस कार्य को पूरा करने और कार्य की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-3-1991 तक 37.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

1982-83	...	49.47 लाख,	1983-84	...	0.82 लाख
1984-85	...	12.23 लाख,	1985-86	...	15.92 लाख
1986-87	...	551.11 लाख,	1987-88	...	243.50 लाख
1988-89	...	423.31 लाख,	1989-90		856.15 लाख
1990-91		1598.36 लाख ।			

(ख) लगभग 15 करोड़ रुपए ।

(ग) केरल सरकार ने शिकायत की थी कि पिछले एक वर्ष के दौरान कार्य की प्रगति बहुत धीमी रही है ।

(घ) 1991-92 में कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है ।

बिहार में जल-विद्युत परियोजना की स्थापना

[हिन्दी]

6406. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री छेदी पासवान :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 710 मेगावाट क्षमता की एक जल-विद्युत परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० (एन० एच० पी० सी०) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में 710 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली कोयलकारो जल-विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के लागत अनुमानों को सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किए जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

(ग) परियोजना को निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद 8 वर्षों के भीतर चालू किये जाने की संभावना है।

भारत पर्यटन विकास निगम में सलाहकार विभाग

6407. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने जून, 1990 में जर्मनी की हैनीमैन कंपनी के साथ कोई व्यापार समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निगम के सलाहकार विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश और विदेश में अब तक कहां-कहां अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और इसके द्वारा कितनी स्वदेशी और विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने 26-5-1990 को जर्मनी की मैसर्स हीममान से करार किया है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दी जा रही परामर्शी सेवाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

परामर्शी शुल्क के रूप में अर्जित वर्षवार आय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	परामर्शी आय (लाख रुपए में)
1988-89	6.42
1989-90	66.54
1990-91 (अनन्तिम)	24.11

विवरण-I

करार में अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं—

(1) 5 वर्ष की अवधि में बराबर-बराबर तिमाही किस्तों में भारत पर्यटन विकास द्वारा हीनमान को 1.50 लाख अमरीकी डालर की राशि का भुगतान जिस पर भारत में कर लेगा।

मैसर्स हीनमान द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

(1) शुल्क मुक्त मार्केट के संभाव्यता अध्ययनों के सम्बन्ध में भारत पर्यटन विकास निगम को परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था।

(2) शुल्क मुक्त दुकानों के लिए आवश्यकतानुसार ले-आउट ड्राइंग तथा डिजाइन आदि।

(3) व्यापार, खरीद योजनाओं, वेयर हाउस, ले-आउट तथा माल-सूची नियंत्रण संबलन बिक्री संवर्धन के लिए सुझाव।

(4) शुल्क मुक्त दुकान व्यापार में भारत पर्यटन विकास निगम के कार्मिकों को प्रशिक्षण।

(5) भारत पर्यटन विकास निगम को उसकी दुकानों के लिए सामग्री की आपूर्ति; भारत पर्यटन विकास निगम को यह विवेकाधिकार होगा कि वह ऐसी वस्तुएं खरीदे जो अन्य स्थानों से सस्ती मिलती हैं या उपलब्ध हैं।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पूरे किए गए परामर्शी कार्य

कार्य	केन्द्र
1	2
तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट	—हैदराबाद, नैनीताल, ऋषिकेश, नागपुर, पुणे, वाराणसी, लखनऊ, परतापुर (मेरठ), जयपुर, बम्बई, इजुलकीमा और दीमापुर स्थित होटल परियोजनाएं। —वाराणसी, जम्मू और परतापुर (मेरठ) स्थित रेस्तोरेंट।
विशेष अध्ययन	—होटल खास कोठी, जयपुर और होटल इम्फाल अशोक, इम्फाल के लिए समीक्षा रिपोर्ट।

1	2
तकनीकी सेवाओं के लिए मास्टर योजना	—नागालैंड तथा पंजाब के पर्वतीय क्षेत्र बेतला और सिमलीपाल में वन गृह, ईटानगर में यूथ- हास्टल —मसूरी, वाराणसी, जम्मू में रेस्टोरेंट । — कालिज आफ कैम्बेट, महू स्थित अधिकारी मैस के लिए किचन । —हैदराबाद स्थित होटल और ईटानगर भोपाल व पांडिचेरी स्थित संयुक्त उद्यम । —वैलिंग्टन (न्यूजीलैंड) में रेस्टोरेंट ।

कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शन और एजेंसियां

[अनुवाद]

6408. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अभी तक, जिलावार, कितने रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) नये कनेक्शनों के लिए जिलावार कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ग) इन आवेदकों को शीघ्र गैस कनेक्शन दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) 31 मार्च, 1991 तक बेलगाम, धारवाड़ और बीजापुर जिलों में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को रसोई गैस की एजेंसियां दी गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कर्नाटक में 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार 8.42 लाख एल० पी० जी० उपभोक्ता हैं और 2.62 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे ।

(ग) और (घ) अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र कनेक्शन देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

वेतन निर्धारण संबंधी समझौता ज्ञापन

6409. श्री एस० एम० लालजन बाशः : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास वेतन निर्धारण संबंधी कितने समझौता ज्ञापन लंबित है;

(ख) वे किस-किस स्तर पर लम्बित पड़े हैं; और

(ग) उन्हें कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वेतन निर्धारण के लिए तीन समझौता ज्ञापनों की जांच की जा रही है ।

जाली टिकटों की बिक्री व आरक्षण

6410. श्री जनार्दन मिश्र : क्या रेल मन्त्री 4 सितंबर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4439 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद जंक्शन के आरक्षण कार्यालय में कार्यरत आरक्षण लिपिकों द्वारा जाली टिकटों की बिक्री तथा आरक्षण किए जाने के मामले की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायत में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बहरहाल, इलाहाबाद में जाली टिकटों की बिक्री में संलिप्त एक बाहरी व्यक्ति को राजकीय रेल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420/467/468/471 के तहत इलाहाबाद न्यायालय में एक आपराधिक मामला दायर किया गया है।

रेलवे के खान-पान एककों में घाटा

[हिन्दी]

6411. श्री राम बदन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री में निरंतर वृद्धि होने के बावजूद रेलवे का खान-पान विभाग घाटे में चल रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग को हुए मुनाफे/घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाराणसी स्टेशन पर खान-पान एकक 1984 से 1990 तक निरन्तर घाटे में चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय रेलों के खान-पान विभाग की कुल बिक्री और लाभ/हानि इस प्रकार हैं—

वर्ष	कुल बिक्री (करोड़ रुपयों में)	लाभ/हानि (करोड़ रुपयों में)
1987-88	56.33	(—) 0.30
1988-89	65.71	(—) 0.71
1989-90	72.18	(—) 0.23

(ग) जी हां।

(घ) हानि होने का मुख्य कारण निवेश लागत और कर्मचारी लागत में वृद्धि होना है। कर्मचारी लागत में इसलिए वृद्धि हुई है क्योंकि अदालत के आदेशों के अनुसार कमीशन वेंडरों को नियमित कर्मचारियों के समान भुगतान किया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए जिम्मेवारी के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है। हानियों को कम/समाप्त करने के लिए किए गए उपायों/प्रस्तावित उपायों में खर्च पर कड़ी नजर रखना, बिक्री बढ़ाना, गहन निरीक्षण और गैर-विभागीकरण शामिल है।

रेलवे में ठेका श्रमिक प्रणाली

6412. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग में ठेका श्रमिक प्रणाली अभी भी प्रचलित है;

(ख) क्या ठेका श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रणाली को समाप्त करने का कोई निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। कतिपय स्थापनाओं/परिचालनों में।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

पुणे-मिराज सेक्शन का अन्तरित किया जाना

[अनुवाद]

6413. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र से विभिन्न जन प्रतिनिधियों से पुणे-मिराज ब्राडगेज रेल लाइन को दक्षिण-मध्य रेलवे जोन से मध्य रेलवे में अन्तरित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक और प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की जांच की गई है और इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

ट्रम और डिब्बों में डीजल की सप्लाई किए जाने पर प्रतिबंध

[हिन्दी]

6414. श्री हरपाल पंवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रम और डिब्बों में डीजल की सप्लाई किए जाने पर सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अब भी लागू है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिबंध को हटाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पुरी और नीलांचल एक्सप्रेस का टूंडला स्टेशन पर ठहरना

6415. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी और नीलांचल एक्सप्रेस का टूंडला जंक्शन पर ठहरना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दोनों गाड़ियों को इस स्टेशन पर पुनः ठहराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) परिचालनिक आवश्यकता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) गाड़ी के कुल चालन-समय में वृद्धि से बचने के लिए ।

[अनुवाद]

मेग्निटो-हाईड्रो-डायनामिक परियोजना

6416. **श्री राधिका रंजन प्रामाणिक** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित "एम० एच० डी० पायलट पावर प्रोजेक्ट" ने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो परम्परागत ताप विद्युत संयंत्रों में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कोयला आधारित एम० एच० डी० प्रायोगिक विद्युत संयंत्र ने प्रयोग स्तर पर, एम० एच० डी०

प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन की तकनीकी व्यवहार्यता का सफल प्रदर्शन किया है। इस प्रौद्योगिकी के आधार पर विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करना अनुसंधान तथा विकास परियोजना का कोई तात्कालिक उद्देश्य नहीं था।

(ख) एम० एच० डी० प्रौद्योगिकी को, और आगे विकास के साथ, चक्र के शीर्षस्थ सिरे पर पारम्परिक ताप-विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे उच्चतर कार्य कुशलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बुक स्टालों के ठेके

6417. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कंपनी को 3 प्रतिशत रायल्टी के भुगतान पर बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों के बुक-स्टालों के ठेके दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन बुक-स्टालों को स्वयं चलाने का विचार अथवा अन्य प्राथमिकता वाली श्रेणियों के लोगों को आबंटित करने का विचार है अथवा वर्तमान ठेके की अवधि पूरी होने पर निविदा विज्ञापन देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जोलारपेट्टई-बंगलौर सेक्शन को दोहरा करना

6418. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोलारपेट्टई और बंगलौर के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जोलार-पेट्टै-बेंगलूर (143 कि० मी०) खंड पर दोहरी लाइन बिछाने का कार्य चरणों में शुरू किया गया है। बेंगलूर सिटी-व्हाइट-फील्ड (23 कि० मी०) और जोलारपेट्टै-कुप्पम (39 कि० मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। परिचालनिक आवश्यकताओं और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुप्पम और व्हाइट-फील्ड (81 कि० मी०) के बीच के शेष भाग पर दोहरी लाइन बिछाने का कार्य चरणों में शुरू किया जायेगा।

बिहार में एक व्यक्ति को तीन पेट्रोलियम एजेंसियों का आवंटन

[हिन्दी]

6419. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बिहार में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की एजेंसियों का आवंटन के बारे में 5 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1386 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी एक व्यक्ति के विभिन्न फर्मों के नाम से तीनों पेट्रोलिय पदार्थों की एजेंसियां आबंटित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कोई ऐसा नया आबंटन नहीं किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में पंतनगर हवाई पट्टी का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

6420. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों के बड़ी संख्या में आगमन को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में पंतनगर हवाई पट्टी का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत उत्पादन में कमी

6421. श्री उत्तमराव देवराव पाटिल : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन में कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 271250 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में कुल ऊर्जा उत्पादन 264231 मिलियन यूनिट था जो कि 7019 मिलियन यूनिट कमी का द्योतक है। इस कमी के मुख्य कारण ये थे—कोयले की कम सप्लाई होना, प्रणालीगत मांग का कम होना, उपस्कर के फेल होने के कारण यूनिट का लंबी अवधि तक बंद होना।

इंडियन रेलवे कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

6422. डा० श्री० एल० कनोजिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन रेलवे कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना-कितना लाभ अर्जित किया है;

(ख) इस कंपनी द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में निर्माण हेतु शुरू की गई रेल परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कितनी अवधि में पूरा कर लिया जाना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इरकान द्वारा तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कर-पूर्व	करोपरान्त
1987-88	26.28	14.31
1988-89	26.81	13.77
1989-90	20.46	17.88

वर्ष 1990-91 के लेखों की लेखा-परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है और लाभ के आंकड़े अभी आकलित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों, अर्थात् 1989-90 और 1990-91 के दौरान कंपनी द्वारा विदेशों में निष्पादित की जा रही रेल परियोजनाओं का ब्योरा और समय-सीमा, जिसके भीतर इन्हें पूरा किया जाना है, नीचे की तालिका में दी गई है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ठेका प्रदान किए जाने की तारीख	ठेके का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	काम पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1. सऊदी अरब				
	—दम्मम में प्रमुख अनुरक्षण कारखाने का विस्तृत अभिकल्प और निर्माण	16-2-83	20.00	सित०, 89

1	2	3	4	5
	2. बांग्लादेश			
	—बांग्लादेश रेलवे को 4.2 मिलियन सी॰ एफ॰ टी॰ रेलपथ गिट्टी की सप्लाई	26-7-87	3.29	30-11-91
	—बांग्लादेश में चटगांव में रेलवे स्टाफ अकादमी के लिए माडल रूम की स्थापना	14-1-91	.63	जन॰, 1992
	3. मलेशिया			
	—327 कि॰ मी॰ रेलपथ का पुन: स्थापना	10-10-88	100.00	9-4-92
	—रावांग से सेरेम्बान तक दोहरीकरण की टर्न-की परियोजना	10-8-90	90.00	9-2-93
	—मलेशिया में रावांग से कजोंग तक पुलों का निर्माण "पैकेज बी"	25-2-91	9.9	15-79-2
	—मलेशिया में कजांग स्टेशन से सेरेम्बान स्टेशन तक रेल पुलों, ऊपरी सड़क पुलों, भूमिगत मार्गों और सुरंगों का अभिकल्प तैयार करना, निर्माण करना, उन्हें पूरा करना और चालू करना—"पैकेज सी"	25-2-91	25.35	24-2-93
	4. जाम्बिया			
	—जाम्बिया रेलवे पर सी॰ टी॰ सी॰ सी॰ रेडियो ब्लाक सिगनल प्रणाली	30-3-88	9.45	31-5-90
	5. टर्की			
	—टर्किश स्टेट रेलवे के इस्कीसेहिर-सिम्कान खंड का विद्युतीकरण	9-9-88	38.00	29-6-91
	6. इण्डोनेशिया			
	—सेन्ट्रल लाइन रेलपथ योगात्मक चरण IV का डी॰ सी॰ विद्युतीकरण-जकार्ता रेल परियोजना, इण्डोनेशिया	9-7-89	7.59	31-10-91

1	2	3	4	5
	—इण्डोनेशिया में जातिनेगरा-बेकासी खंड का डी० सी० विद्युतीकरण	17-11-90	7.02	30-9-82
7. इराक				
	—इराक में बैजी में उर्वरक फैक्टरी नं० 4 के लिए मानक आमान की साइडिंग का निर्माण	19-8-89	9.75	10-10-90 खाड़ी युद्ध के कारण इराक में बैजी परियोजना पर कार्य रोक दिया गया है और इराक में सामान्य स्थिति बहाल हो जाने पर इसे पुनः शुरू किया जाएगा ।

नोट : ठेके का रुपयों में मूल्य ठेके पर हस्ताक्षर किए जाने ठेका प्राप्त किए जाने के समय विदेशी मुद्रा विनिमय की सम्परिवर्तन दर पर आधारित है ।

हिन्दी सलाहकार समिति

[हिन्दी]

6423. श्री अरविंद नेताम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई हैं तथा इस उद्देश्य हेतु क्या नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पर्याप्त संख्या में बैठकें आयोजित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय में निदेशक, राजभाषा का पद पिछले तीन वर्षों में खाली पड़ा हुआ है; उपरोक्त कारणों से उनके मन्त्रालय में हिन्दी के प्रयोग और विस्तार का कार्य बन्द हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की 5 बैठकें आयोजित की गई हैं; जबकि निर्धारित नियमों के अनुसार हर वर्ष 4 बैठकें होनी चाहिए ।

(ख) वर्ष 1988 तथा 1989 में 5 बैठकें आयोजित की गई थीं, किंतु उसके बाद कुछ अपरिहार्य कारणों से समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हो सकी ।

(ग) निदेशक, राजभाषा के सेवानिवृत्त हो जाने पर तथा भर्ती नियमों में संशोधन किए जाने तक संयुक्त निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड के पद के

वर्तमान कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह कर रहे हैं। और मन्त्रालय में हिन्दी के प्रयोग-प्रसार का कार्य बन्द नहीं हुआ हैं।

(घ) निदेशक (राजभाषा) की नियुक्ति से संबंधित संशोधित भर्ती नियम विज्ञापित किए जा चुके हैं तथा इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस और पेट्रोल पम्प की एजेंसियां

6424. श्री बारे लाल जाटव :
श्री सत्य नारायण जटिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, मुरैना और गुना जिलों में जिला-वार कितने-कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ख) इनमें से कितनी एजेंसियां और पेट्रोल पम्प अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आबंटित किये गये हैं;

(ग) यदि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को डीलरशिप आबंटित नहीं की है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान इन तीनों जिलों में जिला-वार रसोई गैस की कितनी एजेंसियां और कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित करते हुए विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण और आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि जिलावार। कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार से है:—

जिला	पट्रोल पम्प		एल० पी० जी० एजेंसी	
	कुल	अ० जा०	कुल	अ० जा०
ग्वालियर	30	—	12	—
उज्जैन	—	—	—	—
रतलाम	—	—	—	—
भिण्ड	8	—	1	—
दतिया	2	—	1	—
शिवपुरी	12	1	1	—
मोरेना	13	—	2	—
गुना	16	1	3	1
योग	81	2	20	1

(घ) 1991-92 के लिए कोई नई विपणन योजना तैयार नहीं की गई है।

मीटरों की मरम्मत

6425. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैक्टरियों में स्थापित किये गये 100 किलोवाट से अधिक क्षमता के मीटरों की मरम्मत कराने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबंधक की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इन मीटरों में खराबी के ठीक करने में कितने दिन लग जाते हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और निर्यातकों को कितना-कितना घाटा हुआ है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) खराबी को दूर करने में लगने वाला समय, संबंधित उपभोक्ता द्वारा वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी करने के साथ-साथ खराबी के स्वरूप पर निर्भर करता है।

(ग) डेसू के अनुसार, इस संबंध में डसू या उपभोक्ता को होने वाले घाटे की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

हॉपिंग उड़ानें

[हिन्दी]

6426. **श्री यशवन्तराव पाटिल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस की दैनिक उड़ानों में कितनी "हापिंग उड़ानें हैं और ये किन स्थानों पर रुकती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सीधी हापिंग उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने 224 उड़ानों में से 69 हापिंग उड़ानें प्रचालित कीं। हापिंग उड़ानों की सूची जिसमें ठहरने के स्थान दिखाए गए हैं, संलग्न है।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइंस ने अपनी वर्ष 1991 की शीतकालीन समय-सारणी को

अभी अंतिम रूप देना है। अतः इस समय सीधी हापिंग उड़ानों की संख्या में होने वाली वृद्धि बताना संभव नहीं है।

हापिंग उड़ानों की संख्या

उड़ान सं०		मार्ग	आवृत्ति
1		2	3
आई० सी०	133	बम्बई-अहमदाबाद-इन्दौर	3.6
"	134	इन्दौर-अहमदाबाद-बम्बई	3.6
"	167	दिल्ली-बम्बई-त्रिवेन्द्रम	1.2.3.4.5.6.7
"	168	त्रिवेन्द्रम-बम्बई-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	255	कलकत्ता-सिल्चर-इम्फाल	1.2.3.4.5.6.7
"	256	इम्फाल-सिल्चर-कलकत्ता	1.2.3.4.5.6.7
"	287	कलकत्ता-पोर्टब्लेयर-कार्नीकोबार	1.
"	288	कार निकोबार-पोर्टब्लेयर-कलकत्ता	1.
"	421	दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर	3.5.7
"	422	श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली	3.5.7
"	423	दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर	1.2.3.4.5.6.7
"	424	श्रीनगर-अमृतसर-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	439	दिल्ली-हैदराबाद-मद्रास	1.2.3 4.5.6.7
"	440	मद्रास-हैदराबाद-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	467	दिल्ली-गोवा-कोचीन	1.2.3.4.5.6.7
"	468	कोचीन-गोवा-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	497	दिल्ली-वारणसी-भुवनेश्वर	1.3.5.7
"	498	भुवनेश्वर-वाराणसी-दिल्ली	1.3.5.7
"	517	मद्रास-बंगलोर-पूना	3.5.7
"	518	पूने-बंगलोर-मद्रास	3.5.7
"	523	मद्रास-बंगलोर-गोवा	2.4.6
"	524	गोवा-बंगलोर-मद्रास	2.4.6
"	529	मद्रास-त्रिवेन्द्रम-कोचीन	3.5.7

1		2	3
आई० सी०	530	कोचीन-त्रिवेन्द्रम-मद्रास	3.5.7
"	531	मद्रास-बंगलौर-कोचीन	1.4.6
"	532	कोचीन-बंगलौर-मद्रास	1.4.6
"	533	मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर	1.2.3.4.5.6.7
"	534	कोयम्बटूर-बंगलौर-मद्रास	1.2.3.4.5.6.7
"	541	मद्रास-विजाग-कलकत्ता	1.2.4.6
"	542	कलकत्ता-विजाग-मद्रास	1.2.4.6
"	559	मद्रास-बंगलौर-मंगलौर	2.3.5.7
"	560	मंगलौर-बंगलौर-मद्रास	2.3.5.7
"	879	दिल्ली-गुवाहाटी-अगरतला	2.4.7
"	880	अगरतला-गुवाहाटी-दिल्ली	2.4.7
"	889	दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल	1.3.5.6
"	890	इम्फाल-गुवाहाटी-दिल्ली	1.3.5.6
"	929	मद्रास-बंगलौर-मद्रास	1.2.4.6
"	930	त्रिवेन्द्रम-बंगलौर-मद्रास	1.2.4.6
"	951	मद्रास-बंगलौर-अहमदाबाद	3.5.7
"	952	अहमदाबाद-बंगलौर-मद्रास	3.5.7
"	147	बम्बई-जामनगर-भुज-बम्बई	1.3.4.6
"	195	बम्बई-वाराणसी-लखनऊ-बम्बई	2.5.7
"	199	बम्बई-रांची-पटना-बम्बई	1.4
"	213	कलकत्ता-तेजपुर-जोरहाट-कलकत्ता	2.3.4.5.7
"	257	कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर-कलकत्ता	1.3.5.7
"	269	कलकत्ता-भुवनेश्वर-नागपुर-हैदराबाद	3.5.6
"	270	हैदराबाद-नागपुर-भुवनेश्वर-कलकत्ता	3.5.6
"	407	दिल्ली-आगरा-खुजराहो-वाराणसी	1.2.3.4.5.6.7
"	408	वाराणसी-खुजराहो-आगरा-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	417	दिल्ली-अहमदाबाद-बड़ोदरा-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	419	दिल्ली-कानपुर-गोरखपुर-दिल्ली	1.4
"	421	दिल्ली-चण्डीगढ़-जम्मू-श्रीनगर	1.2.4.6

1		2	3
आई० सी०	422	श्रीनगर-जम्मू-चण्डीगढ़-दिल्ली	1.2.4.6
"	465	दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-दिल्ली	2.6
"	469	दिल्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्ली	1.3.5.7
"	477	दिल्ली-रायपुर-भुवनेश्वर	2.4.6
"	479	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दीमापुर	2.4.6
"	480	दीमापुर-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	2.4.6
"	489	दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-डिब्रूगढ़	1.3.5.7
"	490	डिब्रूगढ़-गुवाहाटी-बागडोगरा-दिल्ली	1.3.5.7
'	501	मद्रास-त्रिचि-मदुरै-मद्रास	1.3.4.5.6.7
'	409	दिल्ली-लखनऊ-पटना-रांची-कलकत्ता	1.2.3.4.5.6.7
"	410	कलकत्ता-रांची-पटना-लखनऊ-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	433	दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई	1.2.3.4.5.6.7
"	434	बम्बई-इन्दौर-भोपाल-ग्वालियर-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	491	दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई	1.2.3.4.5.6.7
"	492	बम्बई-औरंगाबाद-उदयपुर-जयपुर-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7
"	493	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-बम्बई	1.2.3.4.5.6.7
"	494	बम्बई-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर-दिल्ली	1.2.3.4.5.6.7

डल्ली-राजहरा से रावघाट तक रेल संपर्क

[अनुवाद]

6427. श्री वासूलाल चन्द्राकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्ग जिले के डल्ली-राजहरा से बस्तर जिले की रावघाट लौह खदानों तक नई रेल लाइन के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसके निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) 1987-88 के मूल्यों के आधार पर, 95 कि० मी० लम्बी इस लाइन पर 88.35 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। इसकी वर्तमान लागत लगभग 120 करोड़ रुपए होगी।

(ग) इस प्रस्तावित लाइन की आवश्यकता मात्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भिलाई तक लौह अयस्क की ढुलाई करने के लिए है। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और लागत के बारे में इस्पात मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है। यह कार्य तभी तक शुरू किया जा सकता है जब इस्पात मंत्रालय/भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस लाइन के लिए धन की व्यवस्था कर दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की उड़ानों में खान-पान व्यवस्था

6428. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई, दिल्ली और मद्रास जैसे विकसित क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र उड़ानों में उपलब्ध खान-पान व्यवस्था घटिया स्तर की है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की उड़ानों में सेवित व्यंजनों और इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्धा और नागपुर के बीच शटल सेवा

6429. श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्धा से नागपुर तक इस क्षेत्र के कर्मचारियों की सुविधा के लिए तथा लम्बी दूरी तक चलने वाली गाड़ियों में भीड़ को कम करने के लिए एक शटल रेल सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में विद्युत दुरुपयोग

6430. श्री भारतेश्वर साबे :
श्री गोविंद चंद्र मुंडा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनुमति से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने बिजली का दुरुपयोग तथा ऊपरी चोरी करने और तत्संबंधी अन्य नियमों के उल्लंघनों के मामलों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को राजधानी के विभिन्न भागों में अवैध उद्योगों को बिजली की पूर्ति किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(च) अपराधियों के विरुद्ध क्या कारंवाई करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा 1 अप्रैल, 1991 से 22 अगस्त, 1991 के दौरान 29,321 कनैक्शनों की जांच की गई थी और प्रतिबंधित घंटों के दौरान वातानुकूलकों, न्योन नामपट्टों आदि के उपयोग से सम्बन्धित दिल्ली बिजली नियंत्रण आदेश के उल्लंघन, विद्युत के दुरुपयोग तथा व्यस्ततमकालीन भार संबंधी उल्लंघनों के 3840 मामलों के अलावा विद्युत की चोरी के 19,837 मामलों का पता लगाया गया था। इस अवधि के दौरान 314 प्रथम सूचना रिपोर्टें (एफ० आई० आर०) दर्ज कराई गई थीं। भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत, विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। विद्युत की चोरी और इसके दुरुपयोग के विरुद्ध डेसू का अभियान जारी है।

(ङ) और (च) अवैध उद्योगों को कथित रूप से विद्युत सप्लाई किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर डेसू द्वारा ध्यान दिया जाता है और इस प्रकार का कोई मामला प्रमाणित होने पर संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। डेसू के अनुसार, इस प्रकार की शिकायतों का स्थलवार (लोकेशनवाइज) रिकार्ड नहीं रखा जाता।

एर्णाकुलम से कोजीकोड तक तीव्रगामी गाड़ी

6431. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम से कोजीकोड तक एक तीव्रगामी गाड़ी चलाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब तक चलाये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई थी, लेकिन औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि इस खंड पर पहले ही पर्याप्त संख्या में तीव्र गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं।

अरगड्डा में कोयला उत्पादन में व्याप्त भ्रष्टाचार

[हिन्दी]

6432. **श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान बिहार के "अरगड्डा" में कितने कोयले का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को अरगड्डा में कोयला उत्पादन में भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) इस मामले में कितने लोग दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

कोयला मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान अरगड्डा क्षेत्र में हुआ ग्रेड-वार कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है—

(आंकड़े 000 टनों में)

ग्रेड	उत्पादन
बी	2078
सी	166
जोड़	: 2244

(ख) से (घ) अरगड्डा में कुछ कोयले के स्टाक को बट्टे खाते डाला गया है। सरकार ने, नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षा से इस मामले को, इसी तरह के कुछ अन्य लेखा-परीक्षक के मामलों के साथ उठाए जाने का अनुरोध किया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विद्युत उत्पादन

[अनुवाद]

6433. **श्री नरेश कुमार बलियान** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा वर्ष 1989 और 1990 के दौरान कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया तथा इस अवधि के दौरान अन्य राज्यों से कितनी मात्रा में बिजली प्राप्त की गई/खरीदी गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कितनी मात्रा में बिजली बेची गयी तथा इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लेखों का रखरखाव वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है, वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 के अपेक्षित ब्यौरे निम्नवत हैं—

ब्यौरे	1989-90	1990-91
(1) डेसू द्वारा उत्पादित ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	1521	1884
(2) बाह्य स्रोतों से खरीदी गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	5962	6423
(3) कुल उपलब्ध ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	7483	8307
(4) बेची गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	5853	6672
(5) ऊर्जा विक्रय से प्राप्त राजस्व	505.71 करोड़ रुपय	608.41 करोड़ रु०

सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत परियोजनाएं

6434. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में पूरी की गई प्रथम 50 बड़ी विद्युत (जल-विद्युत, ताप तथा परमाणु) परियोजनाओं के नाम क्या हैं और 1 जनवरी, 1991 को सातवीं योजना की कौन-सी परियोजना अभी भी निष्पादनाधीन है और उसकी (मेगावाट में) अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) पूरा होने तक इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) मूल अनुमानों की तुलना में लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) वर्ष 1991 तक तत्पश्चात् आठवीं योजना में अन्य कौन-सी बड़ी परियोजनाएं हाथ में ली जायेंगी ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुरादाबाद स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण

6435. श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद स्टेशन पर दुपहियों के लिए एक उपरिपुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्माण कार्य कब से शुरू करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में कुडाल/कुन्डा में हवाई अड्डे का निर्माण

6436. श्री सुधीर सावन्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कुडाल/कुंडा में हवाई अड्डे का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एअरबस ए-320 के सौदे की जांच

[हिन्दी]

6437. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअरबस ए-320 में तकनीकी कमी के बारे में की जा रही जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार एअरबस ए-320 की अदायगी में दलाली की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस प्रकार की कोई जांच नहीं की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मामले की अभी भी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

मुंबई हवाई अड्डे पर सुविधाएं

[अनुवाद]

6438. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों ने मुंबई हवाई अड्डे पर उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जुलाई, 1991 का किराया न देने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) अभूतपूर्व वर्षा के कारण बम्बई हवाई अड्डे पर 8 और 9 जून, 1991 को पूरी

तरह से बिजली गुल रही। विशेष रूप से ऐसे समय पर परिचालनात्मक समन्वय को सुधारने के लिए बी० एस० ई० एस० के साथ पहले से ही विस्तृत चर्चा की गई। एअरलाइन प्रचालक समिति भी हवाई अड्डे में पूरी सुविधाओं को पुनः बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम से संतुष्ट है। 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में से 30 को पहले ही जुलाई, 1991 के किराए का भुगतान कर दिया गया है।

आठवीं योजना में विद्युत परियोजनाएं

[हिन्दी]

6439. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विन्ध्याचल ताप विद्युत केंद्र में 500 मेगावाट की अतिरिक्त यूनिट स्थापित करने संबंधी कार्य केवास गैस पर आधारित विद्युत परियोजना और गन्धार गैस पर आधारित विद्युत परियोजना का आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता में से मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में बिजली देने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) (1) विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (2 × 500 मेगावाट)

इस परियोजना में 500-500 मेगावाट के 2 यूनिट शामिल हैं। प्रथम 500 मे० वा० यूनिट की सोवियत संघ के साथ सप्लाई सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 60 महीने के भीतर और दूसरे 500 मे० वा० यूनिट को तत्पश्चात् 12 महीने के भीतर चालू किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना के सम्बन्ध में सरकार की निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी।

(2) कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना (644 मेगावाट)

• इस परियोजना में शामिल विभिन्न यूनिटों को नीचे दिए अनुसार चालू किए जाने का कार्यक्रम है—

गैस टर्बाइन यूनिट-1 (106 मे० वा०)	मार्च, 1992
गैस टर्बाइन यूनिट-2 (106 मे० वा०)	मई, 1992
गैस टर्बाइन यूनिट-3 (106 मे० वा०)	जुलाई, 1992
गैस टर्बाइन यूनिट-4 (106 मे० वा०)	सितंबर, 1992
भाप टर्बाइन यूनिट-1 (110 मे० वा०)	मार्च, 1993
भाप टर्बाइन यूनिट-2 (110 मे० वा०)	जुलाई, 1993

परियोजना के संबंध में सरकार की निवेश संबंधी स्वीकृति अपेक्षित होगी।

(3) गांधार गैस आधारित विद्युत परियोजना (650 मे० वा०)

चालू करने संबंधी कार्यक्रम निम्नानुसार हैं—

गैस टर्बाइन यूनिट-1—मुख्य संयंत्र हेतु आर्डर दिए जाने के बाद 24 महीने।

परवर्ती गैस टर्बाइनें—उपर्युक्त के बाद दो-दो महीने के अंतराल पर।

भाप टर्बाइन यूनिट-1—मुख्य संयंत्र हेतु आर्डर दिए जाने की तारीख से 36 महीने।

भाप टर्बाइन यूनिट.2—उपर्युक्त के बाद 4 महीने।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केंद्रों से लाभभोगी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत के आबंटन के सम्बन्ध में निर्णय, विद्युत के आबंटन संबंधी केंद्रीय फार्मूले के अनुसार किया जाता है। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को विद्युत का आबंटन किए जाने के बारे में इसी फार्मूले के अनुसार निर्णय किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में पेट्रोल तथा रसोई गैस की कमी

[अनुवाद]

6440. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सबारीमाला और ऐक्मेली के विकास के लिए धनराशि

6441. **श्री पी० सी० थामस :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को पर्यटन के लिए केंद्रीय धनराशि आबंटित करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किसी पर्यटन परियोजना के लिए आवंटित की जानी वाली कुल धनराशि की कोई सीमा है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान केरल की पर्यटन परियोजनाओं के लिए धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) क्या केंद्रीय सरकार ने केरल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों सबारीमाला और ऐरूमेली के विकास के लिए धनराशि आबंटित की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केंद्रीय पर्यटन विभाग पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर धन की उपलब्धता, उनके गुण-दोष तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(ख) किसी पर्यटन परियोजना के लिए आबंटित की जाने वाली कुल राशि की कोई सीमा नहीं है । तथापि, धन की उपलब्धता, गुण-दोष तथा पारस्परिक प्राथमिकताएं इसके लिए मार्ग-दर्शी सिद्धांत हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय पर्यटन विभाग ने केरल में निम्नलिखित परि-योजनाओं के लिए धन की मंजूरी दी है—

1988-89

पांच स्थानों पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, वरकला में समुद्र तट विहार स्थल और नायर बांध पर एक वन गृह ।

1989-90

दो स्थानों पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, अथिरापल्ली में एक पर्यटक विहार स्थल, कन्नानूर में यात्री-निवास और हाथी दौड़ आयोजित करने में सहायता ।

1990-91

त्रिवेन्द्रम में आगन्तुक केंद्र, वैकम में पर्यटक गृह टेंटों की खरीद, संपत्तियों का स्तरोन्यन, साइनेज प्रणाली, स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था निशागंधी नृत्य उत्सव तथा हाथी दौड़ के आयोजन में सहायता ।

(घ) जी, नहीं ।

भारत पर्यटन विकास निगम से मुद्रण और प्रचार संबंधी कार्यों का अधिग्रहण करना

6442. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों और भारतीय पर्यटन विकास निगम के पर्यटन विभाग के प्रचार संबंधी कार्यों के अन्तरण के संबंध में सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय की अवहेलना करके भारतीय पर्यटन विकास निगम से मुद्रण और प्रचार कार्य वापस अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है और इस संबंध में उठाए गये कदमों का ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1985-86 से विभाग के मुद्रण और प्रचार कार्य को करने के लिए अन्य एजेंसियों से भी सहायता ली गई है; क्योंकि भारत पर्यटन विकास निगम बढ़े हुए कार्यभार तथा बजटगत आवंटन के कारण अकेले उस कार्य को निर्धारित समय में तथा विनिर्देशों के अनुरूप नहीं कर पा रहा था।

करीमगंज में रेलवे पुल

6443. श्री द्वारकानाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमगंज (असम) स्टेशन रोड पर बहुत अधिक यातायात को देखते हुए वहां एक उपरिपुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, सीमा सड़क कृतिक बल प्राधिकरण ने करीमगंज स्टेशन के निकट एक बाई-पास सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया है जिन स्थानों पर यह बाई-पास मार्ग रेल लाइनों को क्रास करेगा वहां पर दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण की व्यवस्था होगी।

बिहार पटना में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

6444. श्री सूर्यनारायण सिंह : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पटना में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा में पर्यटन विकास

[अनुवाद]

6445. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में कोटा शहर को रमणीय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नगरों के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय पर्यटन विभाग की कोई स्कीम नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन पखवाड़ा मनाना

[हिन्दी]

6446. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन सुविधाओं का पर्याप्त रूप से विकास न होने के कारण देशी पर्यटकों की संख्या में वांछित वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देशी पर्यटकों के लिए रेलवे तथा राज्य परिवहन निगमों द्वारा पर्यटन पखवाड़ा मनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का देशी पर्यटकों को उक्त अवधि के दौरान रेल और बस किरायों में छूट की सुविधा देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन लागत

[अनुवाद]

6447. **श्री राम निहोर राय** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ओबरा, अनपोरा और शक्ति नगर विद्युत परियोजनाओं द्वारा पैदा की जाने वाली विद्युत की प्रति यूनिट लागत क्या है,

(ख) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की प्रति यूनिट दर क्या है;

(ग) हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कंपनी और हाई टेक कार्बन इंडस्टीज के लिए 1985-86 से विद्युत की सप्लाई किस दर से की जाती है; और

(घ) हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कंपनी और हाई टेक कार्बन इंडस्ट्रीज पर विद्युत सप्लाई की कितनी धनराशि बकाया है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारियों को नियमित करना

[हिन्दी]

6448. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या रेल मंत्री रेलवे कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में 20 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1140 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा कुमारी उषा कुमारी आनन्द और अन्य बनाम केन्द्रीय सरकार के मुकदमे में 23 मई, 1989 को दिये गये निर्णय के आधार पर अब तक नियमित किए गए रेलवे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस निर्णय को व्यापक रूप से लागू करने के लिए क्या विभिन्न उपाय किये गये हैं और इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) उक्त निर्णय को व्यापक रूप से लागू करने के विचार से फरवरी, 1990 में रेल प्रशासनों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के पलासा स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

[अनुवाद]

6449. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के पलासा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यात्री सुविधाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। पलासा स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं पहले ही मौजूद हैं और फिलहाल किसी कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशि

6450. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशि पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने हेतु उठाये गये अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) की बकाया राशियों के संबंध में गंभीर चिंता प्रकट की है। 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार, एन० टी० पी० सी० की विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशियां 1733.93 करोड़ रुपए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्रीय उपक्रमों की बकाया राशियों का भुगतान किए जाने के लिए समय-समय पर कहा जाता रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय किया गया है कि 31-5-90 की स्थिति के अनुसार बकाया राशियों की वसूली 4 वार्षिक किश्तों में की जाए। 1990-91 की किश्तों से संबंधित 255 करोड़ रु० की राशि तीन किश्तों के रूप में अगस्त, 1990, सितम्बर, 1990 तथा अक्तूबर, 1990 में प्राप्त हो चुकी है। 1991-92 में देय किश्तों से संबंधित 84.39 करोड़ रुपए की राशि अगस्त, 1991 में प्राप्त हुई है। इसके अलावा, सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि उनके राज्य बिजली बोर्डों की ओर केन्द्रीय उपक्रमों की शेष बकाया राशियों का भुगतान शीघ्र किया जाए। इस संबंध में स्थिति की समुचित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

असम में उमरोंगसो परियोजना से विस्थापित व्यक्ति

6451. **डा० जयन्त रंगपी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में नार्थ कछार हिल्स जिले की उमरोंगसो परियोजना के कारण कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं; और

(ख) उनमें से समुदायवार और श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया और उनका पुनर्वास किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) असम के उत्तरी कछार पर्वतीय जिले में उमरोंगसो में कोपिली जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण आठ सौ चौरानवे परिवार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।

(ख) उत्तरी कछार पर्वतीय जिला परिषद द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार मुआवजे के रूप में नगद भुगतान के अलावा इन व्यक्तियों को जिला परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर बसाया गया है। नीपको द्वारा अध्यापकों के लिए क्वार्टर और सार्वजनिक क्रीड़ा स्थल के साथ-साथ एक हाई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण भी किया गया है। परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को अनेक छोटे-छोटे ठेके भी दिए गए थे।

उमरोंगसो में जिन आदिवासी व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है इनकी संख्या 54 है। इन व्यक्तियों के बारे में श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत है :—

—ग्रेड तीन (मिनीस्टरीयल) : 12
—ग्रेड चार : 42

निगम द्वारा समुदायवार ब्यौरा तैयार नहीं किया जाता है।

नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को ट्रांसमिशन कार्य का अन्तरण

6452. डा० जयन्त रंगपी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत परियोजनाओं का ट्रान्समिशन कार्य नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों तथा नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन तथा असम राज्य बिजली बोर्ड के साथ विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अब सरकार का विचार उनसे परामर्श करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उनसे इस संबंध में कब तक परामर्श किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम समेत विभिन्न केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संगठनों से पारेषण लाइनों एवं सम्बद्ध उपकेन्द्रों से संबंधित कार्य सोपानबद्ध रूप से राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन० पी० टी० सी०) द्वारा हाथ में ले लिया जाएगा। इस प्रकार के हस्तांतरण हेतु रूपात्मकताओं को संबंधित संगठनों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

रेलवे ठेका प्रणाली

[हिन्दी]

6453. डा० जयन्त रंगपी : क्या रेल मन्त्री रेलवे के ठेकों की शर्तों के बारे में 20 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ठेका प्रणाला की सामान्य शर्तों पर विचार करने के लिए जनवरी, 1990 में गठित की गई तीन वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों की समिति की सिफारिशों पर क्या कार्य-वाही की गई है; और

(ख) उक्त कार्यवाही का परिणाम क्या रहा ?

रेल मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

किसानों को कोयले की सप्लाई

[अनुवाद]

6454. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उत्पादकों की वर्जीनिया तम्बाकू को परिष्कृत करने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या किसानों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले में भारी मात्रा में गोला-पत्थर, आदि होते हैं, जिस कारण आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को बेहतर किस्म का कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (सिं० को० कं० लि०), तम्बाकू बोर्ड तथा आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को तम्बाकू के उत्पादकों के बीच आगे वितरित किए जाने के लिए कोयले की आपूर्ति कर रही है। सिं० को० कं० लि० ने यह सूचित किया है कि उन्हें तम्बाकू उत्पादकों को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता के बारे में उनसे कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किंतु कोयला कंपनी ने संबद्ध क्षेत्रों को कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी

6435. श्री धरम पाल सिंह मलिक :
श्री अनादि चरण दास :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989 तथा 31 जुलाई, 1991 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कार्यकारी अभियन्ता तथा सहायक विधिक अधिकारी जैसे विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी और उनमें से कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के थे;

(ख) 1 अप्रैल, 1989 तथा 31 जुलाई, 1991 को पिछले बकाया कुल कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े थे;

(ग) पिछले बकाया आरक्षित पदों पर नियुक्तियां करने के लिये किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विधि विभाग में अधिकारी तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें नियमित करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू में कनिष्ठ इंजीनियर पद के नाम की कोई श्रेणी विद्यमान नहीं है। सहायक

इंजीनियर कार्यपालक इंजीनियर और सहायक विधि अधिकारी की श्रेणियों के बारे में अपेक्षित सूचना निम्नवत् है :—

निम्न के अनुसार स्थिति	कर्मचारियों की कुल संख्या	इनमें अनु० जाति/अनु० जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की संख्या (तदर्थ नियुक्तियों समेत)		आरक्षित पद जो कि भरे नहीं गए हैं (तदर्थ नियुक्तियों समेत)	
		अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1-4-89	662	79	3	55	59
31-7-91	683	90	8	44	52

(ग) आरक्षित रिक्तयों सहित विभिन्न पदों को भरने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है तथा भर्ती एवं पदोन्नति संबंधी सुसंगत नियमो के अनुसार और जिन मामलों में आवश्यक होता है संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समय-समय पर इस संबंध में कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) डेसू के विधि विभाग में कुछ पदों को इनसे संबंधित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में प्रस्तावित संशोधन के कारण तदर्थ आधार पर भरा जाता है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप देने से संबधित मामलों पर पहले से ही संघ लोक सेवा आयोग के साथ कार्रवाई की जा रही है।

बिहार में कोयले का आवंटन

[हिन्दी]

6456. **श्री ललित उरांव** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों की सिफारिशों पर, जनवरी, 1988 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान बिहार की कोयला खानों से कितना मात्रा में कोयले का आवंटन किया गया;

(ख) आवंटित मात्रा में से कितनी मात्रा में कोयला उठाया गया; और

(ग) उठाए गए कोयले की कितनी मात्रा में किन-किन स्थानों को भेजी गई ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों को कोयले के आवंटन के संबंध में बहुत अधिक संख्या में अनुरोध तथा सिफारिशें प्राप्त होती हैं, जिसमें संसद के माननीय सदस्यों के अनुरोध/सिफारिशें भी शामिल हैं। ऐसे अनुरोधों पर कंपनी की संवितरण नीति के अनुसार कार्रवाई की जाती है तथा उन्हें निपटाया जाता है। माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर कोयला जारी किए जाने के संबंध में कंपनी की वर्तमान सूचना प्रणाली के अंतर्गत अलग से कोई सूचना रखने की व्यवस्था नहीं है। इस सूचना का संग्रहण तथा संकलन किया जाना एक बहुत ही कठिन तथा समय लेने वाली कार्रवाई होगी और उक्त कार्य के लिए किए गए प्रयास इस बारे में प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजनों के अनुरूप नहीं रहेंगे।

भारत पर्यटन विकास निगम के रेस्तोरेंटों का प्राइवेट एजेंसियों द्वारा संचालन

[अनुवाद]

6457. श्री लोक नाथ चौधरी :
श्री राम शरण यादव :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने परिसरों और होटलों में रेस्तराओं और अन्य सेवाओं के संचालन हेतु गैर-सरकारी एजेंसियों को अनेक ठेके दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम की उन संपत्तियों/रेस्तराओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें समय-समय पर विभिन्न प्राइवेट एजेंसियों को पट्टे/ठेके पर दिया गया है और उनके द्वारा संचालन किया जा रहा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम से विशिष्ट भोजने परोसने के लिए साझे आधार पर चार गैर-सरकारी पार्टियों से करार किया है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	होटल का नाम	रेस्तरां का नाम	विशिष्टता	गैर सरकारी पार्टी का नाम
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	चाइना टाउन	चायनीज क्वीजीन	मैसर्स जेश्वान किचन कैटरर्स
2.	लोधी होटल, नई दिल्ली	(क) वांशाई (ख) *	—वही— शुद्ध शाकाहारी दक्षिण भारतीय	मैसर्स वाशी कैटरर्स मैसर्स सागर फूड होम
3.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	कोकोनेट ग्रोव	मांसाहारी दक्षिण भारतीय	मैसर्स के० एस० कुमार एंड कं०
4	होटल आगरा अशोक, आगरा	**चायनीज रेस्तरां	चायनीज क्वीजीन	मैसर्स डेलिग एंड कं०

*पहले मैसर्स वुडलैंड्स द्वारा परिचालित किया जाता था। अब ठेका मैसर्स सागरहोम को दिया गया है। रेस्तरां ने अभी कार्य शुरू नहीं किया है।

**रेस्तरां अभी खोला जाना है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में लंबित पड़े मामले

6458 श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में रेल कर्मचारियों के लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है और ये कब से लंबित पड़े हैं;

(ख) कितने मामलों में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों पर अमल किया गया है और उनको लेकर अवमानना संबंधी मामले दायर किए गए;

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास परिषद आदि की भूमिका

6459. श्री लोक नाथ चौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "देश में पर्यटन का विकास" लक्ष्य के लिए कार्यरत भारत पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास परिषद, राज्य पर्यटन विभागों तथा निगमों, विदेश स्थित भारतीय दूतावासों तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है;

(ख) क्या विभिन्न निकायों/एजेंसियों को सौंपी गयी विशिष्ट भूमिका के बाद के वर्षों में, मार्च, 1991 तक कोई अपसरण हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण तथा औचित्य क्या हैं;

(घ) क्या इन निकायों/एजेंसियों की भूमिका तथा गतिविधियों के परस्पर अतिक्रमण को रोकने तथा साथ ही उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उनके मध्य कोई समन्वय बनाये रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) देश में पर्यटन में संवर्धन करना केन्द्रीय पर्यटन विभाग तथा राज्य पर्यटन विभाग दोनों ही की जिम्मेवारी होती है । इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम तथा राज्य पर्यटन विकास निगम विभिन्न सुविधाओं के विस्तार एवं विकास का कार्य करते हैं । भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के संवर्धन के लिए प्राथमिक रूप से पर्यटन विभाग के विदेश स्थित कार्यालय, दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास जिम्मेवार हैं ।

भारत में पर्यटन के संवर्धन तथा विकास में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से पर्यटन मन्त्रालय ने समय-समय पर पर्यटन विकास परिषद, पर्यटन थिंक टैंक आदि जैसे परामर्शी निकाय भी गठित किए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ये सभी संगठन देश में पर्यटन के विकास तथा संवर्धन के कार्य में एक दूसरे की सहायता करते हैं।

रेंजर हेलीकाप्टर का अपर्णा एविएशन को हस्तांतरण

[हिन्दी]

6460. श्री तेज नारायण सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु बैल जेट रेंजर हेलीकाप्टर उपहार के रूप में दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह हेलीकाप्टर एक लाख रुपए लेने के बाद वायुदूत से मैसर्स अपर्णा एविएशन को हस्तांतरित करने के लिए कोई समझौता किया गया था;

(घ) यदि हां, तो यह हेलीकाप्टर मैसर्स अपर्णा एविएशन को किन शर्तों पर दिया गया है और बकाया धनराशि इस कंपनी से किस प्रकार वसूल की जाएगी;

(ङ) क्या इस समझौते से पहले पवन हंस लिमिटेड ने इस हेलीकाप्टर की मांग की थी; और

(च) यदि नहीं, तो इसे पवन हंस लिमिटेड को न देने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पूर्व-निवेश वन संसाधन सर्वेक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि मन्त्रालय में सरकार ने 1967 में एक बेल जेट रेंजर हेलीकाप्टर वी० टी० डी० वाई० पी० की खरीद की थी। परियोजना के पूरा होने पर इस हेलीकाप्टर का स्वामित्व 1976 में तत्कालीन कृषि विमानन निदेशालय, कृषि मन्त्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। तब यह हेलीकाप्टर वायुदूत को कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत तत्कालीन कृषि विमानन निदेशालय को कार्यों तथा परिसंपत्तियों सहित हस्तांतरित कर दिया गया था। अब हेलीकाप्टर का स्वामित्व वायुदूत के पास है।

(ग) और (घ) वायुदूत ने मैसर्स अपर्णा एविएशन के साथ हेलीकाप्टर को पट्टे की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए ड्राई लीज पर किराए पर देने के लिए एक करार किया है। यह लीज 20 लाख रुपए के भुगतान पर होगी जिसकी वसूली अग्रिम में बराबर महीनेवार किश्तों में

होगी। अग्रिम के रूप में वायुदूत लिमिटेड को पहले से ही एक लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। हेलीकाप्टर के उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र का अभी नवीकरण किया जाना है।

(ङ) और (च) जी, हां। पवन हंस लिमिटेड को हेलीकाप्टर के वेट लीज पर दिलचस्पी थी। पवन हंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित शर्तें वायुदूत लि० को स्वीकार्य नहीं थीं।

"बांबे हाई" प्लेटफार्म पर मजदूरों की सुरक्षा

[अनुवाद]

6461. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1991 के हिंदुस्तान टाइम्स में "बांबे हाई आफीसर मिसिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे पूर्व ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं तथा "बांबे हाई" अपतटीय प्लेटफार्म पर कार्यरत श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) श्री अजय कुमार गुप्ता जो दिनांक 12-7-1991 से 14 दिनों की शिफ्ट ड्यूटी पर बी० एच० एस० प्लेटफार्म पर थे, दिनांक 23-7-1991 की सुबह से गायब पाये गए समूचे परिसर तथा इसके आस-पास के 20 मील की परिधि के क्षेत्र में शीघ्र खोज की गई लेकिन न तो श्री गुप्ता मिले न ही उनका शरीर। इस मामले की सूचना येलो गेट पुलिस स्टेशन को तुरन्त दी गई तथा श्री गुप्ता के पिता को भी उसी दिन टेलीफोन पर सूचित कर दिया गया था। पुलिस द्वारा इस घटना की जांच के अतिरिक्त इसकी जांच के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने एक विभागीय जांच समिति नियुक्त की है।

(घ) विगत में ऐसी केवल एक घटना घटी थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अपतटीय प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा के लिए सभी संभव सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। प्रत्येक अपतटीय प्रतिष्ठान/रिगों पर सेफ्टी बोट, सेफ्टी रिंक, इस्केप लेडर, लाइफ राफ्ट, लाइफ जैकेट, लाइफ वेस्ट जैसे सुरक्षा यंत्र दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपतटीय कार्यों में लगाए गए व्यक्तियों को समुद्र में बचने तथा अग्नि शमन के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उनको अपतटीय कार्यों पर तैनाती से पहले एक विस्तृत चिकित्सा संबंधी जांच भी की जाती है।

हैलीकाप्टर किराए पर देना

[हिन्दी]

6462. **श्री साइमन मरांडी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने प्रशिक्षणार्थी हैलीकाप्टर उड़ाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं; इसके प्रशिक्षण के लिए कितनी न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है और इस समय कितने प्रशिक्षित पायलट उपलब्ध हैं;

(ख) सरकार ने हैलीकाप्टर किराये पर देने के कार्य की निगरानी के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय आठ प्रशिक्षुण विमानचालक—छः वायुदूत से दो पवन हंस से—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में उड़ान प्रशिक्षण पा रहे हैं उन्हें वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस लेने के लिए हैलीकाप्टरों पर 100 घंटों की उड़ान करनी होती है। वायुदूत और पवन हंस में प्रशिक्षित हैलीकाप्टर विमान-चालकों की संख्या क्रमशः तीन और नब्बे है।

(ख) और (ग) हैलीकाप्टरों को उनके धारकों अर्थात वायुदूत और पवन हंस द्वारा वाणिज्यिक और परिचालनात्मक आधार पर किराये पर दिया जाता है।

नई दिल्ली स्टेशन पर खान-पान विभाग

6463. **श्री साइमन मरांडी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 1991 को हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में "रेलवे के खान-पान विभाग को लाखों का घाटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट रेल यात्री निवास का खान-पान विभाग तथा उत्तर रेलवे के विभिन्न खान-पान यूनिट घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खान-पान विभाग को बेहतर बनाने के लिए क्या कारवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां।

(ख) समाचार में 31-3-1990 को समाप्त वर्ष के लिए रेलों पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट कतिपय तथ्य एवं आंकड़े उद्धृत किए गए हैं।

(ग) कुछ यूनिटों में घाटा हो रहा है, परन्तु उत्तर रेलवे की विभागीय खान-पान व्यवस्था से कुल मिलाकर लाभ हो रहा है।

(घ) हानि मुख्यत: साधन सामग्री की लागत तथा कर्मचारियों की लागत में वृद्धि के कारण है।

(ङ) इस संबंध में की गयी/की जाने वाली कार्रवाई में खर्च पर कड़ी नजर रखना, बिक्री अभियान चलाना, कर्मचारियों को पुन: व्यवस्थित ढंग से तैनात करना, गहन निरीक्षण करना और गैर-विभागीकरण करना शामिल है।

भारत पर्यटन विकास निगम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजना में शामिल करना

[अनुवाद]

6464. **श्री लोक नाथ चौधरी :**
श्री कालका दास :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को उपलब्ध चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा को निगम के प्रबंधकों ने मिश्रा आयोग की सिफारिशों पर वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजना में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का पद अभी भी बना हुआ है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में मितव्ययिता के हित में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के पद को समाप्त करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को ई० एस० आई० सुविधा देने से संबंधित नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

जयपुर-टोडा राय सिंह रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों का आवागमन

[हिन्दी]

6465. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-टोडा राय सिंह रेल मार्ग पर रेल गाड़ी 24 घंटे में केवल एक बार आती-जाती है;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों के भारी यातायात को देखते हुए इस रेल मार्ग पर दिन में दो बार गाड़ी चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मनमाड-औरंगाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6466. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड-औरंगाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना को स्वीकृति दिए जाने के समय इसकी मूल अनुमानित लागत कितनी थी;

(ख) क्या उक्त परियोजना के निर्माण की लागत में इस बीच कई गुना वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस लागत में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मनमाड-परभनी परली बैजनाथ मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मूल अनुमानित लागत 28.00 करोड़ रुपए (1973-74) थी मनमाड-औरंगाबाद चरण-1 के लिए 13.00 करोड़ रुपए का विस्तृत अनुमान 1981 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) और (ग) मनमाड-औरंगाबाद आमान परिवर्तन की नवीनतम अनुमोदित लागत 51.05 करोड़ रुपए है।

(घ) लागत में वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई है—

1. मजदूरी और सामग्री की लागत में वृद्धि।

2. नवीनतम मानकों के अनुसार रेल-पथ की बढ़िया संरचनाओं का उपयोग।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्र

6467. **श्री राम निहोर राय** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ताप और जल विद्युत संयंत्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों में ऐसे कितने-कितने गांव हैं जहां बिजली पहुंच चुकी है और जहां बिजली अभी नहीं पहुंची है; और

(ग) इन जिलों के शेष गांवों को कब तक बिजली पहुंचा दिये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश में ताप और जल विद्युत केंद्रों के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन जिलों में शेष गांव जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य के लिए समग्र आवंटन के अन्तर्गत इन जिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना आवंटन किया जाता है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में ताप और जल विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा

केन्द्र का नाम	अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)
1	2
ताप विद्युत	
ओबरा	1482
पनकी	274
हरदुआगंज (ए)	90
हरदुआगंज (बी)	425
परिछा	220
अनपारा	630
टाण्डा	330
आर० पी० एच० (कानपुर)	65
अन्य उत्तर प्रदेश	33.5
ऊंचाहार (यू० पी० बी० यू० एन)	420
केंद्रीय क्षेत्र	
सिंगरौली (एन० टी० पी० सी०)	2050
रिहन्द (एन० टी० पी० सी०)	1000
औरैया जी० टी० (एन० टी० पी० सी०)	652

1	2
जल विद्युत	
रिहन्द (एच)	300
ओबरा (एच)	99
रामगंगा	198
माताटिला	30
खातिमा	41.4
गंगा कैनाल	45.2
ढाकरानी	33.8
धालीपुर	51.0
कुलनाल	30.0
चिबरो	240.0
गोदरी	120.0
चिल्ला	144.0
मनेरी भली	90.0

विवरण-II

31-3-91 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिलेवार कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या एवं विद्युतीकृत गांव को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	जिला	गांव की कुल संख्या (1981 की जनगणना)	31-3-1981 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	सहारनपुर	1700	1627
2.	मेरठ	920	1039 (*)
3.	गाज़ियाबाद	704	754 (*)
4.	बुलन्दशहर	1365	1404 (*)
5.	मुजफ्फरनगर	927	929 (*)
6.	अलीगढ़	1704	1701

1	2	3	4
7.	मथुरा	867	867
8.	आगरा	1174	1121
9.	मैनपुरी	1371	1136
10.	एटा	1510	1088
11.	बरेली	1901	1373
12.	बिजनौर	2154	1659
13.	बदायूं	1785	1362
14.	मुरादाबाद	2473	2223
15.	रामपुर	1092	807
16.	शाहजहांपुर	2124	1113
17.	पीलीभीत	1198	757
18.	फर्रूखाबाद	1577	1386
19.	इटावा	1462	940
20.	कानपुर	1885	1204
21.	फतेहपुर	1349	1095
22.	इलाहाबाद	3514	3040
23.	झांसी	759	513
24.	ललितपुर	683	320
25.	जालौन	939	628
26.	हमीरपुर	917	532
27.	बांदा	1207	741
28.	वाराणसी	3662	2597
29.	मिर्जापुर	3024	1244
30.	जौनपुर	3245	2954
31.	गाजीपुर	2540	2543 (*)
32	गोरखपुर	4110	2630
33.	बलिया	1920	1722

1 2	3	4
34. देवरिया	3538	2265
35. बस्ती	6929	3101
36. आजमगढ़	4935	4528
37. लखनऊ	899	916 (*)
38. राय-बरेली	1731	1749 (*)
39. उन्नाव	1687	918
40. सीतापुर	2330	998
41. हरदोई	1881	913
42. खेड़ी	1699	1275
43. फैजाबाद	2645	2165
44. गोण्डा	2809	1559
45. बहराइच	1884	1335
46. सुल्तानपुर	2492	2396
47. प्रतापगढ़	2185	1533
48. बाराबंकी	2043	944
49. नैनीताल	1806	1784
50. अल्मोड़ा	3019	2320
51. पिथौरागढ़	2174	1316
52. देहरादून	743	707
53. उत्तरकाशी	669	596
54. चमोली	1516	1075
55.. पौड़ी-गढ़वाल	3237	1847
56. टिहरी-गढ़वाल	1953	1276
जोड़ :	112566	82565

(*)—इसमें वे अवर्गीकृत गांव शामिल हैं जिन्हें पहले से ही विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

भायंदर स्टेशन (मुम्बई) पर पैदल-उपरिपुल

[अनुवाद]

6468. प्रो० राम कापसे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भायंदर स्टेशन पर पैदल-उपरिपुल न होने के कारण जनता को रेल लाइनों को पार करने में होने वाली कठिनाइयों के संबध में अभ्यावेदन प्राप्त हुएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां एक पैदल-उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भायंदर रेलवे स्टेशन पर सदाशयी रेल यात्रियों के उपयोग के लिए दो ऊपरी पैदल पुल पहले से ही मौजूद हैं। अतः रेलों द्वारा जनता के लिए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य तभी शुरू किया जा सकता है जब नगरपालिका/नागरिक प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार लागत में भागीदारी वहन करने की विधिवत सहमति देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किया जाये।

ट्यूबलाइटों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना

[हिन्दी]

6469. श्री राजवीर सिंह : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की खपत खपत कम करने के लिये घरों में बल्बों के स्थान पर ट्यूब-लाइटों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में बल्बों के साथ-साथ ट्यूबलाइट लगाने को कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह निर्णय लिया गया है कि ऊर्जा बचत उपाय के रूप में टाइप-1 से टाइप-3 के सरकारी क्वार्टरों के सभी भावी निर्माणों में ट्यूब लाइट फिक्सचर की व्यवस्था की जायेगी।

तथापि ट्यूब की व्यवस्था संबंधित क्वार्टरों के निवासियों द्वारा की जायेगी। वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए इस समय विद्यमान क्वार्टरों में ट्यूब लाइट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशाखापत्तनम में उद्योगों को गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

6470. श्री एम० वी० वी०एस० मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में उद्योगों को गैस की सप्लाई के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ख) इन उद्योगों को कैसे कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दो।

(ख) के० जी० बेसिन में उपलब्ध होने वाली अनुमानित समूची गैस को फिलहाल अन्य उपभोक्ताओं के लिए पहले ही वचनबद्धता कर दी गई है।

कर्नाटक में रेल टिकटों की कालाबाजारी

6471. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल टिकटों की कालाबाजारी के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कर्नाटक में ऐसे कितने मामलों का पता लगा है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। बहरहाल, समय-समय पर कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) दक्षिण रेलवे की सतर्कता द्वारा मारे गए छापों के परिणामस्वरूप 1137 दलाल पकड़े गये। इसमें 41 अनधिकृत ट्रेवल एजेंसियां भी शामिल हैं। इनमें से 19 दलाल बेंगलूर में पकड़े गए हैं।

(ग) ऐसे कदाचारों को रोकने से लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(i) जहां कहीं आवश्यक होता है रेलों द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से अचानक जांच/छापे मारे जाते हैं।

(ii) रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दलालों और अनधिकृत टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दंड को काफी बढ़ा दिया गया है।

(iii) दलालों/अनधिकृत स्रोतों से टिकट न खरीदने के लिए जनता को समाचारपत्रों, टी० वी०, पोस्टरों आदि के माध्यम से शिक्षित/प्रेरित किया जाता है।

(iv) रेलवे टिकटों की काला बाजारी को रोकने के लिए गर्मी की छुट्टी की भीड़-भाड़ और पूजा/दशहरा/दिवाली के दौरान वर्ष में कम से कम दो बार विशेष संगठित अभियान चलाए जाते हैं।

पालघाट और शोरानूर के बीच रेलगाड़ी फिर से चलाना

6472. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट और शोरानूर (दक्षिण रेलवे) के बीच चलने वाली यात्री रेलगाड़ियों को कुछ महीने पहले रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार इन रेलगाड़ियों को फिर से चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई और कुवैत के बीच विमान सेवा

6473. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मुम्बई और कुवैत के बीच विमान सेवा पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कब तक शुरू की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने 14-8-1991 से बम्बई और कुवैत के बीच अपने नियमित परिचालन आरंभ कर दिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल संग्रहालय

6474. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ रेल संग्रहालयों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इनके स्थलों एवं अन्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संग्रहालयों में कुछ फोटोग्राफरों की नियुक्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन नियुक्तियों संबंधी मानदंड क्या हैं और ये नियुक्तियां किस प्रयोजन से की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ क्षेत्रीय रेल संग्रहालयों की भी स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यवाही के पीछे उद्देश्य क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत में रेलों के तकनीकी और ऐतिहासिक विकास को चित्रित करने के लिए, 1977 में चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की गयी थी । इस संग्रहालय में राष्ट्रीय महत्व की नुमाइशी वस्तुएं सुरक्षित रखी गयी हैं । मैसूर में एक क्षेत्रीय रेल संग्रहालय भी है जहां क्षेत्रीय महत्व की वस्तुएं सुरक्षित रखी गयी हैं तथा प्रदर्शित की गई हैं ।

(ग) जी हां । केवल राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली में ।

(घ) प्रदर्शयोग्य सभी मदों के नेगेटिव सुरक्षित रखने, पारदर्शी चित्र तैयार करने, ब्रोशर और प्रचार सामग्री तैयार करने के वास्ते विभिन्न चीजों के चित्र लेने और संग्रहालय की विभिन्न प्रदर्शयोग्य मदों की सूची बनाने के लिए केवल रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में एक फोटोग्राफर नियुक्त किया गया है ।

(ङ) और (च) जी हां । वाराणसी और पेरम्बूर में, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो । इन संग्रहालयों की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्रीय महत्व की रेलवे सम्पत्ति को सुरक्षित रखना है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले

6475. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री स्वामी चिन्मयानन्द :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता के मामलों के बारे में 7 सितंबर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5036 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मामले में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी पाये गये प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध सरकार/भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध द्वारा आज तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

जनवरी, 1988 से अगस्त, 1990 के दौरान (13-8-90 तक) निवास कार्य के स्थान पर मारे गए छापे के परिणामस्वरूप दिल्ली और बम्बई में भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज नियमित मामलों में वर्तमान स्थिति केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिशों की गई कार्रवाई के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	कर्मचारी का पदनाम	केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा नियमित मामले को दर्ज करने की तारीख	भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश का सार	की गई कार्रवाई/वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
दिल्ली				
1.	कनिष्ठ सहायक, अशोक होटल, नई दिल्ली	आर० सी० दिनांक 4-11-88	त्याग पत्र देकर सेवा छोड़ दी।	
2.	एरिया वी० पी० (के०)	आर० सी० दिनांक 11-12-89		चूंकि अधिकारी सेवानिवृत हो गया है, इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसके विरुद्ध मामला चलाने की कार्रवाई नही की। तथापि, उन्होंने आबकारी विभाग को आबकारी नियमों के कतिपय उल्लंघन की जांच करने के लिए कहा है।
3.	महाप्रबंधक जनपथ होटल	आर० सी० दिनांक 11-12-89	भारी दंड हेतु आर० डी० ए० और आरोप-पत्र के बाद निलंबन	चूंकि मामला आयकर अधिनियम के कथित उल्लंघन का है, इसलिए आयकर विभाग ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से यह अनुरोध किया है कि इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराए।

1	2	3	4	5
4.	महाप्रबंधक (कार्मिक)	आर० सी० दिनांक 28-4-90	भारी दंड हेतु आर० डी० ए० और आरोप-पत्र के बाद निलंबन	आरोप-पत्र एवं निलंबन आदेश जारी कर दिया गया।
5.	वरिष्ठ प्रबंधक (एम० एम० एंड डी०) वरिष्ठ प्रबंधक (लेखा) स्टोर अधीक्षक सम्राट, नई दिल्ली	आर० सी० दिनांक 11-4-1990	भारी दंड हेतु आर० डी० ए० और आरोप-पत्र के बाद निलंबन	आवश्यक कार्रवाई करने हेतु केंद्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशें अनुशासनिक प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। जिन पर कार्रवाई की जा रही है।
6.	डी० पी० (परियोजना इंजीनियरी)	आर० सी० दिनांक 25-6-1990	समीक्षा करने पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह सिफारिश की कि अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए।	
बम्बई				
1.	दो बिक्री सहायक	आर० सी० दिनांक 16-5-1990	भारी दंड हेतु आर० डी० ए० और आरोप पत्र के बाद निलंबन	आरोप-पत्र दिया गया और जांच की जा रही है।
2-	पांच बिक्री सहायक	आर० सी० दिनांक 16-5-1990	भारी दंड हेतु आर० डी० ए० औरआरोप-पत्र के बाद निलंबन	आरोप-पत्र दिया गया और जांच चल रही है।

महाराष्ट्र में मिलावटी पेट्रोल की सप्लाई

[हिन्दी]

6476. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र में राजकीय राजमार्ग संख्या 6 पर पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को मिलावटी पेट्रोल की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छापे मारे हैं;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने छापे मारे गए हैं और उनके क्या परिणाम मिले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (घ) अप्रैल, 1990 से जुलाई, 19۷1 के दौरान तेल कंपनियों ने 545 जांच किये। दो मामलों में एम० एस० के नमूने सही नहीं पाये गये। विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की गई थी।

डिंडीगुल से गुडलूर (तमिलनाडु) तक रेल संपर्क

[अनुवाद]

6477. **श्री आर० रामास्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में डिंडीगुल से गुडलूर तक रेलमार्ग के लिए दो बार सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। केवल एक बार 1949 में डिंडीगुल-थेनी-गुडालूर 131 कि० मी०) मी० लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था। 1952 में, थेनी से गुडालूर (46 कि० मी०) तक के खंड के भाग के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया था।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, उस समय डिंडीगुल-गुडालूर खंड पर, 1 93 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान लगाया था। परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद थी इसलिए स्वीकृत नहीं की जा सकी।

विमान परिचारिकाओं के दुर्व्यवहार के बारे में शिकायतें

6478. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमान परिचारिकाओं के तथाकथित दुर्व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के दौरान आज तक इनकी संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजकोट एक्सप्रेस को भोपाल से बढ़ाकर जबलपुर तक करना

6479. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट एक्सप्रेस को भोपाल से बढ़ाकर जबलपुर तक करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण।

सिगनल तथा दूरसंचार विभाग (उ० रे०) के नैमित्तिक कामगार

6480. **श्री एस० एम० लेकारिया :**
श्री अग्रेश पटेल :
श्री एन० के० राठवा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के सिगनल तथा दूरसंचार विभाग के निर्माण संगठन में कार्य कर रहे नैमित्तिक कामगारों/श्रमिकों को विनियमित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन मुख्यत: उच्चतम न्यायालय के 18-4-1985 के निर्णय के अनुसरण में, नैमित्तिक श्रमिकों को भारतीय रेलों पर नियमित संवर्गों में नियमित रूप से नियुक्त/समाहित करने तथा उच्चतम न्यायालय के 2 दिसंबर, 1987 के निदेशानुसार उन्हें अस्थायी मानने और कतिपय विशेष सुविधाएं प्रदान करने के बारे में हैं। उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों पर अमल करने के लिए निदेश जारी कर दिए गए हैं।

गांधीनगर-अहमदाबाद मार्ग को बड़ौदा तक बढ़ाना

6481. **डा० के० डी० जेस्वाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीनगर-अहमदाबाद रेल लाइन को बड़ौदा तक बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को कब तक बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गांधीनगर-अहमदाबाद लाइन बड़ोदरा तक और उसके आगे बम्बई सेंट्रल तक फैली हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खुर्दा रोड-पुरी रेल लाइन को दोहरा करना

6482. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे में खुर्दा रोड और पुरी के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बदरपुर बिजली घर, दिल्ली

6483. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित बदरपुर बिजली घर को कोयले की कमी के कारण अगस्त, 1991 में अपनी बिजली सप्लाई ओबरा और अनपारा संयंत्रों से लेनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली का ओबरा और अनपारा बिजली संयंत्रों से अपनी बिजली की सप्लाई लेने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बदरपुर, ओबरा तथा अनपारा ताप विद्युत केन्द्रों सहित विभिन्न विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड को सप्लाई की जाती है जहां से इसे लाभभोगी राज्यों/प्रणालियों को वितरित किया जाता है।

अगस्त, 1991 के दौरान दिल्ली में विद्युत की आवश्यकता को डेसू के स्वयं के विद्युत उत्पादन और उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड में इसके हिस्से/ग्रिड से सहायता के द्वारा पूरा किया गया था।

विमान दुर्घटनायें

6484. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** :
श्री भाग्य गोवर्धन :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोइंग 747, बोइंग-737, एयरबस 300 और वायुदूत विमानों को वर्ष 1980 से अगस्त, 1991 तक कितनी विमान दुर्घटनायें हुईं और प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये;

(ख) क्या सरकार को देश के हवाई अड्डों में खराब मौसम में विमान सुगमतापूर्वक उतारने के लिए "इन्स्ट्रूमेंट्ल फ्लाइट रेटिंग" सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उन 18 हवाई अड्डों के अतिरिक्त, जिन पर यह सुविधा पहले ही से उपलब्ध है, 11 अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर उपस्कर अवतरण प्रणाली की व्यवस्था करने की योजना है ।

विवरण

वर्ष 1980 से अगस्त, 1991 तक हुई घातक विमान दुर्घटनाएं

क्रम सं० विमान की किस्म	रजिस्ट्रेशन नं०	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना का स्थान	मृतकों की संख्या
1. बोइंग-747	वीटी-ईएफओ	23-6-85	अटलांटिक महासागर	329
2. बोइंग-737	वीटी-ईडीआर	10-5-80	रायपुर हवाई अड्डा	2
3. बोइंग-737	वीटी-ईजीआई	27-10-84	अहमदाबाद	1
4. बोइंग-737	वीटी-ईएएच	19-10-88	अहमदाबाद	133
5. बोइंग-737	वीटी-इएफएल	16-8-91	इम्फाल	69
6. ए-300	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7. ए-320	वीटी-ईपीएन	14-2-1990	बंगलौर	92
वायुदूत की विमान दुर्घटना				
8. डोर्नियर	वीटी-ईआईओ	17-7-85	राजामुंदरी	1
9. एफ-27	वीटी-डीएमसी	19-10-88	गुवाहाटी	34
10. डोर्नियर	वीटी-ईजेएफ	23-9-89	पुणे	11

दिल्ली ऊर्जा विकास अभिकरण

6485. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली ऊर्जा विकास अभिकरण के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) इस अभिकरण की स्थापना के बाद से इसने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या इन योजनाओं के लिए आबंटित किये गये संपूर्ण धनराशि का उचित उपयोग किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस मामले में वित्तीय अनियमिताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली ऊर्जा विकास अभिकरण के मुख्य कार्य दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अपारंपरिक तथा ऊर्जा संरक्षण युक्तियों का विकास करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस संबंध में अभिकरण निम्नलिखित कार्य करती है :—

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ऊर्जा के संबंध में लाभभोगियों और उनकी समस्याओं का पता लगाना;

(ख) समेकित ऊर्जा कार्यक्रमों में निवेश के लिए आदर्श योजनाएं बनाना तथा उनका निष्पादन करना;

(ग) अपारंपरिक तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना;

(घ) सौर कुकरों, पवन चक्कियों, बायोमैस संयंत्रों जैसी ऊर्जा युक्तियों तथा ऊर्जा की बचत से संबंधित अन्य उपस्करों की आपूर्ति की व्यवस्था तथा प्रबन्ध करना; और

(ङ) विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के प्रयोग तथा कार्यकरण के संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए विस्तार तथा प्रदर्शन सेवाओं का प्रबंध तथा व्यवस्था करना।

(ख) से (घ) इस अभिकरण की शुरूआत से विभिन्न वर्षों के दौरान निधियों की योजनावार प्राप्तियों को संलग्न विवरण में दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों को अपेक्षित आधारभूत संरचना पर और योजनाओं के विकास/लोकप्रिय बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। पिछले वर्षों के पूरे न हुए कार्यों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने या निधियों की निर्मुक्ति से पूर्व स्थापित प्रणालियों का संतोषजनक ढंग से कार्य निष्पादन आदि करने के लिए कुछ सीमा तक निधियों को अगले वर्षों में ले जाया गया है।

(ङ) विभिन्न योजनाओं पर व्यय के बारे में वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही है। निधियों के समुचित उपयोग के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट पर अभिकरण के शासी निकाय के सदस्यों में विचार-विमर्श किया जाता है।

विवरण

अभिकरण की शुरुआत से विभिन्न वर्षों के दौरान निधियों (लाख रुपयों में) की योजनावार प्राप्ति

क्र० सं०	योजना का नाम	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1.	अपारंपरिक शहरी ऊर्जा कार्यक्रम	4.50	41.25	130.32	58.32	83.69	65.43	66 22	47.93
2.	समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	12 40	43.39	74.92	52.91	45.00	74.54	63.67	48.87
3.	बैटरी बस योजना	—	—	135.00	143.00	15.00	57.00	232.00	55.00
4.	समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम प्रशिक्षण केंद्र बकोली	—	—	—	15.00	60.00	50.00	20.00	80.00
5.	सैनिटरी लैंड फिल स्कीम	—	—	—	—	1.00	0.50	9.50	2.00
6.	ऊर्जा पौधारोपण	—	—	—	—	—	—	—	16.00

एअर टैक्सी आपरेटरों द्वारा एअर टैक्सियों की उड़ानें बंद करना

6486. श्री रवि राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई प्राइवेट एअर टैक्सी आपरेटर एअर टैक्सी उड़ानों को बंद कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अक्कल कोट और तिलाटी स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन

6487. श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लैग स्टेशन की स्वीकृत के लिए क्या मानदंड बनाये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय रेलवे में तिलाटी और अक्कल कोट के बीच की फ्लैग स्टेशन की स्वीकृति के लिये बहुत दिनों से मांग चली आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करने कर विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) परिचालनिक और इंजीनियरी दृष्टि से व्यावहारिक तथा वित्तीय दृष्टि से अथवा यात्री सुविधा के आधार पर औचित्यपूर्ण पाए जाने पर नया फ्लैग/हाल्ट स्टेशन स्वीकृत किया जाता है ।

(ख) विगत में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे ।

(ग) प्रस्ताव की एक से अधिक बार जांच की गयी थी जिसे वित्तीय दृष्टि से अथवा यात्री सुविधा के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था ।

शोलापुर में पुल को चौड़ा करना

6488. श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 पर दक्षिण मध्य रेलवे को मीटर गेज लाइन पर शोलापुर से तीन किलोमीटर दूर स्थित उपरिपुल को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव बस कुछ वर्षों से उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है;

(ग) क्या इनके मन्त्रालय ने निकट भविष्य में इस उपरिपुल को चौड़ा करने के लिए पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे पर कथित स्थान पर कोई ऊपरिपुल नहीं है । इस क्षेत्र में केवल एक समपार है ।

(क) से (घ) रेलवे ने मीटर लाइन का मार्ग बदलकर उसे निकटवर्ती बड़ी लाइन पर बने मौजूदा ऊपरी पुल पर से ले जाने की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए एक सर्वेक्षण किया था, परन्तु उस क्षेत्र में भारी बसावट के कारण, इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

तमिलनाडु में सुपर फास्ट रेलगाड़ी

6489. डा० पी० वल्लल पेरुमान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिरुचि-तंजौर-मयूरम-विल्लूपुरम और मद्रास के मध्य मुख्य लाइन पर दिन के समय एक सुपर-फास्ट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक तंगियों और संसाधनों की कमी के कारण ।

मद्रास तथा क्विलोन के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी की बहाली

6490. डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास सेंट्रल और क्विलोन के बीच कोर्ड लाइन से होकर दिन के समय एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की बहाली के लिए अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जांच की गई थी, लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

(ग) कम लोकप्रिय होने के कारण ।

पेण्णाडम स्टेशन पर सेतु एक्सप्रेस और पर्लसिटी एक्सप्रेस का रुकना

6491. डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेतु एक्सप्रेस और पर्लसिटी एक्सप्रेस के पेण्णाडम स्टेशन पर रुकने की मांग लम्बे समय से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या इस स्टेशन पर पुराने क्षतिग्रस्त भवन का पुनर्निर्माण व आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जांच की गई थी लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मिजोरम में आइजोल हवाई अड्डे का विस्तार

64 2. डा० सी० सिलवेरा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिजोरम सरकार से आईजोल में विद्यमान हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि हर प्रकार के विमान वहां उतर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के स्तर का बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) मिजोरम सरकार ने (तुरियाल) के मौजूदा धावनपथ का विस्तार करने का अनुरोध किया है ताकि एफ-27 विमान वहां पर उतर सकें।

(ग) और (घ) ऊंची लागत और पर्वतीय कठिनाईयों को देखते हुए तुरियाल (एजवाल) हवाई अड्डे का उन्नयन करने को कोई व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है। लेंगपुई में डोर्नियर-228 से बड़े विमान के उतरने के लिए उपयुक्त हवाई पट्टी के निर्माण की संभाव्यता पर ध्यान दिया जा रहा है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन का विकास

6493. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने निम्नलिखित दो परिपण चरणबद्ध विकास के लिए अभिनिर्धारित किए हैं—

1. वन्डूर-रैड स्किनगब-जाली ब्याय-सिंके आइलैंड-चिरिया टापू।

2. पोर्ट ब्लेयर-रंगत-मायाबन्दर।

दिल्ली में रसोई गैस और पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध शिकायतें

6494. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत अठारह महीनों के दौरान रसोई गैस और पेट्रोल पम्प के डीलरों के विरुद्ध ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें कम मात्रा वाले रसोई गैस सिलिंडरों की सप्लाई करने और मोबिल आयल के टिनों पर मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य लेने जैसी अनियमितताओं की बात कही गई है;

(ख) ऐसे कितने मामलों में रसोई गैस और पेट्रोल पंपों की डीलरशिप समाप्त, निलंबित या रद्द की गई और कितने मामलों में चेतावनी दी गई;

(ग) दुबारा वैसा हीं अपराध करते हुए पाये गए एजेंसियों डीलरों की संख्या कितनी है, जिन्हें पहले ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया था;

(घ) प्रत्येक एजेंसी को किस सीमा तक गैस कनैक्शन रखने की अनुमति प्राप्त है और कितनी एजेंसियों के पास इस सीमा से अधिक कनैक्शन हैं; और

(ङ) दिल्ली में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने के क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल कंपनियों के अनुसार 1806 शिकायतें एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खिलाफ और 36 शिकायतें खुदरा बिक्री केन्द्र के डीलरों के खिलाफ प्राप्त हुई थीं। तीन एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें समाप्त कर दी गईं और 55 को सावधानी/चेतावनी दे दी गई। खुदरा बिक्री केंद्र के मामले में दो को निलम्बित कर दिया गया और दस को सावधानी/चेतावनी दी गई।

(घ) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए उपभोक्ताओं की संख्या की कोई न्यूनतम/अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) समय-समय पर लागू विपणन योजना और नीति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जाती हैं।

दक्षिण दिल्ली में स्ट्रीट लाइटें

6495. **श्री मदन लाल खुराना : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन महीनों के दौरान रात्रि में कितने स्ट्रीट लाइट खंबों पर बत्तियां जलती हुई नहीं पाई गई और उन्हें ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई की गई या करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (**श्री कल्पनाथ राय**) : (क) और (ख) दक्षिणी दिल्ली में कुल मिलाकर स्ट्रीट लाइट की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त है और डेसू द्वारा संतोषजनक रूप से इसका प्रबंध किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था में विस्तार/सुधार किए जाने संबंधी किसी भी स्कीम को प्रायोजित तथा वित्त पोषण, संबंधित कालोनाईजिंग एजेंसी यथा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन आदि द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है।

(ग) गत तीन महीने (जून से अगस्त, 1991) के दौरान दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में डेसू द्वारा 11119 खराब पड़े स्ट्रीट लाइट प्वाइंट ठीक किए गए थे।

डोरनियर विमान की दुर्घटना

6496. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत का एक डोरनियर 228 विमान 23 सितंबर, 1989 को हैदराबाद से उड़ान भरने के बाद पुणे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विमान दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाये गी; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (**श्री माधवराव सिंधिया**) : (क) जी, हां। उड़ान का परिचालन पुणे से हैदराबाद के लिए किया जा रहा था।

(ख) जी हां।

(ग) सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, रिपोर्ट की एक प्रति संसद पुस्तकालय में भेज दी जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोइंग 737 विमान दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा

6497. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री बलराज पासी :
श्री भाग्ये गोवर्धन :
श्री पी० सी० थामस :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 अगस्त, 1991 को इम्फाल के निकट इंडियन एअरलाइन्स के बोइंग 737 विमान की दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच कब तक पूरी हो जाने तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने की संभावना है;

(ग) इस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार का विचार पायलटों को भरपूर प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(ङ) क्या पायलटों/सह-पायलटों को यह अनुदेश दिए गये हैं कि वे खराब मौसम में विमान न उड़ाएं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) दुर्घटना निरीक्षक द्वारा जांच करने के लिए नागर विमानन महा-निदेशालय ने आदेश दे दिए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अन्तर्गत तक जांच अदालत का भी गठन किया जा रहा है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक वयस्क यात्री को 5 लाख रुपए और बाल यात्री को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देगी।

(घ) विमान चालकों को पहले से ही विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे प्रशिक्षण में सुधार लाना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए, जो दृश्यता, क्लाउड सीलिंग, किसी विशेष हवाई क्षेत्र में उपलब्ध विकचालन साधनों आदि पर आधारित है, न्यूनतम मौसम संबंधी स्तर निर्धारित किए गए हैं। विमान का कमान्डर निर्धारित न्यूनतम स्तर और मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए निर्णय लेता है।

रेलवे स्टेशनों पर क्लोज-सर्किट टी० वी० सैट

6498. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने रेलवे स्टेशनों में क्लोज-सर्किट टेलीविजन सेट लगाये गये हैं और उनसे कितनी आय हो रही है;

(ख) क्या इन टेलीविजन सेटों को लगाने के लिए बेरोजगार स्थानीय युवाओं को ठेके देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे ठेके देने के लिए क्या मानदंड और शर्तें निर्धारित की गयी हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 38 रेलवे स्टेशनों पर क्लोज-

सर्किट टेलीविजन लगाये गये हैं। 1990-91 के दौरान, इन ठेकों से 31.12 लाख रुपये की आमदनी हुई थी।

(ख) और (ग) निविदायें आमंत्रित करके सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता को स्टेशनों पर सी० सी० टी० वी० लगाने और परिचालन के ठेके आवंटित किए जाते हैं जिनके लिए बेरोजगार युवक भी आवेदन कर सकते हैं।

बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना

6499. श्री चित्त बसु : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विद्युत वित्त निगम से ऋण के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम को ऋण स्वीकृत किए जाने हेतु हाल ही में प्रारंभिक रूप से विचार-विमर्श किया गया था।

कर्नाटक में ग्रामीण विद्युतीकरण

6500. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विद्युतीकृत तथा अविद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक में कितने गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य में मार्च, 1989 के अंत तक शत-प्रतिशत विद्युतीकरण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए थे। कर्नाटक में कुल मिलाकर विद्युतीकृत गांवों की संख्या 26,483 है।

कर्नाटक में बिजली की आवश्यकता

6501. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय क्षेत्र के बिजलीघरों से कर्नाटक को प्रतिवर्ष कितनी बिजली सप्लाई की जाती है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : 1990-91 और अप्रैल, 1991-अगस्त, 1991 की अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न

केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से अपने हिस्से के साथ-साथ कर्नाटक द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई ऊर्जा की मात्रा का ब्यौरा निम्नवत् है :—

(सभी आंकड़े मि० यू० में)

	अप्रैल, 90—मार्च, 91	अप्रैल, 91—अगस्त, 91
हिस्सा	2467.6	1073
वास्तव में प्राप्त की गई ऊर्जा की मात्रा	2729.5	1071

कर्नाटक में विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

6502. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 के दौरान कर्नाटक के विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) 1991-92 के दौरान कर्नाटक के जल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य किए जाने हेतु प्रस्तावित राशि की मात्रा 48.54 करोड़ रुपए है।

कर्नाटक में रेल फाटक

6503. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में चौकीदार रहित रेल फाटकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन रेल फाटकों पर शीघ्र ही चौकीदार नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कर्नाटक राज्य में बिना चौकीदार वाले 1099 समपार हैं।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदारों की तैनाती का काम रेलें तभी हाथ में लेती हैं जब इसके लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किया जाए और साथ ही नियमों के अनुसार लागत में भागीदारी/व्यय वहन करने के लिए विधिवत् सहमति प्रदान की जाए। बहरहाल, रेलें स्वयं भी बिना चौकीदार वाले ऐसे समपारों पर, जहां यातायात के घनत्व के कारण अथवा दृश्यता के कारण ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, चौकीदारों

की तैनाती का काम करती रहती हैं। तदनुसार, 1991-92 के दौरान चौकीदार तैनात करने के लिए 11 समपारों की पहचान की गयी है।

बिहार में वैगनों की सप्लाई

[हिंदी]

6504. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के बडकाकाना से थोड़ा-थोड़ा सामान लादने हेतु छिपादोहर, लतेहर, रिचुघुटा, तोरी, महुआमिलन, राय और खिलारी के लिए कितने माल डिब्बे सप्लाई किए गए हैं;

(ख) क्या यह सप्लाई मार्च, 1991 से बंद कर दी गई है;

(ग) क्या रेल विभाग ने यह निर्णय लिया हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके माल नहीं लादा जायेगा और इसके स्थान पर रेकों द्वारा माल भेजा जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) इन स्टेशनों से मार्च, 91 के अगस्त, 91 के दौरान 2394 फुटकर माल डिब्बों की मांग पूरी की गई थी, । सप्लाई की जाने वाली सामग्री को ब्लाक रेकों में एक साथ मिलाकर 2306 माल डिब्बे चलाए गए और फुटकर में 88 माल डिब्बों का लदान किया गया था। खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के ब्लाक रेकों में संचलन की मांग को पूरा करने के लिए फुटकर लदान को प्रायः विनियमित करना पड़ता है। इस प्रकार रेलों को फुटकर यातायात से कोई परहेज नहीं है। खाद्यान्नों उर्वरकों, चीनी, नमक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के यातायात के लदान के लिए भारी मांग होने के कारण ब्लाक रेकों के गठन के लिए फुटकर माल डिब्बों को इकट्ठा किया जाता है। ब्लाक रेक संचलन द्वारा अधिक यातायात की तेजी से ढुलाई सुनिश्चित होती है और इस प्रकार देश के हर भाग में आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता पूरी होती है।

स्टेशनों पर खान-पान की सुविधायें

6505. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध खान-पान सुविधाओं का पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाता है;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया हैं कि यात्री खान-पान सेवा के वर्तमान स्तर से सन्तुष्ट है; और

(ग) क्या खान-पान सेवा में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्रीय रेलवे के अधिकारियों/

निरीक्षकों द्वारा नियमित/अचानक जांच की जाती है और इस दौरान यात्रियों की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) रेलें भोजन की किस्म और सेवा में सुधार लाने का सदैव प्रयास करती हैं। यह हमेशा चलने वाली और सतत् प्रक्रिया है। किए गए उपायों/किये जाने वाले उपायों में बढ़िया किस्म के कच्चे माल और रसोई घर के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, बार-बार निरीक्षण करना, आदि शामिल हैं।

ट्रेन संख्या 1172 और 2062 में गया के लिए डिब्बा लगाना

[अनुवाद]

6506. **श्री ललित उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 नवम्बर, 1990 के सरकारी पत्रांक डी-439/डी० जी० एम० जी०/332/सी०/90 और 10 अगस्त, 1990 के पत्रांक टी० टी०/582/6/3 आर० 1/1 (पी० टी० एस०) ई० आर० के अनुसार ट्रेन संख्या 1172 (क्षिप्रा एक्सप्रेस) और 2062 में भी गया के लिए एक अलग डिब्बा लगाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) हावड़ा से जाने वाली 1171, 2159, 2181 गाड़ियों में 1-7-91 से एक सवारी डिब्बे के गंतव्य बोर्ड को गया में बदल दिया जाता है जो गया से इन्दौर/ग्वालियर/आगरा जाता है।

(ग) 1172, 2160, 2182 गाड़ियों में इंदौर/ग्वालियर/आगरा से गया तक जाने वाली एक सवारी डिब्बे में भी इस प्रकार की व्यवस्था 31-10-91 से कार्यान्वित की जा रही है।

गैस सिलिंडर के कारण हुई दुर्घटनायें

6507. **श्री राम नाईक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1991 के जनसत्ता, (मुंबई संस्करण) में "ग्रांट आफ रूपीज थी लैक्स टू कम्पन्सेशन टू गैस सिलिंडर एक्सीडेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली/नई दिल्ली में क्वार्टरों का आवंटन

6508. श्री रमेश चन्द्र तोमर :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या रेल मन्त्री दिल्ली/नई दिल्ली में क्वार्टरों के आबंटन के बारे में क्रमशः 4 सितम्बर, 1990 और 20 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4299 और 3546 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वरिष्ठता के आधार पर आवास आबंटन की पहले से चली आ रही प्रक्रिया में संशोधन किया है तथा अब ये आबंटन पंजीकरण की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या आवंटन की नीति में किए गए परिवर्तन को परिचालित किया गया था और क्या जल सप्लाई विभाग के मुख्यालय से बाहर कार्यरत कर्मचारियों को पंजीकरण के लिए कोई रियायत दी गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वरिष्ठता के आधार पर क्वार्टर आबंटित करने की प्रक्रिया, जैसी कि उत्तर रेलवे के जल सप्लाई विभाग द्वारा अपनाई गई है, में संशोधन कर दिया गया है ताकि इसे अन्य कर्मचारियों के समान-स्तर पर लाया जा सके। अब यह आबंटन पंजीकरण की वरीयता के आधार पर किया जाता है।

(ख) उत्तर रेलवे के जल सप्लाई विभाग के सभी कर्मचारियों को केवल दिल्ली/नई दिल्ली के मुख्यालय में रखा जाता है और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें ड्यूटी पर बाहर भेजा जाता है। इस नीति में परिवर्तन के बारे में लिए गए निर्णय से सभी कर्मचारियों को 16-3-1991 को सूचित कर दिया गया था जब वे मुख्यालय में मौजूद थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निम्न श्रेणी पदों की भर्ती

[हिन्दी]

6509. श्री ललित उरांव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में 1 जनवरी, 1980 और 1 जनवरी, 1990 को क्रमशः श्रेणी i, ii, iii और iV के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या उच्च श्रेणियों के पदों की संख्या में हुई वृद्धि का अनुपात निम्न श्रेणियों के पदों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुपात से कहीं अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार निम्न श्रेणियों के पदों में भी उसी अनुपात में वृद्धि करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एयर टैक्सी सेवा शुरू करना

6510. श्री गोविन्दराव निकम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन स्थानों के लिए निजी एयर टैक्सी सेवा शुरू करने का है जहां वायुदूत सेवाएं रद्द कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) हवाई टैक्सी सेवाओं का परिचालन निजी प्रचालकों द्वारा किया जाता है और वे देश में अनुसूचित परिचालनों के लिए खुले सभी हवाई अड्डों के लिए परिचालन कर सकते हैं । उन्हें किसी विशेष मार्ग पर परिचालन करने के लिए सरकार का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है ।

एअर इंडिया के प्रतीक का बदला जाना

[अनुवाद]

6511. श्री गोविन्द राव निकम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एअर इंडिया के वर्तमान प्रतीक "महाराजा" को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा संघटक सहित इस परिवर्तन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

संसद सदस्यों की आधारभूत सुविधाएं

[हिन्दी]

6512. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों में संसद सदस्यों को बिस्तर बन्द (एक कम्बल, दो चद्दरें, एक तकिया

और एक तौलिया) की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था की गई/निर्देश दिया गया है;

(ख) क्या यह सुविधा संसद सदस्यों के साथी यात्रियों को भी उपलब्ध कराई जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुविधा स्वतंत्रता सेनानियों को भी उपलब्ध कराने का है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। उन मामलों को छोड़कर जहां विस्तार प्रभार किराए में शामिल किए गए हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गया से मद्रास तक सीधी रेलगाड़ी चलाना

6513. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गया जंक्शन से मद्रास तक सीधी रेलगाड़ी चलाने अथवा मद्रास और बोकारो के बीच चलने वाली गाड़ी को गया तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब तक चलने लगेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण।

रेल कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नतियां

[अनुवाद]

6514. **श्री ललित उनरांव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में श्रेणी I, II, III और IV में समयबद्ध पदोन्नतियों संबंधी पृथक-पृथक मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या श्रेणी III और IV में समयबद्ध पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है जबकि श्रेणी-I में यह प्रावधान है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, उत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत श्रेणी IV के कर्मचारी गत 20 वर्षों से एक ही वेतनमान में कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार समस्त भारतीय रेलवे के श्रेणी III और IV/के कर्मचारियों के लिए भी समयबद्ध प्रदोन्नति का प्रावधान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह प्रावधान कब तक किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर किसी ग्रुप में समयबद्ध पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ग) कुछ मामले हैं जहां अनुपयुक्तता और रिक्तियों के अभाव के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह सरकार की सामान्य नीति पर निर्भर करता है और रेलें एकतरफा निर्णय नहीं ले सकती हैं ।

बिहार बांध परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के लिए मकान

[हिन्दी]

6515. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मकानों में दरारें पड़ गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में रसोई गैस कनेक्शन जारी करना

[अनुवाद]

6516. श्री गोबिन्द चन्द्र मुंडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में उन व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं जिन्होंने अपना नाम 1982 से 1985 के बीच दर्ज कराया था, जबकि उन व्यक्तियों को कनेक्शन मिल गये हैं जिन्होंने अपने नाम 1985 के बाद पंजीकृत कराये थे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच उनकी प्रतीक्षा अवधि में अन्तर रहता है क्योंकि यह उत्पाद की उपलब्धता, लंबित प्रतीक्षा सूची और क्रेताओं के नामांकन की वार्षिक योजना पर निर्भर होती है ।

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर भीड़-भाड़

6517. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन में रेल परिचालन में भीड़-भाड़ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस सेक्शन में अधिक भीड़-भाड़ की समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा और दिल्ली के बीच दैनिक रेलगाड़ी चलाना

6518. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगरा और दिल्ली के बीच प्रतिदिन एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब से शुरू की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली से विशाखापत्तनम तक सुपरफास्ट गाड़ी

6519. **श्री जी० एम० सी० बालायोगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली से विशाखापतनम तक प्रतिदिन सुपरफास्ट गाड़ी चलाने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक शुरू की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में पवनचक्कियों का उपयोग

6520. **श्री जी० एम० सी० बालायोगी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कृषि पम्पसेटों को चलाने के लिए पवन चक्कियों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा आंध्र प्रदेश मे पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कितनी राज सहायता दी गई ?

विद्युत एवं गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल दुर्घटना में पेट्रोलियम उत्पादों की हानि

6521. श्री भुवन चंद्र खण्डूरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फायर ब्रेक्स आउट इन स्पेशल आयल ट्रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इसकी जिम्मेवारी तय करने के लिए कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 25-8-1991 को 12.35 बजे जब अप बिलासपुर तेल टंकी माल गाड़ी दक्षिण पूर्व रेलवे के महावेवसल और पोसोयटा स्टेशनों के बीच चल रही थी तब 26 तेल टंकी माल डिब्बे, जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ था, पटरी से उतर, गए। इनमें से 20 डिब्बों में आग लग गई और वे जल गये।

(ग) इसके कारण हुई अनुमानित हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

1. रेल संपत्ति – 42.25 लाख रुपए

2. पेट्रोलियम पदार्थ = 19.5 लाख रुपये

(घ) और (ङ) वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व गोदावरी में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्र

6522. श्री के० एस० सी० बालयोगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्र हैं;

(ख) इनमें से कितने बिक्री केन्द्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित किए गए हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति को वास्तविक आरक्षित कोटा के अनुसार ही बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान पूर्व गोदावरी जिले के किन-किन स्थानों में रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल बिक्री के केन्द्र आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(च) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने बिक्री केन्द्र आरक्षित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निम्न प्रकार से है –

एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप		खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप	
कुल	अ० जा०	कुल	अ० जा०
25	2	86	8

(ग) और (घ) विपणन योजनाओं में राज्यवार आधार पर अ० जा०/अ० ज० जा० के लिए आरक्षण दिया जाता है, जिसे समय-समय पर तैयार किया जाता है।

(ङ) और (च) वर्ष 1991-92 के लिए नई विपणन योजना तैयार नहीं की गई है।

कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल

6523. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) मार्केट में अपेक्षित सामग्री की कमी के कारण कार्य में देरी हुई।

(ग) 31 अक्तूबर, 1991 तक।

पेट्रोल पंप और रसोई गैस डीलरों को कमीशन

6524. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अगस्त, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पेट्रोल पंप्स टू बी क्लोज्ड आन सेप्टेम्बर 2" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर पेट्रोल पंप और रसोई गैस डीलरों को किस दर से कमीशन दिया जाता है;

(ग) दिल्ली और अन्य स्थानों पर एक डीलर को औसतन कितना पेट्रोल तथा कितने एल० पी० जी० सिलिंडर सप्लाई किये जाते हैं; और

(घ) पेट्रोल और रसोई गैस डीलरों द्वारा बेची जा रही अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इनकी बिक्री से उन्हें संभवतः कितना लाभ होता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) तेल कंपनियों के अनुसार दिल्ली में वर्ष 1990-91 में पेट्रोल डीलर के मामले में औसत थ्रुपुट 178 कि० लिटर प्रति माह तथा एल० पी० जी० डीलरों के मामले में 5758 सिलिंडर प्रति माह था। पेट्रोलियम का डीलर ल्यूब, ग्रीस, ओटोमोबाइल एसेसरिज, स्पेयर्स, बैटरीज, टायर्स आदि बेच सकता है। एल० पी० जी० का डीलर हाट प्लेट, स्पेयर्स, रबर ट्यूब आदि बेच सकता है। पेट्रोल तथा एल० पी० जी० के डीलरों द्वारा प्राप्त मुनाफे का हिसाब-किताब सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

विवरण

पेट्रोल पम्प के डीलरों तथा एल० पी० जी० के डीलरों के भुगतान की जाने वाली कमीशन नीचे दिखाई गई है। ये समूचे भारत में एक समान है—

1 एल० पी० जी० डीलर को भुगतान की जाने वाली एल० पी० जी० की कमीशन 5.70 रुपए प्रति 14.2 के कि० ग्रा० प्रति सिलिंडर।

2. पेट्रोल और और डीजल दर (रुपए प्रति लिटर)

थ्रुपुट का स्तर प्रति वर्ष	एम एस-87	एम एस-93	एच एस डी
(कि० लि०)			
0-360	308	346	145
361-600	229	264	101
601-1080	204	233	77
1080 से ऊपर	172	195	70

जो डीलर बैंक ड्राफ्ट प्रभार/बैंक संग्रहण प्रभारों के रूप में कुछ भी अदा नहीं करते हैं, उनकी उपर्युक्त कमीशन में से एम० एस० के मामले में 15 रुपए प्रति कि लि० और एच० एस० डी० के मामले में 7 रुपए कि० लि० की दर से रकम काट ली जाती है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेटों को ऊर्जाचालित बनाना

6525. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 में उत्तर प्रदेश में कितने सिचाई पंपों को ऊर्जाचालित बनाया गया;

(ख) 1990 में सैदपुर क्षेत्र में कितने गांवों में बिजली लगाई गई और कितने सिचाई पंपसेटों को ऊर्जा चालित बनाया गया;

(ग) गत तीन वर्षों की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक; और

(घ) सैदपुर क्षेत्र के शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में वर्ष 1990-91 के दौरान 485 पंपसैटों का ऊर्जन किया गया।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश की सैदपुर तहसील सहित गाजीपुर जिले में 577 पंपसैटों का ऊर्जन किया गया था। तथापि, 1990-91 के दौरान गाजीपुर जिले में किसी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया क्योंकि सभी 2540 गांवों को पहले ही विद्युतीकृत गांव घोषित किया जा चुका है।

(ग) और (घ) जिलेवार ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है और इस सम्बन्ध में उपलब्ध संसाधनों और राज्य सरकारों द्वारा नियत पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान सैदपुर तहसील सहित गाजीपुर जिले में विद्युतीकृत गांवों और ऊर्जित पम्पसैटों की संख्या नीचे दी गई है—

वर्ष	ऊर्जित पम्पसैट
1987-88	354
1988-89	744
1989-90	575

रेलवे की आय

6526. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को वर्ष-वार और जोन-वार कुल कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना नीचे दी गई है—

शुद्ध यातायात प्राप्तियां

(लाख रुपयों में)

रेलवे का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
पूर्व	301,32	351,79	374,69
मध्य	(—) 110,34	(—) 79,85	(—) 93,63
उत्तर	282,40	188,48	248,59
पूर्वोत्तर	(—) 181,66	(—) 207,85	(—) 233,90
पूर्वोत्तर सीमा	(—) 195,60	(—) 215,91	(—) 207,11
दक्षिण	(—) 160,30	(—) 134,08	(—) 168,72
दक्षिण मध्य	69,46	78,60	99,88
दक्षिण पूर्व	377,98	368,77	474,67
पश्चिम	251,47	280,34	362,87

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के कनेक्शन जारी किया जाना

[हिन्दी]

6527. श्री राजवीर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिलों में अभी तक रसोई गैस के कितने कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ख) फरीदपुर, दातागंज और आंवला में रसोई गैस के कितने कनेक्शन जारी किए गए हैं; और

(ग) उपर्युक्त स्थानों पर रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु इस समय कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं और उन सभी को रसोई गैस के कनेक्शन कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग)

	क्रेताओं की संख्या (लगभग)	प्रतीक्षा सूची की संख्या (लगभग)
बरेली	78190	29860
बदायूं	10020	8770
फरीदपुर	1610	5890
अनोला	1270	1820

इस समय एल० पी० जी० विपणन दातागंज में नहीं है।

अधिक से अधिक आवेदकों को एल० पी० जी० कनैक्शन यथाशीघ्र देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

वाडी-दौंड-सेक्शन का दोहरा करना।

[अनुवाद]

6528. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाडी-दौंड सेक्शन (मध्य रेलवे) पर यातायात की सघनता को देखते हुए इस सेक्शन को दोहरा करने के लिए सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सैक्शन पर यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वाडी-दौंड खंड के शाहाबाद गुलबर्गा ब्लाक खंड पर पहले से ही दोहरी लाइन बिछी हुई है। आगामी वर्षों में दोहरी लाइन बिछाने के लिए वाडी-दौंड खंड के निम्नलिखित ब्लाक खंडों की पहचान की गई है—

1. शोलापुर-होटगी
2. दौंड-भिगवण
3 शोलापुर-पाकनी
4. भिगवण-पारेवाडी
5. होटगी-अक्कलकोट रोड
6. गुलबर्गा-सावलगी

पुणे-वाडी सेक्शन का विद्युतीकरण

6529. श्री सर्वण्णा भोंडव्वा सावुल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में पुणे-वाडी सेक्शन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) अन्य उच्च घनत्व वाले खंडों की विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष वरीयताओं और वित्तीय तंगियों के कारण।

नागरिया परात स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का रुकना

[हिन्दी]

6530. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरेली जिले में नागरिया परात स्टेशन पर किसान एक्सप्रेस और दिल्ली-बालामऊ एक्सप्रेस के रुकने के बारे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) नागरिया सादत 3307/3308 गंगा-सतलुज एक्सप्रेस और 4047/4048 दिल्ली-बालामऊ एक्सप्रेस के ठहराव को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

बरेली से दिल्ली तक टिकटों में रियायत का प्रस्ताव

6531. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को टिकट में 250 कि॰ मी॰ तक रियायत दिये जाने हेतु सुझाव प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) श्रमजीवी एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा दूसरे दर्जे में यात्रा करने के लिए 300 कि॰ मी॰ की प्रतिबंधित दूरी को कम करके 250 कि॰ मी॰ तक करने का सुझाव प्राप्त हुआ है। चूंकि यह मुख्यतः लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी है इसलिए मौजूदा प्रतिबंधित दूरी में रियायत देना संभव नहीं पाया गया है ?

"अमारा प्लान्स मुगल एक्स्ट्रावेंजा" शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

6532. श्री वीरेन्द्र सिंह :
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री रमेश चंद्र तोमर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "अमारा प्लान्स मुगल एक्स्ट्रावेंजा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मीना बाजार में महिलायें बेची जाती थीं और इस प्रकार के दृश्यों के दिखाये जाने से उनका बहुत अपमान होता है और इससे असामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं का शोषण किये जाने को प्रोत्साहन मिलेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रसिद्ध मीना बाजार के गौरव को दर्शाने वाली नर्तकियों के सौंदर्य प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) राज्य सरकार तथा आगरा पर्यटन मंडल की सहायता से सूचना व प्रसारण मंत्रालय के संगीत व नाटक प्रभाग द्वारा आगरा और इसकी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विशिष्टताओं पर एक ध्वनि व प्रकाश-प्रदर्शन पेश करने का प्रस्ताव है ताकि विदेशी पर्यटकों के समक्ष सायंकालीन मनोरंजन के रूप में पर्यटक आकर्षण प्रस्तुत किया जा सके । भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाला कोई भी दृश्य इसमें दिखाए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

बर्दवान से दिल्ली-तक सुपरफास्ट रेलगाड़ी

[हिन्दी]

6533. श्री साईमन मरांडी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के बर्दवान स्टेशन से भागलपुर, जमालपुर, किऊल और पटना जंक्शन होते हुए दिल्ली तक एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसे कब से चलाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुगलसराय और हावड़ा के बीच रेल सेवायें

6534. श्री साईमन मरांडी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय और हावड़ा के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों की अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर चलने वाली मौजूदा रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने और अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची पर रहते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मुगलसराय और हावड़ा के बीच चलने वाली सभी गाड़ियां अधिकतम अनुमेय भार के साथ चलती हैं। फिलहाल संसाधनों की तंगी के कारण अतिरिक्त गाड़ियां नहीं चलायी जा सकती हैं।

सदर बाजार, दिल्ली में डायमंड क्रासिंग

[अनुवाद]

6535. डा० जी० एल० कनौजिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार, दिल्ली में मीटर लाइन और बड़ी लाइन के डायमंड क्रासिंग के कारण सदर बाजार में अगर किसी लाइन पर किसी कारण से रेलगाड़ी खड़ी हो तो अन्य रेलगाड़ियां भी रुकी पड़ी रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो अन्य रेलगाड़ियों को चलाने में होने वाली देरी की समस्या को हल करने तथा यात्रियों का समय बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत संयंत्रों के लिए कृतिक बल

6536. डा० जी० एल० कनौजिया : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में कोई कृतिक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या कुछ और विद्युत संयंत्रों का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें निर्धारित समय पर चालू करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली में विद्युत सप्लाई एवं पूर्ति से संबंधित अपेक्षित उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक कृतिक बल का गठन किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सघन रूप से मानीटरिंग की जाती है। उपस्करों, सामग्री आदि की सप्लाई में किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए जब कभी भी आवश्यक होता है परियोजना प्राधिकारियों की समयानुसार सहायता की जाती है। इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्राधिकारियों, ठेकेदारों और निर्माताओं के साथ संयुक्त समन्वय बैठकों का भी आयोजन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में गांवों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

6537. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकृत गांवों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) उक्त जिले के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां "कुटीर ज्योति" योजना कार्यान्वित कर दी गई है; और

(ग) भविष्य में यह सुविधा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है 31 मार्च, 1991 तक अलीगढ़ जिले के कारण 1701 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 3 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना अभी बाकी है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में कुटीर ज्योति स्कीमों के अन्तर्गत लगभग 2539 सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शन जारी किए गए। वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 के दौरान केन्द्रीय अनुदान से वित्तपोषित स्कीम के अन्तर्गत लाभभोगियों का पता लगाए जाने संबंधी कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियां

6538. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में, इनमें से कितने आवेदकों को एजेंसियां आबंटित की गयी हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान रसोई गैस की कितनी एजेंसियां और कितने पेट्रोल पम्प आबंटित करने का विचार है और ये किन-किन स्थानों पर आबंटित किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार विभिन्न वर्गों के 225 आवेदन-पत्र एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 496 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप के लिए प्राप्त हुए ।

(ख) केवल 2 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशियों का आबटन किया गया है ।

(ग) 1991-92 के लिए कोई नई विपणन योजना तैयार नहीं की गई है ।

रेलवे में चोरी की घटनाएं

[अनुवाद]

6539. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन कैलेन्डर वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में तथा रेलवे की परिधि में चोरी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के दौरान इन घटनाओं का, राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन हानियों के लिए लोगों ने रेलवे अधिकारियों के पास दावे प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुए इन दावों का, राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार, ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यवार और संघराज्य क्षेत्रवार निपटाए गए दावे संबंधी मामलों की कुल संख्या कितनी है और 31 अगस्त, 1991 की शेष लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार का भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

(च) और (छ) रेलों पर चोरी की रोकथाम करने के लिए आवश्यक उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है ।

विवरण

दावों के आंकड़े रेलवेवार रखे जाते हैं। सूचना नीचे दी गई है—

रेलवे	वर्ष	प्राप्त दावों की संख्या	दावा की गई राशि (करोड़ रु० में)	भुगतान द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि (करोड़ रु० में) चोरी, हानि और क्षति आदि के कारण
1	2	3	4	5	6
मध्य	1988-89	33029	24.19	20319	2.51
	1989-90	28286	40.20	13508	1.94
	1990-91	31328	21.81	18090	2.39
पूर्व	1988-89	51079	46.78	41157	9.45
	1989-90	44422	39.96	28267	6.57
	1990-91	38124	54.89	19030	4.31
उत्तर	1988-89	61029	38.88	36460	7.69
	1989-90	61293	42.67	31918	6.46
	1990-91	62608	43.71	29090	6.34
पूर्वोत्तर	1988-89	17170	8.22	9139	0.94
	1989-90	18234	9.26	9571	0.97
	1990-91	19198	12.33	8987	0.97
पूर्वोत्तर सीमा	1988-89	30501	60.20	13635	4.90
	1989-90	29209	70.74	13541	6.60
	1990-91	22865	86 86	9659	3.23
दक्षिण	1988-89	28734	70.07	6731	1.81
	1989-90	21486	41.65	4222	1.45
	1990-91	21207	42.22	3279	1.78
दक्षिण मध्य	1988-89	9024	4.03	2428	0.58
	1989-90	8710	4.28	2191	0.55
	1990-91	8703	7.68	2165	0.71

1	2	3	4	5	6
दक्षिण	1988-89	40149	45.31	15115	3.01
पूर्व	1989-90	44389	50.08	18565	3.79
	1990-91	41558	50.67	14793	4.82
पश्चिम	1988-89	24075	31.82	9723	2.92
	1989-90	26369	35.56	7915	1.96
	1990-91	24327	48 71	6609	1.81
जोड़	1988-89	294790	329.50	154707	33.81
	1989-90	282398	334.40	129698	30.29
	1990-91	269918	368.88	111702	26.36

हानि/चोरी के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर संचार व्यवस्था

6540. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे और सिटी आफिस में संचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे पर टेली-बुकिंग सुविधा नहीं है; और

(ग) कलकत्ता हवाई अड्डे पर टेली-बुकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कलकत्ता हवाई अड्डे पर रात-दिन टेली-बुकिंग सुविधा उपलब्ध है।

दीमापुर से इमारती लकड़ी के लट्ठे भेजा जाना

6541. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर रेलवे स्टेशन से विभिन्न रेलवे कार्यशालाओं को इमारती लकड़ी के लट्ठे भेजने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या खाली हुए बी० के० सी० और बी० एफ० आर० वैगनों को दीमापुर स्टेशन से होकर एन० बी० क्यू० में लदान स्थल तक बिना माल खाली ही वापस आने की अनुमति दी जाती

है और एन० बी० क्यू० से खाली हुए अधिकतर बी० जी० वैगनों के खाली ही वापस आने से राजस्व की हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दीमापुर से इमारती लकड़ी के लट्ठों की ढुलाई के लिए बी० एफ० आर० तथा बी० के० सी० टाइप के माल डिब्बों की आवश्यकता होती है तथा लदान की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल है इसके परिणामस्वरूप, मांग-पत्र प्रस्तुत किए जाने तथा माल डिब्बे सप्लाई किए जाने के बीच अपरिहार्य समयान्तराल आ जाता है। रिजेक्ट किए गए कुछ बी० एफ० आर० तथा बी० के० सी० माल डिब्बे, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है, ही लदान के बिना वापिस किए जाते हैं। दीमापुर स्टेशन से इमारती लकड़ी के लट्ठों की पहले ही ढुलाई की जा रही है तथा उपयुक्त माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी।

कर्नाटक में कोई-आधारित विद्युत स्टेशन की स्थापना

6542. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कोई-आधारित विद्युत स्टेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों में रसोई गैस/पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्र

[हिन्दी]

6543. **श्री नवल किशोर राय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों में निकट भविष्य में रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ङ) समय-समय पर लागू विपणन योजना और नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं ।

करप्पारा जल विद्युत परियोजना, केरल

[अनुवाद]

6544. श्री के० मुरलीधरन : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की करप्पारा जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) करप्पारा-कुरियारकुट्टी बहुद्देशीय परियोजना के बारे में आशोधित परियोजना रिपोर्ट परियोजना प्राधिकारियों से अक्तूबर, 1990 में प्राप्त हुई थी । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसकी जांच की गई थी और अप्रैल, 1991 में संवीक्षा समिति द्वारा इस पर विचार-विमर्श किया गया । परियोजना रिपोर्ट परियोजना प्राधिकारियों को इस अनुरोध के साथ लौटा दी गई थी कि संवीक्षा समिति और केन्द्रीय जल आयोग के प्रक्षेपण का ध्यान में रखते हुए इसमें आशोधन किए जाएं ।

केरल को पैराफीन मोम की सप्लाई

6545. श्री के० मुरलीधरन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैराफीन मोम का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) 1991-92 के दौरान राज्यवार इसका कितना नियतन किया गया है;

(ग) क्या सरकार को कोटा बढ़ाने के लिए केरल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) रिफाइनरियों में 1991-92 के दौरान लगभग 47000 टन पैराफिन वैक्स के उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ख) आबंटन तिमाही आधार पर किया जाता है । 1991-92 के प्रथम दो तिमाहियों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पैराफिन वैक्स के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) देशी उपलब्धता और आयात को ध्यान में रखते हुए आबंटन किया जाता है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अप्रैल से सितम्बर, 1991 तक कुल आबंटन (मी० टन में आंकड़े)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1138
2.	असम	1870
3.	अरुणाचल प्रदेश	20
4.	बिहार	828
5.	गुजरात	1075
6.	हरियाणा	70
7.	हिमाचल प्रदेश	20
8.	जम्मू और कश्मीर	2231
9.	कर्नाटक	1050
10.	केरल	1910
11.	महाराष्ट्र	5275
12.	मध्य प्रदेश	438
13.	मणिपुर	210
14.	मेघालय	10
15	नागालैंड	350
16.	उड़ीसा	513
17.	पंजाब	1208
18.	राजस्थान	263
19.	सिक्किम	16
20.	तमिलनाडु	4670
21.	त्रिपुरा	175
22.	उत्तर प्रदेश	2275
23.	पश्चिम बंगाल	4340
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20
25.	चंडीगढ़	53
26.	दादर और नागर हवेली	20

1	2	3
27.	दिल्ली	1444
28.	गोआ	140
29.	दमन और द्वीप	35
30.	मिजोरम	79
31.	पांडिचेरी	281
32.	लक्षद्वीप	10
	योग :	32037

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि द्वारा दरभंगा भवन का अधिग्रहण

6546. **प्रो० अशोकराव आनन्दराव देशमुख** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा अपने प्रधान कार्यालय के तौर पर प्रयोग करने हेतु रांची स्थित दरभंगा भवन का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागौड) : (क) और (ख) दरभंगा हाऊस की खरीद, दरभंगा के महाराजा डा० कामेश्वर सिंह से 7,20,000 रुपए की राशि से दिनांक 2 -7-1957 को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा की गई थी।

कोरिल्ला और मकोल ट्रांबे के बीच रेलवे स्टेशनों का निर्माण

6547. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरिल्ला और मकोल ट्रांबे के बीच दो उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन दो स्टेशनों के बीच रेल सेवा शुरू करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदनगर स्टेशन पर आरक्षण कोटा

6548. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेलम एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस तथा गोआ एक्सप्रेस में अहमदनगर के लिए निर्धारित कोटा यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या सरकार का अहमदनगर से प्रत्येक एक्प्रेसस गाड़ी में एक-एक डिब्बा जोड़ने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सामान्यतः इन गाड़ियों के लिए अहमदनगर में उपलब्ध आरक्षण कोटा मांग के वर्तमान स्तर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अहमदनगर से यातायात की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा कोटा पर्याप्त है।

लोनावाला और पुणे के बीच स्थानीय रेलगाड़ियां

[हिन्दी]

6549. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोनावाला और पुणे के बीच चलने वाली स्थानीय रेल गाड़ियों में अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर कुछ और स्थानीय गाड़ियां चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो इन गाड़ियों को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ई० एम० यू० स्टाक की कमी की वजह से, जिसमें संसाधनों की तंगी के कारण वृद्धि नहीं की जा सकती है।

बिजली परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता

[अनुवाद]

6550. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 में (ताप जल और आणविक) बिजली परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी थी और विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और टाटा हाइड्रो बम्बई विद्युत सप्लाई और परिवहन और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान जैसे संस्थानों द्वारा बिजली का कितना उत्पादन तथा वितरण किया गया;

(ख) उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट लागत क्या है और (क) कृषि; (ख) रेलवे; (ग)

उद्योग; और (घ) लघु उद्योगों और घरेलू क्षेत्र में घरेलू रोशनी के लिए इसका प्रति यूनिट विक्रय मूल्य क्या है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान कितना लाभ अथवा हानि हुई और पारेषण में कितनी क्षति हुई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है—

	1987-88	1988-89	1989-90
1. प्रतिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)	54195 (31-3-88)	59040.38 (31-3-89)	63289.51 (31-3-90)
2. ऊर्जा उत्पादन (टाटा और डेसू सहित) (मि० यू०)	201894	221125	245141
3. ऊर्जा की आवश्यकता	210993	223194	247762
उपलब्धता/खपत (मि० यू०)	187976	205909	228151
4. ऊर्जा एवं सप्लाई की औसत लागत (पैसे/किलोवाट आवर)	91.47	96.07	101.65
5. सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं अर्थात कृषि, रेलवे, उद्योगों (लघु, मध्यम एवं बड़े) और घरेलू रोशनी आदि से औसत वसूली	71.59	74.16	76.89
6. औसत वसूली (कृषि क्षेत्र को सप्लाई को छोड़कर)	90.84	94.76	99.49
7. लेखे में दिए अनुसार ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता की गणना करने के बाद लाभ/हानि (करोड़ रुपये में)	—275.29	—352.07	—623.47
8. पारेषण और वितरण हानियां (%)	22.48	21.61 (अनन्तिम)	22.99 (अनन्तिम)

नियमित उड़ानों पर विमान

6551. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स के कितने विमान नियमित उड़ानों पर उड़ते हैं;

(ख) वैज्ञानिक विमानन मानदंडों के अनुसार सभी नियमित उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस को कितने विमानों की आवश्यकता है;

(ग) क्या इन विमानों का नियमित रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है;

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स के आप्रेशनल और कमर्शियल विभागों से इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय इंडियन एयरलाइंस अपनी अनुसूचित उड़ानों पर प्रतिदिन सात ए-300; बारह ए-320 और अठारह बी-737 विमानों का परिचालन कर रही है।

(ख) अपने बेड़े में सभी 18 एयरबस ए-320 के पुनः पूरे शामिल किए जाने और नवंबर, 1992 से आगे 12 और एयरबस ए-320 विमानों के प्राप्त होने के साथ इंडियन एयरलाइंस यातायात की मांग को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में होगी।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में सभी विमानों का अनुरक्षण किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन प्रोत्साहन हेतु "कप्पड़" नामक स्थान का विकास

6552. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट के समीप "कप्पड़" नामक स्थान को, जहां पर वास्को-डे-गामा 1498 में आया था, पर्यटन महत्व का स्थान घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार "कप्पड़" को समुद्र तटीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु अभी तक कौन से विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं और उनके लिए कितनी पूंजी स्वीकृत की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके अन्तर्गत किसी स्थान को पर्यटक महत्व का स्थान घोषित किया जाए।

(ख) और (ग) केंद्रीय पर्यटन विभाग ने केरल राज्य सरकार को कप्पड़ में एक समुद्र तट विहार स्थल के विकास के लिए 67.24 लाख रुपए की मंजूरी दी है।

केरल में रेलवे उपरि पुलों का निर्माण

6553. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने रेलवे उपरि पुल निर्माणाधीन हैं और इनमें से प्रत्येक का पुल निर्माण कार्य किस चरण में है;

(ख) इस संबंध में पहले से स्वीकृत अन्य प्रस्तावों का योजना और अनुमानित व्यय सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को यदि कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केरल सरकार ने इस प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर रेलवे विभाग को भेज दिये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (मल्लिकार्जुन) : (क) कुल मिलाकर तीन। इन तीन निर्माण कार्यों की मौजूदा स्थिति नीचे दी गई है—

कार्य का ब्यौरा	पुल खास पर रेलवे द्वारा की गई प्रगति
1. कुट्टीपुरम के निकट ऊपरी सड़क पुल	98%
2. वडक्कांचेरी (मुलगुण्णत्तुकावु) के निकट ऊपरी सड़क पुल	15%
3. अवनीश्वरम् और कोट्टारकरा के बीच ऊपरी सड़क पुल	100%

राज्य सरकार द्वारा इन तीनों निर्माण कार्यों के पहुंच मार्गों का काम अभी शुरू नहीं किया गया है।

(ख) तेल्लिचेरी, पुंकुन्नम, वडक्कांचेरि (मुल्लुरकरै) तिरूपुनिथरा और वडगरा के निकट ऊपरी सड़क पुलों के पांच निर्माण कार्य।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद से मैसूर के लिए चलने वाली वायुदूत विमान सेवा को रद्द किया जाना

6554. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से बारास्ता बेल्लारी और बंगलौर मैसूर तक की वायुदूत विमान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन सेवाओं को पुनः चलाये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से, वायुदूत को देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क में कमी करने के लिए विवश होना पड़ा है। इन सेवाओं को पुनः बहाल करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

हास्पेट में उपरि पुल

6555. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हास्पेट में एक उपरि पुल बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्य करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। बहरहाल, इस कार्य को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए रेलवे ने कर्नाटक सरकार से इसे प्रायोजित करने का अनुरोध किया है जिसके बारे में अभी तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

रीवां (मध्य प्रदेश) में रेलवे लाइन

[हिन्दी]

6556. श्री भीम सिंह पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवां जिले में प्रस्तावित रेलवे लाइन निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बिछा दिया जायेगा; और

(ग) प्रस्तावित रेलवे लाइन कहां से शुरू होकर कहां तक जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के रीवां जिले में सतना-रीवां (50 कि० मी०) नई बड़ी लाइन को 31-3-1992 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) सतना प्रारंभिक स्टेशन है और रीवां अन्तिम गंतव्य स्टेशन। इस नई लाइन पर कैमा, हिनौता, रामपुर रोड और तुर्की प्रस्तावित स्टेशन हैं।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों का मांग-पत्र

[अनुवाद]

6557. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1991 में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने अपने 27 सूत्रीय मांग पत्र का मांगों के समर्थन में कोई रैली की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनियन ने अपनी मांगों के संबंध में जुलाई, 1991 में कोई रैली नहीं की थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हैदराबाद से तिरुपति के लिए वायुदूत की उड़ानें

6558. श्री पेल्लैया नन्दी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत सेवा हैदराबाद और तिरुपति के बीच कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विमान का उड़ान समय और उसमें कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं;

(ग) क्या उसमें यात्रियों की सख्या में कमी की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उड़ान के समय में परिवर्तन करने और इस क्षेत्र के लिए यात्रियों की संख्या में कमी किए जाने से विमान यात्रियों को हुई कठिनाइयों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) क्या वायुदूत का विचार हैदराबाद से तिरुपति तक के लिए वायुदूत में यात्रियों की संख्या बढ़ाने का है और यदि हां तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) एवरो विमान (44 सीटों वाले) की कमी के कारण वायुदूत हैदराबाद और तिरुपति के बीच अधिक आवृत्ति के साथ डोर्नियर विमान (18 सीटों वाले) से परिचालन करता है। उड़ान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) वी० एफ० 605—606 दैनिक

0930 प्र० हैदराबाद	आ० 1245
1100 आ० तिरुपति	प्र० 1115
वी० एफ० 605ए/606ए, मंगल, वीर, शनि, रवि०	
1300 प्र० हैदराबाद	आ० 1615
1430 आ० तिरुपति	प्रा० 1445

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

बौद्ध केन्द्र

6559. श्री विजय कुमार यादव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नेशनल पार्क सर्विसेज के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजगीर (बिहार) तथा अन्य बौद्ध केन्द्रों का दौरा किया था;

(ख) क्या उक्त प्रतिनिधिमंडल ने बौद्ध केन्द्रों के विकास के लिए सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी और विशेष रूप से राजगीर और नालन्दा के विकास संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। नेशनल पार्क सर्विस, अमरीका के आठ सदस्यीय दल ने नवम्बर, 1990 में बिहार के बौद्ध-स्थलों का दौरा किया था।

(ख) और (ग) अमरीका की नेशनल पार्क सर्विस, नालंदा और राजगीर सहित बोधगया क्षेत्र के विकास के लिए अंतिम संकल्पना-योजनाएं तैयार कर रही है। संकल्पना योजनाओं के पूरा होते ही नेशनल पार्क सर्विस इनको भारत सरकार को भेज देगी।

एयर इंडिया द्वारा उपकरणों का आयात

6560. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा मैसर्स "लिन्टास कार्पोरेशन सेलिनास, केलिफोर्निया" एक ऐसी फर्म जो कि कथित रूप से "असंतुलित वित्तीय स्थिति" वाली घोषित कर दी गई है जो 12 करोड़ रुपये के आदेश दिए गये/जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले उपकरणों का ब्योरा क्या है और इनका क्या उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) एयर इंडिया द्वारा यह सौदा करने के लिए इतनी अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) कार्गो लोडरों और कार्गो ट्रांसपोर्टरों को, जिनका भारत में निर्माण नहीं किया जाता, आयात करने के लिए 4.02 करोड़ रुपए की राशि का आशयपत्र लिन्टास कारपोरेशन को जारी किया गया है। 1.62 करोड़ रुपए की राशि का आशयपत्र ऊषा टेलीहोयस्ट लिमिटेड, जो उसकी भारत में सहयोगी कंपनी है, को भेजा गया है।

ये उपकरण चौड़े आकार का विमानों पर कन्टेनरों/पैलिटों को चढ़ाने/उतारने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। इनका उपयोग भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों की उड़ानों का हैंडल करने में भी किया जाता है।

एयर इंडिया ने अपने हित सुरक्षित कर लिए हैं क्योंकि उपकरणों का भुगतान, उपकरण की जांच करने, फैक्टरी से बाहर भेजने और चालू होने के बाद ही किया जाता है।

12.00 बजे

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज 2000 से अधिक रेल कर्मचारी और मजदूर बोट क्लब पर धरना दे रहे हैं। वह बरखास्त किए गए रेल कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस सभा में, इस सत्र के दौरान, इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा दो बार यह मामला उठाया गया था। रेल मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बरखास्त किए गए रेल कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा उसे मंत्रिमंडल

के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा । पुनः 21 अगस्त को रेल मंत्री ने सभा में यह वक्तव्य दिया था कि बरखास्त किए गए रेल कर्मचारियों की पुनः बहाली के मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है ।

महोदय, 20 दिन बीत चुके हैं । यह बरखास्त किए गए रेल कर्मचारी 11 वर्षों से अधिक समय से बेरोजगार हैं । इनमें से कुछ कर्मचारी मर चुके हैं । इनमें से अधिकतर कर्मचारी भूखे मर रहे हैं । रेल मंत्री जी सभा में उपस्थित हैं । क्या मैं रेल मंत्री जी से यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि बरखास्त किए गए रेल इन कर्मचारियों को, जो जनवरी, 1980 में बरखास्त किए गए थे—तथा 600 से अधिक संख्या में हैं—कब पुनः नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि इस संबंध में पिछली सरकार द्वारा आदेश पारित किया गया था ? क्या मैं माननीय मंत्री जी से, जो यहां उपस्थित हैं, यह पूछ सकता हूं कि इन रेल कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति कब की जाएगी ? रेल मंत्रालय के दोनों मंत्री यहां सभा में उपस्थित हैं ।

महोदय, रेल मंत्री सभा को यह जानकारी दे सकते हैं । संपूर्ण सभा द्वारा यह मांग की जा रही है । इसमें कोई दो राय नहीं हैं । सम्पूर्ण सभा इस विषय पर एकमत है । ये कर्मचारी 11 वर्षों से बेरोजगार हैं । इन्हें पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए । उन्हें उनके पदों पर पुनः लगाया जाना चाहिए । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह इस सभा को बतायेंगे कि वह इस विषय पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, जब पिछली बार यह मामला उठाया गया था, तो आपने यह टिप्पणी की थी कि हमें वादे के अनुरूप सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । उस वायदे को पूरा नहीं किया जा रहा है । वह कहते हैं कि उन्होंने मामला मंत्रिमंडल को भेज दिया है । मंत्रिमंडल इस मामले पर कब तक निर्णय लेगा ? **(व्यवधान)**

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, बजट पर पिछली बार चर्चा के दौरान और उसके बाद भी यह मांग बार-बार की जाती रही है । मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि उन्हें और अधिक दबाव डालने की, धरना देने की आवश्यकता नहीं है । मैंने औपचारिक रूप से अपनी सिफारिश मंत्रिमंडल को भेज दी है । मन्त्रिमंडल के समक्ष मामला आने पर इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पक्ष में ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये चीजें राज्यकीय अधिकार क्षेत्र में हैं, मैं उन बातों को सदन में बार-बार उठाना नहीं चाहता, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है । हमारे एक सहकर्मी श्री शारदा प्रसाद रावत की कल हत्या कर दी गई । उनकी लाश जलाई भी नहीं गई थी कि हमारे दूसरे सहकर्मी श्री छोटे लाल यादव पर कातिलाना हमला हो गया । आज सबेरे टेलीफोन पर बात हुई तो इलाहाबाद मैडिकल कालेज के डाक्टर्स ने उनको खतरे से बाहर घोषित नहीं किया है । उनकी हालत गम्भीर है । हमारे सिटींग एम० एल० ए० गाजियाबाद के जो हैं उनके भाई की हत्या की गई । मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि श्री शारदा प्रसाद रावत और श्री छोटे लाल यादव दोनों श्री कल्याण सिंह जी के साथ 1977 की सरकार में काम करते रहे हैं, उनके सहकर्मी रहे हैं···**(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इन्होंने मुख्य मंत्री का नाम लिया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, उन्होंने सभी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी है। राजनैतिक नेताओं पर एक सुगठित हमला किया जा रहा है। इस देश में इन घटनाओं के घटित होने की अनुमति न दें? **(व्यवधान)**

एक सुगठित हमला किया जा रहा है, उन्होंने सभी राजनैतिक नेताओं की सुरक्षा समाप्त कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार राजनैतिक कुल बैर तथा सभी राजनैतिक नेताओं पर सुगठित रूप से हमले करने में लगी हुई है। वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। हम सुरक्षा की मांग करने के लिए कहां जाएं? यदि सम्पूर्ण सरकार एक सुगठित राजनैतिक बैर तथा राजनैतिक नेताओं पर हमले करने, उनकी सुरक्षा वापस लेने के लिए वचनबद्ध है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हम सुरक्षा की मांग किससे करेंगे? श्री आडवाणी ने कल कहा था कि वह भी इसमें हस्तक्षेप करेंगे तथा मुख्य मंत्री को कहेंगे उन्हें अपने मुख्य मंत्री को बताने दें **(व्यवधान)**। मुख्य मंत्री जी हम सबके साथ बैठक आयोजित करें। यदि आप ईमानदार हैं, तो उनके साथ बैठक आयोजित करें। उन्होंने सभी राजनैतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली है और उन पर हमले किए जा रहे हैं; उन्हें मारा जा रहा है। वे सब नेता किसके पास जाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की सरकार कार्य कर रही है। हम इस देश में इस तरह की घटनाएं घटित होने की अनुमति नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

(इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए तथा सभा-पटल के नजदीक खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। अब मुझे कुछ कहने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीटों पर वापस जाएं। मुझे कुछ कहने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं 12.45 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए सभा को स्थगित करता हूं।

12.14 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 12.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

12.48 म० प०

लोक सभा 12.48 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी भाषण दे रहे थे। मैं उन्हें बात पूरी करने की अनुमति देता हूं और उसके बाद श्री राम विलास पासवान बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरे विषय पर लिख कर दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं समझता हूं कि हमें अधिक लम्बे समय तक चर्चा नहीं करनी चाहिए एक या दो सदस्य जो बात कहते हैं वह कुल मिला कर एक दल अथवा दूसरे दल से संबंधित सदस्यों के विचार होते हैं। कृपया इसे अत्यधिक विस्तार में न जाने दें तथा इसे समाहित करने दें। मैं अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर किसी अन्य सदस्य को बोलने के लिए दबाव न डालें ?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाया था।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में अपनी बात बतला दीजिए।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व्यथा सदन में सुना रहा था कि हमारे सहकर्मी एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि—

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

हमारी दुश्वारी यह है कि मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि हमारे दो भूतपूर्व मंत्रियों पर हमला हुआ, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। ये दोनों 1977 में मौजूदा मुख्य मंत्री के साथ सरकार में सहकर्मी थे। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो कि भूतपूर्व मंत्री और भूतपूर्व विधायक हैं, शायद वहां की सरकार ने उनकी सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती है। यदि उनके प्रति सावधानी बरती होती तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक हत्याओं की शुरूआत उत्तर प्रदेश में न होती। ये सारे राजनीतिक कार्य कर्ता जो हमारे दल से संबंधित हैं, एक के बाद एक उनकी हत्याएं हो रही हैं। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। इस गंभीर प्रश्न पर यदि उत्तर प्रदेश की सरकार राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो मैं आग्रह करता हूं कि केन्द्र की सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करे और राजनैतिक कार्यकर्ता जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अकलियत के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों की हत्याओं से रक्षा करने में उत्तर प्रदेश सरकार की और इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद करे। इतनी ही बात मैं कह रहा था और उस बात को कहकर केंद्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अभी आपने तमाम दल के नेताओं को बुलाया था और हमको इस बात की खुशी है कि आपने भी और विपक्ष के नेता ने भी इसको गंभीरता से लिया है। मैंने इस बात को कल भी उठाया था जब शारदा प्रसाद रावत जी की हत्या हुई थी और हमारे विपक्ष में उधर केसरी जी बैठे हुए थे, कह रहे थे कि तुम्हारी आज आवाज धीमी क्यों है।···(व्यवधान)

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं आप ही की बात नहीं कह रहा था···।

श्री राम विलास पासवान : इसलिए चूंकि हम लोग राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, सभी राजनीति में आए हैं, आज आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं, कल हम एम० पी० नहीं रहेंगे, राजनीति में कोई आदमी कब कहां रहता है पता नहीं, कभी सड़क पर रहता है, कभी संसद में रहता है। लेकिन कोई सड़क पर चला जाता है तो उसकी गरिमा खत्म नहीं हो जाती है। कल हमने जब शारदा प्रसाद रावत जी की हत्या का मामला उठाया था और आज दूसरी घटना घटी, जो छोटेलाल यादव उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं और वह भी गरीबों के लिए मरने खटने वाले कार्यकर्ता रहे हैं, उनको जब गोली मारी गई और आज जीवन और मौत से जूझ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को उस पर चिंता ही नहीं बल्कि एक तरह से इस घटना की जो पुनरावृत्ति हुई उसके प्रति क्षोभ और दुख स्वाभाविक था।

लाल कृष्ण आडवाणी यहां हैं, विपक्ष के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्षस्थ नेता हैं, मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बिना कोई पार्टी पोलिटिक्स का ख्याल करते हुए सब लोगों से सिक्यूरिटी वापस ले ली गई है। सबको सिक्यूरिटी दें, इसके फेवर में मैं नहीं हूं, सबकी सिक्यूरिटी वापस ले लें, इसके भी मैं फेवर में नहीं हू। सिक्यूरिटी की जिसको आवश्यकता होती है उसको दी जाती है लेकिन जब यह आरोप लगता है कि किसी व्यक्ति की सिक्यूरिटी वापस ले ली गई है जिसके कारण उसकी हत्या हुई और जिसके कारण उसको मारा जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय बन जाता है और आज जिस घटना की पुनरावृत्ति हुई है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खेद का विषय है, चिंता का विषय है, हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी। इसलिए लीडर आफ अपोजीशन भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लाल कृष्ण आडवाणी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह देखें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करें। यहां भारत के गृह मंत्री जी हैं, पता नहीं कहां सोए रहते हैं और जब सारा का सारा मामला हो जाता है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इनके पास कोई सूचना नहीं है। वह राज्य सभा में राज्य सभा के नेता हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : इसे अवश्य ही निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : एक्सपंज हमने ही कर दिया। मैंने ही वापस ले लिया अपनी बात को।···(व्यवधान) 'बैठे हुए सोए रहना' में कोई अनपार्लियामेंटरी नहीं है। मैं स्टेट होम मिनिस्टर से आग्रह करूंगा कि यहां पर जैकब साहब हैं, इस मामले को गंभीरता से लें, उत्तर प्रदेश की सरकार से बातचीत करें और सदन को इस संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : मान्यवर, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मुझे एक दो बातें कहनी हैं कि शारदा प्रसाद रावत की हत्या के कुछ घंटों के बाद छोटे लाल यादव के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। यह मामला सड़क पर चलते रास्ते पर नहीं हुआ, बल्कि जब छोटे लाल यादव श्री मोहन लाल गुप्ता के घर पर खागा तहसील में बैठे हुए थे तो उस समय हत्यारों ने

आकर वहां उनके सिर पर गोली से चोट पहुंचाई और वह कामा की स्टेट में हैं। हमारा कहना यह है कि दोनों ही व्यक्ति जो पहले मंत्री रह चुके हैं, मेरे साथ उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी रहे, इन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि कल्याण सिंह जी जो मुख्य मंत्री जी हैं, आप नाम पर मत चौंकिए मान्यवर, उनसे आप कहिए कि वे हमारी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक की व्यवस्था कर दें। मैंने उनसे कहा कि मैं स्वयं सांसद हूं, पहले भी सांसद रहा और नेता विरोधी दल रहा और मेरे सबसे बड़े विरोधी रहते माननीय मुलायम सिंह यादव, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने मेरे गनर वापस ले लिए। मैंने कहा कि जब मेरे गनर तक वापस हो गए तो मैं आपको कहां सुरक्षा दे सकता हूं!

मान्यवर, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस समय आतंक फैलने का मुख्य कारण यह है कि एस० एच० ओ० के जो थाने हैं जैसा कि फतेहपुर में हुआ है, मान्यवर, 70 फीसदी एस० एच० ओ० को सी० आई० डी० में भेज दिया गया है। उन्होंने, मान्यवर, ज्वाइन भी नहीं किया और उसका अंजाम यह है कि वहां सारे थाने खाली हैं। इसलिए सारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। मेरा अनुरोध है कि चूंकि वहां की सरकार सिर्फ इसी में लगी हुई है कि कैसे ट्रांसफर और पोस्टिंग करे और भूतपूर्व मुख्य मंत्री, उनकी जाति विशेष के अन्य नेताओं पर हमले करे ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। बैठिए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, कल जब रावत जी की हत्या का मामला यहां पर उठा था, तभी मैंने कहा था कि लोकतंत्र में हरेक राजनैतिक कार्यकर्ता निर्भीकता से अपना कार्य कर सके, इस प्रकार का माहौल सारे देश में होना आवश्यक है। जिन-जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर ऐसा माहौल रहे, इसकी जवाबदारी मैं भी अपनी मानता हूं, यद्यपि विस्तार में, ब्यौरे में, किसी चीज का उत्तर मैं नहीं दे सकता और शायद यह फोरम उसके लिए उपयुक्त भी नहीं है। विधान सभा में कई बातें हो सकती हैं, उसमें हमारे कई प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उनकी बातों का उत्तर यहां पर कोई नहीं दे सकता, न गृह मंत्री दे सकते हैं और न मैं ही दे सकता हूं। इस मामले में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि सदन के सभी लोग रावत जी की हत्या और आज जिनके ऊपर हमला हुआ है, उस हमले की, जिसको अनरिजर्वड कन्डेम्नेशन कहें, वही कर सकते हैं। दूसरा कोई हो नहीं सकता, दो मत हो नहीं सकते हैं। सुरक्षा देने में उन्होंने कोई कमी की है, या नहीं की है, मैं नहीं जानता और कुछ कह भी नहीं सकता हूं। मैंने इतना जरूर कहा है मुख्य मंत्री से, क्योंकि मैंने कल वचन दिया था, तो मैंने उनसे बात करके कहा कि इस मामले में पूरी छानबीन होनी चाहिए कि क्या वह व्यक्तिगत मामला था या राजनैतिक मामला था। उन्होंने कहा कि कम से कम, जो एफ० आई० आर० दर्ज हुई है, उसमें कोई, किसी राजनैतिक नेता या राजनैतिक कार्यकर्ता का उल्लेख, जहां तक मुझे जानकारी है, नहीं है। उससे जो कुछ दिखायी देता है, वह राजनैतिक नहीं दिखायी देता है। फिर भी, मैंने उनसे कहा कि आप इस बात की पूरी छानबीन करें क्योंकि अगर कहीं राजनैतिक हत्या होती है तो वह ज्यादा गंभीर है। व्यक्तिगत होती है तो यह भी गंभीर है, हत्या किसी भी मामले में हो, गंभीर है लेकिन अगर राजनैतिक हत्या हो तो वह

ज्यादा गंभीर है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का संबंध है, अपने कर्त्तव्य के प्रति वह बहुत जागरूक है और कुल मिलाकर मुझे इस बात का संतोष है कि वहां जिस प्रकार की ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन है···(व्यवधान) वहां पर पिछले दिनों जिस प्रकार से माफिया गैंग्स काम कर रहे थे, उनको नियंत्रित करने में उसने कुछ सफलता पाई है। (व्यवधान) मैं इस बात से सहमत हूं कि जिनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जहां पर राजनैतिक कार्यकर्ता हैं और जिनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, वह जरूर देनी चाहिए. लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि सुरक्षा के मामले में उन्होंने जो भी निर्णय किए हैं, उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि विगत दिनों में, विगत वर्षों में, जिन लोगों को सुरक्षा दी गयी थी, वे अपने सुरक्षा प्रहरियों का दुरुपयोग कर रहे थे और माफिया का काम चलाते थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैंने विभिन्न राजनैतिक दलों के विभिन्न नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को सुना। इसमें कोई संशय नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से राजनैतिक कार्यकर्ता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। परंतु यह हमेशा खतरे की आशंका के मूल्यांकन पर निर्भर करता है यदि सरकार को यह विश्वास होता है कि खतरे की आशंका है, तो सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस विशिष्ट मामले में मैं भी सभी नेताओं के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं तथा हमले की निंदा करता हूं। परन्तु इसके साथ ही, गृह मंत्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क स्थापित करना चाहिए अन्यथा, मैं इस समय आपको कोई जानकारी प्रदान नहीं कर पाऊंगा। निश्चय ही, हमें इस मामले पर राज्य सरकार के मुख्य मंत्री से बात करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और राजनीतिज्ञों पर हमलों संबंधी मामलों पर सभा में कई बार चर्चा हुई है।

1.00 म० प०

हम सब जानते हैं कि संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार, मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा इन मामलों को निपटाया जाता है। भारत सरकार की भी इस प्रकार के अत्याचारों के सम्बन्ध में कोई नैतिक जिम्मेवारी है तथा नीतियों के बारे में भी मार्गनिदेश प्रदान करने की कोई जिम्मेदारी है।

हमें बताया गया कि माननीय प्रधान मंत्री समाज में कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुला रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसमें अ० जा० तथा अ० ज० जा० पर अत्याचारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाएगी। मेरे पास कुछ जानकारी है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है कि अत्याचारों से संबंधित मामलों तथा महिलाओं की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। मैं समझता हूं कि राजनीतिज्ञों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भी इस बैठक में चर्चा करना उपयुक्त होगा।

अब, ये ऐसे मामले हैं जिन पर बिना सूचना दिए चर्चा नहीं की जा सकती और नीतियां नहीं बनाई जा सकती। इन मामलों पर गहराई से विचार करना आवश्यक है तथा उसके बाद

मुख्य मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के साथ इन मामलों पर विचार किया जाए, जो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। अतः मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त होगा यदि इस मामले को भी एन० डी० सी० अथवा किसी अन्य बैठक में उठाया जाए। मैं समझता हूं कि निश्चय ही यह सभा इससे प्रसन्न होगी, यदि उस बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाती है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

एक बात और है। आज, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अन्य मामलों को उठाने के लिए दबाव न डालें क्योंकि पहले ही एक घन्टा बीत गया है तथा हमारे पास अन्य अनेक महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं और यदि हम विधायी कार्य तथा अन्य कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित समय के भीतर विधायी कार्य को समाप्त करना कठिन हो जाएगा। चूंकि विधेयकों को इस सभा द्वारा पारित किए जाना है तथा उन्हें राज्य सभा में भी भेजा जाना है, अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आज इन मामलों को उठाने के लिए दबाव न डालें, कल हमें इन मामलों के लिए समय मिल सकता है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मंजाब के बारे में मामला उठाना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : हम कल इस मामले पर चर्चा करेंगे/आप सबने इस मामले में इतने अच्छे ढंग से पूर्ण सहयोग दिया है और मुझे आशा है कि आप अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए भी निश्चय ही सहयोग देंगे।

[1.02 म० प०]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण संशोधन नियम, 1990

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं श्री माधवराव सिंधिया की ओर से राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 40 के अंतर्गत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (चेयरमैन और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1990, जो 21 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 1890 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 601/91]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग संशोधन विनियम, 1990 आदि

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं श्री बी० शंकरानन्द की ओर से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 32 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (वेतन और भत्ते) संशोधन विनियम, 1990, जो 2 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सैक० आर० आर/3.3/88 में प्रकाशित थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 602/91]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं श्री एस० कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1991, जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 468(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) लाइट डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1991, जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 469(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण और वितरण) संशोधन आदेश, 1991, जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 470(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) पैराफिन वैक्स (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1991, जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं का० आ० 471(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) मिट्टी का तेल (उपयोग पर प्रतिबंध तथा मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1991, जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 472(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 603/91]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 धारा 42 के अन्तर्गत 17 दिसंबर, 1966 के मूल करार में संशोधन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बीच 24 जुलाई, 1991 को हुए करार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 604/91]

1.04 म० प०

याचिका

दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव जल्दी कराये जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री मदन लाल खुराना : दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली महानगर परिषद् के शीघ्र चुनाव कराये जाने की आवश्यकता के बारे में श्री ओम प्रकाश कोहली, अध्यक्ष

दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 605/91]

1.05 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में बैंक जमा संग्रहकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : बैंक जमा संग्रहकर्ताओं, जिनकी संख्या लगभग 50,000 है और वह देश भर में विभिन्न बैंकों में काम कर रहे हैं, बहुत ही आवश्यक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वे घर-घर जाकर छोटी जमाओं को बढ़ावा दे रहे हैं तथा लोगों को बैंक की परिधि में लाकर उन्हें उनका ग्राहक बना रहे हैं। इन जमा संग्रहकर्ताओं की सेवा की न तो कोई निश्चितता है और न ही नियमित सेवा शर्तें हैं। उनको जमा धनराशि पर कमीशन दिया जाता है, जिनकी दरें विभिन्न बैंकों में भिन्न-भिन्न हैं। जमा संग्रहकर्ताओं द्वारा उनकी सेवा शर्तों के संबंध में एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसका निर्णय हैदराबाद स्थित औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया था, जिसे दिसम्बर, 1988 में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत तथा जून, 1989 में राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

न्यायाधिकरण द्वारा यह पाये जाने के बाद कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कर्मकार हैं, विशेष रूप से यह जिक्र किया कि उन्हें बैंक का अंशकालिक कर्मचारी माना जाये। न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया था कि उन्हें लिपिकीय वेतनमानों तथा सेवा शर्तों के स्थान पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें लिपिकों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संवर्गों में सम्मिलित किया जाये।

न्यायिक कार्यवाही वर्ष 1980 में शुरू की गयी थी तथा वर्ष 1988 तक चली थी तथा इस बीच कुछ बैंकों ने इस योजना को समाप्त कर दिया था तथा कुछ ने इसमें संशोधन कर दिया था जिसका परिणाम यह हुआ कि जमा संग्रहकर्ताओं तथा जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। न्यायाधिकरण के समक्ष बैंकरों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन करने संबंधी जमा संग्रहकर्ताओं द्वारा उठाये गये विवाद की भी न्यायाधिकरण द्वारा जांच की गयी थी तथा उसके द्वारा दिया गया निर्णय सभी संबंधित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुये व्यापक रूप से दिया गया था।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बैंक जमा संग्रहकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए समाधान निकाला जाये।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर वलायार चेकपोस्ट के निकट सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता

*श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर बलायार चैक पोस्ट के निकट सड़क ज्यादातर अवरुद्ध रहती है। इससे जनता को अत्यधिक परेशानी होती है। विशेषकर बरसात के मौसम में यह रात-दिन अवरुद्ध रहती है। कोयम्बटूर मैडिकल कालेज तथा अन्य अस्पतालों को जाने वाले मरीज समय से नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कारण अनेक मरीजों के सड़क पर ही मृत्यु होने के अनेक मामले सामने आये है। इसी प्रकार बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें समय से हवाई अड्डे न पहुंच पाने के कारण हवाई जहाज नहीं मिल पाता है और छूट जाता है। सड़क अवरुद्ध रहने के कारण पर्यटकों को भी असुविधा होती है। इससे पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यही एकमात्र सड़क : जिसे कोचीन तथा केजी-कोड्डाल से आने वाले पर्यटकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए कोई विकल्प निकाला जाना चाहिये। इस राजमार्ग का चवाडी वाले हिस्से को, जो तमिलनाडु में है, 80 फीट तक चौड़ा किया गया था तथा इसका शेष भाग भी चौड़ा किया गया है, जिससे यह हिस्सा काफी चौड़ा हो गया है। इसलिये या तो बलायार वाले हिस्से को भी चौड़ा किया जाये अथवा सड़क मार्ग की अवरुद्धता दूर करने का कोई और तरीका निकाला जाये।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में तुरन्त क़दम उठाया जाये।

(तीन) गुजरात के महत्वपूर्ण मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

कुमारी दीपिका चिखलिया (बड़ौदा) : गुजरात की स्थापना के बाद नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने के लिए राज्य के लोगों द्वारा आये दिन अभ्यावेदन दिये जाते रहे हैं।

1961-81 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये तथा गुजरात की विकास योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य 3602 कि० मी० है। परन्तु 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार उसकी मौजूदा लम्बाई 1573 कि० मी० है। उसमें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 44 कि० मी० तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 152 कि० मी० की वृद्धि हुई है।

गुजरात सरकार ने वर्ष 1990-91 में संबंधित मन्त्रालय से निम्नलिखित महत्वपूर्ण सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निवेदन किया था—

बड़ोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा, अहवा-सपूतरा-नासिक सड़क की लम्बाई, 245 कि० मी० है तथा वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से जोड़ती है।

28 जनवरी, 1991 को जब माननीय जल भूतल परिवहन मंत्री ने राज्य का दौरा किया था, इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वायदा किया था।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि गुजरात राज्य की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए तथा इन महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

[हिन्दी]

(चार) मध्य प्रदेश में उज्जैन में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, उज्जैन जिले में दूरभाष कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची काफी बड़ी है। टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त

प्रकार की टेलीफोन प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता है जिससे प्रतीक्षा सूची के सूचीबद्ध लोगों को टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध हो सके ।

उज्जैन में ई-1-0 बी प्रणाली का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये तथा आगामी सिंहस्थ पर्व हेतु सुविधाजनक प्रणाली उपलब्ध करायी जाये जिससे उपभोक्ताओं को दोष रहित टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हो सके । मेरा आग्रह है कि इस अवसर पर "सिंहस्थ" स्मृति डाक टिकट जारी किया जाये तथा चलित डाकघर सुविधा उपलब्ध करायी जाये ।

(पांच) पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी जंक्शन और सारसराय रेलवे स्टेशनों के बीच नरपतनगर गांव में हाल्ट बनाने और इसका नाम शहीद सूरज नारायण सिंह के नाम पर रखने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे समस्तीपुर मंडलान्तर्गत संकरी जंक्शन एवं सारसराय रेलवे स्टेशन के बीच नरपतनगर गांव में "शहीद सूरज नारायण सिंह हाल्ट" निर्माण का प्रस्ताव विगत वर्षों से विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में जांच कार्य पूरा हो चुका है । शहीद सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे । मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते हुए उनकी हत्या हुई थी । इस नाम से लाखों लोगों की भावना जुड़ी हुई है । नरपत नगर समाजवादी नेता स्वर्गीय सूरज बाबू का पैतृक गांव है । स्थानीय ग्रामीण जनता हाल्ट निर्माण हेतु हरसंभव सहायता के लिए तैयार है । यातायात, दूरी एवं आय के दृष्टिकोण से भी यहां हाल्ट निर्माण अत्यावश्क है ।

अत: मैं हजारों लोगों के आवागमन की सुविधा, रेल आय में बढ़ोतरी को देखते हुए, प्रेरणा के स्रोत "शहीद सूरज नारायण सिंह हाल्ट" नरपत नगर निर्माण की मांग करता हूं ।

[अनुवाद]

(छह) आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में कोनासीमा क्षेत्र के विकास की आवश्यकता

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमलापुरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले का कोनासीमा क्षेत्र एक द्वीप समूह की तरह है जो गोदावरी नदी और नहरों से घिरा हुआ है तथा चावल, नारियल इत्यादि कृषि उत्पादों से सम्पन्न है । इस क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से विकास नहीं हुआ है । इस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में प्रयोग करके कृषि पर आधारित लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना की गुंजाइश है ।

कोनासीमा क्षेत्र की सुरक्षा 272 कि० मी० का किनारा ऊंचा करके की गई है जिसे सर आर्थर कॉटन के समय में लगभग 100 वर्ष पहले किया गया था तथा जो अब कमजोर हो गया है । बार-बार बाढ़ आने से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए मूल्य के कृषि उत्पादों तथा मानव जीवन का नुकसान होता है । इन ऊंचे किए गए किनारों में जरा भी दरार आ जाने से संपूर्ण क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब जाएगा ।

इस क्षेत्र को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक बनाने के लिए तटीय क्षेत्र का केरल में पर्यटक स्थल के रूप विकास किया जा सकता है जो पर्यटकों को आकृष्ट करेगा तथा मछुआरों द्वारा विभिन्न भागों में मछलियां पकड़ने के कार्य में भी सहायक होगा ।

यह अनुरोध किया जाता है कि कृषि पर आधारित लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए उपाय किए जाएं तथा बाढ़ को रोकने के लिए विद्यमान ऊंचे किए गए किनारों को सुदृढ़ तथा चौड़ा किया जाए और इस क्षेत्र के लोगों की बार-बार होने वाले घाटे से रक्षा की जाए तथा तटीय क्षेत्र के विकास के लिए तटीय विकास निधि में से धनराशि प्रदान की जाए।

(सात) न्यू बैंक आफ इंडिया में प्रबन्ध निदेशक तथा अध्यक्ष की रिक्तियों को शीघ्र भरने की आवश्यकता

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय, एक राष्ट्रीयकृत बैंक न्यू बैंक आफ इंडिया को वित्तीय वर्ष 1989-90 में लगभग 10 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह समझा जाता है कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में इससे भी अधिक घाटा हुआ है।

इसका एक मुख्य कारण बहुत लम्बे समय से अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के पदों का रिक्त पड़ा रहना है। पिछले डेढ़ वर्षों से, एक कार्यकारी निदेशक का प्रमुख है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1990 की अपनी रिपोर्ट में उक्त कार्यकारी निदेशक पर आरोप लगाया था तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की भी सिफारिश की थी।

वर्तमान स्थिति में, जब सार्वजनिक संस्थान द्वारा और घाटे को स्वीकर नहीं किया जा सकता, न्यू बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की शीघ्र जांच करने की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष के पद पर किसी भी योग्य तथा जिम्मेदार बाह्य कार्यकारी अधिकारी को तत्काल नियुक्त करने की आवश्यकता है ताकि वह बैंक को विकास के मार्ग पर लाने के लिए निष्पक्ष रूप से उपयुक्त और कठोर कदम उठा सके। केवल इससे ही बैंक में होने वाली धांधली को रोका जा सकेगा।

(आठ) जबलपुर और दिल्ली के बीच नई रेल सेवा शुरू करने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के 11 लोक सभा सदस्यों ने 26-8-91 को रेल मन्त्री को ज्ञापन दिया था और अनुरोध किया था कि लोक हित में छोटे तथा सीधे मार्ग से बरास्ता कटनी और बीना जबलपुर और दिल्ली के बीच नई रेल चलाई जाए।

महाकोशल एक्सप्रैस नामक केवल एक ही रेलगाड़ी है जो इस रूट पर बहुत चक्करदार मार्ग से जाती है। इससे यात्रियों को अपने सम्बन्धित गन्तव्य स्थलों पर पहुंचने में बहुत असुविधा होती है और कई अतिरिक्त घन्टे लगते हैं। इसके अतिरिक्त, एक्सप्रैस रेलगाड़ी के रूप में शुरू होकर यह पैसेंजर रेलगाड़ी के रूप में बदल जाती है तथा विभिन्न स्टेशनों पर रुकती है और निश्चय ही विलम्ब से चलती है तथा इसमें हमेशा गाड़ी की क्षमता से अधिक यात्री यात्रा करते हैं।

इसलिए, नई रेल सेवा शुरू करना हर दृष्टि से न्यायसंगत है। इसलिए, मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि चालू सत्र के दौरान ही ऐसी रेलगाड़ी चलाने के सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

1.16 म० प०

उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा 9 सितम्बर, 1991 को प्रस्तुत किए गए उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री अब आगे अपना भाषण देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं जब इस विधेयक पर बोल रहा था तो बहुत सारी बातें उत्पन्न हुईं। मुझे खेद है, हमारे मित्रों ने बहुत सारी बातें प्रस्तुत कीं, लेकिन उन्होंने वास्तविकता में जाने का प्रयास नहीं किया। मैं कल कह रहा था कि मनु-स्मृति में बहुत से ऐसे शब्द हैं, ऐसे छन्द हैं, ऐसे श्लोक हैं, जो सीधे हमको अपमानित करते हैं। मनु-स्मृति को हिन्दू धर्म में ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना गया है। मनु-स्मृति के बाद हमारे हिन्दू धर्म में जो सबसे बड़ी जड़ है—मैत्रीयाणि संहिता, उसमें लिखा हुआ है—अग्निहोत्र के दूध को शूद्र न छूए, शूद्र की उपस्थिति में यज्ञ न किया जाए। शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है—शूद्र नीच है, शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए, शूद्र कुत्ते, मेंढक और बिल्ली के समान है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह बिल जो सीधे पेश किया गया है, उसका सीधा संबंध इन सब बातों से भी है। पंचविंश ब्राह्मण में कहा गया है—शूद्र को कोई अधिकार नहीं है। शूद्र श्मशान की तरह अपवित्र है। यह ग्रन्थ हिन्दू धर्म की जड़ है, इसमें कहा गया है, शूद्र की सम्पत्ति निःसंकोच ले ली जाए। आपस्तंभ धर्म सूत्र में यह भी लिखा हुआ है, कि शूद्र श्मशान की तरह अपवित्र है। यदि कोई शूद्र स्त्री के साथ बलात्कार करता है तो उसको ग्राम से निकाल देना चाहिए और यदि कोई शूद्र द्विज स्त्री के साथ बलात्कार करता है तो उसको प्राण दंड दे देना चाहिए, यह हमारी धार्मिक व्यवस्था है। आगे लिखा हुआ है, जैसे कुत्ता है, वैसे ही शूद्र है। विष्णु स्मृति में लिखा है—शूद्र-कुर्सी पर बैठे तो उसके चूतड़ काट दिया जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं नामकरण के बारे में भी हिन्दू धर्म ग्रन्थों में कुछ अजीब-सी बात लिखी हुई है। लिखा है—ब्राह्मण का नाम मंगलकारी शब्दों से होना चाहिए, जैसे—बृहस्पतिनाथ उपाध्याय आदि। क्षत्री का नाम बलशाली शब्दों से होना चाहिए, जैसे—वीरबहादुर सिंह, तेजबहादुर सिंह आदि।

एक माननीय सदस्य : जैसे दिग्विजय सिंह।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हां, जैसे दिग्विजय सिंह। इसी प्रकार वैश्य का नाम वैभवशाली शब्दों से होना चाहिए, जैसे लक्ष्मीनारायण, करोड़ीमल आदि। लेकिन शूद्र का नाम निम्नाकारी शब्दों से होना चाहिए, जैसे हम लोगों में कहा जाता है घुरहू, कतवारी, फेकन आदि। यह हिन्दू धर्म की बात है, यह मनु-स्मृति की बात है, यह हमारे धर्म ग्रन्थ की बात है, जिससे संबंधित यहां पर यह बिल पेश किया गया है उसकी बात है। मैंने 1983 में इसी सदन के अन्दर धर्म ग्रन्थ संशोधन विधेयक बिल पेश किया था। उस समय यहां बैठे अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे मित्र श्री फूलचन्द वर्मा जी भी थे। तब हमने कहा था कि धर्म ग्रन्थों से ये अपमानजनक शब्द निकाल दिए जायें। ये शब्द जो एक आदमी को नीच से नीच शब्द के रूप में घोषित करते हैं इन

शब्दों को निकाल दिया जाए, तो हमारे उस पक्ष के बैठे हुए साथी एकदम खामोश थे, किसी की जुबान से कोई शब्द नहीं निकला ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको मन्दिर बनाने की जरूरत है, यदि आपको हिंदू धर्म की रक्षा की जरूरत है तो आप इन शब्दों पर भी क्यों नहीं ध्यान देते । श्रीमान्, अभी कल इस हाउस में प्रश्न काल के समय बहस हो रही थी, हमारे उधर बैठे एक साथी ने कहा था कि झांसी में एक घटना हुई । झांसी में शिवरात्रि के दिन एक महिला दीपक जलाने के लिए गई··· (व्यवधान) वह एक अछूत महिला थी, उस अछूत महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसको मारा गया । यह मन्दिर के अन्दर की कहानी है । श्रीमान्, महाराष्ट्र का यही मामला यहां पर उठा था, आपको याद होगा कि उस दिन मैंने कहा था कि जब तक यह मामला समाप्त नहीं कर लिया जाता है, जब तक इस पर बहस नहीं हो जाती है तब तक मैं एक पैर पर इस हाउस में खड़ा रहूंगा । आपने इस पर तीन दिन का समय दिया और तीन दिन तक इस पर बहस हुई । मान्यवर, उस मंदिर में एक शूद्र गया था, उस समय उस दिन बरसात हो रही थी, इसलिए वह अपना सिर छिपाने के लिए वहां मन्दिर में गया था, लेकिन उसको सिर छिपाने की जगह ईंटों और पत्थरों से मारा गया और उसकी मौत हो गई, यह हमारे मंदिर की घटना है, जिस मंदिर का हमारे साथी लोग आज निर्माण करने जा रहे हैं । (व्यवधान) श्रीमान्, आज हमारे माननीय सदस्य बूटा सिंह जी यहां नहीं बैठे हैं, 1984 में हरिद्वार के अन्दर जगतगुरु शंकराचार्य जी अपना रथ लेकर जा रहे थे और उस रथ को एक अछूत ने छू दिया और जब उसे अछूत ने छू दिया तो उसको वहीं पर इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई । इस हाउस में चर्चा भी हुई । यह हमारा धर्म है, यह हिंदू धर्म है । (व्यवधान)

श्रीमान्, कल हमारी मित्र उमा जी ने कहा था कि इतिहास से हम आंखें फेर रहे हैं, इस बिल को पेश करके, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं उन्होंने यह बिल पेश किया है । हमारे उधर के साथी का कहना था कि इतिहास से आंखें फेरी जा रही हैं । मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि हमारे ये मित्र लोग जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, हम लोग यहां इतिहास से आंखें नहीं फेर रहे हैं, बल्कि हमारे ये साथी जो यहां बैठे हुए हैं, मैं उन पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उनको यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें इतिहास से फेर रहे हैं । मैं इतिहास का कुछ चित्र आपके सामने रख रहा हूं । इतिहास में 326-327 बी० सी० में सिकंदर ने इस देश पर हमला किया था । सिकंदर के पास केवल नौ हजार घुड़सवार सैनिक थे और सिकंदर का मुकाबला साठ हजार सैनिकों के नेता मिस्टर पुरू ने किया था और पुरू साहब ने जब सिकन्दर का मुकाबला किया तो वे और उनके 60 हजार सैनिक हार गए । सिकन्दर 9 हजार सैनिकों के बल पर आगे बढ़ा और पुरू को जीता, उसको अपने कब्जे में लिया । इसमें किसकी साजिश थी, क्या कोई मुसलमान उस समय यहां पर बैठा हुआ था । कैसे सिकन्दर यहां पर जीता, नौ हजार उसके सैनिक कैसे जीते ? इसमें भी हमारे धर्म ग्रन्थ के मानने वाले, हमारे धार्मिक महापुरुषों और हमारी वर्ण व्यवस्था पर कायम उन लोगों का हाथ था, जो आज मन्दिर बनवाने की बात करते हैं ।

श्रीमान्, साढ़े छः सौ ईस्वी के लगभग मो० बिन कासिम ने इस देश पर हमला किया था, 12 हजार सैनिकों के साथ वह यहां आया था और सिंध के राजा दाहर ने अपने अस्सी हजार सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया । लेकिन उसमें भी एक साजिश हुई, धर्म के ठेकेदारों, धर्म

को मानने वालों, धर्म का फतवा देने वाले लोगों की कृपा से राजा बाहर जिंदा पकड़ा गया और मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी बोटी-बोटी लड़ाई के मैदान में काट दी।

इसी तरह से महमूद गजनबी का इतिहास है। मेरे साथियों ने कहा कि हम इतिहास से आंखें चुरा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब महमूद गजनबी ने इस देश पर हमला किया, सोमनाथ मन्दिर पर हमला किया, सोमनाथ मन्दिर को वह लूटना चाहता था तो उस समय यहां से शूद्र कहे जाने वाले, तत्कालीन शूद्र जातियां काठी पारसिव चुगुरीन, काठिक, चुंमटी चमोई, वाहलोप आदि जातियों के लोगों ने आकर उनका मुकाबला किया और जब वे महमूद गजनबी से लोहा ले रहे थे और महमूद गजनबी पर दबाव बढ़ा कर इन शूद्र जातियों के लोग मन्दिर की हिफाजत के लिए मन्दिर के चबूतरे पर चढ़ गए तो वहां के ब्राह्मणों ने, धर्म के ठेकेदारों ने जिनका वर्णन मैंने ऊपर के इतिहास में किया है, उन्होंने कहा कि तुम लोग मंदिर के ऊपर मत चढ़ो मंदिर अपवित्र हो जाएगा तुम लोग नीचे उतर जाओ, भले ही कोई भी स्थिति हो तुम लोगों से छिपाकर हम मन्दिर अपवित्र नहीं होने देंगे। परिणाम यह हुआ कि महमूद गजनबी आगे बढ़ता रहा, अछूतों को वहां से हटा दिया गया, शूद्र जातियों को वहां से हटा दिया गया और उसके परिणामस्वरूप महमूद गजनबी मंदिर पर चढ़ा और मंदिर को चकनाचूर कर दिया, मंदिर को लूट लिया।

श्रीमान्, इस बात को स्वीकार कीजिए, यदि आपके दिल में धर्म की यही स्थिति रही और आप धर्म की यही रूपरेखा पेश करना चाहते हैं, धर्म को यही स्वरूप देना चाहते हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे? यदि शूद्रों की समीक्षा इस तरह से न की गई होती तो सोमनाथ का मंदिर लूटा नहीं गया होता ··· (व्यवधान)

हां, उस वक्त विश्व हिन्दू परिषद नहीं थी, लेकिन उसका बीज वहां पर था। (व्यवधान) आप स्वयं पढ़ लीजिए, स्वयं खोज लीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग भगवान राम का मन्दिर बनवाने जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि मन्दिर की धर्मों में क्या स्थिति है? मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि अयोध्या में संघर्ष न हो, संघर्ष किसी प्रकार का तूल न पकड़े, खून-खराबा न हो, लोग शांतिपूर्वक रहें, हिंदुस्तान के लोग शांतिपूर्वक रहें, यह उद्देश्य इस बिल को प्रस्तुत करने का माना जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राम जन्म भूमि, जिसको ये लोग राम का जन्म स्थान कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। यह नेचुरल नहीं है, भगवान राम तो हवन कुंड से हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग जानते होंगे, मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता कि** जिसको ये लोग राम जन्म, भूमि समझते हैं। 15वीं शताब्दी से पहले वहां पर राम के इतने मन्दिर नहीं थे, राम की इतनी पूजा नहीं होती थी, लोग तरह-तरह के मनगढ़ंत उदाहरण देते रहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 15वीं शताब्दी पूर्व यहां पर राम का इतना महत्व ही नहीं था, जितना आज ये लोग मानते हैं।

मान्यवर, अयोध्या के बारे में ये लोग कहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या का वह स्थान विवादास्पद है। श्री रोमिला थापर के लेख में और भी किसी स्थान पर मैंने पढ़ा है अयोध्या कभी बनारस के अन्दर थी और लंका भी बनारस के अन्दर थी। (व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

आज भी लंका बनारस में मौजूद है।...(व्यवधान)...जिसको आप अयोध्या कहते हो, राम की अयोध्या फैजाबाद में है ही नहीं।

श्रीमन्, आप इस बात को नोट कर लें और हाउस में इन्होंने यह स्वीकार किया है कि अयोध्या वहां नहीं बल्कि राजनाथ सोनकर शास्त्री, जो बनारस के रहने वाले हैं, उनके घर के पास है। यह आपने अभी कहा। मैं यही कहना चाहता हूं कि अयोध्या फैजाबाद में नहीं है। बल्कि यह कहा गया है कि अयोध्या बनारस में है और लंका भी बनारस में है। ये लोग राम की बात करते हैं, ये राम की पूजा करने की बात करते हैं। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी बुद्धि कहां चली गयी है।**

उस राम के मन्दिर को बनाने की जरूरत क्या है। (व्यवधान)

1.32 म० प०

[अनुवाद]

(इस समय श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी तथा अन्य सदस्य आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि कोई ऐसा आरोप लगाया जाता है जो अपमानजनक हो, तो मैं संसदीय प्रक्रिया का पालन करूंगा तथा ऐसे शब्दों को निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों और उनके दल के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि सभा में उपयुक्त व्यवस्था बनाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों तथा उनके दल के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि सभा में उपयुक्त व्यवस्था बनाएं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

1.38 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.01 म० प०

लोक सभा 2.01 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपनी सीटों पर बैठें।

श्री आडवाणी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन में उपस्थित नहीं था जब किसी बात पर उत्तेजना पैदा हुई और उसके कारण आपको सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन मैं अपने कमरे में जितना सुन पाया और जितनी मुझे जानकारी मिली उसके आधार पर कह सकता हूं कि सदन में हरेक सदस्य दूसरे सदस्य की भावना का आदर करे, यह परम आवश्यक है। मुझे स्मरण है आज से दो-तीन दिन पहले इस बात का उल्लेख हुआ था कि आकाशवाणी या दूरदर्शन के किसी कार्यक्रम में मौलाना अबुल कलम आजाद के सम्बन्ध में बात कही गई थी जो उचित नहीं थी या वह प्रश्न उचित नहीं था तो सारे सदन ने कहा कि यह ठीक नहीं है। उसके आधार पर शासन को परिमार्जन करना था वह कर दिया। मैं मानता हूं आज की घटना उससे भी ज्यादा गंभीर है। मैं यह कल्पना नहीं कर सकता हूं अगर किसी संप्रदाय के व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति, वह ऐतिहासिक पुरुष होंगे और साथ-साथ उनको भगवान के रूप में मानते हों उसके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो अपमानजनक हों और जिसके कारण भावनाओं को ठेस लगे, यह अगर न होता तो यह स्थिति बिल्कुल नहीं आती। मैं समझता हूं अगर वे ही सदस्य इसका परिमार्जन कर दें तो सबसे अच्छा है, अन्यथा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से जिसके कारण सदन में और सदन के बाहर लाखों, करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचे, उसको कार्यवाही में स्थान नहीं देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि संसदीय पद्धति के अनुरूप शब्द अपमानजनक होंगे तो मैं कार्यवाही वृतान्त से इन शब्दों को निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी विरोधी दल के नेता ने कहा कि श्री मौलाना आजाद जी के बारे में जो अपशब्द कहे गये थे उसके बारे में सारे देश के पेपर्स ने और यहां इस सदन में भी उसकी निन्दा की थी और कहा था कि यह उचित नहीं है। मान्यवर, यह साधारण बात नहीं है। आज देश की 80 करोड़ की आबादी में से 80 प्रतिशत आदमी जो राम की पूजा करते हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप इस पर चर्चा की अनुमति क्यों देते हैं ?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) आपके नेता ने बोल दिया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इस मामले को आप देख लीजिए। मैंने उनसे भी अनुरोध किया अगर सोनकर जी स्वयं इसका परिमार्जन कर दें तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसे निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले अपमानजनक शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है। दूसरे, मेरा अनुरोध है कि हमें धैर्य नही खोना चाहिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। परतु शब्दों का प्रयोग करते समय आपको दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। शब्दों के प्रयोग की व्यवहारकुशलता अत्यन्त आवश्यक है।

श्री शास्त्री, आपको दो मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, मैं अपने मित्रों की भावनाओं को अभी तक समझ नहीं पाया कि कहां ठेस लगी। राम के प्रति मेरी भी श्रद्धा है। मेरे भी परिवार के लोग वाराणसी में रहते हैं, वे पवित्र स्थान पर रहते हैं। करोड़ों जनता जानती है कि मैं गत 22 सालों से समाज सुधार का काम कर रहा हूं। मैं भी भगवान के मन्दिर में जाता हूं। मेरी भी श्रद्धा है। मैं यही कह रहा था कि आडवाणी जी हमसे बड़े हैं, बड़े प्रमुख हैं, वे हमारी बात सुनें और फैसला करें। हमने यही कहा था।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठें। प्रत्येक व्यक्ति को सभा की भावनाओं की जानकारी है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। बहुत से लोगों ने आपको सलाह दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय को छोड़ दें तथा जो सुझाव आप देना चाहते हैं, दें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन् हमारे हाऊस में रिकार्ड में यह बात है। इस बात से गलत अर्थ निकलेगा। मेरे जीवन का मामला है। श्रीमन्, मैं कहा रहा था ··(व्यवधान)·· मैंने

कोई गलत शब्द नहीं कहे हैं। राम के प्रति मेरी भी श्रद्धा है। मैं भी राम का सम्मान करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दे दिया है। उस पर नियमों के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। परंतु माननीय सदस्य श्री सोनकर पूरे वाक्य को दोहरा रहे हैं तथा वह इसे उचित सिद्ध करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वह आपके निर्णय पर टिप्पणी कर रहे हैं, नियमों के अधीन जिसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरी स्पीच आखिरी है। मैं इसे खत्म कर रहा था। मैं तो यह कह रहा था कि हमारे मित्र लोग अनायास ही नाराज हो गये। मैं उन धर्म-ग्रन्थों की बात कर रहा था, मैं उनके श्लोकों का नम्बर दे रहा था, उनके श्लोक दे रहा था कि बाल्मीकि रामायण में भी राम को इस मामले में कुछ कहा गया है। मैंने मनु स्मृति का उल्लेख किया, मैंने तमाम धर्म ग्रंथों का उल्लेख किया। मेरे कहना का अर्थ है कि इन तमाम धर्म ग्रंथों में जो शब्द लिखे गये हैं, वे भगवान राम के लिए लिखे गये हैं, शूद्रों के लिए लिखे गए हैं, औरतों के लिए लिखे गए हैं और ऐसे तमाम लोगों के लिए ऐसे शब्द लिखे गये हैं। इससे पवित्र धार्मिक ग्रन्थों की मर्यादा घटती है। मैंने निवेदन किया कि मैं 1983 में यहां पर एक बिल लाया था, उस समय हमारे आडवाणी साहब यहां नहीं थे। मैंने उसमें कहा था कि हिन्दू धर्म-ग्रन्थ एवं अन्य धार्मिक साहित्य संशोधन विधेयक में यदि तुलसी की रामायण से एक सेन्टेन्स निकाल दिया जाये जिसमे कहा गया है कि :

"ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी।"

ये निकाल दिया जाए, तो आज जो हमारे साथ हाऊस में हुआ है, हमको चुनौती दी गई, हमको चैलेंज दिया गया, और इस चैलेंज को पूरे राष्ट्र ने देखा है, पूरा राष्ट्र कल इसको सुनेगा। हमको कहा गया कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको मारा जाएगा। उमा जी ने कहा कि मैं बनारस में आपसे बदला लूंगी।

श्रीमन्, मेरी तो जान पर भी खतरा है। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : ऐसा किसी ने नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय,** (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, यह क्या है ?

**अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही से निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे भी कार्यवाही वृतांत से निकाला जा रहा है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठें ।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, इन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय . मैं आपसे पुरजोर अनुरोध करता हूं । यह सभा है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को बहुत अधिक अनुभव प्राप्त है । मैं जानता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं, पिछले अध्यक्ष यहां उपस्थित हैं, विभिन्न राज्यो के भूतपूर्व मंत्री, अध्यक्ष तथा सभापति भी यहां उपस्थित हैं । मैं आपसे पुरजोर अनुरोध करता हूं कि हमें उपयुक्त ढंग से सभा की कार्यवाही चलानी चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो अध्यक्ष पीठ किससे अनुरोध करेंगे ? आखिरकार आप इस राष्ट्र के साथ न्याय करने के लिए सुनें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठें । हमें धैर्य रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने जैसे पहले अपील की थी, मेरा अभी भी कहना है कि ···**(व्यवधान)** आइ एम नॉट यील्डिंग ···**(व्यवधान)** उपाध्यक्ष जी, मैंने जिस आधार पर पहले आपसे अपील की थी, उसी आधार पर पुन: आपसे अपील करता हूं कि गुमान मल लोढा जी ने जो कहा है उसको आप एक्सपंज कर दीजिए । **(व्यवधान)**

श्री शाहबुद्दीन सैयद (किशनगंज) : एक्सपंज करना काफी नहीं है । उनको माफी मांगनी चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह देश भर की भावना है, सभी संप्रदायों की भावना है, और सभी सदस्यों की भावना है जिसका आदर-समादर होना चाहिए । डबल स्टैंडर्ड्ज नहीं होने चाहिए **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गुमान मल लोढ़ा द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों को पहले ही कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात की एक सीमा होती है। कुछ मिनटों के लिए शब्दों का आदान-प्रदान ठीक होता है परन्तु सम्पूर्ण सभा में यह आग नहीं फैलनी चाहिए। मैं शास्त्री जी से भाषण समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से, गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, अपनी स्पीच को कन्क्लूड करने से पहले, हम आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि हमें हाउस में खुल्लमखुल्ला यह कहा गया, इसके साथ-साथ हम हाउस के सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, हमसे कहा गया कि आप बाहर निकलियेगा, हमारे एक बी० जे० पी० के साथी, जो यहां से चौथे नम्बर पर बैठे हैं, मैं इनका नाम भूल रहा हूं, इन्होंने हाउस में यह कहा कि आप हाउस से बाहर निकलिये, मैं आपके हाथ-पैर तोड़ दूंगा। आप ही गुनहगार हैं। (व्यवधान) ये शब्द इन्होंने हाउस में साफ कहे हैं, सबने सुना है। (व्यवधान) यदि इधर से रवि राय जी और कुछ दूसरे लोग यहां आकर इन लोगों को न रोकते और उधर से भी कांग्रेस के हमारे कुछ साथी, कुछ माननीय सदस्य यहां पर आकर खड़े न होते, तो ये शायद यहीं मेरे साथ कुछ हादसा कर गुजरते व्यवधान)···इसलिए मैं पूरे हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जान को खतरा है और ये लोग, मुझे जान से मारने की कोशिश में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शाम को मैं यहां से चलूंगा। मैं उत्तर प्रदेश भवन में रहता हूं। मैं यहां से पैदल चलूंगा और यदि मेरी हत्या हुई, यदि मेरे साथ कोई वाकया हुआ तो उसकी सारी जिम्मेवारी इस हाउस की होगी, पूरे सदन की होगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

श्री कालिका दास (करोल बाग) : उपाध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्रीमन्, मैं अपनी बात हाउस के सामने बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कन्क्लूड कीजिये।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, चूंकि माननीय सदस्यों को अपनी जिन्दगी का खतरा है, सरकार निश्चय ही उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे सदन में आश्वासन दिया है,

मैं इस हाउस के प्रति कृतज्ञ हूं, मैं यहां के एक-एक मैम्बर के प्रति कृतज्ञ हूं कि जिन्होंने मेरी भावना को समझा है और हमें प्रोटेक्शन देने का वचन दिया है।

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : उपाध्यक्ष जी, आप इधर के माननीय सदस्य को भी सुन लीजिए, उनका नाम लिया गया है। (व्यवधान)

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष जी, मुझे भी अपनी सफाई देने दीजिए क्योंकि यहां मेरा नाम लिया गया है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यदि किसी सदस्य के जीवन को इस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा धमकी दी गई है, तो उसका क्या होगा ?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि शास्त्री जी द्वारा अपना भाषण समाप्त करने के शीघ्र बाद, कालका दास जी जवाब दे सकते हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हाउस एडजर्न हुआ था। (व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिए। जब हाउस में माननीय सदस्य कुछ ऐसे शब्द कह रहे थे तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि राम के पैरों का, राम के प्रति दुर्भावना रखने वाले यहां बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आपको हाउस का दुरुपयोग करके, राम पर किसी तरह का लांछन नहीं लगाना चाहिए। इसके अलाया मैंने कुछ और नहीं कहा था, यही मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने इन्हें सुना था, इन्होंने माननीय सदस्य को थ्रेटन किया था कि आप बाहर आइए, हम देखेंगे आपको।

(व्यवधान)

इसके क्या माने हैं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपनी सीट पर बैठें। श्री शास्त्री जी ने सुरक्षा की मांग की है तथा माननीय गृह मन्त्री जी उन्हें आवश्यक सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। दूसरे, हमारे मित्र ने बताया है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया तथा उन्होंने माननीय सदस्य को धमकी नहीं दी। अतः यह मामला अब समाप्त होता है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अब ये सत्य से परे बोल रहे हैं, हम लोगों ने सुना है, इन्होंने सबके सामने बोला है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला समाप्त हो गया है। आप इस विषय पर क्यों लड़ रहे हैं? यह मामला अब ठण्डा हो गया है।

अब मैं अगले माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा······

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री जी, कृपया सहयोग करें···

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह देश हिन्दुओं का भी है, यह देश मुसलमानों का भी है, यह देश बौद्धों का भी है और इस देश में ईसाई भी रहते हैं। यह मुल्क सबका है। सिक्ख भी रहते हैं, लेकिन श्रीमान् किसी की धार्मिक भावना को किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है।

श्रीमान्, आज अगर हम ताजमहल को देखें, तो उसमें भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति विद्यमान है। राजस्थान की कला में भी यही है। यहां के चप्पे-चप्पे में हिन्दू और मुसलमान की संस्कृति व्याप्त है। श्रीमान् यह देश ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां अनेकता में एकता है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इस बिल में सबसे बड़ी जो बात कही गयी है वह है—15 अगस्त, 1947 के समय की स्थिति होनी चाहिए। इसलिए यह लाया गया है। यह बहुत ही उपयुक्त बात है। आज देश के अंदर यदि इस प्रकार की घृणात्मक बातें होंगी किसी को हरिजन कह कर दबाया जाएगा, किसी को अनुसूचित जाति कह कर दबाया जाएगा, किसी को मुसलमान और किसी को ब्राह्मण कह कर दबाया जाएगा, तो यह देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में सबकी मर्यादा और इज्जत है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और हम चिन्ता प्रकट करते हैं कि इस बिल को यहां पर सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। यदि यह सर्व-सम्मति से पास कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की तवारीख में यह एक नयी बात होगी। धन्यवाद।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, अभी यह बात यहां पर कही, जैसा श्री सोनकर ने क ा कि उन्हें धमकी दी गई है, वैसे ही मुझे भी श्री श्री केशरी लाल जी ने, जो बिहारी से आए हैं, मुझ साधू को धमकी दी है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सभा में कुछ अनुशासन बनाए रखें। ऐसे कुछ सदस्य जो वास्तव में सुरक्षा चाहते हैं—माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं—को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उस विषय को उलझाये रखने का कोई लाभ नहीं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब व्यवस्था के प्रश्न उठाने का कोई विषय हमारे समक्ष नहीं है। आखिरकार, हमें अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हमारे समक्ष कार्य सूची भी बहुत बड़ी है। किसी प्रकार कुछ निराशाजनक घटनाएं घटित हुई हैं। अब यह मामला समाप्त हो गया है। हम अच्छे वातावरण, समुचित समझबूझ और प्यार से आगे की कार्यवाही करें। हमें अपने मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठें। अब मैं श्री दीक्षित से भाषण देने के लिए अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बाद अब भाषण देने की कांग्रेस की बारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। मुझे क्षमा करें इसमें गलती हो गई। आप इसके बाद भाषण देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन दीवान (महासमुन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी पाइंट आफ आर्डर रेज करने के लिए कोई सबजैक्ट नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्यों के बीच कोई भेद नहीं करता। जिस किसी को भी अपने जीवन का खतरा है, सरकार निश्चय ही सरकार उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मेरी केवल यह आशंका है कि गृह मंत्री को शीघ्र ही अधिक संख्या में पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : हमारे ऊपर चार्ज लगाया गया है, आप हमारी बात सुन लें। जिस समय विवाद हो रहा था, मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा संसदीय परम्परा कायम रखें। शिष्टाचार के नाते यहां भी दिल जीतें बाहर भी जीतें।···(व्यवधान) जो उस साइड में बैठे हुए हैं

उन्होंने कहा कि हरिजनों का दिमाग खराब है ।···(व्यवधान) उन्होंने पूरे हाउस के हरिजनों को चैलेंज किया है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक बात बताता हूं । जब सभा की बैठक नहीं होती, तब यदि किन्हीं शब्दों का आदान-प्रदान होता है, तो मुझे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाता तथा सभा द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता ।

इसके अतिरिक्त, प्रोफेसर यदि आप भी सुरक्षा के संबंध में आशंकित हैं, तो गृह मंत्री जी आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर देंगे ।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मध्यस्थों को इसकी आशंका है । अब मध्यस्थों को वास्तव में अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है ।

[हिन्दी]

श्री पवन दीवान : मेरा निवेदन है कि जिस तरह से सदस्य आपस में धमकियां देकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं इसी प्रकार से मैं इस महान् देश के गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो सांप्रदायिक ताकतें, फिरकापरस्त ताकतें आपस में लड़कर देश को खतरे में डाल रही हैं, मैं इस देश की सुरक्षा की मांग गृह मंत्री जी से करना चाहता हूं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ऐतिहासिक कानून का समर्थन करता हूं जिसे मेरी सरकार ने रखा है ।

महोदय, चुनाव के घोषणापत्र में हमारी वचनबद्धता थी कि हम 15 अगस्त, 1947 से आगे सभी धर्म स्थलों की सुरक्षा करेंगे और मैं माननीय गृह मंत्री को इस कानून को लाने के लिए बधाई देता हूं ।

महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे यह देखकर खेद है कि हमारे दोनों पक्ष के मित्र कितने नीचे स्तर पर पहुंच गये हैं, जैसा कि उनके वाद-विवाद से पता चलता है । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है । माननीय लोढ़ा जी ऐसे हमारे कानून के ज्ञाता ने कल अपने भाषण में ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था ··(व्यवधान) अपने भाषण में···(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैंने केवल उसी का उल्लेख किया जो कुछ सरदार पटेल ने कहा था, उससे अधिक कुछ नहीं कहा था । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उन्होंने कहा···

[हिन्दी]

बिल को जला दीजिए, फाड़ दीजिए ।

[अनुवाद]

हम लोग श्री लोढ़ा जैसे कानूनी ज्ञाता से ऐसी असंयत भाषा सुनने के अभ्यस्त नहीं हैं । महोदय, धर्म एक काफी व्यक्तिगत मामला है । (व्यवधान) महोदय, धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत

वस्तु है। (व्यवधान) महोदय, मैं हार नहीं मान रहा हूं। जब उन्होंने भाषण दिया था तब मैंने व्यवधान नहीं डाला था। (व्यवधान)

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह (राजनंदगांव) : सदस्य इस प्रकार खड़े हो जाते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यगण हमारी प्रक्रिया नियमों में एक विशेष नियम है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता या व्यवधान डालना चाहता है तो बोलने वाले सदस्य को उसका जवाब अवश्य देना चाहिए। तभी कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है। जो कुछ वे कहना चाहते हैं वे इस प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना खड़े होते हैं और बोलते हैं। क्या इस सभा में कोई व्यवस्था नहीं है ? इसलिए मैं प्रत्येक सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि हमें कुछ शिष्टाचार बरतना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है और इस देश में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसे व्यक्ति की निन्दा करे जिसमें किसी का विश्वास है, चाहे वह भगवान राम हो, मोहम्मद या कोई और व्यक्ति हो, यही कारण है कि आपने मेरे मित्र की टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया है।

मैं इस विधेयक के गुणों तथा पृष्ठभूमि को ही अपनी चर्चा का केन्द्र बिन्दु बनाऊंगा। यह एक अच्छी तरह से तैयार किया गया विधेयक है। इसमें सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। परन्तु मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह जम्मू और कश्मीर को इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर न रखें क्योंकि आखिरकार जम्मू और कश्मीर इस देश का भाग है। हालांकि मैं समझता हूं कि यह विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टी स० 28 में है। हमने इसी सभा में अन्य विधेयकों को पारित किया है जिसमें हमने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया।

मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस निर्णय पर पुनः विचार करें और इस पक्ष के हमारे मित्रों को इस विधेयक के विरोध में प्रचार न करने दें। वे अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस विधेयक का दुरुपयोग करेंगे जोकि इस सभा में उनके कार्यों को देखने से बिल्कुल स्पष्ट है। यही कारण है कि मैं मंत्री महोदय से इस पर पुनः विचार करने तथा इसकी परिसीमा में जम्मू और कश्मीर को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

2.32 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस देश में भाजपा के मेरे मित्र तथा कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने जो धार्मिक उन्माद पैदा किया है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश ने उसका मूल्य अदा किया है। हजारों व्यक्ति मारे गये, हजारों घर जला दिये गये और जायदाद लूटी गयी।

यह उचित समय है जबकि सभी राजनीतिक दलों के जिम्मेवार लोग एक आम राय बनाएं जिसमें ऐसे मौलिक मुद्दों और धार्मिक उन्माद को समाप्त किया जाए।

विश्व हिन्दू परिषद तथा भारतीय जनता पार्टी ने 1986 के बाद ही राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे में उन्हें सत्ता में आने का एक रास्ता दिखाई दिया। रामशिला की प्रदर्शनी की गई। धन इकट्ठा किया गया। पता नहीं कितना धन इकट्ठा किया गया है···

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो विधेयक यहां पर आया है, इसमें राम जन्म भूमि और राम का नाम नहीं है और अयोध्या के मामले को हटाकर फैसला करने की बात है। बार-बार वक्तागण अयोध्या, राम जन्म भूमि और राम का मामला क्यों उठाते हैं···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने कल सदस्यों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस विधेयक को 4 बजे तक पारित कर दिया जाएगा। तीन बजे गृह मंत्री इसका उत्तर दे सकेंगे। अत: मैं वक्ता सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि उन मुद्दों पर बात न करें जो वास्तव में इस विषय से नहीं उठे है। यह जरूरी है क्योंकि हमें इस कार्य को समय पर पूरा करना होगा। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, वह एक अलग मुद्दा है। मैं उस पर कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : मुझे एक अनुरोध करना है। मुझे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक मौका मिलेगा। परन्तु आप अच्छी प्रकार से और संक्षेप में बोलेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : यह मेरी बारी है।

अध्यक्ष महोदय : हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैंने कहा है कि आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी अपनी सीट पर बैठ जाइए। आपमें से प्रत्येक को दो मिनट का समय दिया जाएगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इन पत्रों को सभा पटल पर रखना चाहता हूं*। मैंने लिखित रूप से एक सूचना भी दी है। कल ही मैंने सभा को भी सूचित कर दिया था तथा विश्व हिन्दू परिषद का एक इश्तहार दिया था।

अध्यक्ष महोदय : दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया विधेयक के उपबंधों पर ही बोलें। इसके बाहर न बोलें क्योंकि समय बहुत सीमित है।

श्री दिग्विजय सिंह : पूरा सदन विधेयक को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर बात कर रहा है और आप मुझे इस विधेयक पर ही बोलने के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप प्रासंगिक रहें।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या अन्य सदस्यों के मुद्दे प्रासंगिक नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : वे मुद्दे प्रासंगिक थे। परन्तु आपको ज्यादा प्रासंगिक होना चाहिए।

*चूंकि अध्यक्ष महोदय ने बाद में अपेक्षित अनुमति नहीं दी, अत: पत्र को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

श्री दिग्विजय सिंह : हम पर व्यंग्य किया गया है। हमें उसका जवाब देना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि हम इस विधेयक को समय पर पारित करना चाहते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : जी हां। मैं सिर्फ गृह मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह विश्व हिन्दू परिषद द्वारा इकट्ठा की गई धनराशि की जांच करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया विधेयक के उपबंधों पर बात करें। तभी उत्तर दिया जायेगा। कृपया विधेयक के उपबंधों पर बात करें।

श्री दिग्विजय सिंह : वे लोग मन्दिर के धन की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें। मैं श्री दिग्विजय सिंह से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह बोलें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं एकमात्र सदस्य हूं जो आपकी बात सुनता है।

अध्यक्ष महोदय : आप कितने अच्छे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : शिलान्यास राज्य सरकार के साथ हुए समझौते और चर्चा के अनुसार किया गया···

अध्यक्ष महोदय : उस मामले को छोड़िए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सभा पटल पर पत्र रखना चाहता हूं। यह बहुत गलत बात है। मैंने लिखित में दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम कैसे जानें कि वह शिलान्यास था ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा। इस बात की चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक में की जा रही थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिग्विजय सिंह, आप बार-बार क्यों व्यवधान डालने देते हैं। आप जब कभी भी बोलते हैं तो मैं नहीं रोकता। मेरे लिए आपको रोकना काफी कठिन है परन्तु आप मानते हैं कि सभी सदस्य इस कार्य को 4 बजे तक समाप्त करने पर सहमत हो गये हैं क्योंकि अन्य वित्तीय कार्य भी पूरे करने हैं। क्या आप इस पर विचार नहीं करेंगे और सिर्फ विधेयक के उपबंधों पर बोलेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : कृपया मुझे सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति दें। मैं इसके बारे में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह सिर्फ नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने लिखित रूप में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति सिर्फ नियमों के अनुसार दी जा सकती है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सभा पटल पर पत्र रखना चाहूंगा, जिसे कार्यवाही का अंग बनाया जा सकता है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सेरमपुर) : कृपया प्रत्येक व्यक्ति को बोलने दें और विधेयक को पारित होने दें।

श्री दिग्विजय सिंह : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या उन जगहों को, जिन्हें किसी अन्य इस्तेमाल के लिए बदल दिया गया है, को इस विधेयक में शामिल किया गया है कि नहीं। जी हां। उन्हें शामिल किया गया है। धारा 4 भाग का विधेयक के उस पहलू को शामिल करता है।

विधेयक की धारा 4 भाग(3) में कहा गया है :"ऐसे किसी स्थल से संबंधित विवाद जिसका कोई संपरिवर्तन जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व उपमति द्वारा किया गया है।" इसे शामिल किया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाए गये मुद्दा को पूरी तरह शामिल किया गया है।

मैं जो मुद्दा उठाना चाहता था वह यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस विधेयक द्वारा संशोधन किया जाना है।

मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। परन्तु मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आठवीं लोक सभा में रखे गये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम राजनीतिक दलों को वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने में प्रभावकारी नहीं रहा है। मैं मुंबई उच्च न्यायालय को बधाई देना चाहता हूं कि उसने ऐसे मामलों पर सुनवाई की तथा उचित प्रकार से उन पर निर्णय दिया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह काफी नहीं है। मंत्री महोदय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में और कठोर व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि सभी राजनीतिक दलों के लिए वोट प्राप्ति के लिए धर्म का उपयोग करना एक दण्डात्मक अपराध बनाया जा सके।

महोदय, निर्वाचन आयोग ने भा० ज० पा० के चुनाव चिह्न के मामले को भी स्थगित कर दिया है। इस विषय पर भी तेजी से विचार करना चाहिए क्योंकि यह काफी लम्बे समय से लंबित है। अतः इस पर शीघ्र निर्णय किए जाने की आवश्यकता है (व्यवधान) जब उस पक्ष के मेरे मित्र बेतुकी बातें कर रहे थे तब मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं अपने भाषण को केवल इस विधेयक पर चर्चा तक ही सीमित रखूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि तुलसी दास से अधिक भगवान राम का कोई और भक्त नहीं हुआ है। मैं तुलसीदास की एक कविता उद्धरित करना चाहूंगा जो वर्तमान समय में सबसे अधिक संगत है। मैं आपकी अनुमति से इसको उद्धरित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :

[हिन्दी]

"धूत कहो अवधूत कहो,
राजपूत कहो, जुलाहा कहो को,
काहे की बेटी सो बेटा न ब्याऊ,
काहू की जाति बिगाड़ ना सो,
तुलसी सरनाम गुलामुउ है राम को,
जाको सचाई सा कहाई कुछ को,
मांग के खायबो मस्जिद में सोयबो,
लेवे को एकउ ना देवे को बौ।"

[अनुवाद]

यह राम भक्ति थी, आज की राम भक्ति वह नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दिग्विजय सिंह, मैं आपको इस रूप में चर्चा नहीं करने दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, आपने मुझे नियन्त्रित कर दिया है। मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं और समय नहीं दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इसके साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। धर्म क्या है? गीता में कहा गया है :

[हिन्दी]

"न त्वहं कामये राज्यम्
न स्वर्गं नापुनर्भवम्
कायम दुःख ताप्तानाम्,
प्राणिनाम् आर्ति नाशयम्।"

अर्थ है :—

"न मैं राज्य चाहता, न स्वर्ग की
इच्छा करता हूं। मैं तो यही चाहता
हूं कि दुःख से तपे हुए प्राणियों की
पीड़ा का नाश हो।"

[अनुवाद]

यह धर्म है। यह हिन्दू भावना है जिसे समझना चाहिए। अन्त में, मैं निवेदन करूंगा कि इस सभा के सभी सदस्य अपनी चर्चा विधेयक के प्रावधानों तक ही सीमित रखें, जैसा कि मैंने किया है। मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दें तथा अपने सभी संशोधन वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको बिल से ही रिस्ट्रिक्टेड रखता, लेकिन हमारे आनरेबिल मैम्बर ने अभी तुलसीदास जी को कोट कर दिया है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं।…(व्यवधान)…

अध्यक्ष महोदय : उनसे ज्यादा नहीं।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : उनसे बहुत थोड़ा। तुलसीदास जी ने कहा है—

"जाके प्रिय न राम बैदेही,
तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही।"

उन्होंने तुलसीदास जी को कोट किया तो मुझे यह बोलना पड़ा। …(व्यवधान)…

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : (पंसकुरा) : महोदय, मैं देखता हूं कि सभी तुलसीदास को अपने दृष्टिकोण से उद्धरित कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। यह ठीक नहीं है कि धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए तुलसीदास को उद्धरित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : श्रीमन्, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। …(व्यवधान)…

[अनुवाद]

मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं। महोदय, आपने मुझे नियन्त्रित कर दिया है। मुझे अपनी चर्चा को विधेयक के प्रावधानों तक ही सीमित रखना होगा और अपना भाषण समाप्त करना होगा। मैं यह अवश्य बताना चाहूंगा कि हम इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात बहुत ही संक्षेप में कहें।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : जी हां, मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महोदय, हम देखते हैं कि इस विधेयक को लाने का एक विशिष्ट उद्देश्य है। अब मुझे अपने विचार व्यक्त करने दीजिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश में प्रत्येक प्रधान मंत्री ने समस्या उत्पन्न की हैं। आने वाले प्रधान मंत्रियों ने समस्याओं को हल करने के बजाये एक नई समस्या उत्पन्न की हैं। इस बात की आप स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही देख सकते हैं। अब यह विधेयक भी समस्या उत्पन्न कर देगा। यह देश के लिए समस्या उत्पन्न कर देगा तथा विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा लगातार यह बताया गया है कि चूंकि इस देश को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता में व्यवस्था है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय पन्द्रह में धर्म से संबधित अपराधों की व्यवस्था है। उसमें यह लिखा है :

> "किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।"

इस विधेयक में यह लिखा है :

> "ऐसे किसी स्थल का ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया कोई संपरिवर्तन जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष आपेक्षणीय नहीं है।"

सीमा पहले दी जा चुकी है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी। परन्तु हमें डर है कि इस मामले में कोई चाल है। यदि हम माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखें तो पायेंगे कि यह राष्ट्रपति महोदय के विचार नहीं हैं बल्कि सरकार के विचार हैं तथा राष्ट्रपति महोदय केवल एक प्रवक्ता हैं, अतः जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना करता हूं या कुछ कहता हूं तो मेरा आशय राष्ट्रपति महोदय के प्रति कोई असम्मान दर्शाना नहीं होता है। मैं पैरा 9 को उद्धरित करता हूं जिसमें कहा गया है :

> "यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि साम्प्रदायिक ताकतें देश के वातावरण को

तनावपूर्ण बना रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले सालों में दंगे फसाद हुए हैं । सरकार ऐसी ताकतों का मुकाबला करने के लिए तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं ।"

हमें इस टिप्पणी के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है । परन्तु उसके तुरन्त ही बाद निम्नलिखित वाक्य एक भिन्न अर्थ दर्शाता है । इसमें कहा गया है :

> "सरकार धार्मिक, भाषायी तथा जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों के साथ कोई समझौता करने की अनुमति नहीं देगी ।"

इसका स्पष्ट मतलब क्या हैं ? पहले वाक्य में आपने अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता का जिक्र नहीं किया है परन्तु अब आप इस अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे वाक्य में आपने कहा था कि आप भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यक ताकतों के अधिकारो की रक्षा करेंगे तथा बाद के वाक्य में कहा गया है :

> "एक संगठित त्वरित कार्यवाही बल का गठन किया जायेगा तथा उसे दंगों से निपटने के लिए उचित प्रकार से सज्जित तथा प्रशिक्षित किया जायेगा ।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या संगठित शब्द के उपयोग की आवश्यकता थी ? क्या इस देश की सभी शक्तियां संगठित नहीं हैं ? क्या सेना संगठित नहीं है ? क्या अर्द्ध सैनिक बल अथवा पुलिस संगठित नहीं है ? हम इस शब्द 'संगठित' में कुछ चाल समझते हैं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह बहुत ही अनुचित है । वह असंगत बातों का उद्धरण दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : आप मुझे उद्धरित करने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास बहुत कम समय है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने का पूरा समय मिलना चाहिए । हम आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप चाहे और समय बढ़ाइए, पर हमको बोलने का पूरा समय मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मामले को अनावश्यक रूप से उलझाइये मत ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : इस बिल में रेफरेंस दिया गया है और पैराग्राफ 29 में प्रेसीडेंट्स एड्रेस में इन्होंने कहा है।(व्यवधान)

इस वजह से हम यह समझते हैं कि अगर यह बिल पास होता है तो इसमें बहुत आपत्ति-जनक प्रावीजन्स हैं।

[अनुवाद]

यह इस दिशा में पहला कदम है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

इस बिल से हम समझ नहीं सकते कि क्या वजह है इसमें से जम्मू और काश्मीर को निकाल दिया। क्या वजह है, इंटीग्रल पार्ट आफ द कन्ट्री कहते हैं, तो इस बिल को जम्मू और काश्मीर में लागू क्यों नहीं करना चाहते, जहां हमारे मन्दिर तोड़े गए हैं? इसलिए हम इस बिल के प्रोवीजन्स की अपोज करते हैं। हम इस वजह से अपील करते हैं क्योंकि इसमें जम्मू और काश्मीर को नहीं रखा गया है। हमारे सामने हिस्ट्री है।

[अनुवाद]

इतिहास पड़ोस के बक्से के समान है।

[हिन्दी]

आज जो चाहे हिस्ट्री कोट कर लीजिए।

[अनुवाद]

वर्तमान को नकारा नहीं जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। आपने मुझे अपने भाषण के कुछ हिस्सों तक सीमित कर दिया है। अब माननीय सदस्य कुछ चित्र दिखा रहे हैं, क्या उन्होंने आपसे इन्हें दिखाने की अनुमति ले ली है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इनके व्यवस्था के प्रश्न का अनुमोदन करता हूं। यह चीजें सभा में नहीं दिखायी जानी चाहिए।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : यह बिल महज इसलिए लाया गया, किसी मन्दिर का झगड़ा इस वक्त नहीं हो रहा है, यह बिल महज इसलिए लाया गया है कि विश्व हिन्दू परिषद् ने, राम जन्म भूमि के अलावा जो हजारों हमारे मन्दिर तोड़े गये मात्र तीन मन्दिरों की बात कही है—काशी विश्वनाथ मन्दिर, मथुरा का जन्म स्थान और श्रीराम जन्म भूमि। श्रीराम जन्म भूमि को वैसे आपने इस बिल से निकाल दिया है। इसमें लिखा है कि नैगोशिएटिड सैटलमेंट से उसका फैसला करेंगे। लेकिन इस बिल को लाने का उद्देश्य सिर्फ एक था, वह यह है कि मथुरा के बारे में और काशी विश्वनाथ के बारे में, इसलिए मैं फोटोग्राफ दिखा रहा था, क्योंकि यहां पर एक आनरेबल मेम्बर ने कहा था कि अगर यह साबित हो जाए कि किसी मन्दिर को तोड़ कर मस्जिद बनायी

गयी है तो मैं पहला आदमी हाऊंगा जो मस्जिद को गिरा दूंगा। इन फोटोग्राफ्स से यह साबित होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह चित्र यहां नहीं दिखाए जाने चाहिये।

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मेरे पास प्रमाण हैं। इनसे यह साबित होता है, वह आनरेबल मैम्बर कहते हैं कि मन्दिर तोड़ कर अगर मस्जिद बनायी गयी है।

[अनुवाद]

मैं आपको असली स्थिति बता रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आप बार-बार उठ कर ऐसा करते रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। टाइम इतना नहीं है। अगर टाइम रहता तो सब चीजों के लिए टाइम देते। कृपा करके आप इस चीज को हम पर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : इसी हाउस में एक आनरेबल मैम्बर ने कहा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इनका उत्तर नहीं देना चाहिए। आपको इसकी व्यवस्था पर बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

काशी विश्वनाथ मन्दिर में लिखा हुआ है कि उसमें मलेच्छ और हरिजन नहीं जा सकते, मैं चेलेंज करता हूं इस स्टेटमेंट को और काशी विश्वनाथ मन्दिर में जो लिखा है उसको पढ़ कर सुना देता हूं। इस हाउस को मिसलीड किया गया है। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर उस आनरेबल मैम्बर ने असत्य बोला है, हाउस को मिसलीड किया है तो वह अपोलोजाइज करे। वहां यह लिखा हुआ है···(व्यवधान)···जो लिखा है वह सुन लीजिए, चार भाषाओं में लिखा हुआ है। संस्कृत में लिखा है :

"आर्य धर्मात्तराणाम् प्रवेशो निषिद्ध"

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी-

अभी व्यवस्था दी है कि इस विधेयक से प्रत्यक्ष रूप से तथा संगत रूप से संबंधित बात के अलावा कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था है कि यह संगत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझने की कोशिश करिए कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अन्य अनेक विधेयक पारित करने हैं। यदि आप विधेयकों को पारित करने नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल होगी।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, आप अपनी व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था दी है कि यह संगत है।

[हिन्दी]

इसमें संकृत में लिखा है :

"आर्य धर्मात्तराणाम् प्रवेशो निषिद्धः"

[अनुवाद]

"जो लोग हिन्दू धर्म का पालन नहीं करते हैं उन्हें मन्दिर में आने की अनुमति नही होगी।"

"जो हिन्दू धर्म के अनुयायी नहीं हैं उनसे अनुरोध हैं कि वे मन्दिर में प्रवेश न करें।"

हिन्दी में लिखा हुआ है "जो लोग आर्य धर्म नहीं मानते, वे मन्दिर में न आएं।' यही उर्दू में लिखा हुआ है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आर्य धर्म के बाहर का क्या मतलब होता है।...... (व्यवधान)

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : इस हाउस को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। इस विधेयक का हम इसलिए विरोध करते हैं। हमने यह देखा कि अंग्रेजों को हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाने में कामयाबी मिल गई। इस देश में उसके बाद जो शासन आया, उसने सिखों और हिन्दुओं में भी संदेह की धारा पैदा कर दी। आज यही हो रहा है। हिन्दुओं को हिन्दुओं के साथ लड़ाने के लिए इस किस्म के बिल लाए जा रहे हैं। इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं। यह पालिसी आफ एपीजमेंट है और हम सैक्युलरीज्म के बिल्कुल हामी हैं।

[अनुवाद]

हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। हम अल्पसंख्यकों की तुष्टि में विश्वास नहीं रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप देश का विभाजन हुआ है जिसको हम निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

हम समझते हैं कि इस बिल को लाने का उद्देश्य माइनोरिटी और एपीजमेंट है, सैक्युलरीज्म नहीं है। हम सैक्युलरीज्म पर नेशनल डिबेट के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी इस बिल से होने वाला है तो उससे बहुत गंभीर परिस्थिति होने जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसको आप अन्यथा न लें। विश्व हिन्दू परिषद ने इसके संबंध में अपना एक रेजोल्युशन पारित किया है। विश्व हिन्दू परिषद इस समय, साहित्यिक और राजनीतिक मांगों पर नहीं लेकिन धर्म के मामले पर जब हम अपना आन्दोलन चालू करते हैं तो उस समय जो परिस्थिति डवलप होती है तो परिस्थिति से निपटने का एक तरीका है कि हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए। इसको हम हिन्दुओं की भावना के साथ खिलवाड़ समझते हैं।.........(व्यवधान) जो लोग हिन्दू समाज की शक्ति देखना चाहते हैं.........(व्यवधान) यहां पर यह कहा गया था कि जब राम मन्दिर का निर्माण होगा तो हम वहां जायेंगे और एजीटेशन करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन, उनसे सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा पहले भी इस्तेमाल की जा चुकी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब भी यह विधेयक के उपबंधों के बारे में नही हैं। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दी थी। कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के कारण बहुत बड़ा आन्दोलन हो जायेगा और यहां इस बात की चुनौती ले सकते हैं।......(व्यवधान) मैं किसी को थैट नहीं कर रहा हूं।

गृह मन्त्री महोदय ने कहा था कि यह हमारी राय है। हमारी राय है कि यदि इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो इससे देश में एक ऐसा आन्दोलन होगा जिसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं अपनी सम्पूर्ण शक्ति और अनुग्रह के साथ सरकार और माननीय गृह मंत्री से इस विधेयक पर पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूं अन्यथा इससे कानून और व्यवस्था की बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न होगी।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नामी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा के लिए किए गए इस विधेयक—उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1991– का स्वागत करता हूं।

मैं इसे सही दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम मानता हूं। यह एक महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक विधेयक है जोकि आने वाली शताब्दियों तक सम्पूर्ण देश के भाग्य को रचनात्मक ढंग से प्रभावित करता रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए 15 अगस्त, 1947 से अच्छी कोई और तारीख नहीं हो सकती थी। यह एक निर्णायक दिन था जबकि दीर्घ संघर्ष और बलिदान रंग लाया और हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की।

3.00 म०प०

अतः हमारे देश के सम्पूर्ण इतिहास में इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई और तारीख नहीं हो सकती है।

मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में किए गए और राष्ट्रपति द्वारा संसद को दिए गए अपने अभिभाषण में दोहराए गए वायदों को श्री पी० वी० नरसिंह राव की सरकार द्वारा आज लागू किया जा रहा है। मुझे अपनी पिछली चर्चा अच्छी तरह याद है जबकि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने इस प्रकार विधेयक के बारे में हमारी मांग को मंजूर किया था। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि इससे हमारे संविधान के धर्म-निरपेक्ष आधार, साम्प्रदायिक सौहार्द और देश की एकात्मकता तथा अखंडता और विभिन्न समूहों के लोगों के बीच सौहार्द स्थापित करने की भावना को बढ़ावा मिलेगा। मुझे आशा है कि इससे सभी विवादों का अन्त होगा और फासिस्ट बलों को अपने राजनैतिक लाभ के लिए स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकेगा।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इस विधेयक पर चार दशक पहले हमारे महान देशभक्त राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विचार किया गया था। अप्रैल, 1950 में, बाबरी मस्जिद के अन्दर 1949 में शरारतपूर्ण ढंग से मूर्तियों की स्थापना के बाद, पंडित सुन्दर लाल की अध्यक्षता में कौमी एकता सम्मेलन हुआ था। आचार्य नरेन्द्र देव ने एक प्रस्ताव रखा था कि 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुरूप सभी उपासना स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक कानून बनाया जाए।

न्यायमूर्ति लोढा का कहना है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ऐसा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया था, और न श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया था। जी हां, लेकिन उस समय ऐसी गंभीर स्थिति नहीं आई थी। अलगाववादी ताकतें इतनी प्रबल नहीं थीं जैसी कि आज की फासिस्ट ताकतें देश की एकता और अखंडता को छिन्न-भिन्न करने में लगी हुई हैं। ये ताकतें धर्म को राजनीति से मिलाकर खिलवाड़ कर रही हैं। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। अतः उस समय ऐसा विधेयक नहीं लाया गया था।

अब विधेयक के विभिन्न खंडों और धाराओं के बारे में मुझे कहना है कि धारा 4, उपधारा 1 में की गई स्पष्ट घोषणा इस विधेयक का आधार है। यह एक महत्वपूर्ण और बहुत ही स्वागत करने योग्य घोषणा है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था।'

वास्तव में यह सम्पूर्ण विधेयक का आधार है। इसकी हम पिछले कई वर्षों से यही मांग करते आ रहे हैं ताकि सामंजस्य स्थापित किया जा सके और देश की अखंडता सुरक्षित की जा सके। अब यह विधेयक लाया गया है। अतः यह एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक, जो सत्र पारित होने जा रहा है, और जिसे आज निर्विरोध पारित किया जाएगा, एक ऐतिहासिक विधेयक होगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब चर्चा समाप्त करें।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : महोदय, आपने दूसरों को घंटों का समय दिया है। कृपया मेरे लिए कुछ और मिनट का अतिरिक्त समय दीजिये क्योंकि हम विधेयक के अति आवश्यक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे और बहुत से मुद्दों पर बोलना है।

विधेयक की कुछ अन्य धाराओं को दृष्टिगत करते हुए मुझे कहना है कि इसमें बहुत-सी कमियां हैं जिन्हें सही करना होगा और इसमें कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन्हें लोप करना होगा।

धारा 2 की उपधारा (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है :

"संपरिवर्तन किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तब्दीली है।"

लेकिन धारा 3 इसे निबंधित करती है। यह प्रतिकूलोक्ति है। मैं उस धारा को उद्धृत करता हूं जिसमें कहा गया है :

"कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग के या भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में संपरिवर्तन नहीं करेगा।"

अब इसमें उपासना स्थल को निवास स्थान, पशु-घर या मोटर कारखाने में बदलने के बारे में क्या स्थिति है। यदि किसी उपासना स्थल को पशु-घर या निवास स्थान या मोटर कारखाने में बदल दिया जाये और विधेयक के अन्तर्गत उसे संरक्षण नहीं मिल पाता है और ऐसे स्थल को किसी अन्य रूप में बदल दिया जाता है तब इस विधेयक का सारा उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा और यह विधेयक निरर्थक हो जाएगा।

एक और बात है। विधेयक की धारा 4 की उपधारा 3, जो पुरातत्व विभाग द्वारा स्थलों को राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में लिए जाने के बारे में है, अप्रासंगिक है और इसका लोप किया जाना चाहिए।

पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में लिए गए तकरीबन सभी उपासना स्थलों को मस्जिदों के रूप में रखा जाए और मुसलमानों को उनमें इबादत करने का अधिकार दिया जाये तथा विधेयक के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण दिया जाए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि विधेयक पुरातत्व विभाग द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों के रूप में लिए गए सभी उपासना स्थलों पर क्यों नहीं लागू होगा।

दूसरा अति महत्वपूर्ण मामला है कि जहां तक विधेयक की धारा 5 का संबंध है, इसका लोप किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बाबरी मस्जिद को विधेयक की सीमा से बाहर रखा गया है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह अपवाद क्यों है। हमारी इच्छा है कि पूर्ण शांति के लिए सभी विवादों को सुलझाया जाना चाहिए और सभी विवादों को एक बार दफन कर दिया जाना चाहिए और देश को शांति और प्रगति के मार्ग पर अग्रेषित किया जाये।

कानून और न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध भा० ज० पा०-वि० ह० प०-रा०स्व०स० की संधि के अमंगलकारी संघटन और आक्रामक इरादों को ध्यान में रखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके कारण आशंकायें उत्पन्न हो रही हैं तथा सभी शांतिप्रिय, धर्म निरपेक्ष लोग इससे क्षुब्ध महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का सम्पूर्ण मंत्रिमंडल बाबरी मस्जिद को गिराने की कसम लेने और अध्यादेश जारी करके विवादास्पद भूमि पर मंदिर बनाने के लिए अधिग्रहण करने के उद्देश्य से अयोध्या गया था। भूमि पर बिना किसी मालिकाना अधिकार और बिना किसी अनुमोदित योजना के कार सेवा शुरू करने के लिए घोषणाएं की गई। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ है। यह केन्द्रीय सरकार के बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखने की निति के विरुद्ध है और इससे केन्द्र और राज्य के बीच झगड़े की स्थिति पैदा हो जाएगी।

इसके अलावा वि० हि० प० ने देशव्यापी अभियान का ऐलान किया है और बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी को गलियों में आने के निदेश दिए हैं। इसका मतलब है कि उपद्रव चरम सीमा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक सांकेतिक स्थिति है और ऐसी स्थिति की किसी भी हालात में इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कब तक हम लगातार ऐसी अवमानना का शिकार होते रहेंगे और ये फासिस्ट कब तक हमें निदेश देते रहेंगे।

अब बाबरी मस्जिद को अलग रखने की बात की गई है और यदि धारा 3 का लोप नहीं किया गया है तो, केन्द्रीय सरकार और सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों की जिम्मेवारी काफी बढ़ गई है। हमने अपने लाभ को धर्म निरपेक्ष ताकतों को सौंप दिया है। मैंने ऐसा कहा है और मैं इसे दोहराता हूं कि हमने अपने भाग्य को धर्म निरपेक्ष ताकतों को सौंप दिया है। हम धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिए और देश की एकता के लिए उनके साथ हैं। हम झगड़ा नहीं चाहते लेकिन न्याय, कानून और संविधान के आधार पर शांतिपूर्ण निर्णय की इच्छा रखते हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को न केवल अतिरिक्त रूप से सतर्क होना चाहिए बल्कि उसे अपने इरादों को भी पूर्णतया: स्पष्ट करना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि वे विनाश की फासिस्ट ताकतों के दबाव में नहीं आएंगे और कानून का पालन करने वाले शासन तथा अपने देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखेंगे।

महोदय, मैं अपने साथी श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा दिए गए भाषण की तारीफ करता हूं और यह तथ्य दोहराता हूं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का पालन करता है, भारतीय संस्कृति हिंदुओं और मुसलमानों की सांझा विरासत है तथा दोनों ने इसके लिए संयुक्त रूप से योगदान किया है। भारत एक बहुधर्मीय और बहु-संस्कृतीय देश है, हमें मिलकर रहना सीखना होगा तथा हममें एक दूसरे के लिए सहिष्णुता और सद्भावना होनी चाहिए। अन्यथा किसी भी प्रकार की शांति और उन्नति नहीं होगी।

अन्त में, मैं आशा करता हूं कि ज० द०, रा० मो० और वामपंथी दलों जैसी धर्म निरपेक्ष ताकतें मौके का लाभ उठाएंगी और फासिस्ट तथा विघटनकारी शक्तियों का सयुक्त रूप से मुकाबला करेंगी और देश को विनाश से बचाएंगी तथा देश की एकाग्रता की रक्षा करेंगी। यह हमारी संयुक्त जिम्मेवारी है।

अब हम इस संकट की घड़ी में अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएं और इस विधेयक को सर्व-सम्मति में पारित करें तथा इतिहास बनाएं।

अन्ततः मैं अपने साथी गुप्त की तरह भा० ज० पा० के अपने मित्रों से इस विधेयक की सर्वसम्मति से पारित करने में हमारे साथ मिलकर सहिष्णुता और समन्वय के नए अध्याय की शुरूआत करने के लिए अपील करता हूं ताकि हम लोग शांतिपूर्वक रह सकें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : जनाब स्पीकर साहब, मैं बहुत थोड़ा-सा वक्त लूंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा इसलिए कि मैं इस बिल की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल की ताईद में बहुत-सी बातें कही जा चुकी हैं जिनको मैं हरगिज नहीं दोहराना चाहता हूं लेकिन दो-तीन बातें ऐसी कही गयी हैं कि जिससे न सिर्फ इस हाऊस में बल्कि सारे मुल्क

में और जनाब स्पीकर साहब, मुझे डर है कि सारी दुनिया में गलतफहमी पैदा होने का अंदेशा है। इस बिल में 15 अगस्त, 1947 से पहले की हिन्दुस्तान में तमाम इबादतगाहों की सूरते-हाल थी, उसको अला हालिई बरकरार करने का प्राविजन लाया गया है और जो तकरीरें हुई हैं, जो ख्यालात इस ऐवान के सामने जाहिर किए गए हैं, उस तरफ खासतौर पर इशारा किया गया है। बनारस में काशी विश्वनाथ मन्दिर के करीब जो मस्जिद है, और मथुरा की ईदगाह के करीब श्री कृष्ण जी की पैदाइश के पास जो ईदगाह है उसका और बाबरी मस्जिद का, इन तीन इबादतगाहों का बार-बार तकरीरों में और जिक्र आया है।

जनाब स्पीकर साहब, बाबर के मुताल्लिक यह कहा जाना कि बाबरी मस्जिद की तामीर बाबर ने कराई...

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें नहीं है। मैंने उनको अलाउ नहीं किया, न दीक्षित जी को अलाउ किया।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : क्या आपने अलाउ नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना होगा यहां बैठकर।

[अनुवाद]

हम राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की चर्चा नहीं कर रहे हैं :

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : बाबरी मस्जिद को एक्जेम्प्ट किया गया है और बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक यहां बहुत सेर-हासिल गुफ्तगू हुई है। कल पूरा दिन बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक गुफ्तगू हुई है और आप तशरीफ फरमां नहीं थे, मैं यहां मौजूद था। एक सेकेंड के लिए मैं इस ऐवान से नहीं हटा हूं और बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक बहुत-सी बातें कही गई हैं। जरा थोड़ा ताम्मुल फरमाइए, जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं उसको सुनिए। अगर मैं इर्रेलेवेंट बातें कर रहा हूं तो मुझको ऐवान से बाहर कर दें। मुझे इस किस्म की आदत नहीं है, कि मैं फिजूल बातें करके किसी का वक्त जाया करूं। मैं जो बातें कहूंगा वह रेलेवेंट और जरूरी होंगी। मुझे मालूम है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो यह बात कही जा रही है कि यह मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, यह बात गलत है। मेरे पास बाबरनामा मौजूद है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या वह विधेयक से संबंधित है।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : यह काफी हद तक प्रासंगिक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप उस मुद्दे को छोड़ दीजिए।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : यदि आप इसकी इजाजत नहीं देते है, मैं इस पर जोर नहीं दूंगा। मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद ।

[हिन्दी]

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : स्पीकर सर, उसके बाद खास तौर पर इधर से एक मुकर्रिराह साहिबा ने विश्वनाथ काशी मन्दिर के मुताल्लिक बहुत ही पुरजोर अल्फाज में यह बात फरमाई कि वह बनारस तशरीफ ले गई थी और उन्होंने वहां जाकर देखा और देखने के बाद मारे गुस्से के उनके तन-बदन में आग लग गई, बावजूद इसके कि उस वक्त बारिश हो रही थी । और उन्होंने यह तस्वीर ऐवान के सामने पेश करनी चाही कि मन्दिर को गिराकर ये मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी और बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ा जब्र और बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था । मैं कुछ नहीं कहूंगा । यह मेरे पास एक किताब है जनाब स्पीकर साहब, डा० पट्टाभि सीतारमैया की लिखी हुई । इसका नाम है "फेदर्स एंड स्टोन्स" । इसके सफे 177 पर इस मस्जिद और मन्दिर के मुताल्लिक उन्होंने अपनी तसदीक के लिए कुछ जुमले लिखे हैं । वह जुमले मैं पढ़ना इसलिए जरूरी समझता हूं कि जो गलतफहमी इस ऐवान में पैदा की गई है कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़ कर बनाई गई थी, औरंगजेब के हुक्म से, उससे एक बहुत बड़ी तारीख-ए-गलतफहमी पैदा हो रही है और यह कहा गया है इस तरफ से कि हम लोग तारीख को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तारीख किस तरह से ऐवान के सामने आनी जरूरी है । मैं सिर्फ एक क्वोटेशन पढ़कर खत्म कर दूंगा ।

> "औरंगजेब भी जब अपने उत्कर्ष के चरम पर था, तो देश के किसी भी विदेशी बादशाह की तरह वह अपने मुहासिबों में अनेक हिन्दू सरदार हुआ करते थे । एक दिन वे सब वाराणसी के एक पवित्र मंदिर को देखने निकल पड़े । उनमें कच्छ की रानी साहिबा भी थी । जब वह दल मंदिर दर्शन करके लौटा, तो उसमें रानी लापता थीं ।"

अध्यक्ष महोदय : क्या हम औरंगजेब के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उस पूजा स्थल को, जो 15 अगस्त, 1947 को एक धार्मिक समुदाय विशेष के अर्थात मसजिद या मन्दिर था, उसी रूप में जारी रखा जाये अथवा उसे तोड़ दिया जाये या फिर उसे अन्य धर्मों का पूजा स्थल भी बना दिया जाये । यही चर्चा का विषय रहा है, केवल इसीलिए इस विधेयक को इस सभा के समक्ष लाया गया है । महोदय, आपको यह अवश्य पता होगा कि यह कोई गुप्त बात नही है कि तीन स्थानों का जिक्र हुआ है बाबरी मसजिद, विश्वनाथ काशी मंदिर और मथुरा ईदगाह । इसलिए यह बहुत प्रासंगिक होगा कि इस विषय पर प्रकाश डाला जाये क्योंकि यह गलतफहमी पैदा की जा रही है कि यह मसजिद एक मंदिर को गिराकर उसकी जगह पर बनाई गई है । इसलिए इसे अवश्य बहाल रखा जाना चाहिए । मसजिद गिरा दी जानी चाहिए और हिन्दू समुदाय को उस स्थल पर एक मन्दिर बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए । मैं बहुत आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि यह बहुत संगत है, अन्यथा मैं सभा का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करता ।

मैं "फीदर एण्ड स्टोन्स" पुस्तक से उद्धृत कर रहा हूं :

> "जब वह दल मंदिर से लौटकर आया, तो कच्छ की रानी गायब थीं । उन्होंने उसकी तलाश में अन्दर-बाहर, पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण छान मारा । किन्तु उनका कुछ

अता-पता न लगा। अन्त में अधिक मेहनत से की गई खोजों से एक तहखाने का पता चला जो बाहर से केवल दो मंजिला दिखाई देने वाले मंदिर का तहखाना था। जब इसका रास्ता बंद पाया गया, तो उन्होंने दरवाजे तोड़ डाले और वहां जर्दचेहरा रानी साहिबा को बिना गहने के पाया गया। पता चला कि महन्त लोग धनी, गहनों से लदे तीर्थ यात्रियों को चुनते थे और उन्हें मंदिर दर्शन के लिए मार्गदर्शन के बहाने भटकाकर तहखाने में ले जाते थे और गहने लूट लेते थे। उनकी जिन्दगी का क्या होता होगा, कोई नहीं जान पाता था। जो भी हो, इस मामले में शरारत के लिए समय ही नहीं था, क्योंकि खोज बहुत सावधानीपूर्वक और तत्परतापूर्वक की गई थी। पुजारी की धूर्तता जान जाने पर औरंगजेब ने ऐलान किया कि इस किस्म की डाकाजनी की जगह खुदा का घर नहीं हो सकती और उसने इसे तत्काल नष्ट कर देने का हुक्म दे दिया और खंडहर वहीं छोड़ दिये गये। किन्तु इस प्रकार जिस रानी को बचाया गया था, उसने वहां मसजिद बनाने का आग्रह किया और उसे खुश करने के लिए वहां बाद में एक मसजिद बना दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर, जोकि अब मंदिर नहीं है, की बगल में एक मसजिद बना दी गई।"

तो श्रीमन् इस प्रकार कच्छ की रानी के कहने पर यह मसजिद बनाई गई। इतिहास मैंने नहीं लिखा है। मैं इसका लेखक नहीं हूं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मतलब यह कि आपने भी स्वीकार कर लिया कि मन्दिर तोड़कर मसजिद बनाई गई थी।

[अनुवाद]

मुहम्मद यूनुस सलीम : एक सुविख्यात इतिहासकार···

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। जब मैं मंदिर के तोड़े जाने और उसके मलबे पर मसजिद बनाये जाने की बात सिद्ध करने के लिए इतिहास का जिक्र कर रहा था, उस समय मेरे पास यह दिखाने और साबित करने के लिए एक फोटो था कि वहां एक मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया और मंदिर के मलबे पर मसजिद बनाई गई थी···

अध्यक्ष महोदय : गड़बड़ क्या है? आपने पिछली बातें नहीं उठाईं। उनके भाषण में क्या गड़बड़ है?

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : उनके भाषण में गड़बड़ी यह है कि···

[हिन्दी]

आपने मुझे तो इजाजत दी नहीं और ये कोट करते चले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे आपको हर बात बतानी होगी। मैंने फोटो दिखाने की अनुमति नहीं दी थी। जब आपने काशी मंदिर के समीप की मसजिद का उल्लेख किया तो मैंने आपको अनुमति दे दी। मैंने श्री शहाबुद्दीन की आपत्ति को

अस्वीकार कर दिया। हम इस तरह की बातों पर चर्चा नहीं करते। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : इसी वाकये को डा० पाण्डे ने जो उड़ीसा के गवर्नर थे और जो इस वक्त राज्य सभा के मेम्बर हैं, उन्होंने खुदाबख्श लायब्रेरी में बयान दिया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। मैं होम मिनिस्टर साहब से दर्ख्वास्त करता हूं कि वे मेहरबानी करके इस बिल में थोड़ी-सी तरमीम पर गौर करें, जो बहुत जरूरी है। मैं इसकी दफा 3 पढ़ रहा हूं—

[अनुवाद]

> "कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग के या भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में संपरिवर्तन नहीं करेगा।"

मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह 'उसके किसी अनुभाग' के पश्चात् "या किसी मकबरा, कब्रिस्तान, समाधिस्थल या श्मशान भूमि" जोड़ने के औचित्य पर विचार करें। क्योंकि ताजमहल के संबंध में विवाद है। यह एक मकबरा है। यह धार्मिक स्थल नहीं है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा एक मकबरा है, यह धार्मिक स्थल नहीं है, हुमायूं का मकबरा भी एक मकबरा है, वह धार्मिक स्थल नहीं है। बाबर का मकबरा एक मकबरा है, वह धार्मिक स्थल नहीं है। ये सब मकबरे हैं। इनको भी उसी प्रकार से परिरक्षित रखा जाना चाहिए जिस प्रकार से उपासना स्थलों को परिरक्षित रखा जाता है।

अतः मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह कृपया इस पर विचार करें। केवल प्रश्न यही नहीं है कि किसी उपासना स्थल को उसी धार्मिक सम्प्रदाय अथवा भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग या उसके किसी अनुभाग में संपरिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी संपरिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। इसे कालेज नहीं बनाना चाहिए। इसे स्कूल नहीं बनाना चाहिए। इसे आवासीय गृह नहीं बनाना चाहिए। इसे कोई कार्यालय नहीं बनाना चाहिए।

अतः मंत्री महोदय से मेरा प्रस्ताव है कि वह 'उसके किसी अनुभाग' के पश्चात् "या किसी अन्य प्रयोजन के लिए" शब्द जोड़ने के औचित्य पर विचार करें। इससे इसका उद्देश्य पूरा हो जायेगा। क्योंकि यदि आप केवल इसी पैराग्राफ तक सीमित रहेंगे कि किसी धार्मिक स्थल को किसी अन्य धार्मिक स्थल में संपरिवर्तित नहीं किया जायेगा, तो उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित किया जाएगा तो इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अतः मैं आदरपूर्वक माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रश्न पर विचार करें। मैं इस सभा का और अधिक समय नहीं लूंगा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया गया है तथा मैं इस विधेयक का दृढ़ता से समर्थन करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे।

جناب محمد یونس سلیم (کٹیہار) : جناب اسپیکر صاحب میں بہت

تھوڑا سا وقت لونگا زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اس لئے کہ میں اس بل

کی تائید کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں ۔ اس بل کی تائید میں بہت سی

باتیں کہی جا چکی ہیں جن کو میں ہرگز نہیں دہرانا چاہتا ہوں لیکن دو باتیں ایسی

بھی گئی ہیں کہ جس سے نہ صرف اس ہاؤس میں بلکہ سارے ملک میں اور

جناب اسپیکر صاحب سے مجھے ڈر ہے کہ ساری دنیا میں غلط فہمی پیدا

ہونے کا اندیشہ ہے ۔ اس بل میں پندرہ اگست ۱۹۴۷ء سے پہلے کی

ہندوستان میں تمام عبادت گاہوں کی صورتِ حال تھی اس کو علی الحال برقرار

رکھنے کا پروویژن لایا گیا ہے اور جو تقریریں ہوئی ہیں جو خیالات اس ایوان

کے سامنے ظاہر کئے گئے ہیں اس طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے ۔ بنارس

میں کاشی وشوناتھ مندر کے قریب جو مسجد ہے اور متھرا کی عیدگاہ کے

قریب شری کرشن جی کی پیدائش کے پاس جو عیدگاہ ہے اس کا اور بابری

مسجد کا ان تین عبادت گاہوں کا بار بار تقریر اور ذکر آیا ہے ۔

جناب اسپیکر صاحب بابر کے متعلق یہ کہا جاتا کہ بابری مسجد

کی تعمیر بابر نے کرائی ......

ادھیکش مہودے : یہ اس میں نہیں ہے ۔ میں نے ان کو الاؤ نہیں کیا نہ ڈِکشت جی

کو الاؤ کیا ۔

جناب محمد یونس سلیم : کیا آپ نے الاؤ نہیں کیا ؟

ادھیکش مہودے : آپ نے سنا ہوگا یہاں بیٹھ کر ۔

We are not discussing
Babri Masjid and Ram Janambhoomi.

جناب محمد یونس سلیم : بابری مسجد کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے اور بابری مسجد کے متعلق یہاں بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ۔ کل پورا دن بابری مسجد کے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور آپ تشریف فرما نہیں تھے، میں یہاں موجود تھا ۔ ایک سیکنڈ کے لئے میں ایوان سے نہیں ہٹا ہوں اور بابری مسجد کے متعلق بہت سی باتیں کہی گئی ہیں ۔ ذرا تھوڑا تحمل فرمائیے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اسکو سنیئے ۔ اگر میں اَن ریلیوینٹ باتیں کر رہا ہوں تو اس کو ایوان سے باہر کر دیں ۔ مجھے اس قسم کی عادت نہیں ہے کہ میں فضول باتیں کر کے کسی کا وقت ضائع کروں ۔ میں جو باتیں کہونگا وہ ریلیوینٹ اور ضروری ہوں گی ۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ مسجد بابر نے بنوائی تھی یہ بات غلط ہے ۔ میرے پاس بابرنامہ موجود ہے ....(انٹرپشنز)

Mr. Speaker : Is this relevant to the Bill ?

Shri Mohammad Yunus Saleem : It is very much relevant.

Mr. Speaker : I am not allowing it. You leave that point.

Shri Mohammad Yunus Saleem : If you do not allow it, I will not insist on it. I will obey your ruling. I do not want to quarrel with you.

Mr. Speaker : Thank you.

جناب محمد یونس سلیم : اسپیکر سر ۔ اس کے بعد خاص طور پر ادھر سے ایک معززہ صاحبہ نے وشوا ناتھ کاشی مندر کے متعلق بھی بڑے پُرزور الفاظ میں یہ بات فرمائی کہ وہ بنارس تشریف لے گئی تھیں اور انہوں نے وہاں جا کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد مارے غصّے کے اُن کے تن بدن میں آگ لگ گئی، باوجود اس کے کہ اس وقت بارش ہو رہی تھی ۔ اور انہوں نے یہ تصویر ایوان کے سامنے پیش کرنی چاہی کہ مندر کو گرا کر یہ مسجد اورنگ زیب نے بنوائی تھی اور بہت بڑا جبر اور بہت بڑا اتیاچار ہوا تھا ۔ میں کچھ نہیں کہوں گا ۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جناب اسپیکر صاحب ڈاکٹر پٹابھی سیتا رمیّہ کی لکھی ہوئی ۔ اسکا نام ہے " فیدرس اینڈ اسٹونس " اس کے صفحہ ۱۷۷ پر اس مسجد اور

مندر کے متعلق انہوں نے اپنی تصدیق کے لئے کچھ جملے لکھے ہیں ۔ وہ جملے میں پڑھنا اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو غلط فہمی اس ایوان میں پیدا کی گئی ہے کہ یہ مسجد مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی اورنگ زیب کے حکم سے اس سے ایک بہت بڑی تاریخی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اور یہ کہا گیا ہے اس طرف سے کہ ہم لوگ تاریخ کو ٹوئیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کس طرح سے ایوان کے سامنے آنی ضروری ہے ۔ میں صرف یہ ایک کوٹیشن پڑھ کر ختم کر دوں گا ۔

Mr. Speaker : What is out of order ? You do not raise the previous things. What is out of order in his speech ?

Shri Shreesh Chandra Dikshit : The out of order in his speech is that

آپ نے مجھے تو اجازت نہیں دی اور یہ کوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔

Mr. Speaker : You can not challenge the ruling of the Speaker because I shall have to explain everything to you. What I did not allow was the exhibition of the photographs. When you referred to the masjib near the Kashi Temple I did allow you. I over ruled Mr. Shahabuddin. We don't discuss things like that. Please take your seat.

جناب محمد یونس سلیم : اسی واقعے کو ڈاکٹر پانڈے نے جو اڑیسہ کے گورنر تھے اور جو اس وقت راجیہ سبھا کے ممبر ہیں انہوں نے خدا بخش لائبریری میں بیان دیا ۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں ۔ میں ہوم منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے اس بل میں تھوڑی سی ترمیم پر غور کریں جو بہت ضروری ہے ۔ میں اس کی دفعہ ۳ پڑھ رہا ہوں :

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक यहां पर लाए हैं, यह काला विधेयक है। इस देश के लिए यह काला विधेयक साबित होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। महोदय, मैं सच्ची बात कहने जा रहा हूं अगर किसी को कड़वी लगे, तो ध्यान नहीं देना और अच्छी लगे तो ताली नहीं देना, मेरा एक ही निवेदन है कि मुझे कृपया शांति से सुनें।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र में लिखा था कि 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को कायम रखेंगे। इसलिए उन्होंने यह काम अपने घोषणापत्र के अनुसार किया है, लेकिन महोदय, जम्मू-कश्मीर को उन्होंने इससे पृथक रखा है, ऐसा क्यों? वहां इतने मंदिर तोड़े गए, लेकिन उसको इस विधेयक से अलग रखा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के विरोध करने का दूसरा कारण यह है कि यह बिल स्वतंत्रता के पूर्व जिन नामों पर यहां सड़कों और मोहल्लों के नाम रखे गये थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशियों के नाम पर जो-जो सड़क और अन्य स्थानों के नाम थे वे सब बदल दिए गए और स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत नेताओं के नाम पर ये नाम रखे गए, जैसे जॉर्ज पंचम, विक्टोरिया महारानी आदि ऐसे अनेक नाम हैं जिनके नाम पर यहां सड़कों और स्मारकों के नाम रखे गए थे। अगर 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को कायम रखना है, तो जॉर्ज पंचम और महारानी विक्टोरिया के पुतलों को भी यहां कायम करना होगा। इसलिए यह एक साम्प्रदायिक सदभाव का विधेयक नहीं बल्कि साम्प्रदायिक तनाव का बीजारोपण करने वाला ऐसा सरकारी दस्तावेज बनकर रह जायेगा जिसके लिए भारत के दिवंगत महापुरूष इस सरकार को क्षमा नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी इसे औरंगजेबी शासन के नए संस्करण के रूप में याद रखेंगी।

संसद भवन को हम संविधान का मंदिर मानते हैं। इस संविधान के मंदिर में कुछ श्लोक, मंत्र और सूक्तियां लिखी हुई हैं। ये 15 अगस्त, 1947 के बाद लिखी गई हैं। यदि आप 15 अगस्त, 1947 की स्थिति कायम रखेंगे और कोई यह कहेगा कि इनको हटा दें तो क्या आप उन सबको हटा देंगे। इसलिए जो विधेयक लाया गया है मैं इसका विरोध करता हूं।

सिंध और पंजाब में कुछ उपासना स्थलों को सिंध के शरणार्थियों को फिर से दिया गया। यदि वहां फिर से 15 अगस्त की स्थिति कायम रखेंगे तो जो उपासना स्थल आपने दिए हैं वे वापस लेने पड़ेंगे। इससे साम्प्रदायिक दंगे बढ़ेंगे। जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तब यह विधेयक लाया गया है। इसे इस समय लाने की जरूरत नहीं थी। श्री चव्हाण हमारे नेता हैं, महाराष्ट्र के हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस समय नहीं लाना चाहिए था। यह काला विधेयक है। यह सभी का मामला है। यह कोई शिवसेना या बी० जे० पी० का मुद्दा नहीं है। राज्यकरण में धर्म जरूर होना चाहिए लेकिन धर्म में राज्यकरण नहीं होना चाहिए। जो मुस्लिम तत्व कुछ आगे आए हैं हर बार हमने उनको सराहा है। स्वतंत्रता संग्राम में वे हमारे साथ थे। जब पाकिस्तान न बना तो हमने उनको भाई समझकर एक बार पाकिस्तान दे दिया। अब फिर कश्मीर मांग रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यदि वे कश्मीर मांगते हैं तो इनको पहले जो टुकड़ा

दिया है यह भी वापिस लेकर भारत को अखंड रखने की तैयारी करनी चाहिए। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं**(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आप इसे मुझ पर छोड़ दें। समय काफी सीमित है। कृपया विधेयक के उपबंधों पर बात करें।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : हम मुसलमान का विरोध नही करते हैं·· (व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप इसे मुझ पर छोड़ दें। आप कृपया विधेयक के उपबंधों के बारे में बोलें। यदि आप विधेयक के उपबंधों से बाहर बोलेंगे तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, यह ठीक नही है।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, आप कल जब यहां नहीं थे तो इन्होंने बहुत बोला। कल हमारे कान फट गए लेकिन हमने एक शब्द भी नहीं बोला। आज इन्हें भी सुनने दीजिए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मंच को किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : इन्होंने हिन्दू धर्म को अलग बताया है, इन्होंने हमको कौम से अलग किया है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया विधेयक के उपबंधों पर बात करें।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही वृतांत से निकाला गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लोग समझेंगे कि बिल आपने पढ़ा नहीं है ।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : पढ़ा है, जरूर पढ़ा है । मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं ।··· (व्यवधान)···दो मुद्दे हैं । मस्जिद का तोड़ना एक अलग मुद्दा है और मन्दिर का बनाना एक अलग मुद्दा है । कोई हिन्दू नहीं चाहता कि अजमेर की दरगाह तोड़ी जाये, कोई हिन्दू नहीं चाहता है कि जामा मस्जिद को हाथ लगाया जाये, कोई हिन्दू नहीं चाहता कि हमारे गौरवशाली ताजमहल की एक ईंट भी वहां से निकाली जाये । आज हमारे यहां तीन लाख मस्जिदें हैं और उनमें से तीन हजार पर झगड़े चालू हैं । इसमें से हिन्दू सिर्फ तीन मन्दिर मांग रहा है जो उसके मानचिह्न हैं, जो उसके प्रतीक हैं, जहां पर जो पैदा हुआ है, वहां पर लोग राम का जप करते हैं, सदैव जप करते हैं और लोग भगवान का जप करते हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : जब ये सब हुआ उस समय साहब अम्बेडकर का यह कहना था*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृनात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में आपको ऐसे मुद्दे उठाने की अनुमति नही दे रहा हूं । आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं, आप संसद सदस्य हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं । कृपया सभा में ऐसा वक्तव्य न दें ।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : बाबा साहब का रैफ्रेंस भी नहीं दे सकता ।···(व्यवधान) अगर यही ठीक है तो वह मुझे मंजूर है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया विधेयक पर बोलें । अब आपने अपना मुद्दा रखा है । आपके विधेयक का विरोध किया है, अब आप चाहें तो बैठ जाएं ।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : मान्यवर, हम इस्लाम को दोष नहीं देते हैं, लेकिन ये उनके गुरु को भी नहीं मानते हैं, ये शरीयत को भी नहीं मानते, ये यहां के कानून को भी नहीं मानते हैं ।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देशमुख कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। मैं अब आपको आगाह कर रहा हूं। यदि आप इसे दोहराएंगे तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : आपने विश्वनाथ टैंपल को नहीं देखा है, कृष्ण भगवान की गरिमा को नहीं देखा है।*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : मैं आज नहीं मानूंगा। इस धरती पर युद्ध होगा। इसलिए मुझे बोलना है और आप मुझे बोलने दीजिए। सामने वाली सरस्वती को देखते हुए बोलना जरूरी है। मुसलमान शरीयत को भी नहीं मानते है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देशमुख, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं इस मामले के बारे में काफी गंभीर हूं। अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हूं जो आपको बैठना होगा। श्री देशमुख आप इस बात को समझेंगे कि आप इस सभा में बहुत ही विद्वान् सदस्य हैं और आप समझते हैं कि सभा में ऐसा उल्लेख नहीं किया जाता है। मैंने आपको एक से अधिक बार मना किया है कि किसी धर्म या जाति का उल्लेख न करें। अब यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं जानता हूं कि सभा मुझसे क्या अपेक्षा करेगी। यही कारण है कि मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप विधेयक के उपबंधों पर ही बात करें और ऐसा वक्तव्य नहीं दें जो व्यर्थ में ही भावनाओं को भड़काने वाला हो।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : सर, 1947 की जो स्थिति है, यही क्यों दिया, एक हजार सदी क्यों नहीं दिया ? जब मुसलमान यहां आए, इस्लाम आए, पहले गंगा, सरस्वती का नाम कोई रूबिया, अमीना था, हमारी यह संस्कृति है, यह हमारा देश है। (व्यवधान) यह मंदिरों की बात कहते हैं, मंदिरों ने किसी को तोड़ा नहीं, अखंडता को तोड़ा नहीं, एकता को नहीं तोड़ा, बल्कि मन्दिरों ने इस देश को जोड़ा है, बांधी गई नदियों ने इस देश को जोड़ने का काम किया है।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं आपको यह कहूंगा कि यह जो बिल यहां लाया गया, इससे हिन्दू और मुसलमानों में बहुत दरार आ सकती है, मुसलमान और हिंदू, नेहरू और गांधी जी के जो तत्वों से यहां हम सब लोग पले हैं। माननीय नेहरू जी हमारे पिता के समान थे, इसका भी अहसास मुसलमानों और इस्लाम को होना चाहिए, जो इस देश में रहते हैं। हम दोनों ही, हिन्दू और मुसलमान भाई यहां के संतरे, जामुन, आम और केले खाते हैं, हमें एक-दूसरे को समझना चाहिए।

मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हम जैसे वंदे मातरम् करेंगे, मातरम् का कहना है, हमारी मां का वंदन करो। वंदे मातरम् में क्या है, हमारी मां का वंदन, मां जो तू इतना खिला रही है, यह धरती हमें खिला रही है, मां मैं आपसे वंदना करता हूं। जो हमारे पार्लियामेंट में गुलाम नबी आजाद हैं उनसे कहो कि भाई वंदे मातरम् हम भी बोलें, वंदे मातरम् आप भी बोलो (व्यवधान) हमारे सब हिन्दू और मुसलमान भाई यहां रहते हैं। हम केवल यह कहते हैं कि भारत माता की जय प्रेम से बोलो, यह लोग भारत माता की जय तक नहीं बोलते, वंदे मातरम् की बात तो अलग रह गई। इसलिए हिन्दू-मुसलमानों को अगर हिन्दुस्तान के अन्दर अच्छी तरह से रहना है, तो मुसलमानों को हम अपने सर पर बैठने नहीं देंगे, हमारे साथ अगर उनको चलना है तो चल सकते हैं। (व्यवधान)

मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। धर्म स्थलों के मामले में धर्म स्थल को केवल रिलिजियस नहीं मानना चाहिए, ऐसे रिलिजियस में इतने धर्म स्थल हैं, यह हमारा एक सामाजिक ढांचा भी बनाएं। (व्यवधान) यह हमारा केवल रिलिजियस नहीं है, यह एक सामाजिक ढांचा भी बना है। जैसे आप कम्युनिटी हाल को ही ले लीजिए, पहले तो सारे मन्दिरों में सभा होती थी, इसलिए यह जो मन्दिर का मुद्दा है, यह केवल रिलिजियस नहीं है, यह हमारा एक सांस्कृतिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है।

एक आखिरी प्वाइंट मेरा यह है कि जितने भी मन्दिर तोड़े गए। जो लोग विदेश से आए और यहां पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं और जिन विदेशी तत्वों ने ये सारे मन्दिर तोड़े हैं उन्हें आज के मुसलमान क्यों संरक्षण देना चाहते हैं। अगर आज के मुसलमान अपने को भारतीय कहते हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। करोड़ों अल्पसंख्यकों की भावना पर किसी भी माननीय सदस्य को डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को मानता हूं। सदस्य जिस प्रकार बोल रहे हैं मैं उसकी निन्दा करता हूं, किसी भी सदस्य के लिए ऐसी भाषा बोलना शोभनीय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान) वह मन्दिर जो विदेशियों ने तोड़े, उन्हें आज के मुसलमान संरक्षण देना चाहते हैं।

अगर आज के मुसलमान अपने को भारतीय कहते हैं। (व्यवधान) जो मुसलमान अपने को भारतीय कहते हैं तो वे उन विदेशी लुटेरों का पक्ष क्यों लेते हैं, जो लूट कर चले गये। (व्यवधान) विश्वामित्र ने राजा शबर की कन्या से शादी की थी — जो जनजाति के थे। यह परम्परा द्वापर तक जीवित रही। राजा शान्तनु ने धीवर कन्या (कल्लाह की पुत्री) से शादी की,...... (व्यवधान)......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : जिससे राजपूतों का प्रसिद्ध चन्द्रवंशी वंश चला। अतः उस समय जाति में कटुता नहीं थी। (व्यवधान) इन्होंने जो तर्क दिए हैं उस तर्क को हमको तोड़ना पड़ेगा या नहीं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : मैं माननीय गृह मंत्री का इस ऐतिहासिक विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं। इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य केवल इसका विषय पाठ ही नहीं है, बल्कि इसके अन्दर के विषय को जानना चाहिए और इसका वास्तविक उद्देश्य देश के विघटन को रोकना है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है क्योंकि पिछले तीन वर्षों में हमने समाज के एक भाग में एक ऐसी साम्प्रदायिक हिंसा देखी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सावन्त, कृपया मेरा साथ दें क्योंकि समय बहुत कम है केवल उपबंधों के बारे में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावन्त : मैं विधेयक के उद्देश्यों पर बोलने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भूमिका मत बांधिए।

श्री सुधीर सावन्त : इस देश में हो रही हिंसा के कारण यह आवश्यक हो गया था कि उन मामलों को छोड़ दिया जाए जो इस देश में विवादों को जन्म दे सकते हैं और धर्म एक ऐसा ही मामला है जो ऐसे विवादों को पैदा कर सकता है, क्योंकि यह पिछले तीन वर्षों की निरन्तर हिंसा से साबित हो चुका है। आज लोक सभा में भी हमने ऐसा ही हिंसक रवैया देखा है। वास्तव में लोगों का एक दूसरे पर हमला करते देखना एक बहुत ही बुरा दिन था क्योंकि हमला शारीरिक नहीं है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार हमला तोड़-फोड़ भी हो सकता है यही कुछ हमने आज देखा है। और कारण क्या है, कारण धर्म है। इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि जब कभी भी हम आपस में लड़े हैं या जब-जब हम में मतभेद पैदा हो गए हैं विदेशी शासक आए और इस देश को अपने अधीन किया। वास्तव में, इसी कारण स सिकन्दर पोरस को हराने में सफल हो सका। इसी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कारण मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हरा सका। अंग्रेज इस देश में इसलिए टिके रहे क्योंकि टीपू सुल्तान और मराठा संगठित नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे में फूट डाली और इसी कारण इस देश को अधीन बनाया तथा बाद में और आगे तक बढ़े। उन्होंने फूट डाली और शासन करो की नीति के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा किए और इसी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। किस आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ? यह राष्ट्रत्व की भ्रान्त धारणा के कारण इसका जन्म हुआ। इसी वजह से पाकिस्तान बनाया गया।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : किसने बनाया?

श्री सुधीर सावन्त : मैं उसी पर आ रहा हूं। **(व्यवधान)**

यह राष्ट्रत्व की एक मिथ्या धारणा थी जिस पर पाकिस्थान का जन्म हुआ। और आधार क्या है? आधार यह है कि हिन्दू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं जिनको साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यही आधार था जिस पर पाकिस्तान का जन्म हुआ है और आज पाकिस्तान का आधार दो-राष्ट्र परिकल्पना पर आधारित है और इसीलिए यदि भारत में हिन्दू और मुसलमान सौहार्द मे रह रहे हैं, पाकिस्तान इसकी कभी इजाजत नहीं देगा क्योंकि यदि आज भारत में हिन्दू और मुसलमान सौहार्द्रपूर्ण ढंग से रहते हैं तो पाकिस्तान का आधार ही समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। अतः प्रश्न में यही मुद्दा है, आप इसे महसूस करें। क्या हम इतिहास से नहीं सीखने जा रहे हैं? क्या हम उस राष्ट्र के हाथों में नहीं खेल रहे हैं जो कि इस देश में हिन्दूओं और मुसलमानों के बीच स्थायी मतभेद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? और इन धार्मिक स्थलों का मुद्दा जिनका इस बिल में जिक्र करने की कोशिश की गई है कि······ **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल (भावनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पांइट आफ आर्डर है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, हां, यदि आप चाहते हैं तो अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। मैं उन्हें इसकी इजाजत दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य बिल पर नहीं बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न का अनुमोदन करता हूं और श्री सावन्त को निदेश देता हूं कि वे बिना किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विधेयक के उपबंधों पर ही बोलें।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मैं यह सब कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि विदेशी

शक्तियां, इस देश को अलग-अलग करने में रुचि रखते हैं और देश को अलग-अलग करने का इससे अच्छा तरीका इस पर नजर रखने और धर्म के नाम पर इसे बांटने के अलावा क्या हो सकता है। इसी कारण इस विधेयक का उद्देश्य अलगाववाद को रोकना है और इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वही मुख्य मुद्दा है जिस पर मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, कल सारा दिन लोग राम के बारे में बोलते रहे। मैं राम को मानता हूं। परन्तु मैं राम को क्यों मानता हूं। क्योंकि राम ने इस देश में राम राज्य स्थापित किया था। और 'राम राज्य' क्या है। राम राज्य अनाज, पानी और मकान उपलब्ध कराना तथा प्रेम, सहानुभूति, भाई चारे को बढ़ावा देना और सबसे ऊपर राम राज्य कानून का शासन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सावन्त, कृपया इस बात को समझिए कि हमें आज चार विधेयक पारित करने हैं।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। मैं संवैधानिक मुद्दे पर आ रहा हूं। सर्वोपरि मैंने कहा कि राम राज्य कानून का शासन है। कानून का शासन क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत हम कैसे राम राज्य ला सकते हैं? अब संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 बहुत स्पष्ट हैं। अनुच्छेद 25 व्यक्ति को धार्मिक आजादी और अनुच्छेद 26 धार्मिक मूल्यों की गारण्टी देता है। परन्तु ये धार्मिक अधिकार उन्मुक्त नहीं हैं। अनुच्छेद 25 का पाठ इस प्रकार है :—

> "सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा।"

'सार्वजननिक व्यवस्था' पर बल दिया गया है। अतः यदि कोई ऐसी बात है जो सार्वजनिक अव्यवस्था को पैदा करती है इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और यही कुछ करने की इस विधेयक में कोशिश की गई है। धार्मिक स्थलों के सभी विवादों से हट कर इस विधेयक में भविष्य में इस देश में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने की कोशिश की गई हैं। दुर्भाग्यवश इस राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे को नहीं सुलझाया गया है।··· (व्यवधान)··· सम्मिलित नहीं किया गया है। दुर्भाग्य से क्या मैं ऐसा महसूस करूंगा कि इसे उसमें शामिल किया गया है अथवा इसमें वह सब कुछ है, दूसरा यह कि "इस भाग के अन्य परन्तुकों के अधीन" अर्थात मौलिक अधिकार हैं, और इसके अलावा मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 14 का एक उप-अनुच्छेद है। अब राम जन्म भूमि मामले के बारे में लोग कह रहे हैं कि न्यायालय द्वारा इसका फैसला नहीं किया जा सकता। मुझे एक बात पूछनी है, संविधान सर्वोच्च है और इस देश में कोई भी मुद्दा संविधान की सीमा के अन्दर सुलझाया जाना होता है। देश में कोई भी ऐसा मामला नहीं हो सकता जिसे राज्य के तीन अंगों द्वारा हल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं इस औचित्य को नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म एक भावात्मक मुद्दा है जिसे न्यायालय द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। कल कोई आएगा और आपका सिर काट देगा और कहेगा, "यह एक भावात्मक मुद्दा है न कि वैधानिक मामला"। आप किस प्रकार के पूर्वोदाहरण स्थापित करने जा रहे हैं?

मैं संविधान के अनुच्छेद 14 की बात कर रहा हूं कि इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन, अर्थात् मौलिक अधिकार अवसरों की समानता से संबंधित भाग तीन धर्म का आचरण किया जा सकता है। यदि कोई मुस्लिम न्यायालय में जाता है और दायर करता है कि किसी विशेष धार्मिक स्थल पर उसको पूर्ण अधिकार है, उसके अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा क्योंकि धार्मिक आचरण भाग तीन और मौलिक अधिकारों के अधीन है।

हमें इस देश में एकता के उदाहरण को याद रखना चाहिए। मुझे सैफुद्दीन साहिब के मामले में जस्टिस अय्यंगर द्वारा अनुच्छेद 25 और 26 पर कहे गए शब्दों का हवाला देना है :—

> "इन अनुच्छेदों में धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत निहित है। इतिहास के प्रारम्भ से यह भारतीय सभ्यता का विशिष्ट पहलू रहा है। वह समय जब यह पहलू गायब था वह केवल मतिभ्रम मात्र था। उसके अतिरिक्त ये अनुच्छेद भारतीय प्रजातन्त्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर जोर देते हैं जिसको कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के लिए आधार माना है।"

इसी कारण, इस देश को बांटने वाली किसी भी बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए भूमि के किसी टुकड़े को धर्म, जाति, रंग या सम्प्रदाय के आधार पर राष्ट्र को बांटने की इस देश में इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं वह एक मजबूत संगठित और समृद्ध भारत है। हम यहां पर गृह युद्ध नहीं चाहते। यह विधेयक सही समय पर आया है।

यहां राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दा उठाया गया है। इसे न्यायालय द्वारा हल किया जाना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एस० ओवेसी को बोलना है।

इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है, सही मायने में एक पहला कदम है। यह बिल क्यों पेश किया गया, क्योंकि 4-5 वर्ष से एक ऐसी फिजा तैयार की जा रही थी जिसके लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने यह मुतालिबा किया कि ऐसा बिल लाया जाए कि 15 अगस्त, 1947 को जो भी मजहबी मुकामात जिस स्थिति में रहे हों उनको कानूनी शक्ल दी जाए। यह अच्छा कदम है, जो उठाया गया है। इस तरीके की जो फिजा तैयार की गयी यह फिजा इस तरीके से बनायी गयी, या महज अपने को सियासी ताकत हासिल करने के लिए जो फिजा तैयार की गयी और इसके जो नतायज हिन्दुस्तान में पैदा हो रहे थे, उसको देखते हुए, यह बिल लाया गया है और इस बिल का मैं खैरमकदम करता हूं। इस बिल के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जो ताकतें इस बिल की मुखालफत कर रही हैं उन्होंने क्यों नहीं 1947 के बाद बाबरी मस्जिद के मसले को उठाया और क्यों 1977 में जब आपकी खुद जनता गवर्नमेंट थी, इसके तीन मिनिस्टर, वाजपेयी जी, आडवाणी जी और एक और हैं, उस वक्त इस मसले को नहीं उठाया गया, आज क्यों इस मसले को उठाया जा रहा है। खुद आप

इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह झगड़ा इसका नहीं है। यह झगड़ा सिर्फ अपने अख्तियारात हासिल करने का है। इसलिए जो बिल लाया गया है, वह ठीक है। दूसरी तरफ इस एवान में मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई हैं। लेकिन हम अपने जज्बात को दबाते हुए बहुत खामोशी से सुनते रहे। आप अन्दाजा कीजिए······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : इस बिल के ताल्लुक भी बात कही गई।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी, आप एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे सदस्यों की संवेदना और भावनाओं को ठेस लगे। आपने जो कहा, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं आपको इस बात से भी सचेत कर दूं कि आप इस विधेयक के बहुत महत्वपूर्ण उपबंध पर चर्चा कर रहे हैं। आप यहां लोगों को बेवजह उकसाने के लिए नहीं हैं।

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : मैं किसी के जज्बात को मजरू नहीं कर रहा हूं।······**(व्यवधान)** हमारे जज्बात को कल से मजरू किया जा रहा है।·········**(व्यवधान)** दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि आप हमारे जज्बात की बात करते हैं, कहीं आप अपने फेथ की बात करते हैं। आप बताइए कि आखिर आपके राम का फेथ कहां है। कल आपने कहा था कि जहां राम का चबूतरा है, वहां राम पैदा हुए। उसके बाद आपने कहा कि शिलान्यास जहां हुआ है वहां राम पैदा हुए। अयोध्या की बात आप कह रहे हैं और वहां के महन्त कहते हैं कि राम वहां पैदा हुआ। आखिर, आपका राम कहां पैदा हुआ। अपने फेथ को साबित कीजिए। जब आपकी दुखती रग पर हाथ रखा जाता है तो आप तड़पते हैं······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इनका व्यवस्था का प्रश्न सुन रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री हरि सिंह चावड़ा (बनासकांठा) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बिल से अलहैदा बोल रहे हैं।······**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करता हूं और श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी से विधेयक के उपबंधों पर बोलने का अनुरोध करता हूं।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन आवेसी : मैं उनकी तकरीरों का जवाब दे रहा हूं। कल उन्होंने क्या कहा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से कहा है।······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : जो उन्होंने कहा था वह तमाम बातें निकाल दीजिए तो सही बात होगी। अगर आप उनकी बातों को रखेंगे······**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुलतान सलाउद्दीन आवेसी, आप यह समझ लें कि मैंने एक माननीय सदस्य को इस तरह से ऐसी भाषा बोलने की अनुमति नहीं दी थी। मैं आपको भी अनुमति नहीं दूंगा। आप सभा के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। अध्यक्ष पीठ से ऐसा कुछ न सुनें जिससे आपकी गरिमा कम होती हो।

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : मैंने तो जो बातें कही गई हैं उनका जवाब दिया है। मैं आपसे यह कहूंगा कि यह जो बिल पेश किया गया है आप बतायें कि क्यों इसकी बुनियाद पड़ी। तीन हजार दो सौ मस्जिदें हैं और दरगाहें हैं, इन तमाम चीजों की अखबारों में फेहरिस्त आई है। कहां-कहां की तारीखों का हवाला लेकर आ रहे हैं जहां तारीख का पता ही नहीं चलता वहां आप कहते हैं कि यहां मन्दिर था। कहीं जामा मस्जिद को कहा जाता है तो कभी दूसरी दरगाहों को कहा जाता है। आखिर ये तमाम चीजें क्या हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से डराकर दबाया नहीं जा सकता है। दुनिया के हालात पर गौर कीजिए और इस मुल्क को बचाने के लिए आज इत्तेहाद और इत्तफाक की फिजा पैदा करें। दुनिया में बड़ी-बड़ी ताकतें दबा कर नहीं चल सकी हैं, आपको सबका हासिल करना चाहिए कि एशिया में क्या हो रहा है और एशिया के अन्दर क्या हो रहा है···**(व्यवधान)**···यही वह चीज है जिसें आप दबाना चाहते हैं। हमें इस बात के ऊपर आना चाहिए कि आज मजहब के नाम पर सियासत चलने वाली नहीं है। मजहब के नाम पर आप वोट लेना चाहते हैं यह चीज चलने वाली नहीं हैं। अगर वाकई आपको करना है मैं यह कहूंगा कि जो यह बिल लाया गया है मैं इसकी पूरी-पूरी ताईद करता हूं।

جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد) : ادھیکش مہودے
یہ جو بل پیش کیا گیا ہے صحیح معنی میں ایک پہلا قدم ہے ۔ یہ بل کیوں پیش کیا گیا

کیوں کہ چار پانچ سال سے ایک ایسی فضا تیار کی جارہی تھی جس کے لئے بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ ایسا بل لایا جائے کہ پندرہ اگست سنہ ۱۹۴۷ء کو جو بھی مذہبی مقامات جس استھتی میں رہے ہوں انکو قانونی شکل دی جائے ۔ یہ اچھا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے ۔ اس طریقے کی جو فضا تیار کی گئی یہ فضا اس طریقے سے بنائی گئی یا محض اپنے کو سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لئے جو فضا تیار کی گئی اور اس کے جو نتائج ہندوستان میں پیدا ہو رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بل لایا گیا ہے اور اس بل کا میں خیر مقدم کرتا ہوں ۔ اس بل کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو طاقتیں اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں انہوں نے کیوں نہیں ۱۹۴۷ء کے بعد بابری مسجد کے مسئلے کو اٹھایا اور کیوں نہیں ۱۹۷۷ء میں جب آپ کی جنتا گورنمنٹ تھی اس کے تین منسٹر واجپئی جی ، ایڈوانی جی اور ایک اور ہیں اسوقت اس مسئلے کو نہیں اٹھایا گیا، آج کیوں اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے ۔ خود آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جھگڑا اس کا نہیں ہے ۔ ......

یہ جھگڑا صرف اپنے اختیارات حاصل کرنے کا ہے ۔ اس لئے جو بل لایا گیا ہے وہ ٹھیک ہے ۔ دوسری طرف اس ایوان میں مختلف قسم کی باتیں کی گئی ہیں ۔ لیکن ہم اپنے جذبات کو دباتے ہوئے خاموشی سے سنتے رہے ۔ آپ اندازہ کیجئے ۔ .... (انٹرپشن) .....

ادھیکش مہودے : ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔

جناب سلطان صلاح الدین اویسی : اس کے تعلق سے بھی بات کہی گئی ۔

(Interruptions)*

Mr. Speaker : Mr. Sultan Salahuddin Owaisi, You are a very senior

*Not recorded.

Member and you will not say anything which will hurt the sensibility and the feelings of the Members. What you have said is not going on record. I will also warn you that you are discussing a very inportant provsiion of the Bill. You are not here to incite the people unnecessarily.

جناب سلطان صلاح الدین اویسی: میں کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کر رہا ہوں۔

...... (انٹرپشنس) ......

ہمارے جذبات کو کل سے مجروح کیا جا رہا ہے۔ ......(انٹرپشنس)......

دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے جذبات کی بات کرتے ہیں کہیں آپ اپنے فیتھ کی بات کرتے ہیں۔ آپ بتلائیے کہ آخر آپ کے رام کا فیتھ کہاں ہے۔ کل آپ نے کہا تھا کہ جہاں رام کا چبوترہ ہے وہاں رام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا شلانیاس جہاں ہوا ہے وہاں رام پیدا ہوئے۔ ایودھیا کی بات آپ کہہ رہے ہیں اور وہاں کے مہنت کہتے ہیں کہ رام وہاں پیدا ہوا۔ اپنے فیتھ کو ثابت کیجئے جب آپکی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو آپ تڑپتے ہیں۔

..... (انٹرپشنس) .....

Mr. Speaker : I am hearing his point of order.

شری ہری سنگھ چاوڈا: ادھیکش جی مائنر سدس بل سے علیحدہ بول رہے ہیں۔

.......(انٹرپشنس)......

Mr. Speaker : I uphold your Point of Order and I ask Mr. Sultan Salahuddin Owaisi to please speak on the provisions of the Bill.

جناب سلطان صلاح الدین اویسی: میں انکی تقریروں کا جواب دے رہا ہوں۔ کل انہوں نے کیا کہا تھا۔

ادھیکش مہودے: جواب دینے کی ضرورت ہے۔

جناب سلطان صلاح الدین اویسی: جو انہوں نے کہا تھا وہ تمام باتیں نکال دیجئے تو صحیح بات ہوگی۔ اگر آپ انکی باتوں کو رکھیں گے ....

..... (انٹرپشنس) .....

Mr Speaker : Mr. Sultan Salahuddin Owaisi, you will please understand that I have not allowed one hon. Member to use such kind of language and to speak in such a manner. I will not allow you also. You are a pretty senior Member of the House. Please do not get something from the Chair which will lower your dignity.

جناب سلطان صلاح الدین اویسی : میں نے تو جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا جواب دیا ہے ۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے آپ بتائیں کہ کیوں اسکی بنیاد پڑی ۔ تین ہزار دو سو مسجدیں ہیں اور درگاہیں ہیں ۔ ان تمام چیزوں کی اخباروں میں فہرست آئی ہے ۔ کہاں کہاں کی تاریخوں کا حوالہ لے کر آرہے ہیں جہاں تاریخ کا پتہ ہی نہیں چلتا ۔ وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہاں مندر تھا ۔ کہیں جامع مسجد کو کہا جاتا ہے تو کبھی دوسری درگاہوں کو کہا جاتا ہے ۔ آخر یہ تمام چیزیں کہاں ہیں ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے ڈرا کر دبایا نہیں جا سکتا ہے دنیا کے حالات پر غور کیجئے اور اس ملک کو بچانے کے لئے آج اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کریں ۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں دبا کر نہیں چل سکی ہیں ۔ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے ..... (انٹرپشنس) ..... یہی وہ چیز ہے جسے آپ دبانا چاہتے ہیں ۔ ہمیں اس بات کے اوپر آنا چاہئیے کہ آج مذہب کے نام پر سیاست چلنے والی نہیں ہے ۔ مذہب کے نام پر آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں ۔ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے ۔ اگر واقعی آپکو کرنا ہے میں یہ کہوں گا کہ جو یہ بل لایا گیا ہے اس کی پوری تائید کرتا ہوں ۔

4.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री राम नाईक : प्रारम्भ में इस चर्चा के लिए लगभग चार घंटे आबंटित किए गये थे। इसे बढ़ाया जा रहा है और हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल आपकी ओर से अग्रिम व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि हमने कुछ संशोधन दिये हैं। हम संशोधनों पर भी बोलना चाहेंगे। अन्यथा कभी तो ऐसा होता है कि हमें संशोधनों पर भी बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए यदि इसके लिए अधिक समय दिया जा रहा है, तो महोदय मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमें भी संशोधनों पर बोलने की अनुमति अवश्य दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। बात बहुत अच्छी तरह ली गई है। किंतु मैं आपके पक्ष में निर्णय नहीं दे रहा हूं। मुझे खेद है। चार घंटे का समय तय किया गया था। लगभग 8 घंटे का समय लग चुका है। संभवतः प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था। मुझे इस बात का अहसास है कि हम आवश्यकता से कुछ अधिक कठोर रहे हैं। हमने सदस्यों भाषणों की, बहुत विद्वतापूर्ण भाषणों की काट छांट की है। समय की कमी की वजह से ऐसा किया गया। मुझे आशा है कि आप कठिनाइयों को समझेंगे। हमें और कार्य भी करने हैं। इस बात को देखते हुए, अनेक मुद्दों पर बहुत विस्तार से बोल चुकने के बाद संभवतः अपने-अपने भाषणों में संशोधनों पर भी बोल लिया होगा। अतः अब आप उसके लिए दबाव नहीं डालेंगे।

अब श्री सुनील दत्त बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। जो बिल पूजा पाठ और इबादत की जगहों में कोई भी मजहब क्यों न हो, 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में ही रहेंगे उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, यह उचित बिल है। देश के हालात को सामने रखते हुए फिरकापरस्ती और मजहबी तनाव बढ़ रहा है वहां हमारी सरकार को संसद के सामने इस बिल को पेश करना पड़ा। उसके लिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण बिल को सदन में पेश किया।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसी दुनिया से ताल्लुकात रखता हूं जो कि बिलकुल सेक्यूलर है। जहां धर्म, मजहब का कोई नाम नहीं है। ऐसी दुनिया को जिसे हम भारत की दुनिया कहते हैं, अपने देश की दुनिया कहते हैं जिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी रहते हैं। हर धर्म के लोग हमारी फिल्मों में काम करते है और हर धर्म का काम करते हैं। हमारे बड़े-बड़े कलाकार जैसे दिलीप कुमार जो कि मुसलमान हैं वह हिन्दू का रोल करते हैं और हिन्दू मन्दिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तथा हिन्दुओं से ज्यादा अच्छी जुबान बोलते हैं और अच्छे जज्बात पेश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से मैं इस सदन में आया हूं, मुझे ऐसा

लगा कि मैं हिन्दुस्तान से बाहर आ गया हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं हिन्दुस्तान में नहीं हूं, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी ऐसी जगह पर आ गया हूं जहां ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है और मैं अकेला ही रह गया हूं यहां। मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि ये सदन न बी० जे० पी० का है, न कांग्रेस का है, न कम्यूनिस्ट पार्टी का है और न जनता दल का है। ये सदन मेरे देश का है, हमारे हिन्दुस्तान का है। जो हिन्दुस्तान की तरक्की के लिए होगा, उसी मसले को हमें देखना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। (व्यवधान)

आपका मौका आएगा, आप बोलिएगा। जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं टोकता हूं, अब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे सुनिए।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जो आप पेश कर रहे हैं उस बिल के साथ-साथ हमें अपने अन्दर के जज्बात को भी वैसे ही बदलना है। ऐसा बिल बनाइए कि अगर आप बिल पास करते हैं तो उस बिल के साथ-साथ आपके दिल के जज्बात भी बदलें। अभी हमारे डा० साहब ने फरमाया कि ये बिल पास हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बिल इसलिए पास किया जा रहा है कि हमारे देश की जनता जो बैठी हुई है गांवों में, गलियों में, वह महफूज रहे। हमारे वह लोग जो भागलपुर में मरे थे, वह जिन्दा हों और उनको फिर न मारा जाए, इसलिए यह बिल बनाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस को संभालने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा संभलती रहती है, संभली हुई है और आगे भी संभलती रहेगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश का कांस्टीट्यूशन बना तो हमने एक लाइन आफ डीमार्केशन बनाई। उसे आप लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं। उसमें हमने कहा कि यह देश सेक्यूलर है, इसमें हिन्दू-मुसलमान, सिख-ईसाई सबको जीने का पूरा-पूरा हक है और अपने मकान, अपनी इबादत करने का पूरा-पूरा हक है, मगर जब से पोलिटिक्स में ये धर्म आकर घुसा है तो ये लक्ष्मण रेखा टूट गई। उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ कर हमारी सीता को ले गए हैं, हमारे रावण को ले गए हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बोझिल घंटे के बाद, हम इस प्रकार की चुटकियों के हकदार हैं।

श्री सुनील दत्त : मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[हिन्दी][1]

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसी लेखक ने यह कहा है, मैं तुलसी जी को नहीं क्वोट कर रहा, मैं बाल्मीकि जी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं अपने देश के आज के लेखकों की बात करता हूं क्योंकि आज का हमारा देश क्या है वह इंपार्टेन्ट है। आज से सौ साल पहले क्या हुआ, हजार साल पहले क्या हुआ, वह इंपार्टेन्ट नहीं है, वह एक हिस्ट्री है। यह रियलिटी है। रियलिटी को समझिए। पास्ट में ही रहते रहेंगे तो खुराना साहब, आप तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में नहीं रह सकते, आप वहीं रहेंगे।···(व्यवधान)

अगर आपको दिल्ली में रहने का हक है तो आप दिल्ली वाले बनिए, हिन्दुस्तानी बनिए,

हिन्दुस्तान में रहिए। हिन्दुस्तान जो है, हिन्दुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है,···

[अनुवाद]

ऐसा है मेरा भारत। मैं ऐसे भारत के लिए जीता हूं, ऐसे भारत के लिए मरूंगा। (व्यवधान)

मैं आपकी बात भी करूंगा। मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। आपकी बात भी मैं करूंगा। मैं आपकी तारीफ भी करूंगा मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। ।(व्यवधान)

मैं यहां आपके ही एक साथी का बयान पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, खुराना साहब, आप जरा सुनिये और अपने चेलों को कहिए कि वे भी मेरी बात को सुनें। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : आप तो उस पार्टी के व्हिप हैं, क्या आप उन्हें व्हिप नहीं कर सकते। यदि यहां नहीं कर सकते तो बाहर कैसे कन्ट्रोल कर सकते हैं। आप तो व्हिप हैं। (व्यवधान) आप सुन तो लीजिये। हमारे देश के लेखक ने कहा था कि सांप्रदायिक झगड़ों में जब कोई मनुष्य मरता है तो उससे देश की उम्र कम होती है।

[अनुवाद]

देश की उम्र जाती है, यह मानव-जीवन के जाने की बात नहीं है।

[हिन्दी]

उसकी एक्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं कि भागलपुर में जब रायट्स हुए थे, जब आपका रथ चला था, उसके बाद···(व्यवधान) मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूं कि जब भागलपुर में रायट्स हुए थे तो मैं भी वहां गया था। मैं खुद वहां गया था। मेरे अलावा जनता दल के कुछ मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट भी हमारे साथ थे और हमने वहां जाकर···(व्यवधान) हुजूर, आप मेरी बात तो सुन लीजिये पूरी (व्यवधान) हमारी सीताजी और रावण को तो आप हर कर ले ही गये हैं, अब तो बैठिए। (व्यवधान) आप मेरी हैल्प कीजिए क्योंकि मैं आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं। जब मैं भागपुर में गया।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लेने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : पहले आप मेरी बात सुन लीजिए।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विनय कटियार : अभी माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं, वे विषय से हटकर बोल रहे हैं। ये इस चर्चा को साम्प्रदायिक झगड़ों से जोड़ देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद, इन्होंने चर्चा को रथ से भी जोड़ने का प्रयत्न किया और इस तरह ये रथ के नाम पर सदन को गुमराह कर रहे हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप इन्हें ऐसा करने से रोकिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : मैं यहां भागलपुर की बात कर रहा हूं। भागलपुर में मैं खुद गया था और मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि बिल तो हाउस में अनेकों पास हो जायेंगे मगर जब तक हमारे दिल नहीं बदलेंगे तब तक इस मुल्क में एकता नहीं आयेगी, मुल्क में अखंडता नहीं होगी, इसलिए मैं देश की एकता और अखण्डता की बात करना चाहता हूं। (**व्यवधान**) आप बैठिये। मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कह रहा हूं। मैं वहां हिन्दुओं के गांव में भी गया और मुसलमानों के गांव में भी गया था। (**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : मैं हिन्दुओं के गांव में भी गया और मुसलमानों के गांव में भी गया। हिन्दुओं से मैंने पूछा कि कौन लोग थे, कौन फन्डामैन्टलिस्ट हैं, कौन आदमी हैं। इसलिए मैं सिर्फ हिन्दुओं पर ही ब्लेम नहीं करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि ब्लेम दोनों तरफ है। मैं आपको भागलपुर की बात कह रहा हूं, जब वहां रायट्स हुए थे। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे छोड़िए।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : उदाहरण देकर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब तक दोनों संप्रदाय आपस से नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष जी, यदि आप कहते हैं तो मैं अब इस पर और नहीं बोलूंगा, फिर कभी, किसी मौके पर बोल लूंगा। लेकिन यह इतनी इम्पोर्टेन्ट चीज है, जब तक दोनों तरफ से सहयोग नहीं होगा, देश में एकता और अखण्डता नहीं आ सकती। देश की एकता और अखण्डता के लिए यह बहुत जरूरी है। मैं यहां कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि कौन साम्प्रदायिक है, कौन नहीं, कौन मरा, कैसे मरा। मैं वह बात करना चाहता हूं जो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हैं, ज्यादा इफैक्टिव है। मैं हिन्दुओं के गांव में अनेक लोगों से मिला, मैंने उनकी हालत को निकट से देखा। वे बहुत परेशान थे। उनके मकान जल चुके थे, कपड़े भी जल चुके थे। जब मैंने उनसे पूछा कि यहां कौन-कौन आये थे तो वे कहने लगे कि यहां बी० जे० पी० वाले आये थे। (**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह बड़ी गलत विषय से हट कर बातें कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुनील दत्त : मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं रायट्स की बात कर रहा हूं। बी० जे० पी० के आदमी आए थे, विश्व हिन्दू परिषद के आदमी आए थे, उन्होंने हमें सहारा दिया था, हमारे आंसू पोंछे थे। मैं मुसलमानों के गांव में गया, जब वहां पूछा, तो वे कहने लगे यहां जमायते इस्लामी के लोग आए थे, उन्होंने हमारे आंसू पोंछे, हमें सहारा दिया। मैं कहना चाहता हू महोदय कि यदि वास्तव में हिन्दू और मुसलमानों में दिल है, प्यार की भावना है, तो हिन्दूओं को मुसलमानों के मुहल्लों में जाना चाहिए था और मुसलमानों को हिन्दुओं के मुहल्लों में जाना चाहिए था, तब बात बनती और सांप्रदायिक सौहार्द बनता।

अध्यक्ष महोदय, जब एक औरत का बच्चा मरता है, तो उसके आंसू निकलते हैं, जब औरत विधवा होती है, तो उसके आंसू निकलते हैं, ये आंसू मुसलमान औरतों के भी निकलते हैं और हिन्दू औरतों के भी निकलते हैं, तो क्या उससे पहचान हो जाती है। अगर इसी प्रकार से मुसलमान मुसलमानों की और हिन्दू हिन्दुओं की बात करेंगे, तो क्या होगा ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जो प्रस्तुत हुआ है और जो पास होना चाहिए, इसके बारे में मेरी इल्तजा है, इस देश की अखण्डता के लिए, इस देश को ऊंचा उठाने के लिए, हम सभी को एक आवाज से इस बिल को पास करना चाहिए। बी० जे० पी० वालों से भी मैं हाथ जोड़कर इल्तजा करता हूं क्योंकि इसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है और सारे देश का भला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश में शांति रहेगी, तो आपकी हमारी सबकी प्राबलम साल्व होंगी। मैं आपको एक गाने की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं :

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा"

यह एक मुसलमान ने लिखा था। यह आज हमारा नैशनल सांग है। जो वेद व्यास जी की महाभारत है, जिसको आप और हम सब लोग दूर दर्शन पर देखते रहे। वह राही मासूम रजा ने लिखी है जिसमें आप एक भी मुद्दा ऐसा नहीं निकाल पाए, जो विरुद्ध जाता हो।

[अनुवाद]

यह मेरा धर्म निरपेक्ष भारत है। यह मेरा भारत है और मुझे ऐसे भारत पर सभी देशों की अपेक्षा गर्व है (व्यवधान) उमाजी बहुत अच्छी संसदविज्ञ हैं, मैं सचमुच ऐसा महसूस करता हूं। मुझे इन पर नाज है, ये बड़ी अच्छी पार्लियामेंटेरियन हैं क्योंकि औरतों पर जब कोई समस्या आती है, तो गीता जी और ये, उनकी आवाज सदन में उठाती हैं और आप तो जानते हैं अध्यक्ष जी, (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपना अधिनिर्णय देने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वे कहें कि वे अपनी टिप्पणियां वापस ले रहे हैं, तो···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया शांत रहिए । वह किसी भी भावना से कहा गया है यदि उससे किसी भी भावना को दुःख पहुंचा है तो वह रिकार्ड में नहीं जाएगा ।···

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है । आप यदि देखें तो इन्होंने नाम लेकर जिस लहजे में कहा है उससे ऐसा लगा जैसे वे फिल्मी डायलोग कह रहे हैं । कोई सीरियस बात भारत की पालियामेंट में नहीं कह रहे हैं । उनको माफी मांगनी चाहिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुनील दत्त जी, क्या आप इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री सुनील दत्त : जी हां । (व्यवधान)

पूरे सम्मान सहित मैं इस सभा में यह कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और मैंने सदा ही महिलाओं के जीवन के लिए त्याग किया है, चाहे वह मेरी पत्नी हो अथवा मां अथवा बहिन या बेटी या पोती हो । मैं इस देश की महिलाओं को उच्च प्राथमिकता देता हूं ।

[हिन्दी]

दीवानापन ये नहीं होता है, लेकिन "चोर की दाढी में तिनका" । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम मैं सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे अध्यक्षपीठ को सहयोग दे रहे हैं।

ऐसा लगता है कि श्री सुनील दत्त की टिप्पणियों ने सभा में हमारी बहिनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं समझता हूं कि यदि उनकी टिप्पणियों से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो श्री सुनील दत्त "खेद" व्यक्त करने में अपने को नीचा महसूस नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुनील दत्त : अत्यन्त दुःखी मन से और सभा की प्रतिष्ठा का पूर्ण ध्यान रखते हुए मैं सामान्य रूप से यह महसूस करता हूं कि मैंने इस सभा में और देश के बाहर भी कभी किसी भी महिला की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि अन्य भागों की महिलाओं के केवल एक वर्ग को ही मेरी टिप्पणियां अच्छी क्यों नहीं लगीं ·· (व्यवधान)··· मुझ बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप क्षमा मांग रहे हैं अथवा नहीं?

श्री सुनील दत्त : महोदय, यदि मैंने गलत कहा है तो मैं 'खेद' व्यक्त करता हूं।

भगवान के दीवाने भी होते हैं, इन्सान के भी दीवाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि······ (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सुनील दत्त जी, कृपया अपने स्थान पर बैठें। कृपया हमें समझने का प्रयास करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से मेरे कार्य को जटिल बना रहे हैं। कृपया बैठ जाएं। कृपया मेरी सहायता करें। मेरे कार्य को कठिन न बनाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील दत्त, समझने की शक्ति और धैर्य तथा अपनी मां, बहिन और बेटी को इज्जत देने की प्रवृति आपकी भावनाओं के अनुरूप है, जिसके द्वारा आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो आप हमेशा क्षमा याचना कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमे कोई समस्या उत्पन्न होगी। मैं जानता हूं कि उन्होंने किस प्रकार की भावना से इन शब्दों को कहा है। इसी कारण मैंने कुछ नहीं कहा। परन्तु आप क्षमा याचना कर सकते हैं।

श्री सुनील दत्त : मुझे इस देश की महिलाओं पर गर्व है। मैं उनका आदर करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं अपनी मां का दीवाना हूं, मैं अपनी बहन का दीवाना हूं, मैं अपनी बेटी का दीवाना हूं ···(**व्यवधान**)···देश के लिए कुर्बानी दी है, देश का दीवाना हूं ।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, आप इस सभा के अभिरक्षक हैं और इस सभा के अभिरक्षक होने के नाते सभी पहलुओं और विचार-विमर्श पर विचार कर सकते हैं। यदि कोई बात विधेयक से बाहर हो जाती है तो कृपया यह देखें कि उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए। यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि सभा के किसी वर्ग का कोई सदस्य विधेयक से बाहर की कोई बात कहता है तो उसे पूर्ण रूप से कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी है, वे माफी मांगें।··· (**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अनावश्यक रूप से मुझसे न कहलवाएं। ऐसा नहीं है। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो आप मेरी उपस्थिति में तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं और यह सब कह रहे हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। सुमित्राजी कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं आज तक नहीं बोली हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुमित्राजी के बाद आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उन्हें बोलने के लिए कह चुका हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, हमने आब्जैक्शन लिया है। मैं माननीय सुनील दत्त जी को बताना चाहती हूं, हमें बिल्कुल आदर था उनके लिए। अभी भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं

है। लेकिन यह सदन है, जो विषय चल रहा था, अत्यन्त गम्भीर विषय चल रहा था यहां पर और जिस लहजे में बात कही गई, उस पर हमें आब्जेक्शन हुआ था। हम भी हंसी-मजाक वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस लहजे में औरतों का दीवाना शब्द प्रयोग किया गया ··(व्यवधान) सुनिए, शब्द यूज किया गया। उसके बाद भी हमने कहा कि इस ढंग से नहीं हो, यह पार्लियामेंट है। आप कोई सिनेमा के हीरो नहीं हैं, आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं और इस ढंग से शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम आपसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते हैं इसलिए हम लोगों को गुस्सा आया। हमें आपके लिए आदर है, आपने कैंसर वगैरह का काम किया है। इसलिए इस प्रकार के शब्द आपके मुंह से नहीं आने चाहिये थे, इसलिए हमें आब्जैक्शन है। लेकिन बाद में भी जिस ढंग से आपने कहा, किसी एक सैक्शन की बात नहीं है, थोड़ी महिलाओं की बात नहीं है। ऐसे शब्द पार्लियामेंट में जब हम एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में यहां पर आते हैं, नहीं कहने चाहिए।···(व्यवधान) ··

अध्यक्ष महोदय : सुमित्रा जी आपने अपनी बात कह दी है। आप बैठ जाइए। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सहयोग दें। हमें अनेक विधेयक पारित करने हैं। हम समझते है कि हम विधेयक को पारित कर सकेंगे। कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो आपत्तिजनक हों। हमें यह कहने की स्थिति में आने दें कि परखिए नहीं और हमें परखा नहीं जाएगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं उर्दू की विशेषज्ञ नहीं हूं। परन्तु श्री सुनील दत्त के भाषण में मैं जिस बात की सराहना करती हूं वह तो भावना है जो उनकी महिलाओं के प्रति है और मैं आशा करती हूं कि आप सबकी भी ऐसी भावना होनी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपको इस सभा को नियंत्रित करना है। अपनी समझबूझ से···

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह अध्यक्ष के लिए व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कृपया, मेरी बात सुनें। मैं यहां आपकी सहायता तथा किसी बात की ओर आपका ध्यान दिलाने के लिए हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभा केवल प्रक्रिया नियमों द्वारा ही विनियमित की जा सकती है न कि भावनाओं द्वारा। यह सभा, विशेष रूप से आप अथवा आपके स्थान पर कोई अन्य पीठासीन अधिकारी यह निर्णय ले सकता है कि क्या सदस्य ने संसदीय शब्दावली का प्रयोग किया है अथवा असंसदीय शब्दावली का। आपका ध्यान केवल इस ओर दिलाया जा सकता है, परन्तु इसलिए नहीं कि कोई महसूस करता है अथवा अत्यधिक संवेदनशील है और उस शब्द अथवा वाक्य को पसन्द नहीं करता और वह चाहता है कि कि सदस्य को किसी अन्य वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। सदस्यों के भाषणों को भावनाओं द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वह सभा के किसी भी वर्ग के हों।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं अपने मित्र और इस सभा के माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं तथा मैं उनसे 80 प्रतिशत सहमत हूं। 20 प्रतिशत के बारे में मेरा निर्णय यह है

कि हमें असंसदीय शब्दावली का प्रयोग न करने तथा सदस्यों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं जोकि अभी उन्नीकृष्णन साहब ने बोला है यह बात सेंसटिव होने वाली, इमोशंस की नहीं है। मैं भी इस बात को जानती हूं, मैं भी पूरी दुनिया में घूमी हूं, हंसी मजाक को मैं भी समझती हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गुफाओं में से निकल करके आई हूं। **(व्यवधान)** लेकिन हमारी संसद की भी मर्यादा है, इस देश की भी एक मर्यादा है और भावनाओं को अभिव्यक्त करने की भी एक मर्यादा है। मनुष्य शरीर में पैदा होने के बाद अगर हम मर्यादाओं में रहना नहीं सीखते हैं तो हममें और सड़क पर चलने वाले जानवरों में कोई अन्तर नहीं रह जाता है।...**(व्यवधान)** इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे सुनील दत्त साहब ने जो बात कही, मैं उनका बहुत आदर करती हूं, लेकिन कुल मिला कर यह बात मेरी समझ में आई कि सुनील दत्त जी समाजसेवी हैं, लेकिन इसके पहले वे फिल्मी हीरो रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील दत्त, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी उमा जी ने कहा कि मैं हीरो था, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं आज भी हीरो हूं और मुझे नाज है कि मैं हीरो हूं।...**(व्यवधान)** मुझे नाज है कि मैं फिल्मों से ताल्लुक रखता हूं। फिल्में सेकुलर इंडिया की तस्वीर हैं, फिल्मों में कोई भेदभाव नहीं है।...**(व्यवधान)**... उमाजी ने सदन में औरतों के बारे में अवाज उठाई थी, जिसमें कहा था कि सोनोग्राफी द्वारा जांच की जाती है और लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, बड़े सेंटीमेंट्स इसमें इनवाल्व हो गए हैं। इस तरह से और भी ममले हैं, जिनका आज हमको मुकाबला करना है। आज हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं, बच्चों को जिंदा मारा जा रहा है, तांत्रिक बच्चों की बलि देते हैं उनका गोश्त खाते हैं, लड़कियों को बेचा जाता है, भूख है, बेकारी है, इन सारी समस्याओं का हमें मुकाबला करना है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि—

और भी गम हैं जमाने में मन्दिर के सिवा,
अनगिनत सदियों के तारीक व तिलसिम,
रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बनवाए हुए,
जाबजां बिकते हुए कूचा व बाजार में जिस्म,
खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए,
लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे,
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे,
और भी गम हैं जमाने में मन्दिर के सिवा।

इन लोगों को ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, निर्णय क्या हुआ ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अनेक सदस्यों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया है कि

[हिन्दी]

क्या निर्णय हुआ, क्या निर्णय नहीं हुआ,

[अनुवाद]

और उनका कहना है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं। नियम यह है कि मैं कुछ सदस्यों द्वारा सभा में कही गई अनेक बातों को अच्छा नहीं समझता और यदि कोई आपत्तिजनक बात हो अथवा कोई ऐसी बात हो जो सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं तो उसे सभा के कार्य-वाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामसुन्दर दास (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि यह बिल भारतीय संविधान में घोषित नीतियों के अनुकूल है। यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? आज जो देश की हालत है, जो साम्प्रदायिकता बढ़ रही है उसको देखते हुए सत्ताधारी दल ने यह बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बिल को लाकर इस देश की प्रभुसत्ता को बचाने और देश में फैले सम्प्रदायवाद को खत्म करने का एक सराहनीय काम किया है। मैं जहां सत्ताधारी दल को धन्यवाद देता हूं वहीं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था। जब सिर से पानी ऊपर बहने लगा तब सत्ताधारी दल के लोगों की आखें खुलीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद देश में जो स्थिति थी अगर उस पर हम नजर डालें, इस देश में सैक्यूलर शक्तियां थीं अगर हम उनको उठाने का काम करते तो हम इस देश की सेवा कर सकते थे और एक ऐसा परिवर्तन कर सकते थे जिससे हम सैक्यूलेरिज्म की रक्षा कर सकते थे। लेकिन सत्ताधारी दल ने यह नहीं किया। जिन्होंने इस देश की हुकमत सम्भाली उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं इसलिए इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि यह देश किसी खास बिरादरी का और न खास धर्म वालों का ही देश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कहा गया कि इतिहास को झुठलाने की बात की गई है। इधर के मित्रों ने कहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतिहास को झुठलाने का काम जो करता आ रहा है इस देश में उसे इस देश के लोग जानते हैं। देश के आदिवासियों को छोड़कर आर्य तथा कई अन्य जातियों के लोग इस देश में आए, ये सारे लोग विदेशी थे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्यों से डेढ़-दो हजार वर्ष बाद इस देश में मुसलमान भी आए। सभी बाहर के लोगों का हिन्दू धर्म ने सबको अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। यह उदारता थी। लेकिन आज जो बातें समाज में चल रही हैं, वह गम्भीर चिन्ता की है। इसलिए मैं समर्थन करना चाहता हूं कि यह देश किसी खास धर्मावलम्बियों का नहीं है। अगर संविधान के निर्माताओं ने इस

देश के संविधान में सैक्यूलेरिज्म का प्रावधान न किया होता तो इस देश में उन्माद फैलता, जद्दोजहद और आन्दोलन हो सकता था तथा दूसरी तरह की चीज भी हो सकती थी । लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सारी सम्भावनाओं को देख कर ही संविधान की रचना की थी ।

आज मैं कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है, हम समझते हैं कि सबकी खुशी होनी चाहिए । अगर यह देश नहीं रहेगा तो न इस देश में कोई पार्टी रहने वाली है, न बिरादरी और न ही कोई धर्म रहने वाला है । इस दृष्टि से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । यह बिल एक प्रगतिशील बिल है और इसको सर्वसम्मति से पास करना चाहिए ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । यह धर्म का जो मामला है, यह व्यक्तिगत मामला है । जहां पूजा करने की बात है, धर्म स्थान में जाने की बात है, कोई वहां जाकर पूजा कर सकता है, अपनी आस्था रख सकता है । लेकिन यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि धर्म को साम्प्रदायिकता का रूप दिया जाए । धर्म के बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धर्म इंसानों के लिए बना है । जो धर्म इंसान के रास्ते में रुकावट पैदा करता हो, उसे आगे बढ़ने से रोकता हो, उसको म धर्म नहीं मानता हूं और न ही कोई मानता है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म उन्माद फैलाने की बात जो लोग कहते हैं तो यह देश एक धर्म का देश नहीं बन सकता है । जो मानवीय धर्म में आस्था नहीं रखते हैं और जो बाहरी आचरण में रहने वाले लोग हैं, वे इस देश को तोड़ने की बात करते हैं । मैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इतिहास उनको माफ नहीं करेगा । ऐसा न हो कि यह देश दूसरे देशों के रास्ते पर चला जाए और यह देश टूट जाए और बरबाद हो जाए और धर्म के नाम पर हम लूटे जाएं ।···(**व्यवधान**) यहां मन्दिर की स्थापना आस्था के अनुसार की गई । यहां पर अभी भी लोग बसते हैं जो इस पर ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और बहुत से विश्वास नहीं रखते । लेकिन उन्होंने जो आदर्श पेश किया है और इस देश को जो दिया है, उसको नहीं भुलाया जा सकता । यह देश मिले-जुले कल्चर और अनेक भाषाओं का देश है जहां सब मिलकर रहते आए हैं और देश की हिफाजत करते आए हैं । मैं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए आग्रह करता हूं कि जरा मुस्तैदी से कार्यान्वित करना चाहिए । ऐसा न हो कि यह बिल आपने ला दिया है और बहुत से बिल पड़े हुए हैं । हमारा देश सैक्युलर देश है । क्या कारण है कि आप घोषित सिद्धांतों के अनुसार इस देश को नहीं चला पाए । कारण कुछ होगा या तो हम राजनीति के चक्कर में पड़ गए । राजनीतिक लाभ की वजह से देश को देश के उन उसूलों को हमने निरोपित नहीं किया । विधेयक पास हो जायेगा, लेकिन उस विधेयक को कड़ाई से इस देश में लागू नहीं किया गया तो इस देश में सैक्युलरीज्म की हिफाजत आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप न करें । संविधान निर्माताओं ने कहा था हमने संविधान बनाया और जो लोगों को अधिकार दिए हैं, अगर वे अधिकार लोगों को नहीं मिले तो ऐसा वक्त आ सकता है जब इस देश के लोग संविधान से अपनी आस्था हटा लें । सबसे अंत में सत्ताधारी लोग इस बिल को लाए, "देर आयद दुरूस्त आयद" । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूं । मैं चाहता था कि आप समय पहले दे देते क्योंकि पहली बार इस सदन में मुंह खोलने का वक्त दिया ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं तहेदिल से इस महत्वपूर्ण कानून का स्वागत करता हूं जिसे काफी पहले पारित किया जाना चाहिए था।

महोदय, सन् 1941 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से और उससे भी अधिक लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत गणराज्य बनने के बाद हमने कुछ कदम उठाए हैं, कभी-कभी लड़खड़ाया परंतु राज्य से धर्म को अलग करने के लिए धीरे-धीरे प्रयास किया गया तथा अल्पसंख्यकों को न सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों बल्कि भाषायी अल्पसंख्यकों को भी यह आश्वस्त करने के लिए कि जिस आस्था में उनका विश्वास है, जिस धर्म के वे अनुयायी हैं या जो भाषा वे बोलते हैं या व्यापक अर्थ में जो जीवन वे जीते हैं या जो उनके जीवन का मूल्य है, का उनके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी कानूनी हैसियत, उनके नागरिक अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज को जोड़ेंगे। परंतु इसके विपरीत हो रहा है। यह सही नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय में ऐसा कोई तत्व नहीं है जोकि अल्पसंख्यकों के कट्टरपन अथवा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा न दे रहा है चाहे वह पंजाब में हो अथवा कहीं और। परंतु आज यह बात सत्य है कि हिन्दू पुनरुत्थान को भारत की राष्ट्रीयता का चोगा पहनाया जा रहा है। सिर्फ यही बात नहीं है। वे दावा करते हैं कि वे बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय की ओर से बोल रहे हैं। पता नहीं उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। यदि वे देश के कुल वोट और जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम वोट से जीतते हैं और वे यहां आकर कहते हैं कि वे महान हिन्दू धर्म और हिन्दूओं की ओर से बोलते हैं तो वे गलत हैं। मुझे शक नहीं है कि इतिहास उन्हें गलत साबित करेगा। परन्तु वे लोग हैं जिन्होंने अयोध्या को राष्ट्र का कलंक बनाया था। यदि यह आन्दोलन सफल होता है तो इस बात का खतरा है कि धर्मनिरपेक्षता की परिकल्पना, ढांचा, साम्प्रदायिक एकता जिसे हमने बनाने की कोशिश की, दब जाएगा और भारत सीधे फासिस्टवाद की ओर बढ़ेगा। जिन मौलिक विचारों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ये उस पर रुकावट डाल रहे हैं। इस बात पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं कि वे हममें से कुछ को नकली धर्मनिरपेक्ष समझते हैं। मैं यह कहूंगा और इस बात को दुहराऊंगा कि मुझे नकली धर्मनिरपेक्ष कहलाने का गर्व है।

इस छोटे से हिन्दू समूह पुनरुद्धारक समूह जो इस देश के बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, की लड़ाई का केन्द्र बिन्दु उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बाबरी मस्जिद है। अब मैं कहना चाहता हूं कि हम मध्यकालीन राजनीति में वापस नहीं जा सकते हैं। हम मध्यकालीन तरीके अपना सकते हैं जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है। परंतु एक राष्ट्र के रूप में यह देश मध्यकालीन राजनीति में वापस नहीं जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में उपासना स्थलों को तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं चाहे वहां पूजा हो रही हो अथवा नहीं, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं।

यह सही है कि तोड़-फोड़ हुआ है। क्या हम फिर पुराने समय में लौटेंगे और फिर तोड़-फोड़ करेंगे। आज हमारे समक्ष यही प्रश्न है। आज ध्यान एक मस्जिद की ओर केन्द्रित है जिसकी अपनी ऐतिहासिक प्राचीन शैली है। परन्तु यह भी स्थापित कर दिया गया है कि हिन्दूओं ने बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ा है।

प्रो प्रेम धूमल (हमीरपुर) : कहां ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : बिहार में, उत्तर प्रदेश में। यदि आप चाहें तो हम इस बारे

में अलग से चर्चा कर सकते हैं। आप पिछला इतिहास कितना दोहराना चाहते हैं? और इसकी व्याख्या कौन करेगा कि किसे तोड़ा जाना चाहिए और किसे नहीं?

धर्मनिरपेक्षता विश्वास, अनुदान और विचार विशेष से ऊपर है। हम किसी को अनुदान नहीं देते। अल्पसंख्यकों का इस देश में अधिकार है। यह बहुसंख्यकों तथा अन्य समुदाय का भी विचार है, एक प्रकार की प्राकृतिक भावना है जो भारत में अनेक वर्षों से विद्यमान है। जब हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य मतों के अनुयायी इस देश में साथ-साथ रहे, पले और बढ़े।

अयोध्या का इतिहास इस बात को नहीं बताता है कि जन्म स्थान के रूप में जिस बात का दावा किया जा रहा है वास्तव में वह श्रीराम, पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान था या कि वहां कोई मंदिर था। मैं इसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता। परंतु सरदार पटेल ने मुझे विश्वास है कि जैसा कि कल मैंने उन्हें सुना वे उन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे—जनवरी, 1958 को श्री गोविन्द बल्लभ पंत को लिखा कि किसी भी समूह द्वारा एकतरफा हमले या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रश्न पर उन्होंने यही बात लिखी।

5.00 म० प०

ऐसी बात नहीं है कि मेरी कोई लड़ाई नही है। परंतु कुछ लोग इसे स्वीकार तो करें। यह विश्वास की बात है। परंतु कुछ लोग जिन्होंने बाल्मिकी को स्वीकार किया है, जिन्होंने श्रीराम को भी स्वीकार किया है, उनके लिए इस बात पर भी संदेह है कि क्या वे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वैसे मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मुझे इस बात का गर्व है। मुझे रामायण व बाल्मिकी और श्रीराम के वंशज होने का गर्व है। मुझे विश्वास है कि स्वर्गीय सरदार बल्लभ भाई पटेल इसे अस्वीकार नही करेंगे। श्री अरविन्द से एक बार पूछा गया कि क्या श्री रामचन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उनका उत्तर था, इस विश्वास का कोई आधार नहीं है कि राम ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने फिर पूछा क्या आप पूछते हैं कि एक राजा बंदरों की सेना के साथ लंका की ओर कूच करेगा? बाल्मिकी ने इस बात को उस समय विद्यमान परम्परा या कल्पना से ली होगी और एक व्यक्ति बनाया होगा जो उस भारतीय संस्कार के इतना उपयुक्त था कि पूरी जाति ने अपनी चेतना में लिया और उसे आत्मसात किया। वे कहते हैं बाल्मिकी के पहले भी रामायण थी क्योंकि वेदों में भी रामकथा की बात है और वेद में भी आप राम को देव और सीता को धरती के रूप में पाएगे। यह भी हो सकता है कि बाल्मिकी ने इसे किसी देव स्थल से धरती पर लाया होगा। अंत में वे कहते हैं, "हो सकता है श्रीराम हो परंतु यह निश्चित नहीं है।" यह ए० बी० पुरानी द्वारा रिकार्ड की गई श्री अरविन्द के साथ सायंकालीन बातचीत दूसरी शृंखला पृष्ठ 209 से ली गई है। (व्यवधान)···यह महत्वपूर्ण है कि इस सभा में इस पृष्ठभूमि पर चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : हमने अन्य सदस्यों को इस बात पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह कोई रियायत नहीं है। मैंने इस विषय पर इस सभा में पहले कुछ भी नहीं कहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी सदस्य को भी इस विषय पर बोलने की अनुमति नही दी है।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : हमें उनकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कोई भी व्यक्ति मुझे इस बात की शिक्षा नहीं दे सकता कि सभा में कैसे बोला जाए। क्या मुझे आपसे देश भक्ति के नियम सीखने होंगे ··(**व्यवधान**)। मैं वैधता के प्रश्न पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। चाहे वह जन्म स्थान सम्बन्धी प्रश्न है या कोई और प्रश्न (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : प्रो० बरूआ को प्राचीन भारतीय भूगोल का ज्ञाता माना जाता है और अपने अनुसंधान में उन्होंने यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, मैंने अन्य सदस्यों को अनुमति नहीं दी है क्योंकि समय काफी कम है और कुछ और सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं काफी संक्षेप में कहूंगा। वे कहते हैं कि बाल्मिकी रामायण के पांचवे अध्याय पर आधारित उनकी गणना के अनुसार···

अध्यक्ष महोदय : रामायण क्यों। यह विधेयक रामायण पर नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : और उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत कोई जन्मस्थान नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा है जैसा कि कहा जाता है यह नन्दग्राम हो सकता है, यह बाहर है। अतः बात यह है कि हम विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। परन्तु लोगों द्वारा इसका उपयोग यह कहकर किया जा सकता है कि वे इस सवाल पर बहुमत के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इस सवाल पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पहले भी यह सवाल उठाया गया था कि इस उपमहाद्वीप के विभाजन के लिये कौन जिम्मेदार है। मैं इस सवाल की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु निसंदेह जो लोग इतिहास जानते हैं यह जानते हैं कि केवल श्री जिन्ना तथा उनकी मुस्लिम लीग ही नहीं, परन्तु हिंदू साम्प्रदायिकता जिसके प्रेरक वीर सावरकर थे तथा जिनके लिये मेरे मन में बहुत अधिक सम्मान है तथा जिन्हें मैं एक बहुत समर्पित स्वतन्त्रता सेनानी मानता हूं, वे हिन्दुत्व उग्रपंथी विचारधारा को प्रेरणा देने के लिये जिम्मेदार हैं जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन हुआ था। ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह सब व्यर्थ है और इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस विधेयक के प्रेरक कौन हैं तथा इसे लाने की क्या आवश्यकता है?

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, कृपया हमारे साथ सहयोग करें, हमारे पास कार्यसूची में और भी कार्य हैं तथा इसके बारे में सभी सदस्यों की बैठक में सहमति हो गयी थी।

(**व्यवधान**)

*सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे एक मिनट के लिये अनुमति दें। यह सहमति हो गयी थी कि हम दो और विधेयक आज ही पारित कर देंगे तथा मुझे आशा है कि हम सभा में उपस्थित रहेंगे तथा दो और विधेयकों को भी पारित करेंगे। समय बहुत कम है, अतः संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अतः गुरूजी गोवलकर ने कहा था···

श्री राम नाईक : मैं इसे ठीक से कहना चाहता हूं।···**(व्यवधान)**···इस बात को कहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सावरकर केवल हिन्दुत्व को उग्र बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं थे बल्कि देश को उग्रपंथी बनाने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने यह नहीं कहा था कि सावरकर हिन्दुत्व को उग्र बनाना चाहते थे। इसको गलत तरीके से उद्धृत किया जा रहा है?···**(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मैं अहमदाबाद में 1937 में हिन्दू महासभा के अधिवेशन में दिये गये उनके भाषण में से उद्धरित करता हूं। महोदय, गुरूजी गोवलकर ने कहा था···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इन सब बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप यह बात कहेंगे तो इसका उत्तर दिया जायेगा फिर उसका प्रति उत्तर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक पर चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह तरीका नहीं है। यदि मैं कोई बात असंसदीय कहूं तो आप मुझे टोक सकते हैं तथा इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल सकते हैं।···**(व्यवधान)**·· मैं कह रहा हूं कि यह इस समस्या की जड़ है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह विधेयक क्यों लाया गया, मैं यह बताऊंगा। इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है, मैं यह बताऊंगा। आप सदस्यों को निर्देश नहीं दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मुझे सदस्यों को निर्देश देना होगा। सदस्य हर समय मेरे द्वारा दी गयी व्यवस्था के विरुद्ध आपत्ति नहीं उठा सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नहीं, नहीं यह बात नहीं है। निर्देश ऐसे होने चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही को ध्यान में रखना होगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी हां, सभा की कार्यवाही को नियमित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी हां, मैं आपके साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप मेरे बोलने के बीच में व्यवधान न उत्पन्न करें।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, परन्तु आपको विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने सोचा कि जो मैंने कहा है आप समझ गये होंगे । महोदय, गुरुजी गोवलकर ने कहा था :

> "हिन्दुस्तान में गैर हिन्दू लोगों को या तो हिन्दू संस्कृति तथा भाषा को अंगीकार कर लेना चाहिये, हिन्दू धर्म को सम्मानपूर्वक अपनाना तथा सम्मान देना सीखना चाहिए, हिन्दू जाति तथा संस्कृति की यशोगान करने के अलावा और किसी विचार को अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए, अर्थात् उन्हें न केवल इस देश तथा इसकी प्राचीन परम्पराओं के प्रति अपने असहिष्णु तथा देश प्रेम की भावना के अभाव वाले दृष्टिकोण को छोड़ना चाहिए बल्कि हिन्दू धर्म के प्रति प्रेम तथा भक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए तथा उन्हें अपने आपको विदेशी नहीं समझना चाहिये ।"

यह हम अथवा हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा से लिया गया है—वह राष्ट्रीयता जिसके बारे में मेरे माननीय मित्र श्री राम नाईक ने कहा है तथा उन्हें इसे एक समाधान बताया है ।

महोदय, गुरुजी के पास एक प्रिय पुस्तक थी । आपको आश्चर्य होगा वह महाभारत या रामायण नहीं थी । गुरुजी की प्रिय पुस्तक थी जैसाकि उन्होंने कहा था और वह थी हिटलर की मेन केम्फ अथवा विश्व को दिया गया जुडायक हिटलर का समाधान । (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है परन्तु अनुयायियों के केवल इसी दृष्टिकोण के कारण आज हमें यह विधेयक लाना पड़ रहा है । इसके विपरीत, महोदय, हमें गर्व है···

अध्यक्ष महोदय : केवल विधेयक के प्रावधानों पर ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं विधेयक पर चर्चा करूंगा । हम ताजमहल तथा अजन्ता के प्रति उतने ही गौरवांवित हैं, जितने आगतरा मस्जिद अथवा मन्दिर अथवा कोनार्क के महान मन्दिर की पवित्रता के प्रति । ठीक है, वे कोनार्क जायें और उसका पुनरुद्धार करें । यह अपने आप में एक अनूठी कलाकृति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसे किसी कला अथवा सभ्यता द्वारा कहीं भी निर्मित नहीं किया गया है ।

महोदय, धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है । हमारे धर्म का सार, उसकी मूल शिक्षा किसी रहस्योदघाटन पर आधारित नहीं है । इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि हिन्दू धर्म को जूडा अथवा किसी सामी ढांचे के आधार पर तैयार किया गया धर्म बना दिया जाये, तथापि ऐसा नहीं है । हमारा कोई रहस्योद्घाटन नहीं है । श्री रामकृष्ण ने इस्लाम की साधना की है । वह कहते है, "तब, मैं अल्लाह का नाम दोहराता हूं । ऐसे कपड़े पहनता हूं जैसे मुसलमान पहनते हैं तथा नियमित रूप से नमाज पढ़ता हूं ।" वह कहते हैं, "तथा मैंने पाया कि ईश्वर एक ही है जिसकी हम सभी आराधना करते हैं, केवल रास्ते अलग-अलग हैं ।"

अध्यक्ष महोदय : मैंने सलीम साहब को अनुमति नहीं दी थी । मैंने दिग्विजय सिंह को विषय

से हटकर बात करने की अनुमति नही दी थी। कृपया आप विधेयक में दी गयी बातों के बारे में ही बात करें।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह विधेयक उन तत्वों के कारण लाना आवश्यक हो गया है जो न केवल धर्मनिरपेक्ष आधार के विरुद्ध लड़ रहे हैं बल्कि हिन्दू धर्म की गलत परिभाषा कर रहे हैं। अतः इन तत्वों को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। इन तत्वों के विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिये। यदि केवल धर्मनिपेक्षता का स्वरूप बना रहता है तभी भारत प्राचीन समय से व्याप्त निराश, दूषण, गंदगी तथा पीड़ा से उबर पायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खमरिया) : **अध्यक्ष महोदय**, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में बोलिए; उसके बाद मालिनी जी बोलेंगी और उसके बाद मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री राम शरण यादव : अध्यय महोदय, हमारे पूर्वजों ने इस देश को जब धर्मनिरपेक्ष देश कहा और वैसा बनाया तथा माना, तो इस बिल को लाने की क्या जरूरत पड़ी क्योंकि इस देश में, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई आदि सब धर्मों के लोग रहते हैं, तो फिर इस बिल को लाने की क्या जरूरत पड़ी और क्या परिस्थिति पैदा हुई ? महोदय, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी आदि के कारण यह बिल लाने की जरूरत पड़ी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि को इससे अलग रखिए।

(व्यवधान)

श्री राम शरण यादव : अध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि राम जन्म अयोध्या मे हुआ, मैं कहता हूं कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है—

"भए प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी"

कोई कहता है कि कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कोई कहता है कि श्रृंगी ऋषि के जग में खीर खाने के वीर्य से वे पैदा हुए, मैं कहता हूं कि भगवान राम कहां पैदा हुए यह तो सिर्फ कौशल्या माता और पिता दशरथ ही जानते हैं। और दूसरी कोई नहीं जानता। अभी हमारे साथी ने जब राम जन्म भूमि की बात कही, तो ये इधर से कई लोग उनके ऊपर टूट पड़े, तो इसी प्रकार मान्यवर ये लोग हरिजन, आदिवासी और गरीबों पर टूट पड़ते हैं और उनको दबाकर रखते हैं। राम के बारे में तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है "तुम पावक करहु निरासू जब तक करहुं निशाचर नासू" सीता जी अग्नि में थीं और जब अयोध्या आया, तो वे गर्भवती थीं, तो उनको कौन अयोध्या लाया ... (व्यवधान)

इंसाफ की बात है, इसको देखा जाए कि गर्भवती अवस्था में सीता को बनवास दिया गया। यह राम का इंसाफ या न्याय है।

एक सम्बुक नाम का शूद्र तपस्या कर रहा था तो ब्राह्मण के कहने पर राम ने उसका कत्ल कर दिया था क्योंकि शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। राम के राज में शूद्र को, आदिवासी को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, वेद सुनने की इजाजत नहीं थी, न ही धर्म की इजाजत थी। इसी कारण से राम ने सम्बुक का वध कर दिया।

एक बार श्री जगजीवन राम सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का उद्घाटन करने बनारस गए। जब वे उद्घाटन करके चल गए तो ब्राह्मणों ने गाय के गोबर से उसको शुद्ध किया। क्या मनुष्य जानवरों के पाखाने से भी ज्यादा अशुद्ध है। ब्राह्मणों की यह साजिश हजारों सालों से चली आ रही है। इनके राम का इंसाफ यही है।

बिहार में बैजनाथ धाम शंकर का मन्दिर है। हजारों सालों से उसका नाम बैजनाथ धाम था। वहां के पंडों ने शिव और पार्वती के बीच में जो बैजू की मूर्ति हजारों सालों से थी, उसको उठाकर एक किलोमीटर दूर रख दिया है क्योंकि बैजू गोप पिछड़ी जाति के हैं। उसका नाम बैजनाथ धाम खत्म करके देवघर नाम रख दिया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसका नाम बैजनाथ धाम रहने दिया जाए, देवघर नाम खत्म किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मुझे जो समय दिया गया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं विधेयक से संबंधित किसी अन्य विषय पर कुछ नहीं कहूंगी तथा मैं अपने आपको विधेयक के बारे में उठायी गयी कुछ आपत्तियों तक ही सीमित रखूंगी क्योंकि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रही हूं।

पहली बात तो यह है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि यह किसी न किसी तरह हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुचायेगा, इससे हिन्दुओं को किसी न किसी त ह नुकसान हो सकता है। इस समय हिन्दू धर्म हमारे देश के कम से कम 70 प्रतिशत लोगों का धर्म है। यह पिछले 3000 से 4000 वर्षों से चल रहा है। यदि यह आरोप लगाया गया है तो यह बहुत ही गम्भीर आरोप है तथा हमें इस पर विचार करना चाहिए कि इस विधेयक से हिन्दू धर्म को क्या खतरा उत्पन्न हो रहा है।

हमें विधेयक के पाठ को देखना चाहिये। हमें खण्ड 3 को देखना चाहिए जोकि एक प्रभावी खण्ड है। खण्ड 3 किसी एक धार्मिक सम्प्रदाय के धर्मस्थल को किसी दूसरे धार्मिक सम्प्रदाय के धर्मस्थल में बदलने पर प्रतिबन्ध लगाता है।

अब मैं आपसे पूछती हूं कि क्या हिन्दू किसी दूसरे धार्मिक सम्प्रदाय के धर्म स्थल को अपने धर्म स्थल में बदलना चाहते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कभी चाहा है? क्या वे अब ऐसा चाहते हैं? इधर-उधर एक या दो ऐसे हिन्दू होंगे। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती हूं। परन्तु सामान्यतः, हिन्दुओं ने ऐसा नहीं चाहा है तथा इसी कारण उनको इस विधेयक से कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। दूसरी ओर यदि हम सिद्धांत रूप में यह स्वीकार भी कर लें कि हिन्दुओं को यह डर है कि उनके धर्म स्थल को किसी अन्य धर्म में बदला जा सकता है जैसा कि मेरे कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि इस तरह के बदले जाने तथा तोड़-फोड़ के कारण हिन्दू धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वास्तव में हिन्दुओं को इस विधेयक का सबसे ज्यादा स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे उनके धर्म स्थलों को आगे बदले जाने से बचाया जा सकता है।

दूसरा मामला जम्मू और कश्मीर के बारे में है। इस मामले को उठाया गया है। यह पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर को क्यों छोड़ दिया गया है। मैं कहूंगा कि यदि इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया गया है तो इसमें जम्मू और कश्मीर को उसी कारण छोड़ा गया है जिस कारण से अयोध्या को छोड़ा गया है। जम्मू और कश्मीर का एक विशेष मामला है। इसके विशेष मामला रहने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु किन्हीं कारणों से जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण राष्ट्र में एकीकरण नहीं हो सका है और इसीलिए इसका एक विशेष मामला रहा है। धर्म के राजनीतिकरण के कारण अब अयोध्या का मामला भी एक विशेष मामला बन गया है। मुझे कहना है कि हम नहीं चाहते कि विशेष मामले बढ़ते रहे। हम उस पर रोक लगाना चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि इस विधेयक को लाया जाए और पारित किया जाए। और अधिक विशेष मामले नहीं होने चाहिए।

महोदय, खंड 4 में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 रोक की तारीख है। कुछ वक्ताओं ने कहा है कि रोक की तारीख वह नहीं होनी चाहिए और यह बाबर के समय से या 1000 ई० से होनी चाहिए या कोई अन्य तारीख हो जब मन्दिर गिराए गए थे। परन्तु मन्दिर उससे भी पहले गिराए गए थे। यह कहा गया है कि हिन्दू मन्दिर हिन्दुओं द्वारा गिराए गए थे। (व्यवधान) मुझे खेद के साथ कहना है कि कश्मीर में मारतंड मन्दिर बंगाल के हिन्दुओं द्वारा नष्ट किया गया था। बौद्ध मन्दिर हिन्दुओं द्वारा गिराए और हस्तगत किए गए थे। अंग्रेजों द्वारा भी उसी प्रकार से मन्दिरों और मस्जिदों के बारे में हेरा-फेरी की गई थी (व्यवधान) यदि आप इतिहास की पृष्ठभूमि में जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि केवल मंदिर ही नहीं सम्पूर्ण सभ्यता मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कुछ हद तक आर्यों द्वारा नष्ट की गई थी। अतः आप तारीख को अनिश्चित काल तक टाल सकते हैं। परन्तु मेरे विचार से 15 अगस्त, 1947 एक निर्णायक तारीख है क्योंकि उस दिन सभी बर्बरता को भूतकाल में दफना कर हमने एक आधुनिक, प्रजातांत्रिक और प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य के रूप में स्थापना की थी। उस तारीख से हम पाकिस्तान से अलग होकर एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हो गए थे जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं था और जो सभी विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों को समान अधिकार देता है। अतः उससे पहले जो कुछ भी हुआ हो, किंतु उस तारीख से हम सभी ने यह उम्मीद की थी कि भूतकाल की ऐसी कोई नीति नहीं होगी। निःसंदेह भूतकाल में बहुत नुकसान हुआ था लेकिन बेईमान और ताकत के भूखे राजनीतिज्ञों द्वारा किए गए नुकसान को रोकने के लिए सभी सम्प्रदायों के उपासना स्थलों का प्रतिरक्षा का दायित्व हमें सौंपा गया है।

महोदय, यह भी आपत्ति की गई है कि यह विधेयक मुसलमानों को शांत करेगा या मुसलमानों की मूल भावनाओं से संधि कर लेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। (व्यवधान) यही सब मैं कहने जा रहा हूं। निस्संदेह यदि एक तरफ हमारे मित्र एक प्रकार के मूल तत्व को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे मित्र विभिन्न प्रकार के कई रूढ़िवादी को बढ़ावा देने के लिए बराबर कुख्यात रहे हैं। इसलिए यदि वहां किसी प्रकार का भी डर है। तो मैं नहीं समझता कि यह पूर्णरूपेण अनुचित है। लेकिन हम विधेयक पर एक नजर तो डालें।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि एक वर्ग के सदस्यों को कुख्यात कहना उचित है। (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यदि आपको कुख्यात शब्द से कोई आपत्ति है तो मैं इसके स्थान पर 'प्रसिद्ध' शब्द रखती हूं। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक असंसदीय वाक्यांश नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, प्रश्न है : क्या यह विधेयक मुस्लिम उपासना स्थलों को किसी प्रकार का विशेष दर्जा देता है। मुझे बहुत खेद है कि हम इस तरह से बोल रहे हैं। पिछले दो दिनों से ऐसा जान पड़ता है कि भारत में हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय के अतिरिक्त कोई दूसरा संप्रदाय नहीं है। यह सच नहीं है। इस विधेयक में सभी संप्रदायों को शामिल किया गया है। लेकिन जो भी हो, क्या यह विधेयक मुस्लिम उपासना स्थलों का विशेष पक्ष लेता है? यह नहीं लेता। या ये लोग केवल तभी संतुष्ट होंगे जबकि मुस्लिम उपासना स्थलों को इस विधेयक से अलग रखा आएगा? क्या वे यह सब चाहते हैं?

पहले मुस्लिम महिला अधिनियम के प्रश्न पर हिन्दुओं ने जान-बूझकर इस बात पर इसे प्रोत्साहन दिया कि यह मुस्लिम लोगों के अनुकूल है और हिन्दुओं के प्रति भेदभाव वाला है। लेकिन अब न केवल मुस्लिम महिलाएं बल्कि गरीब मुस्लिम, मध्यम वर्गीय मुस्लिम, जिनकी तलाक शुदा बेटियां उनके पास बिना किसी जीविका के वापस आ जाती हैं, ने भी माना कि मुस्लिम महिला अधिनियम, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ है।

विधेयक मुस्लिम महिला विधेयक से बिल्कुल अलग है। यह एक दूसरे संप्रदाय के उपासना स्थलों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। यह बहुत आवश्यक बात है। निःसंदेह, विधेयक का ध्येय अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करना है। और यह एक प्रजातांत्रिक राज्य की अति आवश्यक पूर्व-शर्तों में से है।

हम इन दिनों भावात्मक एकता के बारे में काफी कुछ सुन रहे हैं। लेकिन भावात्मक एकता को डर और जबरदस्ती के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे लोग यह जानते हैं। वे मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों के साथ-साथ बने रहने को बुरा नहीं मानते। उनकी एक भावात्मक एकता है जोकि उनके पारस्परिक शोषण के विरुद्ध संगठित संघर्ष द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मैं कहूंगा कि इस विधेयक में अपने यहां के लोगों की कोई आलोचना नहीं की गई है। यह केवल राजनीतिज्ञों द्वारा लोगों के चारों ओर खेले जा रहे खेल से बचाने के लिए है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस (इ) यह आलोचना स्वयं अपने ऊपर कर रही है। हमें इसके बारे में काफी प्रसन्नता है। इसीलिए हमारे पास इस विधेयक में अयोध्या को शामिल करने के लिए कोई संशोधन नहीं हैं। (व्यवधान) यद्यपि हमारा विचार है कि अयोध्या का मामला एक अपवाद नहीं है। इसे आडंबर-पूर्ण बना दिया गया है। हमने कहा होगा कि अयोध्या को एक विशेष मुद्दा मत बनाइए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अयोध्या को पहले ही एक विशेष मुद्दा बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह ठीक होगा कि इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए, इस तरीके के असफल होने पर इसे न्यायालय की राय से सुलझाया जाना चाहिए न कि संसदीय अधिनियम द्वारा जोकि ऊपर से थोपा गया मालूम होगा। क्योंकि अयोध्या को इस विधेयक से अलग रखा गया है इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि वे अयोध्या के इस बहिष्करण को विवादग्रस्त ढांचे और स्थान को या तो राज्य

सरकार के आदेश द्वारा या भावनाओं को दबाकर ठीक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। महोदय, तब तो वे बहुत बड़ी गलती पर हैं। और वे आवश्स्त रहें कि यदि वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम इसका अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ विरोध करेंगे।

1949 से सरकार की कमजोरियों का लाभ उठा रहे हैं, हालांकि मुकदमेबाजी चल रही है फिर भी वे विवादाग्रस्त स्थान में एक-एक इंच करके घुसते जा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रक्रिया को एकदम बन्द कर दें और विधेयक का समर्थन करें। और यदि वे सोचते हैं कि समय उनके हाथ मे है तो उनको कार सेवकों को मराठवाड़ा में भेजना चाहिए जहां पर 70 प्रतिशत मंदिरों में अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता और कार केयक वहां जाएं तथा अनुसूचित जाति के लोगों के मन्दिर में प्रवेश के अधिकार के लिए लड़ें। यदि आप ऐसा करते हैं तब राष्ट्र आपको आशीर्वाद देगा। फिलहाल कृपा करके वे विधेयक का विरोध करने की कोशिश न करें।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं सभा के दोनों ओर बैठ सदस्यों का कृतज्ञ हूं, विशेषकर उन सदस्यों का जिन्होने बिना किसी शर्त के विधेयक का समर्थन किया है और अपने ही ढंग से विधेयक की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला है।

खास तौर पर मैं अपने मित्र श्री माणि शंकर अय्यर का कृतज्ञ हूं जिन्होंने हिन्दुत्व के 7000 वर्ष पुराने इतिहास का वर्णन किया और उन्होंने इसका वर्णन करते हुए आदि शंकराचार्य द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद के बारे म बताया। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य कम से कम आदि शंकराचार्य और उनके तत्वज्ञान तथा विरासत में विश्वास करते होंगे जो कि उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी बिल पर बात कर लें।··· (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी कीमती टिप्पणियां दीं। (**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : हिन्दू धर्म के बारे में बोलना क्या भा० ज० पा० का ही विशेषाधिकार है ? क्या कोई और हिन्दुत्व के बारे में नहीं बोल सकता है ? मैं श्री जसवंत सिंह की टिप्पणियों पर आपत्ति करता हूं। हम आपकी तरह अच्छे हिन्दू हैं। (**व्यवधान**)

श्री एस० बी० चव्हाण : वस्तुतः मैं विवाद में जाने की अपेक्षा इस विधेयक को पारित कराने का अधिक इच्छुक हूं। आप श्री आदि शंकराचार्य जी की भविष्यवाणियों और उनके दर्शन के बारे में जानते हैं। मुझे आपको वह सब बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे एकमात्र अनुरोध यही है कि कृपया समाज के विभिन्न वर्गों में वैमनस्य की भावना पैदा न करिये और धर्म को राजनीति से न जोड़िये जिसकी वजह से ही इस तरह के विधेयक को लाना पड़ रहा है।

किंतु माननीय सदस्यो हम महत्वपूर्ण विधेयक पर, जिसे सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

(इ) के चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादे पर और राष्ट्रपति द्वारा 11 जुलाई, 1991 को संसद के संयुक्त सत्र में की गई घोषणा के अनुसरण में लाई है, आपको विचार करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रयास से हमें सभा के अधिकांश माननीय सदस्यों का हार्दिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

हम देखते हैं कि यह विधेयक प्रेम, शांति और सौहार्द की हमारी गरिमापूर्ण परम्पराओं को जारी रखने और उन्हें विकसित करने के एक उपाय के रूप में लाया गया है। ये परम्परायें प्रत्येक भारतीय के गर्व की विषय, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अंग हैं। अनादिकाल से सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता हमारी महान सभ्यता की विशेषता नहीं है।

स्वतन्त्रता से पूर्व भाई चारे, सौहार्द और आपसी सम्मान की ये परंपरायें औपनिवेशिक सत्ता द्वारा सक्रिय रूप से देश में साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने के कारण खतरे में पड़ गई थीं। स्वतन्त्रता के बाद हमने विगत के जख्मों की मरहमपट्टी शुरू कर दी और अपनी अतीत की गरिमा के अनुसार अपने साम्प्रदायिक सौहार्द और सदाशयता की परम्पराओं को बहाल करने के प्रयास किये। कुल मिलाकर हम सफल रहे हालांकि, यह मानना ही होगा कि इसमें कुछ दुर्भाग्यपूर्ण रुकावटें भी आईं। ऐसे धक्कों से हतोत्साहित होने की बजाय हम भविष्य के लिये इनसे सबक लें, यही हमारा कर्तव्य है।

तथापि हाल के वर्षों में हमने हैरत से यह पाया है कि अपने संकीर्ण निहित स्वार्थों के लिये कतिपय वर्गों के प्रचार पर असहिष्णुता चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ गई है। ऐसे तत्वों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये एक तरीका यह अपनाया जा रहा है कि वे नये विवाद पैदा करने के लिये और लोगों द्वारा बहुत पहले भुला दिये गये विवादों को पुन: उठाने के लिये पूजा स्थलों को बलपूर्वक बदल रहे हैं। हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण संघर्षों और नये विवादों को तत्काल समाप्त करने के लिये कदम उठाना जरूरी समझते हैं। विधेयक में, जिसे हमें इस सभा में प्रगतिशील शक्तियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से कानून बना देने की आशा है, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयास किया गया है।

यह विधेयक किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक समुदाय अथवा इसके किसी वर्ग के किसी भी पूजा स्थल को उसी धार्मिक समुदाय अथवा किसी भिन्न धार्मिक समुदाय अथवा उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल में बदलने को निषिद्ध करता है। इसमें यह घोषणा भी की गई है कि पूजा स्थल का जो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त, 1947 को था, उसे उसी प्रकार बनाये रखा जाये। न केवल इसके उल्लंघन के लिये, अपितु उल्लंघन के लिये उकसाये जाने पर भी दंड की व्यवस्था निर्धारित है।

इस प्रकार यह विधेयक पूजा स्थलों को बलपूर्वक बदलने को निषिद्ध और दंडनीय ठहराता है। इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार को और सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। विधेयक को सांविधानिक वैधता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है।

हमने इस विधेयक के संभावित प्रभाव से जुड़ी कुछ आशंकाओं और गलतफहमियों पर भी गौर किया है। यह कहा गया है कि यह विधेयक, विशेषकर इसके खंड 4 के उपबंध ऐसे अनेक

विवादों को उठायेंगे जिनमें किसी पूजा स्थल को सामान्य रूप में बदल दिया गया है। यदि खंड 4 का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाये तो यह संदेह तत्काल दूर हो जाएगा। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खंड 4 के उपखंड (3) की ओर दिलाऊंगा जिसमें उन्मुक्तियों की सूची दी गई है। ऐसे प्राचीन स्मारक अथवा पुरातात्विक स्थल अथवा पुरावशेष अधिनियम 1959 और तदनुरूप विधानों के अन्तर्गत आने वाले सभी प्राचीन स्मारक अथवा पुरातात्विक महत्व के स्थान अथवा पुरावशेष इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर हैं। पूजा के उन स्थलों की भी यही स्थिति है जिन्हें लेकर इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व मुकदमों अथवा अपीलों अथवा कार्यवाही पर अन्तिम फैसला हो चुका है। इसी प्रकार के ऐसे स्थलों को, जिन पर विवाद संबंधित पक्षों द्वारा स्वयं हल कर लिया गया है, अलग रखा गया है। इस विधेयक के लागू होने से पूर्व मौन स्वीकृति से बदले जाने वाले पूजा स्थलों को अलग रखा गया है। अन्ततः ऐसे पूजास्थलों को जिनका बदलना सीमांकन संबंधी किसी कानून के अन्तर्गत कालबाधित हो गया है, अलग रखा गया है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ऐसे विवाद पैदा करना तो दूर, यह विधेयक तो मूल उद्देश्य, अर्थात् पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप संबंधी किसी नये विवाद को पहले ही प्रभावी ढंग से बन्द कर देगा।

इन टिप्पणियों के साथ ही मैं इस सम्मानित सभा के सदस्यों से इस विधेयक की पुरजोर सिफारिश करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसे सर्वसम्मति से पारित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के विचारार्थ दो संशोधन रखे गए हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री मदन लाल खुराना ने ये संशोधन पेश किए हैं।

अब श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, मैं सिर्फ 2-3 बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो इसमें जम्मू और कश्मीर...।

अध्यक्ष महोदय : सर्कुलेशन के लिए क्यों भेजा जाए, इस पर बोलना है, क्योंकि यही आपका अमेंडमेंट है। आप संक्षेप में बताइए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह जो बिल लाया गया है, इसमें कहा गया है कि इससे झगड़े तय हो जाएंगे और सद्भावना पैदा हो जाएगी। मेरा निवेदन यह है कि इससे उल्टे परिणाम होंगे। संक्षेप में मेरा निवेदन है कि देश में मुस्लिम रूल के समय हजारों मंदिरों को तोड़ कर मस्जिद बना दिया गया। (**व्यवधान**)

इसी तरह से विभाजन के समय भी मुसलमानों ने यही काम किया, लेकिन कभी हिन्दू समाज ने अपना संतुलन नहीं खोया। एक भी मस्जिद को किसी हिन्दू ने नहीं तोड़ा।

अध्यक्ष महोदय, राम मन्दिर वाली बात तो मान ली गई है, मेरा निवेदन यह है कि कृष्ण जन्म भूमि के बारे में क्या कोई हिन्दू समाज व्यक्ति मान सकता है कि कृष्ण जी का जन्म ईदगाह, आगरा के पास मथुरा के आगे हुआ होगा। विश्वनाथ जी के मन्दिर के 3 हिस्सों को तोड़ा गया है,

आज भी स्पष्ट वहां पर मस्जिद बनी हुई नजर आ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि जो स्थान साफ नजर आ रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म ईदगाह में नहीं हुआ है, इसी प्रकार से विश्वनाथ के मन्दिर को तोड़ कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है। तो जो स्थान स्पष्ट सामने नजर आ रहे हैं, उनके बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। ये जो तीन स्थान हैं। **(व्यवधान)** इसलिए नजर यह आ रहा है कि इससे हिन्दू और मुसलमानों का वैमनस्य बढ़ेगा और वास्तव में बिल का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने केवल मात्र मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है। **(व्यवधान)** सरकार करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिन्दुओं की भावनाओं को देखते हुए, हिन्दू और मुसलमान आपस में न लड़ें, इस बिल को वापिस ले लेना चाहिए। इस बिल को न लाएं। हिन्दू और मुसलमानों को जोड़ने के लिए इस बिल को वापिस ले लेना चाहिए। इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 1947 से लेकर आज तक इस देश के अन्दर जितने भी दंगे हुए हैं उसमें से एक भी इस आधार पर नहीं हुआ।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजियें। उन्हें भी आपके समान हक मिला हुआ है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि 1947 से लेकर आज तक कोई एक उदाहरण बता दें कि किसी मन्दिर या मस्जिद के नाम पर कोई झगड़ा हुआ हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग ओब्जेक्ट करेंगे तो वे लम्बा भाषण करेंगे।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि अभी तक इस देश के अन्दर कभी भी मन्दिर या मस्जिद तोड़ने के नाम पर दंगा नहीं हुआ। इसलिए इस तरह का बिल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि दंगे हुए हैं अन्य कारणों से। कारण क्या हैं, वह देखना चाहिए। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब 1947 से लेकर आज तक एक दंगा बता दें इस देश के अन्दर कि किसी मस्जिद को तोड़ने पर हुआ हो या किसी मन्दिर या गिरिजाघर को तोड़ने पर हुआ हो। मेरा कहना है कि झगड़ा वह नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री मदन लाल खुराना द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के संशोधनों को सभा में मतदान के लिए एक साथ रख रहा हूं।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी उपासना स्थल का संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध करने के लिए और 15 अगस्त, 1947 को यथा विद्यमान उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार प्रारम्भ करेगी ।

खण्ड 2

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 और 2,—

(i) पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

(क) "इस अधिनियम का प्रारंभ से 11 जुलाई, 1991 को इस अधिनियम का प्रारंभ" अभिप्रेत है;

(ii) पंक्ति 8 में "(क)" के स्थान पर "(ख)" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iii) पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में "(ख)" के स्थान पर "(ग)" प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 3,—

"मठ" के पश्चात् मलंगस्थान, ब्रह्मस्थान, देवी स्थान" अन्तःस्थापित किया जाये । (9)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 3,—

"मठ" के पश्चात् "दरगाह" अन्तःस्थापित किया जाये । (25)

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) अध्यक्ष जी, मेरा इस बिल के साथ पूर्ण समर्थन है। हमारी पार्टी के नेता ने जो बातें कही हैं, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं । मेरा छोटा अमेंडमेंट है, गृह मंत्री जी उसको ध्यान से सुनें । बिहार में एक मलंग स्थान है । हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग कह रहे थे कि हमारा है । उसके ऊपर मुस्लिम रॉयट होते-होते बचा । विश्व हिन्दी शब्द कोष में मैंने इस बारे में पढ़ा है । मलंग शब्द इस्लाम धर्म में सूफी संप्रदाय से चला । उप-शाखा में कुछ ऐसे साधुओं का नाम है जो बिल्कुल फकीर की तरह रहते थे । उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में मलंग स्थान है । अमेंडमेंट में इसको जोड़ना चाहिए । हिन्दू और मुसलमान उस स्थान पर आज भी पूजा कर रहे हैं लेकिन आपने मलंग शब्द को नहीं लिया है । हर गांव में ब्रह्म स्थान हैं गर-मजुरआ जो जमीन होती है, उसमें है । मेरा यह कहना है कि इसको जोड़ा जाए । जहां शब्द मठ लिखा हुआ है तो उसके आगे जोड़ा जाए क्यों कि इससे ब्रह्म स्थान की भूमि का एनक्रोचमेंट नहीं होगा और उसके चलते मैं समझता हूं कि हिन्दू-मुस्लिम में झगड़ा पैदा नहीं होगा । वह देव स्थान भी है ।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं, क्लाज-वन पर बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1 और 2,—

(i) पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

(क) "इस अधिनियम का प्रारंभ से 11 जुलाई, 1991 को इस अधिनियम का प्रारंभ" अभिप्रेत है;

(ii) पंक्ति 8 में "(क)" के स्थान पर "(ख)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(iii) पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में "(ख)" के स्थान पर "(ग)" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं क्रमशः श्री कमला मिश्र मधुकर और श्री रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 9 और 25 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 9 और 25 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यथा संशोधित खंड 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि यथा संशोधित खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहबुद्दीन, श्री ई० अहमद तथा श्री इब्राहीम सुलेमान सेट द्वारा खंड 3 में 5 संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 6 में,—

"उपासना स्थल" के पश्चात्—

"या उसके किसी अन्य भाग" अन्तःस्थापित किया जाये। (11)

पृष्ठ 2, पंक्ति 7 में,—

"उपासना स्थल में" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"या निवास-स्थल या कार्य स्थल में या किसी अन्य उपयोग या उद्देश्य के लिये" (12)

श्री ई० अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,—

"संपरिवर्तन" के पश्चात्, "या परिवर्तन" अन्तःस्थापित किया जाये। (32)

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,—

"उपासना स्थल" के पश्चात्, "या उसके किसी अन्य भाग" अन्तःस्थापित किया जाये। (33)

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,—

उपासना स्थल में, के पश्चात् "उपासना स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए" अन्तःस्थापित किया जाये। (34)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : जो बात मैंने अमेंडमेंट में रखी है, कल भी और आज भी बहस में आ चुकी है। क्लाज 3 में जो आज शब्द हैं उनसे ऐसा लगता है जैसे किसी धर्मस्थान को दूसरे धर्मस्थान में बदला गया हो तब तो आपत्ति होगी, लेकिन अगर धर्मस्थान का नक्शा बदलकर उसका मकान बना दिया जाये या और किसी इस्तेमाल में लाया जाये, उसकी दुकान बना दी जाये, उसकी शराब भट्टी बना दी जाये. धर्मस्थान मजहब के लिए बनाये जाते हैं कंवर्शन का क्लाज जो अभी आपने पास किया उसमें भी यह लिखा है—

[अनुवाद]

बदलने में किसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन शामिल है।

[हिन्दी]

सिर्फ मस्जिद को मन्दिर या मन्दिर को मस्जिद बनाया जाये तो ही इस क्लाज में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर किसी भी मन्दिर, मस्जिद या अन्य धर्मस्थान को जो इससे हटकर किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाये या और किसी पर्पज के लिए बदला जाये वह भी आपत्ति आनी चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि क्लाज 3 में यह अन-इंटेंशली आ गया है, ट्रांसलेशन की गलती हो सकती है. मैं सरकार की नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि नौकरशाही ने आपको पूरी सलाह नहीं दी इसलिए इसमें कमी है और उसको दूर करना चाहिए तथा यह शब्द जोड़ देना चाहिए जो मैंने कहा है, यह आगे बढ़ा दिया जाये—

[अनुवाद]

अथवा रहने के स्थान अथवा कार्य के स्थान अथवा किसी अन्य उपयोग अथवा उद्देश्य के लिए···

[हिन्दी]

यह बात आनी चाहिए। यह बात इन्द्रजीत जी ने भी कल कही थी। आज भी कई सदस्यों ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : श्री सैय्यद शाहबुद्दीन जो कुछ कह चुके हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा कहने का उद्देश्य केवल यह है कि माननीय गृह मंत्री जी उपासना स्थल शब्दों के पश्चात् "उपासना स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए" शब्द जोड़ दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कभी-कभी किसी धार्मिक सम्प्रदाय से संबंधित कुछ वर्गों द्वारा

उपासना स्थल के किसी हिस्से का दुकानों के लिए अथवा किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि "उपासना स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए" शब्दों को जोड़ा जाए। उपासना स्थल का दुकानों के रूप में अथवा किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं श्री सैय्यद शाहबुद्दीन और श्री अहमद द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी बताया है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें धार्मिक स्थलों का प्रयोग पूजा के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब कुछ लोग पाकिस्तान की सीमा पार करके वहां गए तो उन्होंने देखा कि कुछ उपासना स्थलों को गोशालाओं अथवा आवासीय स्थलों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस विधेयक का पूर्ण उद्देश्य उपासना स्थलों को किसी अन्य धर्म के उपासना स्थलों में बदले जाने से रोकना है। यदि किसी अन्य कार्य के लिए उपासना स्थलों को परिवर्तित किया जाता है और यदि इसमें कोई विवाद हो तो खंड चार (1) के अनुसार इसको सुलझाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11 और 12 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 11 और 12 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं अपने संशोधन संख्या 32, 33 और 34 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति ली है।

संशोधन सभा की स्वीकृति से वापस लिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 में,—

"यह घोषित किया जाता है कि", शब्दों का लोप किया जाये। (13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 में,—

"धार्मिक" के पश्चात्—

"या सांप्रदायिक" अन्तःस्थापित किया जाये। (14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 में,—

"स्वरूप" के पश्चात् —

"या पहचान" अन्तःस्थापित किया जाये। (15)

पृष्ठ 2,—

(i) पंक्ति 12 से 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक या सांप्रदायिक स्वरूप या किसी उपासना स्थल की पहचान में परिवर्तन करने या बदलने के बारे में कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी :

परन्तु यदि इस आधार पर संस्थित या फाइल किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के धार्मिक स्वरूप या उपासना स्थल की पहचान 15 अगस्त, 1947 के पूर्व संपरिवर्तित हुई है, इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित है तो ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का निपटारा तत्समय प्रवृत्त कानून के अनुसार किया जाएगा।"

(ii) पंक्ति 18 में,—

"परन्तु" के पश्चात् "और यह कि" अन्तःस्थापित किया जाये। (16)

पृष्ठ 2, पंक्ति 21-22,—

"इस प्रकार समाप्त नहीं होगी और ऐसे प्रत्येक वाद, अपील या अन्य कार्यवाही" का लोप किया जाये। (17)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 26 से 29 का लोप किया जाये। (18)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 36 और 37 का लोप किया जाये। (19)

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

(i) पंति 9,—

"15 अगस्त, 1947" के स्थान पर

"26 जनवरी, 1950" प्रतिस्थापित किया जाये।

(ii) पंक्ति 12,—

"15 अगस्त, 1947" के स्थान पर

"26 जनवरी, 1950" प्रतिस्थापित किया जाये। (26)

(iii) पंक्ति 19,—

'15 अगस्त, 1947" के स्थान पर

"26 जनवरी, 1950" प्रतिस्थापित किया जाये।

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 41 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

(च) ऐसा कोई उपासना-स्थल जो भारत से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने के लोगों के आने-जाने के कारण अभित्यक्त हो गया हो, जिसका परित्याग कर दिया गया हो, जो खंडहर हो गया हो या अन्यथा जिसका कोई स्वामी न रह गया हो;

(छ) ऐसा कोई उपासना-स्थल जिसे दूसरे समुदाय द्वारा उपासना-स्थल में संपरिवर्तित कर दिया गया हो तथा जहां पर उस समुदाय विशेष द्वारा लगातार उपासना की जा रही हो तथा जो गत चालीस वर्षों से उस समुदाय के स्वामित्वाधीन हो;

(ज) ऐसा कोई उपासना-स्थल जो किसी दूसरे समुदाय की भूमि पर अथवा और भारत के विभाजन के पश्चात् पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई विवादग्रस्त भूमि पर बनाया गया हो।"(27)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, आपके संशोधन संख्या 35 तथा 36 वही हैं जैसे संशोधन संख्या क्रमश: 15 तथा 16 हैं जिन्हें पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री ई० अहमद : जी नहीं, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मुझे सभा को समझाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अधिकार का सवाल है, आप न बोलें। चार घण्टे आवंटित किये गये थे और आठ घन्टे लग चुके हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने चर्चा में अपना मुंह नहीं खोला था। महोदय, मुख्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अपने सभी संशोधनों पर जोर नहीं दूंगा। विधेयक इस बात में भेद कर रहा है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले क्या संपरिवर्तन किये गये तथा 15 अगस्त के बाद क्या संपरिवर्तन किये गये। यह ठीक ही कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले के किसी दावे के आधार पर भविष्य में कोई मुकद्दमा नहीं हो सकता है। इस सभा में सभी लोगों ने व्यावहारिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया है? परन्तु यदि कोई मुकद्दमा लंबित है और इन संपरिवर्तनों के मामले में जो 15 अगस्त, 1947 के बाद घटित हुई है, कोई कानूनी कार्यवाही लंबित है तो विधेयक में बताया गया है कि कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी तथा जहां तक 15 अगस्त, 1947 से पहले की घटनाओं का संबंध है, तो उस पर माध्यस्थीय प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा उसमें बताया गया है कि मामले को समाप्त समझा जायेगा।

मैं समझता हूं कि यह कानून के नियम की भावनाओं के विरुद्ध होगा। इससे अकारण ही कानूनी कार्यवाही पर रोक लग जाती है, अत: मेरा अभिप्राप्त यह है कि जो मामले लंबित हैं चाहे वे पहले के हों या बाद के हों उनका निर्णय कानून के अनुसार होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह प्रमुख संशोधन है जो संशोधन संख्या 16 तथा 17 में दिया गया है तथा शेष उसके तर्कसंगत परिणाम हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर, 15 अगस्त, 1947 को, जहां हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे देश के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान एवं भारत बने, उस समय हमारे राष्ट्र की स्थिति इतनी विषम थी कि लाखों-लाख लोग वहां से यहां आये और लाखों लोग यहां से वहां गये। ऐसे समय में बहुत से धार्मिक स्थल जो सम्प्रदाय विशेष के थे, उन परिस्थितियों में एक कारण से थोड़ा परिवर्तन आया। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि 26 जनवरी, 1950, जिस दिन अपने भारत का कानून लागू हुआ और हमारा भारत सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य घोषित किया गया उस स्थिति को आधार मानकर उसके आधार पर उपासना स्थलों के बारे में निर्णय किया जाये तो उपयुक्त रहेगा।

[अनुवाद]

6.00 म० प०

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : यह विधेयक हमारे देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को सुदृढ़ बनाता है तथा सभा में सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया है। धारा 4 (1) सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इसमें कहा गया है :

> "यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था।"

मेरा गृह मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि "धार्मिक स्वरूप" शब्दों के बाद "अथवा पहचान" जोड़ा जाए। यह उचित होगा तथा इससे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को और बल मिलेगा। इसमें कोई बात गलत नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, सारी बात यह है कि उस तारीख अर्थात् 15 अगस्त, 1947 को लंबित सभी मामलों को समाप्त समझा जायेगा। यदि जो मामले 15 अगस्त, 1947 को समाप्त हो गए थे और जो 15 अगस्त, 1947 को लंबित पड़े थे में कोई भेदभाव करते हैं तो वह एक अनुचित भेदभाव होगा। यही कारण है, मैं यह महसूस करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय,.....

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : प्रश्न यह है कि क्या मामला पहले ही समाप्त कर दिया गया है। आप इस विधेयक के अन्तर्गत इसको समाप्त कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि एक मामले को समाप्त करना और दूसरे मामले को जारी रखना भेदभावपूर्ण और गलत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सैयद शाहबुद्दीन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुये।

श्री ई० अहमद : मैं···

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके संशोधन संख्या 35 और 36 संशोधन संख्या 15 और 18 के समान हैं, जिन्हें सभा पहले ही अस्वीकृत कर चुकी है। अब मैं श्री रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 26 और 27 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 26 और 27 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

खंड 5

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"(1) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में सामान्यतया ज्ञात उपासना स्थलों संबंधी विवाद का न्यायनिर्णयन उच्चतम न्यायालय की विशेष न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा तथा अंतिम निर्णय विवाद के भेजे जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(2) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में सामान्यतया ज्ञात उपासना स्थल या उपासना स्थलों से संबंधित सभी वाद, अपीलें तथा अन्य कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, उपधारा (1) के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय की विशेष न्यायपीठ को अंतरित की जाएंगी और अन्य किसी न्यायालय को न्यायनिर्णीत स्थल से संबंधित ऐसे किसी वाद, आवेदन, याचिका या अपील पर कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

(3) (क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय का विनिश्चय सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(ख) किसी संगम या निकाय या पक्षकार या संगठन या व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की अवज्ञा किए जाने पर ऐसे संगम, निकाय, पक्षकार, संगठन या व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।"

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 43, —

"राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद" के स्थान पर "बाबरी मस्जिद, जिस पर राम जन्मभूमि होने का दावा किया जाता है", प्रतिस्थापित किया जाये। (20)

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 43,—

"राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद" के पश्चात्

"और मथुरा में स्थित कृष्ण जन्म भूमि तथा वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ" अंतःस्थापित किया जाये। (22)

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

"(2) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी,—

(i) उत्तर प्रदेश में, मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर तथा गुजरात में सोमनाथ मंदिर के रूप में सामान्यतया ज्ञात स्थान; और

(ii) ऐसे उपासना-स्थल जिन्हें देश के विभाजन के कारण तथा एक देश से दूसरे में जनसंख्या के आने-जाने के कारण दूसरे समुदाय द्वारा संपरिवर्तित कर दिया गया है तथा ऐसे उपासना-स्थल को इस प्रकार से गत 30 वर्षों से या अधिक से संपरिवर्तित कर दिया गया है।" (28)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : श्रीमन्, हमने जो संशोधन रखा है, वह जान-बूझकर रखा है। 15 अगस्त, 1947 के बाद इस देश में जो सबसे बड़ा झगड़ा आया उपासना स्थल का, वह एक मस्जिद को मन्दिर में तब्दील करने के सवाल को लेकर आया और यदि उस सवाल को हम निश्चित और निर्द्वंद्व छोड़ देते हैं तो इस संपूर्ण विधेयक का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है और खास तौर पर ऐसी परिस्थिति में श्रीमन् जब उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आ चुकी है, जो खुले आम साफ तौर पर कहती है कि उस स्थान पर मन्दिर बनाने के सवाल पर हमको जनादेश मिला हुआ है, हम जनादेश लेकर आए हैं। (व्यवधान) इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अमेंडमेंट पर बोलें, आप संक्षेप में बोलिए।

श्री मोहन सिंह : वह कहते हैं कि वहां मस्जिद नहीं थी। वहां मन्दिर बनाकर ही छोड़ेंगे। ···(व्यवधान)

यदि "जनसत्ता" में आज की छपी हुई खबर को सही माना जाए तो वहां पर मन्दिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। (व्यवधान)

ऐसी स्थिति में यदि हम इस बात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इस संपूर्ण विधेयक का मकसद विफल हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस संपूर्ण बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के सवाल को संविधान की एक पीठ को सौंप दिया जाये, जो सर्वोच्च न्यायालय की हो, उसके जिम्मे इस सवाल को सौंप देना चाहिए। वह पीठ 6 महीने के अंदर अपना निर्णय दे। वह जो निर्णय दे, वह सबके ऊपर बाध्यता के रूप में लागू हो। तभी हम समझते हैं कि इस संपूर्ण विधेयक का मकसद हम हासिल कर सकेंगे।

अंत में केवल एक वाक्य के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी जो हमारे गुरु जी, दीक्षित जी ने कहा, वैसे मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने एक बात कही :—

जाके प्रिय न राम वैदेहि,
तजिये ताहि कोटि वैरि सम,
यद्यपि परम सनेहि।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने ही वैदेहि को छोड़ कर केवल श्रीराम की याचना करना शुरू कर दिया है, इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मोहन सिंह जी, इतनी लम्बी स्पीच नहीं। आप बैठिये। श्री सैयद शाहबुद्दीन।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष जी, मैंने सिर्फ एक सिम्पल अमेंडमेंट दिया है और वह इसलिए कि इस क्लाज में यह लिखा है—

[अनुवाद]

"उपासना स्थल सामान्यतया राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के बतौर जाना जाता है।"

[हिन्दी]

अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो सरकारी रिकार्ड इसके बारे में है, खास तोर से जब यह झगड़ा खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से अदालत के सामने जो एक ऐफिडेविट दिया गया, जिसे सरकार की तरफ से वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पेश किया था, उसमें उन्होंने इस इमारत का नाम बाबरी मस्जिद की हैसियत से पेश किया था। इसके साथ ही, उसमें यह कहा था कि हमेशा से यह इमारत बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उसके स्थान पर सही शब्द तो यह होता, इस इमारत के बारे में—

[अनुवाद]

"बाबरी मस्जिद के रूप में ज्ञात, जिस पर राम जन्म भूमि होने का दावा किया जाता है।"

[हिन्दी]

यह बात ज्यादा सही रहती और यही उद्देश्य हमारे भाईयों का भी है। उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद दरअसल रामचन्द्र जी का जन्म स्थल है। इसलिए ऐफिडेविट में जो शब्द प्रयोग किये हैं, वे सरकारी रिकार्ड के विपरीत हैं, डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, यही मेरी गुजारिश है कि—

[अनुवाद]

"एक सुधार किया जाना चाहिए। इसे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के रिकार्ड के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, राम जन्मभूमि के बारे में राम भक्तों का, भारतीयों का एक विशेष लगाव रहा है, उनकी एक भावना इस विषय में रही है। वैसे ही, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मन्दिर के बारे में भी, सारे देश के, सर्वधर्म के लोगों की बड़ी श्रद्धा है। इसलिए मैं इस…

[अनुवाद]

"और मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और बनारस स्थित काशी विश्वनाथ।"

[हिन्दी]

अमेंडमेंट के जरिए यह चाहता हूं कि जैसे राम जन्मभूमि को इस बिल की परिधि से परव्यू से, बाजू में रखा गया है, अलग रखा गया है, उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ को और साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि को भी इस बिल की परिधि से बाहर रखा जाये, परव्यू से बाहर रखा जाये। यही मेरे अमेंडमेंट की मंशा है और मैं चाहता हूं कि सदन मेरे अमेंडमेंट को मान ले, समर्थन करे।

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष जी, आस्था और विश्वास को कानून के जोर पर बदला नहीं जा सकता है। मैंने जो अमेंडमेंट इस क्लाज के संबंध में दी है, वह इस भावना को लेकर दी है क्योंकि आज सदन में ऐसा मालूम पड़ रहा है, जैसा हमारे बहुत से दूसरे बंधु कह रहे थे कि भा० ज० पा० अकेली पड़ गयी है, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे एक पेड़ था, उस पर आग लग गयी। पेड़ पर हजारों पक्षी बैठे हुए थे। रास्ता चलने वाले एक शरारती व्यक्ति ने उस पेड़ में आग लगा दी। एक समझदार व्यक्ति, माननीय अध्यक्ष जी, आप जैसे अनुभवी व्यक्ति ने पक्षियों को सम्बोधित करके कहा :

आग लगी इस बृक्ष को, जलने लगे पात,
तुम क्यों जलते पक्षियों, पंख तुम्हारे साथ।

उसकी बात सुनकर माननीय आडवाणी जी जैसे समझदार पक्षियों ने कहा :

फल खाये इस बृक्ष के, गन्दे कीने पात,
यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ।

भारत एक राष्ट्र है और संस्कृति भारत की आत्मा है। उस संस्कृति के आदर्श मर्यादा

पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, योगीराज श्रीकृष्ण और काशी-विश्वनाथ के शिवशंकर भगवान हैं। इसमें मेरी अमेंडमेंट यह है कि राम जन्मभूमि के साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि, मथुरा और विश्वनाथ, शिवशंकर जी के स्थान को भी तीनों स्थानों को भी इस बिल की परिधि से बिल के परव्यू से बाहर रखा जाये, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं० 8 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 5 के संशोधन सं० 20 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं० 20 रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 5 के संशोधन सं० 22 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं० 22 रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 5 का संशोधन सं० 28 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृ० 3, पंक्ति 1-4—

"(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध करने का प्रयास करेगा" के स्थान पर

"(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय अपराध होगा और जो कोई अपराध करने का प्रयास करेगा" प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृ० 2, पंक्ति 47 में—

"तीन" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये। (29)

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : अध्यक्ष जी, मैं तो इस बिल को और पुष्ट करने

के लिए और मजबूत करने के लिए ही, आपकी भावनाओं को और मजबूत करने के लिए ही अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं। इस क्लाज में आपने संशोधन की बात कही है। जो लोग इस कानून की अवहेलना करेंगे, वे सजा के भागी होंगे। मैं समझता हूं नहीं, उसको काग्नीजेबल ऑफेंस के रूप में मानिए और स्वतः सरकार इसमें कार्रवाई करे। इसमें दूसरे पर निर्भर न रहा जाए, ताकि वह कानून ठीक से लागू हो। क्योंकि आपने सदन में ऐसे भाषणों को सुना है जो चेलेंजिंग हैं, वे लोग नहीं मानेंगे। आप कानून पास कर लीजिए, उनके मन में जो होगा, वे वही करेंगे। इसलिए मान्यवर, इसको आप स्वीकार कर लें।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, इस विधेयक के अन्दर मेरा संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है वह इस आशय से किया है कि इसमें जितने भी क्लॉज हैं, वे सारे ही और यह संपूर्ण कानून हिन्दुस्तान के इतिहास में काला कानून बन कर रह जाएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि आज लोक सभा में इस बिल पर 8 घंटे चर्चा होते हुए भी आज जैसा दृश्य यहां उपस्थित हुआ और जितनी उत्तेजना का वातावरण फैल रहा है, इस बिल के पास हो जाने पर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर वैसा वातावरण पैदा हो जाएगा। (**व्यवधान**) और ये कांग्रेस, जनता दल और वामपंथी पार्टियों के लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश तभी तक है जब तक इसमें हिन्दू बहुमत में है, कोई दिन यदि ऐसा आएगा जब यहां हिन्दू बहुमत में नहीं होंगे, तो यह धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। (**व्यवधान**) यह देश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आज ईरान में क्या है, इराक में क्या है? यह हमारी भूमि है। मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधनों को स्वीकार किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 6 के संशोधन संख्या 10 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं० 10 रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड सं० 6 के संशोधन संख्या 29 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं० 29 रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 और 8 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री एस० बी चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6—

"इसकी धारा 3, 6 और 8 के उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध 11 जुलाई, 1991 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।" (1)

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृ० 1, पंक्ति 5—

"जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप किया जाये। (21)

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृ० 1,—

पंक्ति 6 का लोप किया जाये। (24)

श्री राम नाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा प्रस्तावित और संशोधन सूची में क्र० सं० 1 पर मुद्रित संशोधन में—

"तुरन्त" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये;

" 1 जनवरी, 1992" (30)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमैंडमैंट है यह जम्मू-कश्मीर में लागू न होने के बारे में है। इस प्रकार विधेयक में जो प्रोवीजन दिया है उसमें यह ओमिट करना चाहिए एक्सैप्ट स्टेट आफ जम्मू-कश्मीर, ऐसा मेरा अमैंडमैंट है। बाकी के जो कानून बनते हैं उसमें हमेशा यह क्लोज होता है यह मुझे मालूम है। फिर भी मैंने इसलिए अमैंडमैंट दिया है कि मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्योंकि अभी जम्मू-कश्मीर में असैम्बली नहीं है और जब जम्मू-कश्मीर में असैम्बली नहीं है तो क्या जिस भूमिका में आप विधेयक लाए हैं उस प्रकार जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन-चार सालों में जो सैंकड़ों मन्दिर ध्वस्त किए गए हैं उसके लिए कानून का अधिकार आज इस लोक सभा के पास है, सरकार के पास है। इसलिए यह अमैंडमैंट सामने रखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आज जब आपके पास यह अधिकार है, वहां की विधान सभा के लिए इस प्रकार का कानून बनाने का कौंस्टीट्यूशनल अधिकार आपके पास है तो क्या इस विषय में आप जम्मू-कश्मीर में भी जो मन्दिर ध्वस्त किए गए हैं, एक साफ भूमिका लेंगे और विधेयक लाएगे। मैं जानता हूं कि सत्र समाप्त होने में 5-6 दिन हैं, इस मामले में आप आर्डीनेंस लाएंगे तब भी हम आपके ऑर्डीनेंस को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मेरी भी यही मान्यता है। नायक जी ने जिस बात को कहा है मैं उसी बात की सम्पुष्टि करते हुए विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा कि एक तो जम्मू-कश्मीर पर इस बिल को अवश्य लागू करें ताकि वहां पर भी इस प्रकार की जो समस्या उठ खड़ी हुई है वह देश की एकता और अखंडता का सवाल है। क्या जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न भाग नहीं है। इस प्रकार से काशी का विश्वनाथ का जो स्थान है, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्म भूमि का स्थान भी इसमें सम्मिलित किया जाए।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग और उनके सहयोगी लोग प्रसन्न हो रहे होंगे कि बी० जे० पी० अकेली पड़ गई है। लेकिन यह मत कहो कि जग में कर सकता है क्या अकेला, लाखों में होता है शूरमा अकेला। आकाश में तारे बहुत होते हैं, चन्द्रमा एक

होता है, सूरज एक होता है अंधकार मिटाने को और ओखली में दाने बहुत होते हैं लेकिन मुसल एक ही होता है। जंगल में जानवर बहुत होते हैं लेकिन शेर एक ही होता है।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : सातवी अनुसूची की प्रविष्टि सं० 28 अब भी जम्मू व कश्मीर पर लागू नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दावा किया गया है कि वहां सैकड़ों मन्दिर तोड़ डाले गये हैं। मेरी जानकारी तो यह है कि किसी भी अदालत में कोई मामला लम्बित नहीं है। इसलिए इस विधेयक को जब अन्य रूप में बदला गया (व्यवधान) मेरे विचार से मैं कुछ कह रहा हूं, आपको वह सुना पड़ेगा। आप सहमत हों, न हों। किंतु मेरा विचार यह है कि इस सभा द्वारा पारित किसी भी कानून को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित है। सरकार ने उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि संशोधन सं॰ 30, जो एक संशोधन है···

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : संशोधन का संशोधन, मुझे कहना है। मैं नहीं बोला हूं। मैं केवल जम्मू व कश्मीर के बारे में बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि आप दोनों पर बोले हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, यह जो गृह मंत्री जी के जरिये यहां अमेंडमेंट आया है उसमें मैंने अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट दिया है और उसमें यह कहा है, जो ओरिजनल अमेंडमेंट में कहा है कि यह जो बिल है, वह तुरन्त अमल में आये। उसके लिए मैंने अमेंडमेंट यह दिया है···

[अनुवाद]

इसे पहली जनवरी 1992 से आना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, जब यह विधेयक इस सभा गृह में आया, उस समय आप जानते हैं कि जितना समय इसको अभ्यास करने के लिए हमको मिलना चहिए था वह नहीं मिला और मैंने आपत्ति उठायी थी। उस समय स्टेटमेंट में यह था कि···

[अनुवाद]

विधेयक के महत्व को देखते हुए उस पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार और जांच किया जाना जरूरी था। इससे विधेयक को तत्काल परिचालित करने में देर हुई है आदि-आदि।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इस बिल में सब मिला कर 8 सैक्शन्स हैं। ऐसा कहा गया है कि यह बिल बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया गया है। अगर ऐसा है तो···

[अनुवाद]

पांच-सात दिन में सरकार हमारे पास आती है और कहती है कि वह चार खडों में संशोधन करने का इरादा रखती है।

[हिन्दी]

इस प्रकार से कानून की ड्राफ्टिंग करने का जो एक नमूना उन्होंने यहां पेश किया है वह अपने आपमें अलग-सा ही है। इसमें यह कहा गया है कि विधेयक 11 जुलाई से व्यवहार में आवेगा। आप देखेंगे···

[अनुवाद]

यदि ऐसा होना था तो···

[हिन्दी]

इसमें क्या होता है? क्लॉज तीन में···

[अनुवाद]

कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक समुदाय के उपासना स्थल को नहीं बदलेगा आदि आदि।

[हिन्दी]

इसमें यह है कि 11 जुलाई से यह कानून अमल में लाना चाहिए था। मेरा इसके लिए आक्षेप यह है कि इसमें जितनी गम्भीरता से काम करना चाहिए उतनी गम्भीरता से आप काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने उस समय यह कहा था कि यह काला बिल बहुत जल्दबाजी में ला रहे हैं। अभी आपको अमेंड करने की क्या मुसीबत आई है। मैंने यह अमेंडमेंट इसलिए दिया है कि सरकार को इसमें ठीक ढंग से काम करना चाहिए। इस मामले में इस सभागृह में एकमत होना चाहिए। इतनी सीधी सरल बात और चार सेंटेन्स, केवल 15 दिन के अन्दर अमेंड करने के लिए यह सरकार सामने आ रही है। इतनी गलत ड्राफ्टिंग है। इसलिए मेरा अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट जो है, उसका सदन समर्थन करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण (गृह मंत्री) : महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अन्य सभी धारायें 11 जुलाई, 1991 से लागू होंगी। परन्तु दण्डात्मक धारा का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। इस कारण केवल उस धारा का प्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा। इसका केवल यही उद्देश्य है।

श्री राम नाईक : क्यों?

श्री एस० बी० चव्हाण : क्या आप इसे भूतलक्षी प्रभाव वाला बनाना चाहते हैं?

श्री राम नाईक : परन्तु जब आपने यह विधेयक पेश किया था तो आपने इस बारे में क्यों नहीं सोचा था? मैं यही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या 30 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 6—

"यह 11 जुलाई, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

"इसकी धारा 3, धारा 6 और धारा 8 के उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध 11 जुलाई, 1991 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।" (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 21 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 24 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधित खण्ड 1 सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव रखेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।

श्री एस० बी० चव्हाण (गृह मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि हमने इस विधेयक के लिए चार घण्टे की कल्पना की थी कि चार घण्टे में बहस पूरी हो जाएगी, किंतु दुगुना समय लगा है, शायद उससे भी ज्यादा लगा है। इस बहस के दौरान में जो कटुता पैदा हुई है उसका मुझे बहुत खेद है, होनी नहीं चाहिए थी। बहस में अपनी-अपनी बात दोनों तरफ से रखते और सदन जो भी निर्णय करता, लेकिन विषय कुछ ऐसा है, कि जिसमें भावनायें जुड़ी हुई हैं। कभी-कभी भावनाओं में उत्तेजित हो जाते हैं सदस्य।

मैं इस बिल के विस्तार मे नहीं जाता हूं। बहुत सारे मेरे साथियों ने अलग-अलग पहलुओं पर बात कही है। मेरी अपनी राय है कि इसका कोई सार्थक लाभ नहीं होगा। लेकिन बहस के दौरान इस बात का भी उल्लेख हुआ कि मैं सरकार में रहा हूं और सरकार में रहते हुए हमने अयोध्या या राम जन्म भूमि के विषय में क्यों कुछ नहीं किया जो आज इतना बड़ा इशू बन कर के देश भर में उसका आन्दोलन कर रहे हैं। मुझे स्मरण है कि 1952 से लेकर जितने चुनाव आज तक हुए हैं, 10 आम चुनाव लोक सभा के हुए हैं और दसों में पहले भारतीय जनसंघ के कार्यकर्त्ता के नाते और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता के नाते और बीच में कुछ समय के लिए जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता के नाते दसों में मैंने भाग लिया है। लेकिन इन दस चुनावों में से मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि सिवाए आखिरी दो चुनावों के 1989 और 1991 में रामजन्म भूमि का विषय, अयोध्या का विषय कभी चुनाव का मुद्दा नहीं बना। (**व्यवधान**) अब मैं जो बात कह रहा हूं आप उससे सहमत न हों, लेकिन कहीं जिक्र किया होगा। (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने की जरूरत क्या है। लेकिन तथ्य यह है कि 1984 तक जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं किसी ने थोड़ा-बहुत उल्लेख किया हो तो किया हो, अन्यथा न हिन्दू, मुसलमानों की तरफ से, न किसी पोलिटीकल पार्टी की तरफ से अयोध्या में बड़ा भारी विवाद है, इस विवाद का निपटारा होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कही गई। 1985 में जब से लेकर शाहबानो के केस के बारे में एक निर्णय सरकार ने किया और उसकी प्रतिक्रिया देश भर में हुई और उसके बाद 1986 में बाबरी एक्शन कमेटी बनी क्योंकि उससे पहले ... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : पहले ताला खोला गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर ताला खोला गया तो सरकार ने खोला। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं आडवाणी जी ऐसा मत बोलिए।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे क्षमा करें, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश वाली बात का उल्लेख कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृतांत से निकाला गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन ताला खोलने का निर्णय उस अदालत ने दिया और उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी और एक सैक्युलर रियेलटी जो थी, 1949 से लेकर, तो वहां पर राम जन्म स्थान पर मूर्ति रखी हुई है जिसकी प्रतिदिन पूजा, अर्चना होती है उसको बदलने का प्रयास किया जाने लगा और यह मांग की जाने लगी कि यह बाबरी मस्जिद हमको वापस की जाए। उसी के परिणामस्वरूप देश भर में आज इतना सारा रोष और क्षोभ हुआ और यह सारे आन्दोलन चले।

मेरी शिकायत यह है कि हिन्दुस्तान में हरेक नागरिक के लिए यह एक मात्र दंड होगा तो सैक्युलरिजम यहां पर सदैव के लिए स्थायी हो जाएगा, लेकिन अगर दो मापदंड होंगे और जिसका प्रदर्शन आज प्रातः काल हमने इसी सदन में देखा, मेरे उस तरफ के साथी ने गलत बात कही, मेरे साथी ने एक गलत बात कही तो मैंने कहा कि इन दोनों को एक्सपंज कर दीजिए, लेकिन मैं देखता था कि बाकी सारे का सारा सदन, जैसे मानो अगर इधर से अगर कोई गलत बात कही गई तो उसके लिए पता नहीं जमीन-आसमान ऊपर-नीचे हो जाएगा और दूसरी तरफ वाली बात को हरेक जस्टीफाई करने की कोशिश करता था। मैं अभी बताता हूं कि आज मेरी पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है हिन्दुस्तान में समर्थन, अगर सबसे अधिक किसी कारण से मिल रहा है तो उसका कारण है यह दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरा मापदंड इस देश को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बात को मत भूलिए देश की अखंडता को बनाए रखने में जितना बलिदान मेरी पार्टी ने दिया है उतना और किसी का नहीं है। (व्यवधान) हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सन् 1947 से पहले हिन्दुस्तान में गांधी जी जैसे नेता थे, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे, लेकिन उनके सारे प्रयत्नों के बावजूद वे देश के विभाजन को रोक नहीं सके। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब संसद सदस्य श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मामला उठाया था तो आपने उनके प्रश्न को यह कह कर अस्वीकृत कर दिया था कि यह विधेयक उस विषय से संबंधित नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्री आडवाणी के संबंध में भी आप बिल्कुल वैसा ही निर्णय दोहराएं।

अध्यक्ष महोदय : हम यह समझने का प्रयास करें कि हम इस समय सम्पूर्ण विधेयक को पारित कर रहे हैं और मैं उनके द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को समर्थन नहीं कर रहा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, आज इस विधेयक से कितना लाभ होगा, मैं नहीं जानता हूं, मैं तो इतना जानता हूं कि आज जिन बातों के कारण तनाव है, उन समस्याओं का हल हम नहीं कर रहे हैं, जहां तनाव नहीं है, वहां पर तनाव पैदा करने के लिए यहां विधेयक पास कर रहे हैं।

मैं और मेरी पार्टी अपने को इस विधेयक की स्वीकृति के साथ संबद्ध नहीं कर सकता, इसलिए अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

[अनुवाद]

(इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती । यह अत्यन्त आपत्तिजनक है । उनका व्यवहार अत्यन्त आपत्तिजनक है । अध्यक्ष पीठ को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठें ।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, यह अत्यन्त अशिष्ट कार्य है । उनका व्यवहार हमेशा अशिष्ट रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठें ।

कुछ सदस्यों ने सभा में अत्यन्त निन्दाजनक कार्य किया है और मैं समझता हूं कि सभा उसकी निन्दा करेगी ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं । इस देश में जब हाऊस में लीडर आफ दी अपोजीशन बोलते हैं तो बिल्कुल महात्मा गांधी के समान बोलते हैं, जैसे उनकी पार्टी बहुत पाक साफ है, डिसीप्लेंड है और बाकी हम लोग सब इनडिसीप्लेंड हैं और उस समय चेयर पर जो बैठते हैं, वे रिमार्क नहीं दे पाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस हाउस में जिस ढंग से काम किया है, जिस ढंग से हाउस की मर्यादा को गिराने का काम किया है, इसको हमको कंडेम करना चाहिए । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं देता ।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : अब कोई चर्चा नहीं होगी, परन्तु···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री हैं । कृपया यह समझ लें कि आपको सभा में एक दिन के लिए कार्य नहीं करना ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस विषय पर नहीं । अब हम अभी इस विधेयक को पारित कर रहे हैं वस्तुतः···

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर, मैं उन बातों की प्रक्रिया के बारे में नहीं कह रहा हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी नहीं । मैं चाहता हूं कि श्री आडवाणी यहां उपस्थित रहते ।

उन्होंने दोहरे मानदंडों का उल्लेख किया है जो कुछ पार्टियों और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अपनाया गया हैं। मैं इससे सहमत हूं। इन्होंने शाहबानो के मामले का उल्लेख किया है। उस समय मुझे याद है कि हममें से अनेक सदस्यों ने सरकार के व्यवहार पर आपत्ति की थी। जबकि सरकार निर्णय को बदलने के लिए कानून को बदलने का प्रयास कर रही थी, मुझे याद है कि उस समय हम चाहते थे कि उस समय की सरकार न्यायालय के निर्णय का सम्मान करे तथा रूढ़िवादिता के सामने न झुके। आडवाणी जी की पार्टी ने भी यही निर्णय लिया था। अब आपको दोहरे मानदंडों का पता चला है। आडवाणी जी की पार्टी ने उस समय कहा था "कि हम न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते।" वह भूल गए हैं कि उन्होंने उस समय क्या निर्णय लिया था। अब राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के मामले में वह खुलेआम कहते हैं कि वह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पालन नहीं करेंगे। यह दोहरा मानदण्ड है। इस देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई जा रही इस दोहरी नीति को अवश्य समझना चाहिए। उनकी पोल खुल गई है।

मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जब मैं बोल रहा हूं तो वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि वे यह समझें कि वे किस प्रकार की दोहरी नीति अपना रहे हैं। लोगों को अवश्य ही उनकी पोल खोलनी चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : इस समय विधेयक को पारित करते समय केवल इसी प्रश्न पर चर्चा की जाती है कि इसे पारित क्यों किया जाना चाहिए और क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

कृपया इस बात को समझें कि अन्य अनेक विधेयक पारित किए जाने हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह मामला 1949 में शुरू हुआ था न कि 1986 में। यह गैर-कानूनी व्यवसाय के कारण शुरू हुआ था।···(**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य तांक-झांक कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे सभा में वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं।

अब प्रश्न यह है:—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विधि (संशोधन) विधेयक

6.42 म० प०

अध्यक्ष महोदय : अब हम क्रम संख्या 8 पर दिए गए एक अन्य विधेयक को लेते हैं। मंत्री महोदय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : श्री मनमोहन सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं* :

'कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव —अनुपस्थित

श्री प्रेम कुमार धूमाल—अनुपस्थित

श्री काशी राम राणा—अनुपस्थित

श्री डी० पी० पाल—अनुपस्थित

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही—अनुपस्थित

श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहती हूं। मैं आपसे केवल एक शिकायत करना चाहती हूं और तत्पश्चात् मैं डा० मनमोहन सिंह से एक स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगी। शिकायत यह है कि डा० मनमोहन सिंह ने इस सभा में मुझे आश्वासन दिया था कि वे मेरे प्रस्तावों पर मेरे साथ चर्चा करेंगे जो उन्होंने नहीं की। मैं उनके विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती थी, परन्तु मैं नहीं लायी। परन्तु उन्हें मेरे प्रस्ताव में उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर देना चाहिए। जहां तक स्पष्टीकरण का सवाल है मुझे विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है।

केवल एक ही बात मैं समझना चाहती हूं कि इस विधेयक को वास्तविक रूप में लागू करने के लिए तंत्र क्या है क्योंकि यह विधेयक बहुत अच्छे इरादे से लाया गया है। हमारे समक्ष सदाशयतापूर्ण अनेक विधेयक हैं जिन्हें लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

मेरा प्रश्न है कि वित्त मंत्री महोदय द्वारा लागू करने के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार किया गया है। हम यह जानना चाहते हैं।

इस समय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर चर्चा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बोलने के लिए कोई नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने नाम बुलाया था, परन्तु कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

(व्यवधान)

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे दोहराता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर श्री भगवान शंकर रावत बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

अब मैंने नाम पुकारा तो आप यहां पर नहीं थे। ठीक है, अब बोलिए।

6.48 म० प०

(**श्री शरद दिघे पीठासीन हुए**)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के द्वारा जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विधि (संशोधम) विधेयक, 1991 लाया गया है तो मैं यह कहना चाहता हूं काफी समय से हिन्दुस्तान के अन्दर चर्चा चल रही थी कि जो आयातकर्ता हैं और जो उत्पादक हैं, उनसे जो सीमा-शुल्क लिया जाता है, वे वापिस किस तरह क्लेम करते हैं। उनका हक बनता है या नहीं। वास्तव में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए और जो बाहर से कोई माल मंगाया गया तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी का भुगतान कर दिया। उसके बाद में वे सरकार से उसका रिफंड लेने के लिए परमिशन लेते हैं। ऐसे समय में आयातकर्ता और उत्पादक कस्टम ड्यूटी वगैरह का चार्ज देते हैं तो वे ग्राहकों के ऊपर लगाते हैं। खरीददारी करने वाले लोगों पर लगाते हैं तो खरीददारों पर सारा बोझ पड़ता है। जब केंद्रीय सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करते समय कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। जब नाना प्रकार के टैक्स लगते हैं तो उस समय आयातकर्ता और जो उत्पादक हैं, वे कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का भुगतान करते हैं। बजट पेश होने के बाद जब वित्त विनियोग विधेयक लाया जाता है तो उस समय बहुत सारे टैक्सों में कटौती की जाती है। वह कटौती किए जाने पर जो राशि कस्टम ड्यूटी के रूप में चुकायी गई या एक्साइज ड्यूटी के रूप में चुकायी गई तो राशि का भुगतान वापिस क्लेम करते हैं कि ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच में जो इतना लम्बा चौड़ा समय मिलता है उस समय के उपभोक्ताओं के द्वारा राशि वसूल कर ली है या क्रेता के ऊपर, खरीददार के ऊपर जो टैक्स डाला जाता है परिणाम यह होता है कि उपभोक्ता मारा जाता है। अतः इस अनुचित बात को रोकने के लिए, कुछ लोगों के हाथ में जो उत्पादकर्ता या उद्योगपति हैं या आयात करने वाले होते हैं वे सारे मुनाफा उठा लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी के रूप में या कस्टम ड्यूटी के रूप में जो लाखों-करोड़ों रुपयों की राशि होती है वह सारी राशि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहती है। जो उपभोक्ता होता है वह पीसा जाता है, क्योंकि उसको बाजार से रोज चीज खरीदनी पड़ती है। उसकी चीज के दाम जो दुकानदार तय करता है उसी भाव पर वह चीज खरीदनी पड़ती है। जो पैसा वापस कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का लिया गया है या अन्य किसी ड्यूटी के रूप में प्राप्त किया गया है वह वापस सही क्लेम करने वाले हैं, जिसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इस कानून के माध्यम से मैंने वास्तव में इस एक्साइज ड्यूटी को चुकाया है, मैंने वास्तव में कस्टम ड्यूटी को चुकाया है और जो क्रेताओं को जो चीज दी है उसके ऊपर मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, उनसे एक पैसा भी मैंने प्राप्त नहीं किया है, तब वह लेने का हकदार होगा। उसकी यह जिम्मेदारी होगी। जो भी उसको प्राप्त करने वाला होगा उसकी यह भी जिम्मेदारी होगी कि

वह सारे डाक्यूमेंट पेश करे कि मैंने फलां वस्तु के ऊपर जिसका मैं आतात करने वाला हूं, उत्पादन करने वाला हूं मुझे यह वापस मिलनी चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उपभोक्ताओं के अन्दर वह बांट दी जानी चाहिए।

पिछली सरकार जब थी उस समय यह मसला उठा था और हमारे संसद के द्वारा गठित जो लोक लेखा समिति है उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि जो अरबों रुपए उत्पादकों के या आयात करने वालों के हाथों में पहुंच जाते हैं और जो उपभोक्ताओं का शोषण करके प्राप्त किये जाते हैं, उनके द्वारा भुगतान किये हुए होते हैं उन तक वह राशि नहीं पहुंच पाती है कैसे उन तक पहुंचाया जाए। यह मामला सामने आया और यह मालूम पड़ा कि 1989 में 105.56 करोड़ का भुगतान केवल केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विधि के अन्दर अनुचित समृद्धि के लिए कुछ मुट्ठी भर लोगों को जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं या दूसरे बड़े-बड़े संस्थान हैं, उनको भुगतान कर दिया गया। अब तक वही अरबों की राशि आयातकर्ताओं को अथवा उत्पादकर्ताओं को वितरित कर दी गई और जब यह सवाल उठा तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दण्डवते जी को इस बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ा। लोक-लेखा समिति ने स्पष्ट किया कि जो राशि उत्पादकर्ताओं से या आयातकर्ताओं से अथवा उपभोक्ताओं से कस्टम ड्यूटी के रूप में प्राप्त की गई है; वह राशि वापस सही हाथों के अन्दर जानी चाहिए। सही लोगों को कैसे प्राप्त होगी, इसके बारे में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में सरकार ने निश्चित किया कि उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की जाये। जो यह संशोधन आया है इसके अन्दर यह व्यवस्था की गई है कि जो राशि ऐसी है उस राशि का बहुत भाग जिसको कोई लेने वाला या दावेदार नहीं होता है, दावा करने वाला अपने डाक्यूमेंट पेश नहीं कर सका तो उस आदमी का हक नहीं बनेगा तो यह राशि जो बची हुई राशि है यह उपभोक्ता कल्याण कोष के अन्दर जमा करा दी जायेगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत देनी हो या उनको और कोई बेनिफिट देना हो तो यह उनको पहुंचाया जा सकता है। इसलिए उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले समय में जो अरबों रुपयों की राशि इस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क के रूप में प्राप्त की गई थी और जो बांटी गई थी, कैसे उसको बांटा गया या उसका दुरुपयोग हुआ या पहले जो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा था कि अधिकारियों से वह राशि गलत ढंग से हड़प कर ली गई है या उसको लाभ पहुंचाने के लिए उनके पास पहुंचा दी गई है। तो मैं मांग करता हूं कि उस राशि की जांच होनी चाहिए कि जो उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए थी, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाना चाहिए था, वह वास्तव में पहुंची या नहीं। मैं यह जानकारी वित्त मंत्री जी से प्राप्त करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वित्त विधेयक को पारित होने से पहले नाना प्रकार के करों की छूट दी जाती है तो जिस जिस विभाग में जिन-जिन करों के ऊपर, जिन-जिन चीजों के ऊपर प्रदान की जाती है, मुझे जानकारी मिली है कि अकेले रक्षा मंत्रालय को उपभोक्ताओं को उत्पाद-शुल्क के रूप में करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ा। एक तरफ हमारा रक्षा मंत्रालय बजट में कमी करने जा रहा है, सेनाओं के ऊपर हमारे देश की रक्षा करने के लिए जहां और अधिक बजट की आवश्यकता है, वहां हमारे रक्षा बजट का बहुत सारा पैसा अगर इस प्रकार से चन्द लोगों के नाम पर भले ही भुगतान न किया हो, जिसको सर्टिफाई न किया हो, उपभोक्ताओं

से वसूल करने वाले हों, लेकिन वह सेनाओं को सामान सप्लाई करते हैं तो वे सेना से वसूल करते हैं, इस रूप में समझता हूं कि ऐसे लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। इसलिए पिछले समय में जो अरबों रुपयों का इस प्रकार का घोटाला हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए और जो उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया जा रहा है, यह सारी राशि उसमें जमा की जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। बाजार के अन्दर उपभोक्ताओं के लिए जो आवश्यक वस्तुयें नहीं होती हैं या दूसरी चीजें नहीं मिलती हैं और दुकानदार उनसे कहता है कि फला टैक्स लगा है, एक्साईज ड्यूटी लगी है और मनमाने ढंग से पैसा वसूल करते हैं, ऐसी लूट से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि इन वस्तुओं का मूल्य इतना है और इस पर एक्साईज ड्यूटी इतनी लगायी गयी है और अगर वह क्रेताओं को देना पड़ता है तो उत्पादकों और आयातकर्त्ताओं को उस राशि को प्राप्त करने का कतई मात्र भी अधिकार नहीं होना चाहिए और आगे जब भी बजट पेश करें और उसके बाद वित्त विनियोग पारित करें, इस बीच में हर साल अगर घोटाले होते हैं तो ऐसे समय में वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिनों में वे वित्त विनियोग पेश करने वाले हैं और उसमें कई बातों की कांट-छांट करेंगे, जो आपने बजट के आंकड़े घोषित किये थे, उसको लेकर बहुत से लोग नाना प्रकार का लाभ उठाना चाहेंगे, गलत ढंग से इसका उपयोग करना चाहेंगे, शोषण करना चाहेंगे, अनुचित रूप से धन कमाना चाहेंगे, वैसे लोगों को रोकने के लिए पूरे-पूरे प्रयास करें। यदि राशि में कटौती होती है तो सारी कटी हुई राशि, बचत की राशि अगर वसूल की गयी है तो उपभोक्ताओं के पास पहुंचे और नहीं तो राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करें जिससे उपभोक्ताओं को राहत पहुंचे। जहां भी उपभोक्ताओं के मंच बने हुए हैं, उन उपभोक्ताओं को सामग्री सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने के लिए उसका उपयोग किया जाये, राष्ट्र की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 जिस भावना से पेश किया गया है, उस भावना का आदर करता हूं लेकिन इसकी जांच किये जाने की मांग करता हूं। क्योंकि पिछले समय में जो जनता दल का शासन था या उसके पहले कांग्रेस शासन का हाल था और स्व० राजीव गांधी ने इस पर रोक लगायी थी लेकिन उसके बाद अरबों रुपयों का भुगतान पहले हो चुका था और पिछले शासन के दौरान भी हो चुका है, उसकी जांच की जाये और इस पैसे को उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाय। धन्यवाद।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 का समर्थन करता हूं।

परंतु मुझे आश्चर्य है कि आज तक ऐसे विधेयक को लाने में देरी क्यों की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं लोक लेखा समिति पिछले दो दशकों से अधिक समय से ऐसे उपाय करने की सिफारिश करती रही है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : देर आये दुरुस्त आये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : लोक लेखा समिति 1968-69 से ही अपने प्रतिवेदनों में यह सिफारिश करती रही है। अतः इस विधेयक के बारे में कोई विवाद नहीं है।

07.00 म० प०

इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। परंतु साथ ही साथ मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने मंत्रालय के विभिन्न कानूनों का पुनरावलोकन करें तथा जल्दी से जल्दी सुधारात्मक उपाय करें। जब कुछ राज्यों के बिक्री कर कानूनों में ऐसे खंड थे, जिन्हें काफी पहले ही हटा दिया गया था, तो भारत सरकार ने यह निष्कर्ष निकालने में इतना समय क्यों लिया कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमें इस मामले की जड़ तक जाना चाहिए ताकि उन करदाताओं से उचित रूप से कर वसूल किया जाए तथा उन्हें अत्यधिक कर न देना पड़े। धनराशि वापस करने का सवाल फिर आया है, इससे स्थिति कुछ हद तक पेचीदी हो जाती है।

हमारी व्यवस्था में कभी-कभी पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आम उपभोक्ताओं से ऐसा अनुचित कर कब-कब वसूल किया गया। खरीदार अथवा उपभोक्ता आम लोग होते हैं और यह बहुत अधिक संख्या में होते हैं तथा पूरे देश में फैले हैं। यह इनको वापस नहीं किया जाता है। जब बड़े ग्राहक होते हैं, उदाहरणार्थ मोटर कार की बिक्री के मामले में खरीदार अथवा ग्राहक को ढूढ़ा जा सकता है और यदि कोई अधिक भुगतान किया गया हो तो उसकी वापसी अदायगी की जा सकती है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है ऐसी बहुत-सी वस्तुओं के मामले में जहां बड़ी संख्या में आम लोग ग्राहक होते हैं तो उन्हें वापसी भुगतान नहीं मिलता है। कुल मिलाकर हमारा देश एक गरीब देश है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर फिर से विचार किया जाये तथा ऐसी व्यवस्था तैयार की जाये ताकि अधिक कर की वसूली को कम से कम किया जा सके क्योंकि वापसी भुगतान करना वास्तव में एक पेचीदा काम है।

जब वास्तविक ग्राहक अथवा ग्राहकों का पता लगाना मुश्किल है तो "उपभोक्ता कल्याण कोष" नाम का एक नया कोष बनाना होगा। निश्चित रूप से नियम बाद में ही बनाने होंगे। परंतु नियम बनाते समय इसके बारे में बहुत सावधान रहना होगा। हमारी व्यवस्था में इसका सदुपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग अधिक होता है। कुछ क्षेत्रों से, कुछ वर्गों से कुछ धनराशि इकट्ठी की जाती है। परंतु यदि कोई विशेष उपबंध नहीं किया जाता है, तो इस कोष की काफी अधिक मात्रा में धनराशि कुछ अन्य वर्गों के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए कहीं और खर्च की जा सकती है। इसको रोका जाना चाहिए।

मैं एक और सुझाव देते हुए समाप्त करता हूं। हाल ही में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जर्मनी गए थे, तो विभिन्न वर्गों से बातचीत कर रहे थे—उन्होंने जर्मनी के उद्योगपतियों के साथ बैठक की थी—तो उनसे एक सवाल उठाया गया था। यह कहा गया कि भारत में आपने बहुत-सी वस्तुओं का उदारीकरण कर दिया है। आपने उदार नीति, औद्योगिक नीति और अन्य नीतियां अपनायी हैं। बहुत से प्रतिबंध उठा लिए गए हैं। परन्तु अभी भी व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों को बहुत-सा कागजी कार्य करना होता है। उनको बहुत से विवरण प्रस्तुत करने होते हैं और छोटे व्यापारियों को भी रिकार्ड, आदि रखने होते हैं। इसलिए इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

जब संसद का सत्र चल रहा होता है, तो बहुधा हमारे माननीय वित्त मंत्री या उनके राज्य मन्त्री अपने मन्त्रालय से संबंधित कुछ अधिसूचनाओं, नियमों, आदि को संसद के सभा पटल पर प्रायः प्रतिदिन रखते हैं। यह बहुत ही जटिल प्रणाली है। बहुत से नियम और विनियम हैं और

वे बदलते रहते हैं। अतः एक नए अवलोकन की आवश्यकता है और इन बातों को कम करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और छोटे वर्गों के लोगो के लाभ के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिएं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि मैंने कहा है कि यह विधेयक निर्विवादास्पद है और इसका उद्देश्य लम्बे समय से चली आ रही स्थिति को सुव्यवस्थित करना है।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों को बोलने के लिए आमन्त्रित करूं, मैं उन्हे सूचित करना चाहूंगा कि कल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मद 8 और 9 को चर्चा के लिए एक साथ लिया जाएगा, क्योंकि दोनों विधेयकों में यही मुद्दे होंगे। इसलिए, यदि आप सहमत हों···

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : चाहे जिसने भी यह सुझाव दिया हो कि ये दोनों विधेयक एक ही किस्म के हैं···

अध्यक्ष महोदय : इसका केवल सुझाव ही नहीं दिया गया था, बल्कि इस पर सहमति प्रकट की गई थी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चाहे जो भी इससे सहमत हुए हों, लगता है उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ये दोनों विधेयक क्षेत्र और किस्म में बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आप हमसे कह सकते हैं कि हम अपने भाषणों को संक्षिप्त रखें। परंतु कृपया एक के बाद दूसरे को लें। भगवान के लिए उनको इकट्ठा मत लें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हां, ऐसा हो सकता है, सही बात है। इसलिए अध्यक्ष जी, ऐसा कर सकते हैं कि कम समय में हम इन्हें पास कर लें, लेकिन दोनों का विषय अलग-अलग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोनों विधेयकों पर बोलते हुए कम से कम आप उन्हीं विषयों को मत दोहराएं।

एक माननीय सदस्य : हम संक्षेप में बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : केवल संक्षेप में नहीं, बल्कि आप मुद्दों को दोहराएंगे नहीं तथा संगत बात ही बोलेंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम उसकी गारन्टी नहीं लेते।

अध्यक्ष महोदय : आप संगत बात की गारंटी नहीं लेते।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस सदन की इसको गारंटी न देने की परंपरा रही है।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कांति जी, क्या आप इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं बोलना चाहता था, परंतु एक और वक्ता हैं। मैं बाद में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया वहां बैठकर क्रम का निर्धारण न करें। मुझे निर्णय करने दें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या आप चाहते हैं कि हम अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दें ?

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा करना होगा, नहीं तो सभा प्रत्येक सदस्य की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, इससे आपको हैरानी होगी कि मैं सभा का बहुत कम समय लूंगा।

यह तो 1970 से हो रहा है। पिछली लोक लेखा समिति के सभापति श्री संतोष मोहन देव के उस समय के लोक लेखा समिति की सत्ताधारी पार्टी के लगभग सभी सदस्य अब कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। इसलिए वे यह जानते हैं।

मुद्दा बहुत आसान था। पहले इसका फैसला इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उत्पाद शुल्क के संबंध में राजनीतिज्ञों, प्रशासकों और निर्माताओं में आपस में साठगांठ थी। प्रक्रिया भी बहुत आसान थी। निर्माताओं के लिए मैं नहीं जानता कि क्या "सांठ-गांठ" शब्द का प्रयोग किया जाए—सहायक समाहर्ता शुल्क लगाएगा जोकि उसके द्वारा सामान्य से भी अधिक शुल्क समझा जाएगा। उस आधार पर निर्माता कीमत और शुल्क को मिलाकर दूसरों पर लाद देगा। कुछ समय के बाद वह उसके द्वारा अदा की गई अधिक राशि का दावा करने के लिए उसी सहायक समाहर्ता के पास आएगा जोकि आम तौर पर दे दी जाती है।

इसे अनुचित समझा गया क्योंकि उत्पाद शुल्क को उस वस्तु के अनुवर्ती चरणों के लिए दे दिया जाता है। इस सम्बन्ध में इतने लम्बे समय से कोई निर्णय इसलिए नहीं लिया जा सका क्योंकि इस दौरान बहुत से वित्त मन्त्री आए और चले गए। श्री प्रणव मुखर्जी आए। कई कांग्रेसी मन्त्री आए। अन्य मंत्री भी आए। सांठगांठ बहुत मजबूत थी। अंशतः—मैं नहीं जानता कि यह भी सांठगांठ का परिणाम है—विधि मंत्रालय भी अपनी राय के बारे में कभी भी असंदिग्ध नहीं था। मैं समझता हूं कि श्री संतोष मोहन देव मुझसे सहमत होंगे। थोड़ी-सी कटुता के बावजूद लोक लेखा समिति एकमत थी कि ऐसा कानून व्यवहार्य है और ऐसा कानून हमारी संविधि पुस्तक में होना चाहिए। उस पर कोई दो राय नही है। अतः इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। अध्याय दो-क में यह उल्लेख है कि धन वापसी के उद्देश्य से और कोष में कुछ धनराशि जमा करने के लिए वस्तुओं आदि की कीमतों में शुल्क की राशि का उल्लेख होना चाहिए। यह सिफारिश कि कोष हो, अंशतः केवल न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण है। यह भी लोक लेखा समिति का मत था कि अंततः बोझ उठाने वाले की पहचान नहीं की जा सकती। अतः यह ठीक होगा कि कुछ अच्छे उद्देश्य के लिए एक केन्द्रीय कोष हो।

अब यह उपबन्ध कि उसे उस उत्पाद शुल्क का जिक्र करने के लिए कहना चाहिए जोकि वह खपा रहा है और वह हिस्सा जोकि वह दूसरों पर थोप रहा है, गंभीर किस्म का है। मैं इस मामले को सीधे ढंग से समझना चाहूंगा। मान लीजिए कि उत्पाद-शुल्क— विशेष उत्पाद शुल्क या कोई अन्य शुल्क —केवल पांच प्रतिशत है। एक बहुत आसान बात यह हो सकती है कि वह वस्तु की कीमत स्वतः 6 प्रतिशत तक बढ़ा देता है और 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद उत्पाद शुल्क

की राशि वही होगी। यदि वही 5 प्रतिशत चलता है, तो यह लगभग 6 प्रतिशत होगा। तब वह यह कहेगा कि वह कुछ नहीं या केवल एक प्रतिशत थोप नहीं रहा है ताकि वह धनराशि की वापसी का दावा करने के लिए आएगा। इस उपबन्ध में यही बात है जिसके बारे में मैं वित्त मंत्री को चेतावनी दूंगा कि या तो यह उनके ध्यान में नहीं आई है या वह निर्माताओं या अपने विभाग पर बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो मुझे विश्वास है कि विधेयक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट नहीं आएगी। यदि निर्माता और सहायक समाहर्ता को विश्वास है कि निर्माताओं को कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अतः उत्पाद शुल्क विभाग के पास केवल कम शुल्क लगाए जाने वाले मामले तथा अत्यधिक शुल्क न लगाए जाने वाले मामले ही आएंगे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। कम शुल्क वाले मामले होंगे। कम शुल्क के कारण वह दावे की कोशिश करेगा और समायोजन की बात होगी। कम शुल्क के कारण लाभ होगा और समझौता हो सकता है। मैं राज्य मन्त्री का भी चेतावनी देता हूं जोकि लोक लेखा समिति में थे, वह जानते हैं। मैं उनसे केवल पुनर्विचार का अनुरोध करूंगा कि क्या यह उपबन्ध कानूनी रीतियों के संदर्भ में जरूरी था। यदि नहीं तो इसे समाप्त करना बेहतर है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि यह पिछली बार भी बात आई थी, यह बहुत पुरानी बात है 1986-87 से यह बात चली रही है। पिछली बार जब मधु दंडवते जी यहां पर वित्त मंत्री थे, तब एक चर्चा भी आई थी और उस समय उद्योगपतियों को 1300 करोड़ रुपए उत्पादन शुल्क के लौटाए जाने की बात आई थी। कम्पनियों के द्वारा उत्पादन-शुल्क की राशि वापस उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचती है, उनको नहीं मिल पाती है। यहां पर मेरा निवेदन करना यह है कि इस कारण से कम्पनियों को जो पैसा वापस देते हैं और वह वास्तव में जिस उपभोक्ता की रकम होती है, वह उन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यह अनुचित वृत्ति राशि मानी गई है।

यहां पर इस लोक लेखा समिति ने इस अनुचित वृत्ति राशि को रोकने के लिए यह बिल यहां पर सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है और इसमें मेरा निवेदन करना यह है कि इस विधेयक के अनुसार अब कम्पनी को वापसी उसी स्थिति में होगी, जब उन्होंने उपभोक्ता अथवा विक्रेता से यह शुल्क नहीं लिया हो, उस व्यक्ति को ही अंतिम रूप से शुल्क वापस दिया जाएगा। इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि यह अप्रैल, मई और जून में भी रु० 88,43,00,000 (रुपए अट्ठासी करोड़ तेतालीस लाख) लौटाए गए और इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि कितनों को स्वेच्छा से लौटाए गए और कितनों को कोर्ट के आदेश से लौटाए, और 1986-87 से 1989-90 तक 10 अरब, 18 करोड़, 89 लाख रुपए लौटाए गए। मेरा निवेदन यह है कि सारी बात जब हो गई तो इस प्रकार से एक्साइज टैक्स अनुच्छेद 11 में यह है कि यदि गलत रकम रकम दे दी गई है तो वह उपभोक्ता को वापस लौटाई जाएगी। यह रकम भी लगभग तीस अरब रुपये है और इसकी वापसी के मामले सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है कि उपभोक्ता संरक्षण कोष बनेगा और उपभोक्ता के कल्याण के लिए सब प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। यह कैसे बनेगा,

कैसे उपभोक्ता को इसका लाभ पहुंचेगा यह इस बिल में कहीं पर भी स्पष्ट नजर नहीं आता है। जो बिल 1986-87 से पेंडिंग था और जिसको अभी तक नहीं लिया उसे वित्त मन्त्री जी लाए हैं, वे बधाई के पात्र तो हैं लेकिन उपभोक्ता को किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा यह बात अभी तक इसमें स्पष्ट नहीं है। उपभोक्ता की बहुत बड़ी परिभाषा है, इस बड़ी परिभाषा में किस प्रकार से लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री जी जब उत्तर दें तो यह बताएं कि उपभोक्ता संरक्षण कोष जो बनेगा उसमें किस प्रकार की कार्यवाही होगी और उसमें कितनी रकम अभी तक आनी है यानि मधु दंडवते जी के समय में रोक लगाई गई थी, कितनी रकम पड़ी हुई है, कितना कोष में जमा हो जाएगा और कितना भविष्य में जमा होगा। किस प्रकार से उपयोग होगा इसका उल्लेख निश्चित रूप से मंत्री जी अपने उत्तर में करेंगे, यही बात मुझे कहनी थी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैंने भी संशोधन दिया था लेकिन मेरा नाम आपकी नजरों से ओझल हो गया। मेरा उद्देश्य संशोधन रखना नहीं केवल इस पर विचार व्यक्त करना था क्योंकि मुझे खुशी है इस विधेयक का स्वागत करने में। पुरानी जनता दल सरकार की यह योजना थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में यह विधेयक इस सदन के सामने आया है। इसके साथ-साथ क्या यह आदर्श स्थिति नहीं हो सकती कि उपभोक्ता के ऊपर जो कर लगाने का तौर-तरीका है वह इतना सुदृढ़ और सुन्दर हो कि उपभोक्ता स्तर पर ही अतिरिक्त कर देने की स्थिति न आए। यदि आप उससे कर लेते हैं तो आपने यह कहा कि उपभोक्ता संरक्षण निधि बनाएंगे, उनको फिर से वापिस करेंगे या कुछ भी करेंगे। उसकी पद्धति क्या होगी इसके बारे में कोई विवरण, ब्यौरा इस सदन के सामने या विधेयक में परिलक्षित नहीं होता है। उस पैसे को वापिस लेने में जो उत्पादक थे उनका अपना सैल्फ इनटरस्ट इनवाल्व था, अपना स्वार्थ जुड़ा रहता था इसलिए उस मामले को अंत तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक लड़ने की स्थिति रहती थी और लड़कर वापिस लेते थे। क्या आप उपभोक्ता को इतना सक्षम समझेंगे कि अपने धन को वापिस लेने के लिए वह इतना पूंजी वाला होगा कि आज की खर्चीली न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर आपके विभाग से उसको ले सकेगा। आपने जो व्यवस्था बनाई है वह यह है कि डिवीजनल असिस्टेंट कलैक्टर्स के जरिए कुछ करेंगे। उनके पास स्वयं कार्यों का इतना बोझा है कि वे उसका निष्पादन पूरे ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस मामले का निष्पादन ठीक से कर पाएंगे यह कहना मुश्किल है। मैं जानना चाहता हूं कि कस्टम और सैंट्रल एक्साइज विभाग, मैनूफैक्चरर्स और इम्पोटर्स के बीच जो प्रोडक्ट के क्लासीफिकेशन या उसके मूल्य निर्धारण के लिए जो विवाद खड़े होंगे उसका निपटारा किस रूप में, किस रीति से होगा, उसकी वैधानिक और विधिक प्रक्रिया क्या होगी इस बारे में कोई ब्यौरा हमारे सामने नहीं है। इसलिए मैं केवल इस सुझाव के साथ कि व्यवस्था ऐसी की जाए कि उपभोक्ता के समक्ष ऐसी स्थिति ही पैदा न हो कि वह अतिरिक्त कर दे सके। यदि यह स्थिति नहीं पैदा करते तो कम से कम उपभोक्ता सुरक्षा निधि के जरिए उसके पैसे को आसानी से वापिस कर सकेंगे और उसकी सुरक्षा और कल्याण के लिए इस बिल का उपयोग किस रूप में कर सकेंगे इसकी यदि कोई सरल व्यवस्था हमारे समक्ष सोचकर रख सकें तो अच्छा होगा। यह उचित होगा कि इस विधेयक को पास करने के साथ ही, आपके विभाग के पास संसदीय सलाहकार समितियां होती हैं, यदि आप चाहते हैं तो इसके लिये अलग से छोटी-सी कमेटी बना सकते हैं और उस कमेटी में विचार-विमर्श करने के बाद, एक सरल प्रक्रिया का निर्धारण करके एक मुकम्मल विधेयक इस सदन के सामने लायें तो मैं समझता हूं कि वह उचित कारगर होगा।

इस सुझाव के साथ, जितना आया है, उसका स्वागत करता हूं और मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : माननीय वित्त मन्त्री ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 से सम्बन्धित एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में अन्तर्निहित सिद्धांत तो काफी अच्छे हैं पर इसके उपबंधों के कार्यान्वियन में कुछ समस्यायें आ सकती हैं।

सीमा शुल्क, उत्पाद-कर तथा बिक्री कर जैसे अप्रत्यक्ष करों के बारे में अनुचित लाभ का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से सुस्पष्ट रूप से दिखाई देता है किंतु निर्माता, आयातकर्ता तथा व्यापारी जैसे वास्तविक करदाता इससे संबंधित उलझनों को उन लोगों से बेहतर समझ सकते हैं. जो छोटे-छोटे मामलों और परिस्थितियों को भी राजनैतिक रंग देने की कोशिश करते हैं।

प्रत्येक कर-विधान में वसूली में होने वाली कमी को पूरा करने तथा ज्यादा वसूली होने की दशा में उसे वापस करने का प्रावधान कर-नियम का एक मूलभूत उपादान होता है क्योंकि किसी भी तरह के कराधान के परिणामस्वरूप ऐसे विवाद उठेंगे ही जिनके फलस्वरूप करों की वसूली और वास्तविक भुगतान की तुलना में कर देयता या तो बढ़ जायेगी या फिर घट जायेगी। दूसरे शब्दों में कम वसूली को पूरा करने तथा ज्यादा वसूली होने पर रकम को वापस करने की प्रक्रिया विहीन कर-विधान अधिनियम को निर्जीव तथा अप्रभावी बना देगा।

अप्रत्यक्ष कराधान का मतलब स्वयं उपभोक्ता द्वारा करों का भुगतान नहीं है। हालांकि सकल मूल्य में कर के तत्व भी शामिल रहते हैं फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता ने सारे कर का भुगतान कर दिया क्योंकि निर्माता उत्पादन खर्च तथा करों को शामिल किये बिना ही घाटे पर भी उत्पाद को बेच सकता है। इन हालातों में राजस्व को दिये गये कर का एक हिस्सा खुद निर्माता को भरना पड़ना है तथा उपभोक्ता सारे कर का भुगतान नहीं करता है।

चूंकि उत्पादन लागत को सिद्धांत रूप से कच्चे माल की कीमत, प्रचालन लागत तथा कई मामलों में कर आदि का कुल योग माना जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की कुछ इकाइयों द्वारा बेची जाने वाली चीजों के बारे में यह बात और ज्यादा उजागर हो जाती है क्योंकि वे लगातार घाटे में रहते हैं तथा उनके सामानों का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम होता है।

इस संशोधन के अनुसार यह आवश्यक हो जाता है क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद कर संबंधी वर्तमान शर्तों के अनुसार परिशोधन सम्बन्धी दावों को इतने महीने के अन्दर इस बात को प्रमाणित करने वाले पूरे ब्यौरे के साथ जमा किया जाये कि अतिरिक्त रूप से किये गये कर भुगतान के भार को उपभोक्ता के ऊपर डाला गया है या नहीं। उपभोज्य वस्तुओं वास्तविक उपभोक्ताओं तक समानुपातिक लाभ को पहुंचाना व्यावहारिक रूप से बिल्कुल असंभव है क्योंकि अधिकांश उपभोज्य वस्तुओं के वास्तविक उपभोक्ताओं का पता नहीं लगाया जा सकता है या फिर वास्तविक उपभोक्ता वही व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसने विभाग को शुरू में भुगतान किया हो और इस तरह का वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र भी नहीं है। अत: अनुचित लाभ के आरोप से निपटने के लिए बनाया गया प्रावधान ज्यादा दिन तक सफल नहीं हो सकेगा क्योंकि वह उत्पादकों के लिए बड़ी जटिल समस्यायें खड़ी करता है। इन प्रावधानों को लागू करते समय होने वाली संभावित परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार को कोई पद्धति खोजनी होगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में नई धारा 11 'ख' को जोड़ने और वर्तमान धारा 11 'ग' में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे उत्पादकों की वर्तमान समस्यायें और बढ़ेंगी। चूंकि धारा 11 'ग' में किये जाने वाले संशोधन का धारा 11 ख में होने वाले संशोधन से अन्त संबंध है, अतः इसी तरह की समस्यायें इनके व्यावहारिक कार्यान्वियन में भी होंगी।

यही कारण है कि इसे एक अलग खंड जैसे कल्याण कोष में रखे जाने की परंपरा है। किंतु इसके कार्यान्वियन में होने वाली दिक्कतों का भी वित्त मंत्रालय द्वारा समुचित ख्याल रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वह इन सारे पक्षों की छानबीन करेंगे तथा इसके वास्तविक कार्यान्वयन के समय होने वाली समस्याओं पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपके जरिए वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो सीमा-शुल्क का मामला है, उसके अनुपालन में भयंकर धांधली होती है। पिछले साल जब मैं साऊदी अरब, जद्दा गया था, तो वहां मालूम हुआ कि वहां बहुत से ऐसे हाजी हैं, जिनको पता भी नहीं है, उनके नाम से माल बम्बई आता है तस्करी के जरिए। यह लगातार इंतजाम है। वहां के अपने कन्सोलेट के लोग भी मजबूर हैं, उनका कथन है कि बम्बई खबर देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाती हैं। मतलब सीमा-शुल्क विभाग के कुछ लोग लगातार ऊपर मिले हुए हैं। वैसे भी मैं खुद भारत के सरहद पर हूं। वहां हमारे यहां रकसौल, बंधवापुर, जय नगर और लोधा कुछ ऐसे स्थान हैं, वहां पर अन्य देशों से आए सामान, नेपाल के अपने सामान की तस्करी का सवाल नहीं उठता है, की बड़े पैमाने पर वहां पर तस्करी होती है। आन्दोलन के रूप में जब हम लोग रोकथाम की मांग करते हैं तो खुदरा वालों को जो कपट के लिए लाता है उसको तो पकड़ कर भेज दिया जाता है और जो तस्करी को पेशे के रूप में अपनाए हुए हैं, चूंकि रिश्वत देते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसके लिए जोहमारा सीमा-शुल्क विभाग है, उसकी विफलता बड़े पैमाने पर है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

दूसरी बात जो रखी गई है, विमान से भी सामान आता है और उसके लिए आम लोगों को मालूम हो सके, सबको पता हो ये चीजें यहां पर मिलती हैं। खासकर जो एक्साइज ऐक्ट, 1944 वाला अंग्रेजों के जमाने का है, उसको हमने अभी तक नहीं बदला है। बहुत से कानूनों को पूरा बदल दिया गया है, सी० आर० पी० सी० ऐक्ट को 1974 में बदला है जो जरूरी समझा उसको रखा लेकिन अभी तक इसको नहीं बदला गया है। उदाहरण के लिए साल्ट एक्साइज ऐक्ट है। नमक कानून के खिलाफ देश का बहुत बड़ा राष्ट्रीय आन्दोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। उसमें संशोधन के लिए वर्तमान विधेयक हमारे सामने है। क्या हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। कम से कम नमक को पूरा कर मुक्त कर दें और उस नाम से एक्साइज ऐक्ट को भी मुक्त कर दें। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रीय भावना की बात है। लोगों की न्यूनतम आवश्यकता की भी बात है। पता नहीं कौन-सा बड़ा खजाना इनका भरता है इससे। उस नाम को लोप कर दें, उस नमक से कर का लोप कर दें, ताकि देश राहत पा सके। राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में अभी भी हम कर सकें, जो भी संभव हो, इसके लिए करना चाहिए।

एक सबसे बड़ा मसला एक्साइज टैक्स के नाम पर है । कुछ सदस्यों ने दूसरी तरह से बात कही है, मैं उसका दूसरी तरह से कह रहा हूं । जो लाखों रुपया कर का बकाया है । मुझे पता है, हजारों करोड़ों रुपया बहुत लोगों पर है । उस दशा में वसूली के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है । कुछ मामला मुकद्दमे में लटका हुआ है और जिनके ऊपर बकाया है, उसमें लगभग सब, एक आधा अपवाद हो तो हो, काले धन वाले भी हैं, उजले धन में बड़े धनवानव्यक्ति हैं । क्या पूरी सरकार इतनी पंगु हो गई है कि उसको वसूल नहीं कर सकती है ? क्या उसके लिए संशोधन की कानून में आवश्यकता नहीं है ? क्या उनसे हम वसूल नहीं कर सकते हैं ? हर साल नए-नए कर लगाए जाते हैं, आर्थिक संकट हमारे सामने मौजूद है और उस मद में अरबों रुपया पड़ा हुआ है जो देश के कर-चोर लोग रखे हुए हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस सत्र में कम से कम दो-तीन सालों से अधिक जिसके पास बकाया है, जैसा हो, आवश्यकता हो, अध्यादेश लाकर विधेयक लाकर उसकी वसूली सुनिश्चित करें, ताकि लोग समझ सकें कि कानून का कुछ वजन है, अधिनियम का वजन है और सरकार नाम की कोई चीज है । यह नहीं कि गरीबों के लिए यह सारा कुछ है । जो करोड़पति हैं जो करो के कर-चोर हैं, उनके लिए कानून नहीं है और सरकार नहीं है ।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला सन् 1968 से चला आ रहा है, लगातार समय-समय पर इसकी समीक्षाएं की जाती रहीं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया । पिछले सत्र में यहां पर सीधा-सीधा भूतपूर्व वित्त मंत्री जी पर चार्ज लगाया गया और उस आधार पर एक लोक लेखा समिति को यह सारा अभिभार दिया गया, जबकि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री दंडवते इस सदन में नहीं थे और जब उन पर यह चार्ज लगा तो उन्होंने आ करके इस बात का खंडन किया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई अपराध नहीं है और यह सारा मामला लोक लेखा समिति के सामने प्रस्तुत किया । मेरा कहना यह है कि लोक लेखा समिति ने जो समीक्षा की है, जो चार्ज अधिकारियों पर लगाए हैं, राजस्व के जो जिम्मेदार अधिकारी थे । श्रीमान्, राजस्व सचिव * उन पर भी तीखी टिप्पणियां लोक लेखा समिति ने की हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति के बाद इस सरकार की आंख खुली और आज वह एक अच्छा कदम उठाने जा रही है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : किसी अफसर का नाम नहीं लेते हैं ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है कि लोक लेखा समिति ने जिन-जिन लोगों पर चार्ज लगाए हैं, वित्त मंत्री के लिए भी उन्होंने कहा है कि आठ महीने तक तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने सारे मामले को लटकाए रखा और किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही उस समय के वित्त मंत्री जी ने नहीं की । मेरा उत्पादन शुल्क मंत्री जी से यह निवेदन है कि कृपा करके आज जो लोक लेखा समिति ने सिफारिशें की हैं उनको निश्चित रूप से देखें और यह जो सिलसिला 1968 से चल रहा था, आज इस पर हमने पकड़ के लिए कुछ चीज की है, लेकिन आज इस कानून के आने के बाद भी अनेक प्रकार की विसंगतियां इस कानून में बनी हुए हैं । वास्तव में हिन्दुस्तान का जो उपभोक्ता है, उसकी बहुत बुरी दुर्दशा है और उपभोक्ता के संरक्षण के लिए किसी प्रकार

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

की कोई राहत नहीं मिलती। आज आपने कहा है कि इस प्रकार का एक कोष बनाएंगे, लेकिन उससे आप कितनी राहत दे पाएंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि कौन नहीं जानता कि आपके किस विभाग ने कितना खर्च किया, हर आदमी जानता है। आए दिन उत्पादन शुल्क की चोरियां होती हैं, अरबपति जो बड़े-बड़े कारखाने लेकर बैठे हैं वे उत्पादन-शुल्क की चोरियां करते हैं। उत्पादन शुल्क वसूल नहीं हो पाता, उत्पादन शुल्क ठीक प्रकार से वसूल न होने के कारण जब आप थोड़ी-सी सख्ती करते हैं तो लोग कोर्ट में जाते हैं। आज भी उत्पादन शुल्क न देने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अनेकानेक मामले लंबित पड़े हुए हैं।

श्रीमान्, कृपा करके इस बिल को लाने के साथ-साथ एक बार आप यह अवश्य देखिए कि आपके विभाग के कितने मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, चूंकि धनाढ्यों के जो परमानेंट वकील होते हैं उनको कोई अन्तर नहीं पड़ता है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है, मेरे पास इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रमाण मौजूद हैं और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करूंगा कि आपके वकील जो आज करते हैं, पैसे वालों के, पालकीवालों के सामने आपके वकील टिक नहीं पाते क्योंकि पालकीवाला एक व्यक्ति विशेष के वकील होते हैं। (व्यवधान) आज भी इन कोर्टों में वर्षों से मामले लंबित पड़े हुए हैं।

मेरा निवेदन है कि आपके विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर आप निगाह दौड़ाने की कृपा करेंगे। यह एक अच्छा कदम है, इसलिए आप उपभोक्ता को राहत देने के लिए अवश्य ही कोई आवश्यक कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

श्री एम० रमण्णा राय (कासरगोड़) : महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अनुचित लाभ से संबंधित पक्षों पर नौवीं लोक सभा में भी विस्तार से चर्चा हुई थी। उसी चर्चा के आधार पर लोक लेखा समिति ने यह बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है कि इन कानूनों में कुछ कमियां हैं और उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

मैं मानता हूं कि इस विधेयक का यह आशय है। बेशक किसी को भी अनुचित लाभ नहीं कमाने दिया जाना चाहिए, न ही किसी को गरीबों का शोषण करने दिया जाना चाहिए, ऐसा तो इसमें है। किंतु प्रश्न यह है कि इसका निदान क्या है ?

इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता कल्याण कोष इसलिए बनाया जाता है कि जो सारा धन बड़े लोगों को जा रहा है वह धन इस निधि में डाला जा सके। मुझे शंका यह है कि इस निधि से—हालांकि इसका नाम उपभोक्ता कल्याण कोष है—उपभोक्ताओं को किस प्रकार वास्तविक लाभ हो सकेगा ? हो सकता है जो नियम बनाये जाते हैं, उनमें इस बात को स्पष्ट किया जायेगा। जो भी हो, मुझे यकीन है कि नियम बनाते समय सरकार इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी। अतः इस धारा के गुण-अवगुणों में विस्तार से जाने की बजाय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिंदी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विधि संशोधन विधेयक, 1991 के पीछे जो भावना है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं पूर्व वक्ताओं को

ध्यान मे सुन रहा था । बिल के जो उद्देश्य हैं, उनको देख कर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे कुछ महीनों के लिए आपका बजट है, उसी तरह से टेंपरेरी स्टेप आप समझें। पी० ए० सी० की जो रिपोर्ट है, जो अनजस्ट इनरिचमेंट के बारे में थी, उसमें तह तक जाने के लिए वित्त मंत्री जी को काम करना पड़ेगा । अनजस्ट इनरिचमेंट होता क्या है ? एक्साइज रिफंड का सवाल पैदा क्यों होता है, इस समस्या तक जब तक आप नहीं जाएंगे, तब तक इस बिल से आप उपभोक्ता को लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे । इसलिए मेरा सुझाव है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को आप सिम्प्लीफाई करिए, उसको साधारण बनाइए ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक बार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में : 15 परसेंट वृद्धि की गई । बहुत से छोटे-छोटे मेन्युफेक्चरर्स जान ही नहीं पाए कि : 15 परसेंट की वृद्धि क्या है और कई दिनों तक चार्टर्ड अकाउटेंट्स के पास गए, तब पता लगा कि : 15 परसेंट का अर्थ क्या है ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले स्लैब्स आप देखेंगे तो पता लगेगा और आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है, उसकी नीति बेसिक तौर पर गलत है । जिसको हम कहते हैं बेसिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी । मेरा विभाग से अनुरोध है कि कृपया इन महीनों में, अगला बजट आने से पहले इस पर स्टडी करिए । यदि आप इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो रिफण्ड का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा और उपभोक्ता को डायरेक्ट, पहले ही लाभ मिल जाएगा । मैं नहीं समझता कि उपभोक्ता कल्याण के लिए जो आप निधि बनाने जा रहे हैं, उसमें आप कौन से मापदण्ड अपनाएंगे । संतोष मोहन देव जी की कमेटी ने अच्छा काम किया, स्कैंडल पकड़ा, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए जो आपने निदान निकाला है, वह उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाएगा । ब्यूरोक्रेसी में फंस कर रह जाएगा । किसी इंडीविजुअल का अनजस्ट इनरिचमेंट न होकर केन्द्र सरकार का अनजस्ट इनरिचमेंट रहेगा, जब तक वह पैसा उसके पास पड़ा रहेगा । इसलिए मेरा वित्त मंत्री महोदय से सुझाव है कि क्योंकि आप इन मामलों में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरी तरह स्टडी कराइये । जो रेट्स आप लगाते हैं, छोटे-छोटे यूनिट्स हैं, उनके लोग हिसाब नहीं रख सकते और जब एक्साइज ड्यूटी लगाने का टाइम आता है, तो वे उनको बाइफरकेट कर देते हैं, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विदाउट एनी प्राफिट और उसमें आपको एक्साइज नहीं मिल रही ।

अध्यक्ष महोदय, आज आप देखें कि रा-मेटीरियल का रेट कहां पहुंच गया है । इस बात को आप भी मानेंगे कि इस बजट के बाद रा-मेटिरियल के रेट्स आसमान छू रहे हैं और आपने एक्साइज ड्यूटी की लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं किया है । कोई परिवर्तन नहीं लाया । एक्साईज की चोरी फिर होगी । जिस तरह से कम्पलीकेटिड और कंफ्यूज्ड रेट्स है उनके कारण जो लाभ उठाने की बात थी उसको आप चैक कर लेंगे । कंज्यूमर, उपभोक्ता का नाम लिया हैं आपने, लेकिन निर्माता से अनजस्ट एनरिचमेंट छीन रहे हैं और उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है, वह सरकार को मिल रहा है । जब तक आप नियम नहीं बनायेंगे, सिम्पलीफाई नहीं करेंगे, वह कैसे उस तक पहुंचेगा ।

आज मैं एक चीज बाजार से खरीदता हूं और उस बढ़ा हुआ एक्साइज रेट पे करता हूं उसके बाद मान लीजिए आप मैन्यूफैक्चरर को रिफण्ड नहीं करते हैं ।

[अनुवाद]

वह राशि एक उपभोक्ता की बतौर मुझ तक कैसे पहुंचती है ? कभी नहीं पहुंचेगी । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि मूल आवश्यकता केन्द्रीय सीमा-शुल्क की दरों और सोपानों को बदलने की है ताकि वे सबल हों और उपभोक्ता को खरीद के समय सस्ती दरों पर चीजें मिल सकें । इसके लिए निधि बनाने के बाद और उसके बाद यह मालूम करके कि वह आदमी कौन था जिसने उस दर से, जो दी जानी चाहिए थी, बहुत अधिक मूल्य दिया, कोष प्रारंभ कर दिया । इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी ।

[हिन्दी]

मैं आपसे फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब तक बेसिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में आप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक लाभ पहुंचने वाला नहीं है । आप यूनिटस की लिमिट को, स्लैब को बदलिए । आपको इण्डस्ट्री से ज्यादा एक्साइज भी आएगी । आप एक साल एक्सपैरीमेंट करके देखिए । 5 परसेंट, 10 परसेंट उसके ऊपर आप कुछ लिमिट रखिए कि इतना मैन्यूफैक्चर करेगा, इतनी सेल होगी उसके बाद 15 परसेंट शुरू से लग जाएगा । रॉ-मैटीरियल पहले उसको 30 रुपये किलो मिलता था । उसकी कास्ट अब इतनी बढ़ चुकी है कि वह मल्टीप्लाई करेगा यूनिट्स को । आप एक तरफ अनजस्ट एज्रिचमेंट को रोकना चाहते हो, यह मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट है, इससे भी लाभ होगा ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि सैंट्रल एक्साइज के रेट कम करके और सिम्पलीफिकेशन करके आप चलेंगे तो आपको और बिलों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ, भावना जो आपके बिल की है, कंज्यूमर को लाभ पहुंचाने की, उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन सुझाव मेरा वही है कि सैंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रेट्स कम किए जाएं ।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं देना चाहता । मैं वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप भी उत्तरदायी हैं ।

श्री संतोष मोहन देव : रिपोर्ट कब दी गई थी । एक शंका यह थी कि क्या यह अस्तित्व में आयेगी । हमारा मार्गदर्शन और अनुरोध यह था कि यह छः महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए । महोदय, इसे छः महीने के भीतर कर दिया गया है । मैं इस बारे में की गई कार्यवाही के लिए वित्त मंत्रालय को बधाई देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं को बधाई दे रहे हैं ।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सचमुच इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले और उपयोगी तथा रचनात्मक सुझाव देने वाले माननीय सदस्यों के आभारी हैं ।

महोदय, लगभग चर्चा में भाग लेने वालों ने मोटे तौर पर इस विधेयक की विषयवस्तु

और वित्त मंत्री द्वारा अपने भाषण में दिए गए वायदों और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में इस विधेयक को छः महीने के भीतर लाने के सुझाव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप यह विधेयक लाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा अपनाये गए रुख की प्रशंसा की है।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस विधेयक की विषयवस्तु की सराहना की है और उन्होंने इस विधेयक के कार्यान्वियन तंत्र के बारे में पूछा है। हम माननीय सदस्या को यह आश्वासन देते हैं कि उत्पाद और सीमा-शुल्क विभाग के वर्तमान संगठन द्वारा ही हम विशेषकर उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए नियम बनाकर विशेष सावधानी बरतेंगे और इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम इस विधेयक को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि इस विधेयक के उपबन्धों से प्रभावित होने वाले किसी भी उपभोक्ता या उत्पादक अथवा किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कुछ सदस्यों ने बहुत उपयोगी सुझाव दिए हैं कि हमें इस विधेयक के उपबन्धों को सरल और युक्तिसगत बनाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति और व्यापार नीति में बुनियादी परिवर्तन करने सम्बन्धी नीति के साथ-साथ अब यह प्रयास भी किए जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों संबंधी कानूनों, जिनमें सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क भी शामिल है, मे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएं ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके।

श्री भोगेन्द्र झा जी ने यह सही कहा है कि हमारे पास उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम के नाम है। निश्चित रूप से यह उचित नहीं है और हमें कानून के नाम और कानून की विषय-वस्तु के सबध में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखना होगा और हमें उन्हें यथासंभव सरल और युक्तिसगत बनाने के प्रयास करने चाहिए, ताकि विवाद कम-से-कम हों और जो प्रभावित हैं—यानि विनिर्माता, आयातकर्ता, उपभोक्ता और कर निर्धारण अधिकारी को भी भविष्य में कानूनों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई न हो।

सामान्यतया उस जटिलता की बात उठाई गई थी जिसका हमें हर माह, हर सप्ताह और कभी प्रतिदिन अधिसूचनाएं जारी करने में सामना करना होता है। मैं माननीय सदस्यों को इस बात से आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय और हमारे मंत्रालय के निर्णयानुसार अब हर दिन, हर सप्ताह और तो और हर महीने भी अधिसूचनाएं जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। निर्णय यह है कि बजट के प्रावधानों को लागू करने के लिए ही मुख्यतः अधिसूचननाएं जारी की जाएं और हर महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय मामले की कुछ अधिसूचनाएं होनी चाहिए—ये छमाही आधार पर अथवा कभी-कभी जारी की जानी चाहिए, किन्तु नियमित अधिसूचनाओं की व्यवस्था नहीं होगी।

श्री रासा सिंह रावत ने विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछकर बहुत अच्छा किया। उनके शब्दों में—

[हिन्दी]

वह कहते है कि वास्तव में यह प्रमाणित कर सकेगा कि खरीददार से टैक्स की रकम वसूल नहीं की गई है। इस कानून में खरीददार की जो व्यवस्था की गई है, वह यह है कि जो उत्पादक हैं उन्हें अपनी कीमत में देखना पड़ेगा कि उनकी कीमत क्या है और वे कितने मूल्य में बेच रहे है

और इसमें कितनी राशि कर की है। इसका कर विभाग को देना पड़ेगा और विभाग उसको प्रमाणित करेगा कि इसके बाद उनको टैक्स जमा करना है। बीच में वे कर की राशि न रख लें तो वह राशि प्रारंभ में ही विभाग के पास जमा करनी होगी। जब उसके द्वारा जिसको हम एड-जुडीकशन कहते हैं जिससे उनके केस के बारे में जांच पड़ताल नहीं करेंगे कि उन्हें क्या टैक्स देना है। उसके बाद से जो राशि सरकार के पास जमा की है तो वास्तव में वह ऐसी राशि है जो उन्होंने कंज्युमर्स से वसूल नहीं की है तो वह राशि उनको वापिस की जायेगी। यदि उन्होंने उपभोक्ता को अपना जो टैक्स दिया है तो उपभोक्ता से मूल्य के रूप में वसूल कर लिया है तब हम उस राशि को जो उपभोक्ता कल्याण कोष बना रहे हैं, उसमें जमा करेंगे और उसके नियम बनाते समय जो माननीय सदस्यों ने मूल्यवान सुझाव दिए हैं, इनका ध्यान रखते हुए ऐसा नियम बनाएंगे जिसके बारे में यह राशि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए पहले कोशिश की जायेगी कि अगर रकम वापिस की जा सकती है तो की जाए। यदि यह व्यावहारिक नहीं हो, युक्तिसंगत नही हो तो हम उपभोक्ताओं के लिए ऐसा गुणकारी कानून बनायेंगे जिससे उनको लाभ हो। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पहले जो रकम बांटी गई थी उसकी मांग की कि वह राशि उपभोक्ता कोष में क्यों नहीं दिखाई। पुराने समय में यह हो गया था, तब हमारा यह कानून नहीं बना था। इसीलिए लोक लेखा समिति ने कहा था कि हम कानून बनाएं। जो गलत ढंग से रकम उनके पास पहुंच जाती है उसके लिए अच्छी तरह से हम इस कानून का पालन करेंगे। इसके पहले जो रकम जा चुकी है उसके लिए इस कानून में प्रावधान नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी तारीख से इसको लागू करने का प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वह राशि ली जाये। श्री चटर्जी ने कहा है कि

[अनुवाद]

विनिर्माता और समाहर्ता अधिकारियों के बीच संबंध आदि। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। हम पहले भी लोक लेखा समिति में उनके योगदान की प्रशंसा कर चुके हैं और वस्तुतः जो उपभोक्ता कल्याण कोष बनाया गया है, यह उन्हीं का एक सुझाव था। किन्तु प्रश्न यह है कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां हो सकती हैं। किन्तु जहां तक फिलहाल हमारे पास बहुत मेधावी और अच्छे अधिकारी हैं, हो सकता है कि कुछ कमी हो इसमें। हम यह सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि सरकार को उचित रूप से देय कर प्राप्त हो। वापसी रकम उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, जो वापसी उपभोक्ताओं को नहीं दी जा सकती, वह इस निधि में जायेगी। ये प्रयास किये जायेंगे। जहां तक उसके स्पष्टीकरण का प्रश्न है, हम, जैसा कि धारा 11 के अन्तर्गत बताया जा चुका है, हम सावधानी बरतेंगे। उन्हें यह बताना होगा कि मूल्य कितना है, शुल्क कितना है और इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी, जैसा कि आपने कहा है, उनका एकीकरण हो जायेगा। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा क्योंकि विभाग को अग्रिम रूप से उसकी स्वीकृति देनी होगी।

इसी तरह के अन्य सुझाव भी हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके सुझावों पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा तथा हम उनके सुझावों का पूरा लाभ उठायेंगे। हम विधेयक के प्रति उनके द्वारा दिए गए भरपूर सहयोग के लिए उनके आभारी हैं तथा यह विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी। कोई संशोधन नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 15 तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 15 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : महोदय, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह ऐसा अवसर है जबकि सरकार ने लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया है। लोक लेखा समिति में हमने जिन दिक्कतों पर विचार किया है उनमें से एक यह है कि प्रायः लोक लेखा समिति की सिफारिशों का राजनीतिक तौर पर पालन नहीं होता है। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान स्वयं संसद के कार्यकरण के संबंध में दिलाना चाहूंगा कि ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय उस बात पर चर्चा न की जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चाहे यह विधेयक पारित हो या न हो, मैं श्री देव को, वित्त मंत्रालय के मंत्रियों को तथा समिति के सदस्यों को न केवल अच्छी सिफारिश करने के लिए बल्कि इसे कानून में परिवर्तित करने के लिए भी बधाई देता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा अनुरोध है कि इसे एक निर्णायक पहलू माना जाये।

[**हिन्दी**]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना

चाहता हूं कि जो उपभोक्ता कल्याण कोष बनाये जाने की बात की गई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसकी स्थापना आप कितने समय में कर देंगे, यह केवल घोषणा मात्र ही रह जायेगी ? या कोई समय निश्चित कर देंगे कि इतने समय में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना कर देंगे ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष जी, यह घोषणा तत्काल ही बिल पास होने के बाद कर दी जायेगी कि उपभोक्ता कल्याण कोष कायम किया जायेगा । वास्तव में बिल के साथ आप कानूनन ढंग से इसको स्वीकार कर रहे हैं और इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा । इसका अच्छी तरह से पालन होगा और लोक लेखा समिति ने जो यह अच्छा काम किया है, उसके अध्यक्ष और सदस्य के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7.57 म० प०

विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 को विचार करने के लिए लेंगे । मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं*

"कि विदेशी मुद्रा में प्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को और विदेशी मुद्रा बंधपत्र अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों का और ऐसे प्रेषणों और बंधपत्रों के सबंध में प्रत्यक्ष करों [से कुछ छूटों का उपबंध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों या उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) : महोदय, मैं इस समय एक सुझाव देना चाहता हूं । दूसरा विधेयक काफी विवादास्पद है तथा इस पर बहस होनी चाहिए । इतनी देर होने पर इसे चर्चा के लिए नहीं लिया जा सकता । पहले विधेयक को पारित होने में हमने आपकी मदद की है । **(व्यवधान)** महोदय, अब यह बिल्कुल असंभव है **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, यह उचित नहीं है । नेताओं की

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

सुबह जो बैठक हुई थी उसमें हमने यह निर्णय लिया था कि विधेयकों को पारित कर दिया जायेगा। अत: इसका अर्थ तो यह होगा कि हम बैठक में कुछ और फैसला करते हैं और सभा में कुछ और करते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हमें यह पता नहीं था कि उपासना स्थल विधेयक इतना समय ले लेगा। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : हम तो कल ही से पूजा कर रहे हैं; सुबह ... (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आठ तो बज चुके हैं।

[**हिन्दी**]

श्री गुलाम नबी आजाद : हम आपको खाना यहां दे देंगे।

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर चर्चा करने तथा इसको पारित करने पर जोर नहीं देते, परन्तु बात यह है कि कल वित्त विधेयक के साथ-साथ अन्य विधेयकों पर भी चर्चा होनी है। कठिनाई यह है यदि इन विधेयकों को हम यहां पारित नहीं करेंगे और यदि राज्य सभा में नहीं जा सकते हैं तो हम सभा के सत्र को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि कुछ सदस्य सुबह से ही बड़ी कटिबद्धता के साथ बैठे हैं। फिर भी आपको पता है कि कभी-कभी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए तथा किए जाने वाले कार्य को बताने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़नी है। अत: इस बात को तथा इस तरह की सहमति के परिप्रेक्ष्य में हमें इस विधेयक को पारित करना चाहिए। मैं ऐसा कर रहा हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस विधेयक, जो बजट-भाषण से जुड़ा है—उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क विधेयक तो बिल्कुल दूसरी चीज थी—को अभी के बजाय वित्त विधेयक के साथ लिया जाना चाहिए क्योंकि विदेशी मुद्रा के बारे में यह एक और छूट है। वित्त विधेयक में भी एक छूट-योजना का प्रावधान है। अत: मेरा सुझाव है कि इन दोनों विधयकों को कल लिया जाना चाहिए तथा यह आज दो घंटे लगाने से बेहतर भी होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सहमत हों तो यह विधयक कल वित्त विधेयक के साथ-साथ लिया जा सकता है।

(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : महोदय, ये दो भिन्न विधेयक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं या तो बैठक में हुई सहमति के अनुसार चल सकता हूं या फिर सभा में होने वाली सहमति पर, नहीं तो फिर आपको मेरी बात से सहमत होना होगा। आपको इन तीनों में से एक को चुनना होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ये अलग-अलग विधेयक जरूर हैं पर इन पर चर्चा एक साथ हो सकती है··· **(व्यवधान)**

20.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : आप तो कह रहे हैं, पर दूसरे सहमत नहीं हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम प्रस्ताव करते हैं कि इस पर कल चर्चा होनी चाहिए । **(व्यवधान)**···

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : इन दो विधेयकों को अलग-अलग प्रस्तुत किया जा सकता है । परन्तु, चर्चा तथा उसके बाद होने वाले मतदान को एक साथ करवाया जा सकता है ।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमने कोई सहमति बनाई थी तो वह दिक्कतों के कारण बनाई थी । यदि हम इनका पालन न करें तो बहुत मुश्किल होगी । हमें बाद के पूरे कार्यक्रम को बदलना होगा ।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : नहीं महोदय, इसे हर हालत में आज ही पारित करना होगा । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि इन्हें एक साथ लिया जाएगा तो हम इससे सहमत होने में असमर्थ हैं । चाहे जो भी हो, यह बिल्कुल ही असंगत बात होगी कि इन विधेयकों पर एक साथ चर्चा हो । दूसरी ओर···

अध्यक्ष महोदय : कृपया निर्णय दूसरों पर न डालें । वही बातें आपके सुझाव के बारे में भी कही जा सकती हैं ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं, यह नहीं हो सकता । मैं तो यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, कृपया हमें किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं देना चाहिए । हमें विचार करना चाहिए । हम चर्चा शुरू करें और उसके बाद हम देखेंगे ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह संभव नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में सहमति हो गयी थी ।

श्री गुलाम नबी आजाद : बैठक में किसी बात की सहमति हो गयी थी और अब आप उससे असहमत हैं । यह सही नहीं है । आपको पहले ही सहमत नहीं होना चाहिए था । **(व्यवधान)** यह निर्णय किया गया था कि यदि रात का एक भी बज जाये तो भी इसे पारित किया जाएगा । आप ही ने इस बात पर जोर दिया था कि उपासना विधेयक को कल नहीं पारित किया जाना चाहिए तथा इसे हम आज ही पारित करेंगे । आप इस बात से सहमत थे कि आज ही इन

दोनों विधेयकों को पारित कर दिया जाएगा। जब भी आप बोलना चाहते हैं तो आप सभा को घसीटना चाहते हैं और जब भी सरकारी कार्य की बारी आती है तो आप घर जाना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि यह बात सही नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : कि विदेशी मुद्रा में प्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को और विदेशी मुद्रा बंधपत्र अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों का और ऐसे प्रेषणों और बंधपत्रों के संबंध में प्रत्यक्ष करों से कुछ छूटों का उपबंध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री मोहन सिंह ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, उस पर 6 दिसंबर, 1991 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, उस पर 12 दिसंबर, 1991 तक राय जानने के लिए, परिचालित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, उस पर 18 दिसंबर, 1991 तक राय जानने के लिए, परिचालित किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हम इसे आज पारित नहीं कर सकेंगे। हम इसे कल पारित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया चर्चा करने दीजिए ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको क्या लाभ मिल रहा है ? क्या आपको विदेश से कुछ मिल रहा है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, यदि आप कुछ और समय चाहते हैं, तो श्री रावत को बोलने दीजिए। आप बोलें अथवा बैठ जाएं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम आधे घंटे के लिए और बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। अब श्री रावत।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्र विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक जो लाया गया है, इस विधेयक को लाकर जिन घोषित उद्देश्यों की पूर्ति की गई है, वह मुझको मात्र मृग-मरीचिका नजर आती है। देश को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, यह बात मेरी समझ में आती है। मुद्रा प्राप्त हो, मुद्रा प्राप्त भी की जानी चाहिए मगर प्राप्त करने के लिए जो प्रयास और तरीके अपनाए जाएं वह विधिसम्मत तो हों ही, न्यायसंगत और तर्कसंगत भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश के करोड़ों लोग जो कानून पसंदगी रखते हैं, उनका कानून की पवित्रता से विश्वास उठ जाएगा। इस विधेयक में चमक तो बहुत है, हमें आशा है कि पैसा भी इससे खूब मिलेगा लेकिन आर्थिक संकट से हम लोग उबर नहीं पाएंगे और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार कोई भी विदेशी व्यक्ति इस देश में किसी भी व्यक्ति को धन दे सकता है, वैधिक साधन से हों या अवैधानिक साधन हों, कैसे भी साधनों से अर्जित धन हो, भेज सकता है। शासन को धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति से उसको भेजे गए धन की प्रामाणिकता के बारे में, कि किस प्रकार से यह धन अर्जित किया गया, कैसे आया, यह नहीं पूछ सकेगा। इस सम्बन्ध में धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कोई जांच या अन्वेषण भी नहीं होगा। मेरा निहायत अदब के साथ यह आरोप है कि यह प्रावधान वास्तविक रूप से भारतीय मूल के जो दानदाता हैं, जो विदेशी मुद्रा भारत को भेजना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देना चाहते हैं, उनका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। मैं निहायत अदब के साथ आरोप लगाना चाहता हूं कि 1947 से लेकर अब तक, चाहे वे सौदे रक्षा से संबंधित रहे हों, बोफोर्स सहित, या अन्य किसी प्रकार के सौदे रहे हों, उनमें राजनेताओं, मल्टीनेशनल्स और उनके दलालों ने, अवैध रूप से जो पैसा कमाया है, और उसे स्विटजरलैंड के बैंकों में या अन्य बैंको में जमा किया, उन पूंजीपतियों द्वारा जो अवैध कमीशन और दलाली की रकम इकट्ठी की गयी है, उस रकम को वैध करने का यह एक तरीका निकाला गया है। खासकर इस ऐक्ट के अन्दर जो सबसे बड़ी खराबी है, वह है कि स्विटजरलैंड के बैंकों में अवैध पैसा अब तक जो लोग जमा करते रहे हैं, उसकी वैधानिक जांच की जा सकती है, बोफोर्स के मामले में भी हम उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं लेकिन इस प्रकार का जो धन गिफ्ट रूप में आयेगा, उस धन की वैधता के बारे में न तो कोई चुनौती दी जा सकती है और न किसी तरह की जांच पड़ताल की जा सकती है। दानदाता का नाम और पता भी नहीं पूछा जा सकता है। इसलिये यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कुछ निहित स्वार्थ के लोगों और गलत पैसे को, काले धन को व्हाइट मनी में बदलने की कोशिश मात्र है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देश में विदेशी मुद्रा की आवक इस विधेयक के आते ही रुक गयी है। आज लोग इसलिये विदेशी मुद्रा को भारत में नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि वे ऐसा मान कर चल रहे हैं कि जब बिल्कुल ही फ्री हैंड होने जा रहा है तो क्या जरूरत है, आवश्यकता है कि हम टैक्स दें। इसके साथ ही देश में काले धन को राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 40 फीसदी रुपया लेकर, 60 फीसदी रुपया उज्ज्वल करने की बात कही गयी थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि उसके अन्दर इनफ्लो कम होने जा रहा है। उसका इनफ्लो इसलिये कम होगा क्योंकि

विदेशों के अन्दर 20परसेंट रुपया लेते हैं, जितना रुपया आपने दिया उसका 20 परसेंट वे ले लेते है और बाकी रकम विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करके आपको मिल जाती है। एक बहुत बड़ा रैकेट सारी दुनिया में चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर, अरब कन्ट्रीज और पश्चिमी देशों में यह धंधा चल रहा है। वहां हिन्दुस्तान के पूंजीपति यहां का रुपया ले जाते हैं और अपने काले धन को गोरे धन में परिवर्तित कर रहे हैं। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जिस दिन यह ऐक्ट पास हो जायेगा, उसी दिन उस रुपये को यहां ले आयेंगे। इसलिये 40 फीसदी यहां देने की बजाए, विदेशों में 20 परसेंट रुपया देने पर ही विदेशी मुद्रा के रूप में कन्वर्ट करके वह पैसा यहां आ जायेगा और उन्हें सम्मान भी मिलेगा। हिन्दुस्तान के वित्त मन्त्री उनकी बलइयां लेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे कि आपने विदेशी मुद्रा भारत में लाकर हमारे देश का उपकार किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस माध्यम से अवैध धंधा करने वाले लोग, चाहे वे तस्कर हों, धर्म परिवर्तन के नाम पर हमारे यहां जितनी मिशनरियां चलती हैं, चाहे वे हों, जिन पर अभी तक कुछ रोक भारत सरकार की ओर से लगी हुई थी, अब उनको यह मौका मिल जायेगा, आतंकवादियों को भी मौका मिलेगा, नार्कोटिक्स ड्रग्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले लोगों को भी यहां धन भेजना सुलभ हो जायेगा। इससे देश की स्वतंत्रता, अखण्डता तथा कानून-व्यवस्था खराब होने के साथ-साथ समाज के ढांचे को भी खतरा पैदा हो गया है।

8.09 म० प०

(श्री० पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा कि इस विधेयक में विदेशी मुद्रा बंध पत्र का भी प्रावधान है। वे विदेशी मुद्रा बंध पत्र "विदेशी निगमित निकाय" या अनिवासी भारतीयों को क्रय करने का अधिकार है। इसमें एक बड़ी खराबी यह है कि विदेशी निगमित निकाय का जो गठन है, स्वरूप है, वह बड़ा विचित्र है। इसकी धारा 5 में कहा गया है कि ऐसी कोई संस्था, संगम या निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो, यह बड़ा गम्भीर है, यदि निगमित नहीं है तो भी, जिनमें किसी अनिवासी भारतीय का कोई हित है, ऐसा नहीं कि पूरा अनिवासी भारतीय का हित हो, जो भारत के बाहर से, किसी देश की विधि के अधीन स्थापित किया गया हो, इस परिभाषा का कोई भी विदेशी व्यक्ति या संस्थाएं नाममात्र का भारतीय मूल के व्यक्तियों का हित रखकर ऐसी विदेश निगमित निकाय बना सकती हैं, जिनमें बहुत छोटा-सा हित भारतीयों का हो और बाकी विदेशी के लोगों का हो, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी निगमित निकायों के माध्यम से प्राप्त बंध पत्रों के स्वामी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी आपराधिक कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ये बंध पत्र भी ग्राह्य नहीं होंगे। उससे यह भी नहीं पूछा जा सकता कि यह विदेशी पैसा था, भारतीय मूल के व्यक्तियों ने पैसा दिया था या किस प्रकार का वह पैसा था। इसके साथ ही इसमें दान मे आयी विदेशी मुद्रा के उपयोग के बारे में यह भी प्रावधान नहीं किया गया है जिस प्रकार से राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के लिए प्रावधान किया गया है, 40 प्रतिशत रुपया उसमें जमा होगा तब 60 प्रतिशत उजला होगा, लेकिन उसकी क्या मॉडेलिटीज होंगी, वह रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में आएगा और किस प्रकार से वह उपयोग होगा, यह कुछ नहीं है ? हो सकता है, वह देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दे और उसका दुरुपयोग हो और इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय

करदाताओं, कानून का पालन करने वाले करोड़ों कानून पसंद लोगों को देश की सरकार वर्तमान बजट में कोई सुविधा नहीं दे सकी। इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए उत्तरदायी उन राजनैतिक नेताओं व नौकरशाहों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का शासन का इरादा नहीं दीखता, जिन्होंने देश को इस रसातल तक पहुंचा दिया, जहां भारत सरकार को कर्ज लेने में भी कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं और अब हम दान मांगने के लिए चारों ओर असहाय से झोली फैला रहे हैं। इस देश के करदाता को राहत नहीं दे रहे हैं। इस देश के उत्पादक को वह राहत नहीं दे रहे हैं जिससे इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का मेहनकश इंसान उठ खड़ा हो और राष्ट्र निर्माण के भाव से उत्पादन बढ़ाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारे। करदाताओं में भारी उद्विग्नता है कि कानून का पालन करने वालों पर असंख्य पाबंदी व नौकरशाही का शोषण और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के वे काम जो कल तक तो "फेरा" में अपराध थे आज उन्हीं कामों को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तब वे क्यों उत्पीड़न और कष्ट सहें।

अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नौजवानों की ओर से एक शेर की कुछ पंक्तियां माननीय वित्त मन्त्री जी को समर्पित करना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र के नौजवानों ने आपको देने के लिए दी हैं :—

"नाजनीन हमको तुमसे है गिला
हमसे करती हो पर्दा और
गैरों से करती हो वफा।"

हमारे देश के मेहनती किसानों, देश के मेहनतकश इंसानों को जो कानून के माध्यम से काम करना चाहते हैं, आप उनको उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको कोई सुविधा नही दे रहे हैं जबकि विदेशी भारतीयों को बेहिसाब सुविधाएं दे रहे हैं।

मान्यवर, हो सकता है कि मेरी बात माननीय वित्त मंत्री को पसंद नहीं आ रही हो मगर एक बार जनमत जान लेने के बाद सही स्थिति देश के मंत्रिपरिषद के समक्ष आ सकेगी और तब पता चल सकेगा कि एक बार केवल ईस्ट इंडिया कम्पनी के षडयंत्र में फंसा देश गुलाम रहा है और अब इस बार फिर किस प्रकार से चारों ओर से पूंजीपतियों व षडयंत्रकारियों के चंगुल में फंसता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय यह मामला इतना सीधा-सादा नहीं जिससे इसे पारित किया जाए, बल्कि यह एक जाल-बट्टा है। इस जाल-बट्टे से इस देश को बचाइए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और अपील करता हूं कि इस विधेयक को सरकार वापस ले।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अब हम सभा को स्थगित कर देना चाहिये तथा हम इस विधेयक पर कल सबसे पहले चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह ऐसा विधेयक है जिस पर बहुत कुछ कहना है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, अब आप इसको कल लीजिये । आप भी थके हुये हैं, हम भी थके हुये है । आप हमारी बात मान जाइये । पूरा दिन हो गया है चिल्लाते हुये, अब आप आज समाप्त कीजिये, कल ले लीजिये ।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इसे आज समाप्त करना चाहते है ।

सभापति महोदय : किसी पार्टी ने कोई नाम नही दिया है । अतः इसमे केवल 10 मिनट लगेंगे ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम सब इस विधेयक पर बोलना चाहेंगे ।

श्री बसुदेव आचार्य : निर्मल जी एक घन्टे तक बोलेंगे ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कल हम फिर 8.00 बजे म० प० तक बैठ लेंगे ।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : सभापति महोदय, हमारी प्राब्लम यह है कि जो सुबह वायदा करते हैं वह शाम को नही होता और जो शाम को वायदा करते हैं वह सुबह नहीं होता ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम कल 8.00 बजे म० प० तक बैठ सकते हैं परन्तु इसके बाद नहीं ।

सभापति महोदय : सभा कल सुबह 11 बजे पू० म० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

8.15 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 11 सितंबर, 1991/20 भाद्र, 1913 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53

पी० एस० एल०—48/5/42/91 (एन०)
225

©1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित।